बहारे
शरीअत
1 से 10
मुसन्निफ
अमजद अ़ली
हिन्दी तर्जमा
अमीनुल क़ादरी बरेलवी
नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

PDF BY :
**WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM**
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

तीसरा हिस़्स़ा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअत (पहला हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
कीमत जिल्द अव्वल	500/
तादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।

2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।

3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई

4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।

5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।

6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346

7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ्रूफ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़काइद मुआमलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाकिफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आ़लिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उ़लमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उ़लमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم
نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْم

नमाज़ का बयान

ईमान व तस्हीहे अक़ाइद मुताबिके मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत के बाद नमाज़ तमाम फ़राइज़ में निहायत अहम व अअ्ज़म है। कुर्आन मजीद अहादीसे नबीये करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इसकी अहमियत से मालामाल हैं, जा–ब–जा इसकी ताकीद आई और इसके छोड़ने वाले पर वईद फ़रमाई यानी नमाज़ की बहुत ताकीद फ़रमाई गई और इसके तर्क(छोड़ना)करने पर अज़ाब की ख़बर दी गई। चन्द आयतें और हदीसें ज़िक्र की जाती हैं कि मुसलमान अपने रब तआला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनें और उसकी तौफ़ीक़ से उस पर अमल करें।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰھُمْ یُنْفِقُوْنَ(پ ۱ ع ۱)

तर्जमा :– " यह किताब परेहज़गारों को हिदायत है जो ग़ैब पर ईमान लाते और नमाज़ क़ाइम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं"।

اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارْکَعُوْا مَعَ الرّٰکِعِیْنَ O(پ ع)

तर्जमा :– " नमाज़ क़ाइम करो और ज़कात दो और रूकु करने वालों के साथ नमाज़ पढ़ो" यानी मुसलमानों के साथ कि रूकुअ् हमारी ही शरीअत में है या बाजमाअत अदा करो।

और फ़रमाता है।

حَافِظُوْا عَلَی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی وَ قُوْمُوْا لِلّٰہِ قٰنِتِیْنَ O(پ ع)

तर्जमा :– " तमाम नमाज़ों खुसूसन बीच वाली नमाज़ (अस्र)की मुहाफ़ज़त रखो और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो"।

और फ़रमाता है:

وَ اِنَّھَا لَکَبِیْرَۃٌ اِلَّا عَلَی الْخٰشِعِیْنَ O(پ ع)

तर्जमा :–" नमाज़ शाक़ है मगर खुशू करने वालों पर"।

नमाज़ का मुतलक़न तर्क तो सख़्त हौलनाक चीज़ है उसे क़ज़ा कर के पढ़ने वालों को फ़रमाता है :–

فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ O الَّذِیْنَ ھُمْ عَنْ صَلٰوتِھِمْ سَاھُوْنَ O(پ ع)

तर्जमा :– " ख़राबी उन नमाज़ियों के लिये जो अपनी नमाज़ से बे ख़बर हैं वक़्त गुज़ार कर पढ़ने उठते हैं"

जहन्नम में एक वादी है जिसकी सख़्ती से जहन्नम भी पनाह माँगता है उसका नाम वैल है क़स्दन नमाज़ क़ज़ा करने वाले उसके मुस्तहक़ हैं।

और फ़रमात है :–

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّبَعُوا الشَّھَوٰتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا O(پ ع ۷)

तर्जमा :–"उन के बाद कुछ नाखलफ़ पैदा हुये जिन्हों ने नमाज़ें ज़ाय कर दीं और नफ़्सानी ख्वाहिशों का इत्तिबाअ् किया। अन्क़रीब उन्हें सख़्त अज़ाबे तवील व शदीद से मिलना होगा"।

ग़य्य जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सब से ज़्यादा है उसमें एक कुआँ है जिसका नाम हबहब है जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है अल्लाह तआला उस कुँए को खोल देता है जिस से वह बदस्तूर भड़कने लगती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:–

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝ (پ ع)

तर्जमा :– " जब बुझने पर आयेगी हम उन्हें और भड़क ज़्यादा करेंगे यह कुआँ बे नमाज़ियों और ज़ानियों और शराबियों और सूद ख़ोरों और माँ बाप को ईज़ा देने वालों के लिये है नमाज़ की अहमियत का इससे भी पता चलता है कि अल्लाह तआला ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे और जब नमाज़ फ़र्ज़ करनी मन्ज़ूर हुई हुज़ूर को अपने पास अर्शे अअ्ज़म पर बुला कर उसे फ़र्ज़ किया और शबे असरा में तोहफ़ा दिया।

अहादीस

हदीस न.1 :– सही बुखारी और मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्बूद (पूजने के काबिल)नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस के ख़ास बन्दे और रसूल हैं और नमाज़ क़ाइम करना और ज़कात देना और हज करना और माहे रमज़ान का रोज़ा रखना।(मिश्कात स 12)

हदीस न.2 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा रिवायत करते है कि हज़रत मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया वह अमल इरशाद हो कि मुझे जन्नत में ले जाये और जहन्नम से बचाये फ़रमाया अल्लाह तआला की इबादत कर और उस के साथ किसी को शरीक न रख और नमाज़ क़ाइम रख और ज़कात दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह का हज कर इस हदीस में यह भी है कि इस्लाम का सुतून नमाज़ है।(मिश्कात स 14)

हदीस न.3 :– सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पाँच नमाज़ें और जुमे से जुमे तक और रमज़ान से रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो इनके दरमियान हो जबकि कबाइर (यानी गुनाहे कबीरा) से बचा जाये (मिश्कात स 57)

हदीस न.4 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बताओ तो किसी के दरवाज़े पर नहर हो वह उसमें हर रोज़ पाँच बार गुस्ल करे क्या उसके बदन पर मैल रह जायेगा। अर्ज़ की नहीं यही मिसाल पाँचों नमाज़ों की है कि अल्लाह तआला उन के सबब ख़ताओं को मिटा देता है।

हदीस न.5 :– सहीहैन में इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी से एक गुनाह सादिर हुआ हाज़िर हो कर अर्ज़ की। उस पर यह आयत नाज़िल हुई :–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

तर्जमा :– "नमाज़ क़ाइम कर दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्से में बेशक नेकियाँ गुनाहों को दूर करती हैं यह नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या यह खास मेरे लिए है फरमाया मेरी सब उम्मत के लिए।" (मिश्कात स 58)

हदीस न.6 :– सही बुखारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया अअ्माल में अल्लाह तआला के नज़दीक सब से ज़्यादा महबूब क्या है फरमाया वक्त के अन्दर नमाज़ मैंने अर्ज़ की फिर क्या फरमाया माँ बाप के साथ नेकी करना मैंने अर्ज़ की फिर क्या राहे खुदा में जिहाद।

हदीस न.7 :– बैहकी ने हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक साहब ने अर्ज़ की या रसूलल्लह! इस्लाम में सब से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब क्या चीज़ है फरमाया वक्त में नमाज़ पढ़ना और जिस ने नमाज़ छोड़ी उस का कोई दीन नहीं नमाज़ दीन का सुतून है।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद ने अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे सात बरस के हों तो उन्हें नमाज़ का हुक्म दो और जब दस बरस के हो जायें तो मार कर पढ़ाओ। (मिश्कात 58)

हदीस न.9 :– इमाम अहमद रिवायत करते हैं कि अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाड़ों में बाहर तशरीफ ले गये पतझड़ का ज़माना था दो टहनियाँ पकड़ लीं पत्ते गिरने लगे फरमाया अबू ज़र! मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह फरमाया मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उस से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे इस दरख़्त से यह पत्ते। (मिश्कात 58)

हदीस न.10 :– सहीह मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स अपने घर में तहारत (वुजू या गुस्ल)कर के फ़र्ज़ अदा करने के लिए मस्जिद को जाता है तो एक क़दम पर एक गुनाह माफ होता है यानी एक गुनाह मिट जाता है और एक दर्जा बलन्द होता है।

हदीस न.11 :– इमाम अहमद, ज़ैद इब्ने खालिद जुहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी है कि हुजूर ने फरमााया जो दो रकअत नमाज़ पढ़े और उन में सहव (भूल)न करे तो जो कुछ पेशतर उस के गुनाह हुए हैं अल्लाह तआला माफ फरमादेता है यानी सग़ाइर(छोटा गुनाह) (मिश्कात स 58)

हदीस न.12 :– तबरानी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि हुजूर ने फरमाया कि बन्दा जब नमाज़ के लिये खड़ा होता है उसके लिये जन्नतों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और उसके परवरदिगार के दरमियान से हिजाब हटा दिया जाता है और हूरें उसका इस्तिकबाल करती हैं जब तक नाक सिनके न खंकारे।

हदीस न.13 :– तबरानी ने औसत में और ज़िया ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि सब से पहले कयामत के दिन बन्दे से नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा अगर यह दुरुस्त हुई तो बाकी अअ्माल भी ठीक रहेंगे और यह बिगड़ी तो सभी बिगड़े और एक रिवायत में है कि वह खाइब व खासिर हुआ।

हदीस न.14 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा की रिवायत तमीम दारी

रदियल्लाहु तआला अन्हु से, यूँ है अगर नमाज़ पूरी की है तो पूरी लिखी जायेगी और पूरी नहीं की (यानी उस में नुक़सान है)तो मलाइका से फ़रमाया गया देखों मेरे बन्दे के नवाफ़िल हों तो उन से फ़र्ज़ पूरे कर दो फिर ज़कात का इसी तरह हिसाब होगा फिर यूँ ही बाक़ी अअ्माल का।

हदीस न.15 :– अबू दाऊदव इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताआल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (जो मुसलमान जहन्नम में जायेगा वलअयाज़ु बिल्लाहि तआला) उसके पूरे बदन को आग खायेगी सिवाए आज़ाए सुजूद के अल्लाह तआला ने उस का खाना आग पर हराम कर दिया है।

हदीस न.16 :– तबरानी औसत में रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया अल्लाह तआला के नज़दीक बन्दे की यह हालत सब से ज़्यादा पसन्द है कि उसे सजदा करता देखे कि अपना मुँह ख़ाक पर रगड़ रहा है।

हदीस न.17 :– तबरानी औसत में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कोई सुबह व शाम नहीं मगर ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे को पुकारता है आज तुझ पर कोई नेक बन्दा गुज़रा जिसने तुझ पर नमाज़ पढ़ी या ज़िक्रे इलाही किया अगर वह हाँ कहे तो उसके लिए इस सबब से अपने ऊपर बुज़ुर्गी तसव्वुर करता है।

हदीस न.18 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी तहारत है।

हदीस न.19 :– अबू दाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो तहारत कर के अपने घर से फ़र्ज़ नमाज़ के लिए निकला उसका अज्र ऐसा है जैसा हज करने वाले मुहरिम (इहराम बांधने वाले) का और जो चाश्त के लिए निकला उसका अज्र उमरा करने वाले की मिस्ल है और एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक के दोनों के दरमियान में कोई लग़वियात न हो तो वह नमाज़ इल्लीयीन में लिखी हुई है यानी दर्जए क़बूल को पहुँचती है।

हदीस न.20,21 :– इमाम अहमद व नसई इब्ने माजा ने अबू अय्यूब अन्सारी व उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिसने वुज़ू किया जैसा हुक्म है और नमाज़ पढ़ी जैसा नमाज़ का हुक्म है तो जो कुछ पहले किया है माफ़ हो गया।

हदीस न.22 :– इमाम अहमद अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो अल्लाह के लिये एक सजदा करता है उस के लिये एक नेकी लिखता है और एक गुनाह माफ़ करता है और एक दर्जा बुलन्द करता है।

हदीस न.23 :– कन्ज़ुल उम्माल में है कि जो तनहाई में दो रकअ्त नमाज़ पढ़े कि अल्लाह और फ़रिश्ते कि सिवा कोई न देखे उस के लिए जहन्नम से बराअ्त (आज़ादी)लिख दी जाती है।

हदीस न.24 :– मुन्यतुल मुसल्ली में है कि इरशाद फ़रमाया कि हर शय के लिए एक अलामत होती है ईमान की अलामत नमाज़ है।

हदीस न.25 :– मुन्यतुल मुसल्ली में है इरशाद फ़रमाया नमाज़ दीन का सुतून है जिसने इसे क़ाइम रखा दीन को क़ाइम रखा और जिसने इसे छोड़ दिया दीन को ढा दिया।

हदीस न.26 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद उबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि पाँच नमाज़ें अल्लाह तआला ने बन्दों पर फ़र्ज़ कीं, जिस ने अच्छी तरह

वुजू किया और वक़्त में नमाज़ें पढ़ी और रूकू व खुशूअ़ को पूरा किया तो उस के लिये अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मए करम पर अ़हद कर लिया कि उसे बख़्श दे और जिसने न किया उस के लिए अ़हद नहीं चाहे बख़्श दे चाहे अ़ज़ाब करे।

हदीस न.27 :– हाकिम ने अपनी तारीख़ में उम्मुल मोमिनीन सि़द्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है की हुजूर फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि अगर वक़्त में नमाज़ क़ाइम रखे तो मेरे बन्दे का मेरे ज़िम्मेकरम पर अ़हद है कि उसे अ़ज़ाब न दूँ और बेहिसाब जन्नत में दाख़िल करूँ।

हदीस न.28 :– दैलमी अबू सईद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज़ न की जो तौहीद और नमाज़ से बेहतर हो अगर इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो वह ज़रूर मलाएका पर फ़र्ज़ करता। उनमें कोई रूकू में है कोई सजदा में।

हदीस न.29 :– अबू दाऊद व तियाल्सी अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया जो बन्दा नमाज़ पढ़ कर उस जगह जब तक बैठा रहता है फ़रिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं उस वक़्त तक कि बे–वुजू हो जाए उठ खड़ा हो। मलाइका का इस्तिग़फार उस के लिए यह है :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू उसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह तू इस पर रहम कर,ऐ अल्लाह इसकी तौबा क़बूल फ़रमा"।

और बहुत सी ह़दीसों में आया है कि जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में है उस वक़्त तक वह नमाज़ ही में है यह फ़ज़ाइल मुतलक़न नमाज़ के हैं और ख़ास़ ख़ास़ नमाज़ों के मुतअ़ल्लिक़ जो अहा़दीस वारिद। हुई उन में यह है :–

हदीस न.30 :– त़बरानी इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर इरशाद फ़रमाते हैं जो सुबह़ की नमाज़ पढ़ता है वह शाम तक अल्लाह के ज़िम्मे है। दूसरी रिवायत में है तुम अल्लाह का ज़िम्मा न तोड़ो जो अल्लाह तआ़ला का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह तआ़ला उसे औंधा करके दोज़ख़ में डालेगा।

हदीस न.31 :– इब्ने मांजा सलमान फ़ारसी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया जो सुबह़ नमाज़ को गया ईमान के झन्डे के साथ गया।

हदीस न.32 :– बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में उ़समान रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मौक़ूफ़न रिवायत की (जो रिवायत हुज़ूर का ज़िक्र छोड़ कर की जाए वह मौक़ुफ़ कहलाती है) जो सुबह़ की नमाज़ के लिए त़ालिबे सवाब होकर ह़ाज़िर हुआ गोया उसने तमाम रात क़ियाम किया (इबादत की) और जो नमाज़े इशा के लिए ह़ाज़िर हुआ गोया वह निस्फ़ (आधी),शब क़ियाम किया।

हदीस न.33 :– ख़त़ीब ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुजूर ने फ़रमाया जिस ने चालीस दिन नमाज़े फ़ज्र व इशा बाजमाअ़त पढ़ी उसको अल्लाह तआ़ला दो बरअ़तें अ़त़ा फ़रमायेगा एक नार से दूसरी निफ़ाक़ से।

हदीस न.34 :– इमाम अह़मद अबू हूरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रात और दिन के मालाइका नमाज़े फ़ज्र व अस्र में जमा होते हैं जब वह जाते हैं तो अल्लाह तआ़ला उन से

फ़रमाता है कहाँ से आये हालाँकि वह जानता है। अर्ज़ करते हैं तेरे बंदों के पास से जब हम उन के पास गये तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्हें नमाज़ पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाज़िर हुए।

हदीस न.35 :– इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूर फ़रमाते हैं जो मस्जिद में जमाअत चालीस रातें नमाज़े इशा पढ़े कि रकअ़ते ऊला फ़ौत न हो(यानी बिलकुल शुरूअ से नमाज़ पाए छूटे नहीं) अल्लाह तआला उस के लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देता है।

हदीस न.36 :– तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर फ़रमाते हैं सब नमाज़ों में ज़्यादा गिराँ मुनाफ़ेक़ीन पर नमाज़े इशा व फ़ज्र हैं और जो इनमें फ़ज़ीलत है अगर जानते तो ज़रूर हाज़िर होते अगरचे सुरीन के बल घिसटते हुए यानी जैसे भी मुमकिन होता हाज़िर होते।

हदीस न.37 :– बज़्ज़ाज़ ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर फ़रमाते हैं जो नमाज़े इशा से पहले सोए,अल्लाह उसकी आँख को न सुलाए नमाज़ न पढ़ने पर जो वईदें आई उन में बाज़ यह हैं।

हदीस न.38 :– सहीहैन में नौफ़ल इब्ने मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसकी नमाज़ फ़ौत हुई गोया उसके अहल व माल जाते रहे।

हदीस न.39 :– अबू नईम अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया जिस ने क़स्दन (जानबूझ कर) नमाज़ छोड़ी जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है।

हदीस न.40 :– इमाम अहमद उम्मे ऐमन रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया क़स्दन नमाज़ तर्क न करो कि जो क़स्दन नमाज़ तर्क कर देता है अल्लाह व रसूल उससे बरिउज़्ज़िम्मा हैं।

हदीस न.41 :– शैख़ैन ने उसमान इब्ने अबी आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर फ़रमाते हैं जिस दीन में नमाज़ नहीं उसमें कोई ख़ैर नहीं।

हदीस न.42 :– बैहक़ी हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर फ़रमाते हैं जिसने नमाज़ छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं नमाज़ दीन का सुतून है।

हदीस न.43 :– बज़्ज़ाज़ ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि फ़रमाते हैं इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जिस के लिए नमाज़ न हो।

हदीस न.44 :– इमाम अहमद व दारमी व बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में रावी कि हुजूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिस ने नमाज़ पर मुहाफ़ज़त (मुदावमत यानी हमेशा पढ़ी) की क़ियामत के दिन वह नमाज़ उसके लिए नूर व बुरहान व नजात होगी और जिस ने मुहाफ़ज़त न की उसके लिए न नूर है और न बुरहान न नजात और क़यामत के दिन क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबई इब्ने ख़ल्फ़ के साथ होगा।

हदीस न. 45 :– बुख़ारी व मुस्लिम व इमाम मालिक नाफ़ेअ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हजरते अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सूबों के पास फ़रमान भेजा कि तुम्हारे सब कामों से अहम मेरे नज़दीक नमाज़ है जिस ने उसकी हिफ़ाज़त की और उस

पर मुहाफ़ज़त की उस ने अपना दीन महफ़ूज़ रखा और जिस ने उसे ज़ाए (तबाह व बरबाद) किया वह औरों को बदर्जए औला ज़ाए करेगा।

हदीस न.46 :– तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने शक़ीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि सहाबा किराम किसी अ़मल के तर्क को कुफ़्र नहीं जानते सिवा नमाज़ के। बहुत सी ऐसी हदीसें आई जिन का ज़ाहिर यह है कि क़स्दन नमाज़ का तर्क कुफ़्र है और बाज़ सहाबए किराम मसलन हज़रते अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़्ज़म व अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औ़फ़ व अ़ब्दुल्लाह व मआज़ इब्ने जबल व अबू हुरैरा व अबू दर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का यही मज़हब था और बाज़ अइम्मा मस्लन इमाम अहमद इब्ने हम्बल व इसहाक़ इब्ने राहविया व अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व इमाम नख़ई का भी यही मज़हब था अगर्चे हमारे इमाम अअ़्ज़म व दीगर अइम्मा व बहुत से सहाबए किराम भी उसकी तकफ़ीर नहीं करते फिर भी यह क्या थोड़ी बात है कि इन जलीलुलक़द्र हज़रात के नज़दीक ऐसा शख़्स काफ़िर है।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला :– हर मुकल्लफ़ यानी आ़क़िल बालिग़ पर नमाज़ फ़र्ज़ ऐन है। उसकी फ़र्ज़ियत का मुन्किर काफ़िर है और जो क़स्दन (जानबूझ कर) छोड़े अगर्चे एक ही वक़्त की वह फ़ासिक़ है और जो नमाज़ न पढ़ता हो क़ैद किया जाए, यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे बल्कि अइम्मा सलासा मालिक व शाफ़ेई व अहमद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम के नज़दीक सुलताने इस्लाम को उसके क़त्ल का हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार जि0 2 स0 235)

मसअ्ला :– बच्चे की जब सात बरस की उम्र हो उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए और जब दस बरस का हो तो मार कर पढ़ाना चाहिए (अबू दाऊद,तिर्मिज़ी)नमाज़ ख़ालिस इ़बादते बदनी है उसमें नियाबत जारी नहीं हो सकती यानी एक की तरफ़ से दूसरा नहीं पढ़ सकता। न यह हो सकता है कि ज़िन्दगी में नमाज़ के बदले कुछ माल बतौर फ़िदया अदा कर दें। अलबत्ता अगर किसी पर कुछ नमाज़ें रह गईं हैं और इन्तेक़ाल कर गया और वसीयत कर गया कि उसकी नमाज़ों का फ़िदया अदा कर दिया जाए और उम्मीद है कि इन्शाअल्लाह तआ़ला क़बूल हो और बे–वसीयत भी वारिस उसकी तरफ़ से फ़िदया दें कि उम्मीद क़बूल व अफ़्व है यानी गुनाहों के माफ़ होने की उम्मीद है। (दुर्रे मुख़्तार, व रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़ की फ़र्ज़ियत का सबबे हक़ीक़ी अल्लाह का हुक्म है और सबबे ज़ाहिरी वक़्त है कि अव्वल वक़्त से आख़िर वक़्त तक जब अदा करे अदा हो जायेगी और फ़र्ज़ ज़िम्मा से साक़ित हो जायेगा और अगर अदा न की यहाँ तक वक़्त का एक ख़फ़ीफ़ हिस्सा बाक़ी है तो यही आख़िरी हिस्सा सबब है तो,अगर कोई मजनून या बेहोश होश में आया या हैज़ व निफ़ास वाली पाक हुई या बच्चा बालिग़ हुआ या मुसलमान हुआ और वक़्त सिर्फ़ इतना है कि अल्लाहु अकबर कह ले तो उन सब पर उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो गई और जुनून व बेहोशी पाँच वक़्त से ज़्यादा को घेरे न हो यानी नमाज़ के पाँच वक़्तों को न घेरे हों तो अगर्चे तकबीरे तहरीमा का भी वक़्त न मिले नमाज़ फ़र्ज़ है क़ज़ा पढ़े (दुर्रे मुख़्तार)हैज़ व निफ़ास वाली में तफ़सील है जो हैज़ के बयान में ज़िक्र हुई (यानी हैज़ वाली अगर पूरी मुद्दत में पाक हुई तो सिर्फ़ अल्लाहु अकबर की गुंजाइश वक़्त में होने से

नमाज़ फ़र्ज़ हो जाएगी और अगर पूरी मुद्दत से पहले पाक हुई यानी हैज़ में दस दिन से पहले और निफ़ास में चालीस दिन से पहले तो इतना वक़्त दरकार है कि गुस्ल करके कपड़े पहनकर अल्लाहु अकबर कह सके गुस्ल कर सकने में गुस्ल के दूसरे काम जैसे पानी लाना कपड़े उतारना पर्दा करना भी दाख़िल हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ ने वक़्त में नमाज़ पढ़ी थी और अब आख़िर वक़्त में बालिग़ हुआ तो उस पर फ़र्ज़ है कि अब फिर पढ़े। यूँही अगर मआज़ल्लाह कोई मुर्तद हो गया फिर आख़िर वक़्त में इस्लाम लाया उस पर उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है अगर्चे अव्वल वक़्त में क़ब्ल इरतेदाद यानी मुरतद होने से पहले नमाज़ पढ़ चुका हो। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 238)

मसअ्ला :– नाबालिग़ इशा की नमाज़ पढ़ कर सोया था उसको एहतिलाम हुआ और बेदार न हुआ यहाँ तक फज़्र तुलू होने के बाद आँख खुल गई दुबारा पढ़े और अगर तुलूए फ़ज्र से पहले आँख खुली तो उस पर इशा की नमाज़ बिलइजमाअ् यानी हर एक के नज़दीक फ़र्ज़ है। (बहरुर्राइक जिल्द 2 पेज 90)

मसअ्ला :– किसी ने अव्वल वक़्त में नमाज़ न पढ़ी थी और आख़िर वक़्त में कोई ऐसा उज़्र पैदा होगया जिस से नमाज़ साक़ित हो जाती है मसलन आख़िर वक़्त में हैज़ व निफ़ास हो गया या ख़ून या बेहोशी तारी हो गई तो उस वक़्त की नमाज़ माफ़ हो गई। उस की क़ज़ा भी उन पर नहीं है मगर जुनून या बेहोशी में शर्त है कि अ़ललइत्तिसाल पाँच नमाज़ों से ज़ाएद को घेर लें यानी लगातार छः नमाज़ के वक़्त तक बेहोशी रहे वर्ना क़ज़ा लाज़िम होगी। (आलमगीरी जिल्द 1 पेज 47)

मसअ्ला :– यह गुमान था कि अभी वक़्त नहीं हुआ नमाज़ पढ़ ली नमाज़ के बाद मालूम हुआ कि वक़्त हो गया था नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 274)

नमाज़ के वक़्तों का बयान

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया :–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا۝(پ۱۱ ع)

तर्जमा :– " बेशक नमाज़ ईमान वालों पर फ़र्ज़ है वक़्त बँधा हुआ"। और फ़रमाता है :–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ۝ (پ۲۱ ع۶)

तर्जमा :– "अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक़्त तुम्हें शाम हो (नमाज़े मग़रिब व इशा) और जिस वक़्त सुबह हो (नमाज़े फ़ज्र) और उसी की ह़म्द है आसमानों और ज़मीन में और पिछले पहर को नमाज़े अ़स्र और जब तुम्हें दिन ढले (नमाज़े ज़ोहर)"

अह़ादीस

ह़दीस न.1 :– ह़ाकिम ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं फ़ज्र दो हैं एक वह जिसमें खाना ह़राम यानी रोज़दार के लिए और नमाज़ ह़लाल दूसरी वह कि उसमें नमाज़े फ़ज्र ह़राम और खाना ह़लाल।

ह़दीस न.2 :– नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस शख़्स ने फ़ज्र की एक रकअ़त क़ब्ले तुलूए आफ़ताब पा ली तो उसने नमाज़ पाली (उस पर फ़र्ज़ हो गई) और जिसे एक रकअ़त अ़स्र की क़ब्ले गुरूबे आफ़ताब मिल गई उसने

नमाज़ पाली यानी उसकी नमाज़ हो गई। यहाँ दोनों जगह रकअ़त से तकबीरे तहरीमा मुराद ली जायेगी यानी अ़स्र की नियत बाँध ली तकबीरे तहरीमा कह ली उस वक़्त तक आफ़ताब न डूबा था फिर डूब गया नमाज़ हो गई और काफ़िर मुसलमान हुआ था और बच्चा बालिग़ हुआ उस वक़्त कि आफ़ताब तुलू होने तक तकबीरे तहरीमा कह लेने का वक़्त बाक़ी था,इस फ़ज्र की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई क़ज़ा पढ़े और तुलूए आफ़ताब के बाद मुसलमान या बालिग़ हुआ,तो वह नमाज़ उस पर फ़र्ज़ न हुई।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी राफ़ेअ् इब्ने खुदैज रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ उजाले में पढ़ो कि इसमें बहुत अ़ज़ीम सवाब है

हदीस न.4 :– दैलमी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जायेगी और दैलमी की दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि जो फ़ज्र को रौशन कर के पढ़ेगा अल्लाह तआला उसकी क़ब्र और क़ल्ब को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज़ क़बूल फ़रमायेगा।

हदीस न.5 :– तबरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत यानी दीने हक़ पर रहेगी जब तक फ़ज्र को उजाले में पढ़ेगी।

हदीस न.6 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहुतआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं नमाज़ के लिये अव्वल व आख़िर हैं अव्वल वक़्त ज़ोहर का उस वक़्त है कि आफ़ताब ढल जाए और आख़िर उस वक़्त कि सूरज पीला हो जाए और अव्वल वक़्त मग़रिब का उस वक़्त कि सूरज डूब जाए और उसका आख़िर वक़्त जब शफ़क़ डूब जाए और अव्वल वक़्त इशा का जब शफ़क़ डूब जाए और आख़िर वक़्त जब आधी रात हो जाए (यानी वक़्ते मुबाह बिला कराहत)

हदीस न.7 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो कि सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है दोज़ख ने अपने रब के पास शिकायत की कि मेरे बाज़ हिस्से बाज़ को खाए लेते हैं उसे दो मर्तबा साँस की इजाज़त हुई एक जाड़े में एक गर्मी में।

हदीस न.8 :– सही बुख़ारी शरीफ़ बाबुल अज़ान लिलमुसाफ़ेरीन में है अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे मुअज़्ज़िन ने अज़ान कहनी चाही। फ़रमाया ठंडा कर फिर इरादा किया फ़रमाया ठंडा कर फिर इरादा किया फ़रमाया ठंडा कर यहाँ तक, कि साया टीलों के बराबर हो गया।

हदीस न.9.10. :– इमाम अहमद अबू दाऊद अबू अय्यूब व उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत पर रहेगी जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर न करे कि सितारे गुत्थ जायें।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद ने अब्दुल अ़ज़ीज़ इब्ने रफ़ीअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन की नमाज़ (अ़स्र) अब्र के दिन में जल्दी पढ़ो

और मग़रिब में ताख़ीर करो।

हदीस न.12 :– इमाम अहमद अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर यह बात न होती कि मेरी उम्मत पर मशक़्क़त हो जायेगी तो मैं उनको हुक्म फ़रमा देता कि हर वुज़ू के साथ मिस्वाक करें और इशा की नमाज़ तिहाई या आधी रात तक मुअख़्ख़र कर देता कि रब तबारक व तआला आसमान पर ख़ास तजल्लीए रहमत फ़रमाता है और सुबह तक फ़रमाता रहता है कि है कोई साइल कि उसे दूँ,है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत करूँ,है कोई दुआ करने वाला कि क़बूल करूँ।

हदीस न.13 :– तबरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फ़ज्र तुलू कर आए तो कोई नफ़्ल नमाज नहीं सिवा दो रकअत फ़ज्र के।

हदीस न.14 :– बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादे सुबह नमाज़ नहीं जब तक कि आफ़ताब बलन्द न हो जाए और अस्र के बाद नमाज नहीं यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए।

हदीस न.15 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह सनाबेही रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आफ़ताब शैतान के सींग के साथ तुलूअ करता है जब बुलन्द हो जाता है तो जुदा हो जाता है फिर जब सर की सीध पर आता है तो शैतान उससे क़रीब हो जाता है जब ढल जाता है तो हट जाता है फिर जब ग़ुरूब होना चाहता है शैतान उससे क़रीब हो जाता है जब डूब जाता है जुदा हो जाता है तो इन तीन वक़्तों में नमाज़ न पढ़ो।

मसाइले फ़िक़हिय्या

मसअला :– **वक़्ते फ़ज्र** :– फ़ज्र का वक़्त सुबहे सादिक़ से सूरज की किरण चमकने तक है।

फ़ायदा :– सुबहे सादिक़ उस रौशनी को कहते हैं कि पूरब की तरफ़ आज जहाँ से सूरज निकलने वाला है वहाँ आसमान के किनारे पर दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहाँ तक कि पूरे आसमान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है। सुबहे सादिक़ पर पहले बीच आसमान में एक दराज़ सफ़ेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीचे सारा उफ़क़ (सूरज निकलने और डूबने की जगहों को उफ़क़ कहते हैं) स्याह होता है, सुबहे सादिक़ उसके नीचे से फूटकर उत्तर और दक्षिण दोनों पहलूओं पर फैल कर ऊपर बढ़ती है और यह दराज़ सफ़ेदी उसमें ग़ायब हो जाती है, इसको सुबहे काज़िब (यानी यूँ समझिए कि झूटी सुबह या धोका देने वाली सुबहे जिससे फ़ज्र के होने का धोका होता है)कहते हैं इस से फ़ज्र का वक़्त नहीं होता। यह जो बाज़ ने लिखा है कि सुबहे काज़िब की सफ़ेदी जाकर बाद को तारीकी हो जाती है महज़ ग़लत है सही वह है जो हमने बयान किया।

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि फ़ज्र की नमाज़ में सुबहे सादिक़ की सफ़ेदी चमक कर ज़रा फैलनी शुरूअ हो उसका एअतिबार किया जाए और इशा और सहरी खाने में सफ़ेदी के तुलू के शुरूअ होने का एअतेबार किया जाए। (कहने का मतलब यह है कि अगर इशा या सहरी का वक़्त

निकलना है तो जिस वक़्त तुलूअ् शुरूअ् हो उस वक़्त को मानें और अगर फ़ज्र का वक़्त निकलना हो तो सुबहे सादिक़ की सफ़ेदी चमक कर जब फ़ैले उस वक़्त को मानें। जैसे कि आगे के मसाइल से साफ़ हो जाएगा)

फ़ायदा :– सुबहे सादिक़ चमकने से तुलूए आफ़ताब तक उन शहरों में कम से कम 1 घंटा 18 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट, न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा। 21 मार्च को 1 घंटा 18 मिनट होता है फिर बढ़ता रहता है यहाँ तक कि 22 जून को पूरा 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है । फिर घटना शुरू होता है यहाँ तक कि 22 सितम्बर को 1 घंटा 18 मिनट हो जाता है। फिर बढ़ता है यहाँ तक कि 22 दिसम्बर को 1 घंटा 24 मिनट होता है। फिर कम होता रहता है यहाँ तक कि 21 मार्च को वही 1 घंटा 18मिनट हो जाता है। जो शख़्स सही वक़्त न जानता हो उसे चाहिए कि गर्मियों में सूरज निकलने से 1 घंटा 40 मिनट पहले सहरी छोड़ दे खुसूसन जून जुलाई में और जाड़ों में डेढ़ घंटा रहने पर खुसूसन दिसम्बर जनवरी में और मार्च सितम्बर के अवाख़िर (इन दोनों महीने के आख़िरी पाँच छः दिन) में जब दिन रात बराबर होते हैं तो सहरी 1घंटा 24 मिनट पर छोड़े और सहरी छोड़ने का जो वक़्त बयान किया गय उसके आठ दस मिनट बाद अज़ान कही जाए ताकि सहरी और अज़ान दोनों तरफ़ एहतियात रहे। बाज़ नावाकिफ़- आफ़ताब निकलने से दो पौने दो घंटे पहले अज़ान कह देते हैं फिर उसी वक़्त सुन्नत बल्कि फ़ज्र भी बाज़ दफ़ा पढ़ लेते हैं, न यह अज़ान हुई न नमाज़। बाज़ों ने रात का सातवाँ हिस्सा वक़्ते फ़ज्र समझ रखा है यह हरगिज़ सही नहीं। माह जून व जुलाई में जबकि दिन बड़ा होता है। और रात तक़रीबन दस घंटे की होती है इन दिनों में तो अलबत्ता वक़्ते सुबह रात का सातवाँ हिस्सा या उससे चन्द मिनट पहले हो जाता है मगर दिसम्बर जनवरी में जबकि रात चौदह घंटे की होती है उस वक़्त फ़ज्र का वक़्त नवाँ हिस्सा बल्कि उससे भी कम हो जाता है। फ़ज्र का वक़्त कब शुरू होता है इसकी शनाख़्त दुश्वार है खुसूसन उस वक़्त जब कि गुबार हो या चाँदनी रात हो लिहाज़ा हमेशा तुलूए आफ़ताब का ख़्याल रखें कि आज जिस वक़्त तुलूअ् हुआ दूसरे दिन उसी हिसाब से ऊपर ज़िक्र हुए वक़्त के अन्दर अन्दर अज़ान व नमाज़े फ़ज्र अदा की जाए।

वक़्ते ज़ोहर व जुमा :– आफ़ताब ढलने से उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साय अलावा सायए असली के दो गुना हो जाए। (मुतव्वन)

फ़ाइदा : – हर दिन का साया असली वह साया है कि उस दिन आफ़ताब के ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार (उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई वह रेखा है जिस वक़्त सूरज ठीक ऊपर होता है यानी आधा दिन हो गया होता है और इस रेखा से सूरज़ के ढलते ही ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है) पर पहुँचने के वक़्त होता है। सायए असली मौसम और शहरों के मुख़्तलिफ़ होने से मुख़्तलिफ़ होता है। दिन जितना घटता है साया उतना बढ़ता जाता है और दिन जितना बढ़ता जाता है साया कम होता जाता है यानी जाड़ों में ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम और उन शहरों में जो कि ख़त्ते इस्तेवा (विषुवत रेखा) के क़रीब में है कम होता है बल्कि बाज़ मौसम में बाज़ जगह बिल्कुल होता ही नहीं।

जब आफ़ताब बिल्कुल सिम्ते रास पर होता है चुनाँचे सर्दी के मौसम दिसम्बर में हमारे मुल्क के अर्ज़े बलद (अक्षाँश) 28 डिग्री के क़रीब पर है साढ़े आठ क़दम से ज़्यादा यानी सवाए के क़रीब हो जाता है और मक्का मुअ़ज़्ज़मा में जो 21 डिग्री पर है इन दिनों में सात क़दम से कुछ ही ज़्यादा होता है इस से ज़्यादा फिर नहीं होता। इसी तरह गर्मी के मौसम में मक्का मुअ़ज़्ज़मा में 27 मई से 30 मई तक दोपहर के वक़्त बिल्कुल साया नहीं होता उसके बाद फिर वह साया उलटा ज़ाहिर होता है यानी साया जो उत्तर को पड़ता था अब मक्का मुअ़ज़्ज़मा में दक्षिण को पड़ता है और 22 जून तक पाव क़दम तक बढ़कर फिर घटता है यहाँ तक कि 15 जुलाई से 18 जुलाई तक फिर ख़त्म हो जाता है। इस के बाद फिर उत्तर की तरफ़ ज़ाहिर होता है और मुल्क में न कभी दक्षिण की तरफ़ पड़ता है न ख़त्म होता है बल्कि सब से कम साया 22 जून को आधा क़दम बाक़ी रहता है।(अज़ इफ़ादाते रज़विया जि.2 पे0 327)

फ़ायदा :– आफ़ताब ढलने की पहचान यह है कि बराबर ज़मीन में एक सीधी लकड़ी इस तरह सीधी गाड़ें कि पूरब या पश्चिम को बिल्कुल झुकी न हो। आफ़ताब जितना बलन्द होता जाएगा उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा जब कम होना रूक जाए उस वक़्त ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार पर पहुँचा और उस वक़्त का साया सायए अस्ली है, उस के बाद बढ़ना शुरू होगा। यह दलील है कि ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार से मुताज़ाविज़ हुआ यानी आगे बढ़ा अब ज़ोहर का वक़्त हुआ। यह एक तख़मीना यानी अन्दाज़ा है इसलिए कि साये का कम या ज़्यादा होना खुसूसन गर्मी के मौसम में जल्द पहचान ने में नहीं आता यानी फ़र्क़ पता नहीं चल पाता। इससें बेहतर तरीक़ा ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार निकालने का यह है कि बराबर ज़मीन में निहायत सही कम्पास से सुई की सीध पर ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार खींच दें और इन मुल्कों में उस ख़त के दक्षिणी किनारे पर कोई मख़्रूती शक्ल (लम्ब व्रत्तीय शंकु) निहायत बारीक नोकदार लकड़ी खूब सीधी गाड़ दें कि पूरब या पश्चिम को बिल्कुल न झुकी हो और वह ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार उस क़ाएदे के ठीक बीच में हो जब उसकी नोक का साया उस ख़त (रेखा) पर ठीक ठीक आ जाए यानी उस को ढक ले तो उस वक़्त ठीक दोपहर होगी। जब यह बाल बराबर पूरब को झुके दोपहर ढल गया ज़ोहर का वक़्त आ गया।

वक़्ते अ़स्र : ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने के बाद यानी सिवा सायए असली के दो मिस्ल साया होने से आफ़ताब डूबने तक है। (मुतव्वन)

फ़ायदा :– इन शहरों में अ़स्र का वक़्त कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 6 मिनट है। इसकी तफ़सील यह है कि 24 अक्तूबर तहवीले अक़रब से आख़िर माह तक 1 घंटा 36 मिनट फिर 1 नवम्बर से 18 फ़रवरी यानी पौने चार महीने तक तक़रीबन एक घंटा 35 मिनट। साल में यह सब सैं छोटा अ़स्र का वक़्त है। इन शहरों में कभी अ़स्र का वक़्त इससे कम नहीं होता। फिर 19 फ़रवरी तहवीले हूत से ख़त्म माह तक 1 घंटा 36 मिनट। फिर मार्च के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 37 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 38 तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 40 मिनट। फिर 21 मार्च तहवीले हमल से आख़िर माह तक 1 घंटा 41 मिनट फिर अप्रैल के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 43 मिनट

दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 45 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 48 मिनट। फिर 20 व 21 अप्रैल तहवीले सौर (व्रष) से आख़िर माह तक 1 घंटा 50 मिनट फिर मई के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 53 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घन्टा 55 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घन्टा 58 मिनट। फिर 22 व 23 मई तहवीले जौज़ा से आख़िर माह तक 2 घंटा 1 मिनट फिर जून के पहले हफ़्ते में 2 घंटा 3 मिनट दूसरे हफ़्ते में 2 घंटा 4 मिनट तीसरे हफ़्ते में 2 घंटा 5 मिनट। फिर 22 जून तहवीले सरतान से आख़िर माह तक 2 घंटें 6 मिनट फिर जुलाई के पहले हफ़्ते में 2 घंटे 5 मिनट और दूसरे हफ़्ते में 2 घंटे 4 मिनट तीसरे हफ़्ते में 2 घंटे 2 मिनट फ़िर 23 जुलाई तहवीले असद को 2 घंटे 1 मिनट इसके बाद आख़िर से माह तक 2 घंटें फिर अगस्त के पहले हफ़्ते में 1 घंटे 58 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 55 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 51 मिनट। फिर 23 व 24 अगस्त को तहवीले सुम्बला को 1 घंटा 50 मिनट फिर उसके बाद से आख़िर माह तक 1 घंटा 48 मिनट फिर सितम्बर के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 46 मिनट फिर दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 44 मिनट, तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 42 मिनट। फिर 23 व 24 सितम्बर तहवीले मीज़ान 1 घंटा 41 मिनट फिर उसके बाद आख़िर माह तक 1 घंटा 40 मिनट फिर अक्तूबर के पहले हफ़्ते में 1 घंटे 39 मिनट, दूसरे हफ़्ते में 1 घंटे 38 मिनट तीसरे हफ़्ते में 23. अक्तूबर तक 1 घंटा 37 मिनट में गुरूबे आफ़ताब से पहले वक़्ते अस्र शुरू होता है।

वक़्ते मग़रिब :– गुरूबे आफ़ताब से गुरूबे शफ़क़ तक है। (मुतब्बन)

मसअ्ला :– शफ़क़ हमारे मेज़हब में उस सफ़ेदी का नाम है जो पश्चिम की जानिब में सुर्ख़ी डूबने के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में सुबहे सादिक़ की तरह फैली रहती है। (हिदाया जि. 1 पेज 66 ,शरहे वक़ाया, जि.1 पेज 130 आलमगीरी,जि. 1 पेज 48 इफ़ादाते रज़वीया जि. 2 पेज 203) और यह वक़्त उन शहरों में कम से कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है। (फ़तावा रज़विया) फ़क़ीर ने भी इसका बकसरत तजर्बा किया।

फ़ायदा :– हर रोज़ के सुबह और मग़रिब दोनों के वक़्त बारबर होते है।

वक़्ते इशा व वित्र :– वह सफ़ेदी जिसके रहने तक मग़रिब का वक़्त रहता है जब वह ख़त्म हो जाती है उस वक़्त से लेकर सुबहे सादिक़ यानी फ़ज्र का वक़्त शुरू होने तक है। उस उत्तर दक्षिण फैली हुई सफ़ेदी के बाद जो सफ़ेदी पूरब पश्चिम दूर तक फैली रहती है उसका कुछ एअ्तेबार नहीं। वह पूरब की तरफ़ वाली सुबहे काज़िब की तरह है।

मसअ्ला :– अगर्चे इशा और वित्र का वक़्त एक है मगर उन में तरतीब फ़र्ज़ है कि इशा से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं अलबत्ता भूल कर अगर वित्र पहले पढ़ लिए या बाद को मालूम हुआ कि इशा की नमाज़ बेवुज़ू पढ़ी थी और वित्र वुज़ू के साथ तो वित्र हो गए।(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी जि. पेज 48)

मसअ्ला :– जिन शहरों में इशा का वक़्त ही न आए कि शफ़क़ डूबते ही या डूबने से पहले फ़ज्र तुलूअ् कर आए (जैसे बुलग़ार व लन्दन कि इन जगहों में हर साल चालीस रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक़्त आता ही नहीं और बाज़ दिनों में सेकन्डों और मिनटों के लिए होता है) तो वहाँ वालों को चाहिए कि इन दिनों की इशा व वित्र की क़ज़ा पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

नमाज़ों के मुस्तहब वक़्तों का बयान

फज्र में ताख़ीर (देरी) मुस्तहब है यानी इस्फ़ार (जब खूब उजाला हो यानी ज़मीन रौशन हो जाए) में शुरूअ् करे मगर ऐसा वक़्त होना मुस्तहब है कि चालीस से साठ आयत तक तरतील के साथ पढ़ सके फिर सलाम फेरने के बाद इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर नमाज़ दोहराना पड़े तो तहारत करके तरतील के साथ चालीस से साठ आयतें दोबारा पढ़ सके और इतनी देर करना मकरूह है कि तुलूए आफ़ताब का शक हो जाए।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि. 1 पेज 245 ,आलमगीरी जि. 1 पेज 48)

मसअ्ला :– हाजियों के लिए मुज़दलेफ़ा में बिल्कुल अव्वल वक़्त फ़ज्र पढ़ना मुस्तहब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरतों के लिए हमेशा फ़ज्र की नमाज़ अव्वल वक़्त यानी तारीकी में पढ़ना मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में यह बेहतर है कि मर्दों की जमाअ़त का इन्तिज़ार करें जब जमाअ़त हो चुके तो पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 245)

मसअ्ला :– जाड़ों की ज़ोहर जल्दी मुस्तहब है गर्मियों में ताख़ीर ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमाअ़त के साथ। हाँ अगर गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तहब वक़्त के लिए जमाअ़त का तर्क करना जाइज़ नहीं। रबी का मौसम जाड़ों के हुक्म में है और ख़रीफ़ गर्मियों के हुक्म में। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 245 आलमगीरी जि. 1 पेज 48)

मसअ्ला :– जुमे का मुस्तहब वक़्त वही है जो ज़ोहर के लिए है। (बहर जि. 1 पेज 247)

मसअ्ला :– अ़स्र की नमाज़ में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है मगर इतनी ताख़ीर की कि कुर्से आफ़ताब यानी आफ़ताब की टिकिया में ज़र्दी आ जाए कि उस पर बेतकल्लुफ़ बे गुबार व बुख़ार निगाह जमने लगे, धूप ज़र्दी का एअ्तेबार नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि ज़ोहर मिस्ले अव्वल में पढ़े और अ़स्र मिस्ले सानी के बाद।

मसअ्ला :– तजर्बे से साबित हुआ कि कुर्से आफ़ताब में यह ज़र्दी उस वक़्त आ जाती है जब गुरूब में बीस मिनट बाक़ी रहते हैं तो इसी क़द्र वक़्त कराहत हैं यूँही तुलूअ् के 20 मिनट के के बाद नमाज़ के जवाज़ का वक़्त हो जाता है।(फ़तावा रज़विया) कहने का मतलब यह है कि तुलूअ् के बाद नमाज़ या कोई भी दूसरा सजदा मना है और बीस मिनट के बाद दूसरी नमाज़ जैसे क़ज़ा नवाफ़िल या इश्राक़ की नमाज़ का वक़्त हो जाता है। (फ़तावा रज़विया जि. 2 पे0.193)

मसअ्ला :– ऊपर ताख़ीर का लफ़्ज़ आया है उसका मतलब यह है मुस्तहब वक़्त के दो हिस्से किए जायें पिछले हिस्से यानी बाद वाले हिस्से में अदा करें। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– अ़स्र की नमाज़ मुस्तहब वक़्त में शुरूअ् की थी मगर इतना तूल दिया कि मकरूह वक़्त आ गया तो इसमें कराहत नहीं। (बादल)हों उस दिन के सिवा मग़रिब में हमेशा जल्दी करना मुस्तहब है और दो रकअ़त से ज़्यादा की देर करना मकरूह तन्ज़ीही और इतनी देर करना कि तारे गुथ जायें मकरूहे तहरीमी है, हाँ अगर उ़ज़्र है जैसे मुसाफ़िर या मरीज़ तो हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, जि.1पे.246)

मसअ्ला :– इशा में तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है और आधी रात तक ताख़ीर मुबाह यानी जबकि आधी रात तक होने से पहले फ़र्ज़ पढ़ चुके और इतनी ताख़ीर कि रात ढल गई

मकरूह है कि ऐसा करने से जमाअत छोटी होगी। (बहर, जि. 1 पेज 248 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पे. 246)

मसअला :– इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा के बाद दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है,ज़रूरी बातें और तिलावत कुर्आन मजीद और ज़िक्र और दीनी मसाइल और नेक लोगों के क़िस्से और मेहमान से बातचीत करने में हरज नहीं। यूँही तुलूए फज्र से तुलूए आफ़ताब तक जिक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है । (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 246)

मसअला :– जो शख़्स जागने पर एअ्तेमाद रखता हो उसको आख़िर रात में वित्र पढ़ना मुस्तहब है वर्ना सोने से पहले पढ़ ले फिर अगर पिछले पहर को आँख खुली तो तहज्जुद पढ़े वित्र का लौटाना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अब्र के दिन अस्र व इशा में जल्दी करना मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में ताख़ीर।

मसअला :– सफ़र वग़ैरा किसी उज़्र की वजह से दो नमाज़ों का एक वक़्त में जमा करना हराम है ख़्वाह यूँ हो कि दूसरी को पहले ही के वक़्त में पढ़े या यूँ कि पहली में इस क़द्र ताख़ीर करे कि उस का वक़्त जाता रहे और दूसरी के वक़्त में पढ़े मगर इस दूसरी सूरत में पहली नमाज़ ज़िम्मे से साक़ित हो गई कि बसूरत क़ज़ा पढ़ली अगर्चे नमाज़ के क़ज़ा करने का कबीरा गुनाह सर पर हुआ और पहली सूरत में तो दूसरी नमाज़ होगी ही नहीं और फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी है। हाँ अगर किसी उज़्र मसलन सफ़र या मर्ज़ वग़ैरा से इस तरह पढ़ी कि हक़ीक़तन दोनों अपने अपने वक़्तों में अदा हों तो कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला:– अरफ़ा और मुज़्दलफ़ा इस हुक्म में अलग है कि अरफ़ा में ज़ोहर व अस्र वक़्ते ज़ोहर मे पढ़ी जायें और मुज़्दलफ़ा में मग़रिब व इशा इशा के वक़्त में पढ़ी जायेंगी। (आलमगीरी 1–49)

नमाज़ के मकरूह वक़्तों का बयान

तुलूअ् व ग़ुरूब व निस्फ़ुन्नहार इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़्ल न अदा न क़ज़ा यूँही सजदए तिलावत व सजदए सहव भी नाजाइज़ है। अल्बत्ता उस रोज़ अगर अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे आफ़ताब डूबता हो पढ़ ले मगर इतनी ताख़ीर करना हराम है। हदीस में इसको मुनाफ़िक़ की नमाज़ फ़रमाया। तुलू से मुराद आफ़ताब का किनारा ज़ाहिर होने से उस वक़्त तक है कि उस पर निगाह चौंधयाने लगे जिसकी मिक़दार किनारा चमकने से बीस मिनट तक है और वह वक़्त से कि आफ़ताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक ग़ुरूब है यह वक़्त भी बीस मिनट है। निस्फ़ुन्नहार से मुराद निस्फ़ुन्नहार शरई से निस्फ़ुन्नहार हक़ीकी यानी आफ़ताब ढलने तक है। निस्फ़ुन्नहारे शरई जिसको ज़हवए कुबरा कहते हैं यानी तुलूए फज्र से ग़ुरूब आफ़ताब तक आज जो वक़्त है उसके बराबर बराबर दो हिस्से करें। पहले हिस्से के ख़त्म पर निस्फ़ुन्नहार शरई है और उस वक़्त से आफ़ताब ढलने तक वक़्ते इस्तेवा और हर नमाज़ के लिए इस वक़्त में मुमानअत (मना) है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 248 ,रद्दुल मुहतार, आलमगीरी फ़तावा रज़विया जि. 2 पेज 306)

मसअ्ला :– अवाम अगर सुबह की नमाज़ आफ़ताब निकलने के वक़्त पढ़े तो मना न किया जाये (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 248)

मसअ्ला :– ममनूअ् वक़्त (यानी जिन वक़्तों में नमाज़ मना् है) अगर जनाज़ा लाया जाए तो उसी वक़्त पढ़ें कोई कराहत नहीं। कराहत उस सूरत में है कि पहले से जनाज़ा तैयार था और इतनी देर की कि वक़्ते कराहत आ गया। (आलमगीरी जि.1पेज 49)

मसअ्ला :– कराहत वाले वक़्तों में अगर आयते सजदा पढ़ी तो बेहतर यह है कि सजदे में ताख़ीर करे यहाँ तक कि कराहत का वक़्त जाता रहे और मकरूह वक़्त में अगर सजदा कर लिया तो भी जाइज़ है अगर आयते सजदा उस वक़्त पढ़ी थी कि मकरूह वक़्त नहीं था और अब सजदा मकरूह वक़्त में कर रहा है तो ऐसा करना मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी जि. 1 पेज 49)

मसअ्ला :– मकरूह वक़्तों में क़ज़ा नमाज़ नाजाइज़ है और अगर क़ज़ा शुरू कर ली तो वाजिब है कि क़ज़ा तोड़ दे और अगर तोड़ी नहीं तो फ़र्ज़ साकित हो जाएगा मगर गुनाहगार होगा। (दुर्रे मुख़्तार,जि.1 पेज 249 आलमगीरी जि. 1 पेज 49)

मसअ्ला :– किसी ने ख़ास इन्हीं वक़्तों में नमाज़ पढ़ने की नज़र मानी या मुतलक़न नमाज़ पढ़ने की नज़र मानी दोनों सूरतों में इन वक़्तों में उस नज़र का पूरा करना जाइज़ नहीं बल्कि वक़्ते कामिल में अपनी नज़र पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 250 आलमगीरी 1–49)

मसअ्ला :– इन वक़्तों में नफ़्ल नमाज़ शुरू की तो वह नमाज़ वाजिब हो गई अगर उस वक़्त पढ़ना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा वाजिब है कि तोड़ दे और वक़्ते कामिल में क़ज़ा पढ़े और अगर पूरी कर ली तो गुनाहगारहुआ और अब क़ज़ा वाजिब नहीं। (गुनिया जि. 1 पेज 242 , दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 49)

मसअ्ला :– जो नमाज़ वक़्ते मुबाह या मकरूह में शुरूअ् कर के फ़ासिद कर दी थी उसको भी इन वक़्तों में पढ़ना नाजाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 2, 251)

मसअ्ला :– इन वक़्तों में क़ुर्आन की तिलावत बेहतर नहीं बेहतर यह है कि ज़िक्र व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहे। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 250)

मसअ्ला :– बारह वक़्तों में नवाफ़िल पढ़ना मना् है और उनके बाज़ यानी न. 6 व न. 12 में फ़राइज़ व वाजिबात व नमाज़े जनाज़ा सजदए तिलावत तक की भी मुमानअ़त है।

(1) तुलूए फ़ज्र से तुलए आफ़ताब तक कि इस दरमियान में सिवा दो रकअ़त सुन्नते फ़ज्र के कोई नफ़्ल नमाज़ जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 251)

मसअ्ला :– अगर कोई शख़्स तुलूए फ़ज्र से पहले नमाज़े नफ़्ल पढ़ रहा था, एक रकअ़त पढ़ चुका था कि फ़ज्र तुलू कर आई तो दूसरी भी पढ़ कर पूरी कर ले और यह दोनों रकअ़तें सुन्नते फ़ज्र के क़ाइम मुक़ाम नहीं हो सकतीं और अगर चार रकअ़त की नियत की थी और एक रकअ़त के बाद तुलूए फ़ज्र हुआ और चारों रकअ़तें पूरी कर लीं तो पिछली दो रकअ़तें सुन्नत के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगी। (आलमगीरी जि. 1–49)

मसअ्ला :– नमाज़े फ़ज्र के बाद से तुलूए आफ़ताब तक अगर्चे वक़्त ज़्यादा बाक़ी हो अगर्चे सुन्नते

फ़ज्र फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी थी और अब पढ़ना चाहता हो जाइज़ नहीं।(आलमगीरी,जि.1–49 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 257)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ से पहले सुन्नते फ़ज्र शुरू करके फ़ासिद कर दी थी और अब फ़र्ज़ के बाद उसकी क़ज़ा पढ़ना चाहता है यह भी जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 49)

(2) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्म जमाअ़त तक नफ़्ल व सुन्नत पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज़े फ़ज्र क़ाइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअ़त मिल जायेगी अगर्चे क़अ्दा में शिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअ़त से अलग और दूर सुन्नते फ़ज्र पढ़कर जमाअ़त में शरीक़ हो और जो जानता है कि सुन्नत में मशग़ूल होगा तो जमाअ़त जाती रहेगी और सुन्नत के ख़्याल से जमाअ़त तर्क की यह नाजाइज़ व गुनाह है और बाक़ी नमाज़ों में अगर्चे जमाअ़त मिलना मालूम हो सुन्नतें पढ़ना जाइज़ नहीं।

(आलमगीरी, जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 252)

(3) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्म जमाअ़त तक नफ़्ल मना है। नफ़्ल नमाज़ शुरू कर के तोड़ दी थी उसकी क़ज़ा भी उस वक़्त में मना है और पढ़ ली तो नाकाफ़ी है क़ज़ा उसके ज़िम्मे से साक़ित न हुई। (आलमगीरी जि. 1 पेज 251 दुर्रे मुख़्तार)

(4) ग़ुरूबे आफ़ताब से फ़र्ज़े मग़रिब तक कोई दूसरी नमाज़ नफ़्ल या क़ज़ा मना है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार) मगर इमाम इब्ने हुमाम ने दो रकअ़त ख़फ़ीफ़ का इस्तिस्ना फ़रमाया।

(5) जिस वक़्त इमाम अपनी जगह से ख़ुतबए जुमा के लिये खड़ा हो उस वक़्त से फ़र्ज़े जुमा ख़त्म होने तक नमाज़े नफ़्ल मकरूह है यहाँ तक कि जुमा की सुन्नतें भी।

(6) ऐन ख़ुतबे के वक़्त अगर्चे पहला हो या दूसरा और जुमे का हो या ख़ुतबए ईदैन, कुसूफ़(सूरज ग्रहण की नमाज़)व इस्तिस्क़ा (बारिश के लिये पढ़ी जाने वाली नमाज़) हज व निकाह का हो हर नमाज़ हत्ताकि क़ज़ा भी नाजाइज़ है मगर साहिबे तरतीब (साहिबे तरतीब वह कि जिसकी छः या इस से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा बाक़ी हों) के लिया ख़ुतबए जुमा के वक़्त क़ज़ा की इजाज़त है।

मसअ्ला :– जुमे की सुन्नतें शुरूअ् की थीं कि इमाम ख़ुतबे के लिए अपनी जगह से उठा चारों रकअ़तें पूरी कर ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

(7) नमाज़े ईदैन से पहले नफ़्ल मकरूह है ख़्वाह घर में पढ़े या ईदगाह व मस्जिद में।

(आलमगीरी जि.1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि.1–253)

(8) नमाज़े ईदैन के बाद नफ़्ल मकरूह है जबकि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े घर में पढ़ना मकरूह नहीं। अ़रफ़ात में जो ज़ोहर व अ़स्र मिलाकर पढ़ते हैं उनके दरमियान में और बाद में भी नफ़्ल व सुन्नत मकरूह है।(आलमगीरी, जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार)

(10) मुज़दलेफ़ा में जो मग़रिब व इशा जमा किये जाते हैं फ़क़त इनके दरमियान में नफ़्ल व सुन्नत पढना मकरूह है बाद में मकरूह नहीं। (आलमगीरी, जि 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 253)

(11) फ़र्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहाँ तक कि सुन्नते फ़ज्र व ज़ोहर मकरूह हैं।

(12) जिस बात से दिल बटे और दफ़ा कर सकता हो उसे बे दफ़ा किये हर नमाज़ मकरूह है

मसलन पाख़ाने या पेशाब या रियाह (गैस या वायु) का ग़लबा हो मगर जब वक़्त जाता हो तो पढ़ ले फिर फेरे (आलमगीरी,जि. 1 पेज 49 वग़ैरा) यूँही खाना सामने आ गया और उसकी ख़्वाहिश हो ग़रज़ कोई ऐसा काम हो जिससे दिल बटे ख़ुशूअ् में फ़र्क़ आए उन वक़्तों में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– फ़ज्र और ज़ोहर के पूरे वक़्त अव्वल से आख़िर तक बिला कराहत हैं (बहरूर्राइक़) यानी यह नमाज़े अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जायें हरगिज़ मकरूह नहीं।

अज़ान का बयान

अल्लाह तआ़ाल फ़रमाता है :–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (پ ۲۴ ع ۱۸)

तर्जमा :– "उससे अ़च्छी क़िसकी बात जो अल्लाह की त़रफ़ बुलाए और नेक काम करे और यह कहे कि मैं मुसलमान हूँ"।

अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म और अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बेही रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा को अज़ान ख़्वाब में तालीम हुई। हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह ख़्वाब हक़ है और अ़ब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रद़ियल्लहु तआ़ाला अ़नहु से फ़रमाया जाओ बिलाल को तलक़ीन करो वह अज़ान कहें कि वह तुम से ज़्यादा बलन्द आवाज़ हैं। इस ह़दीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी ने रिवायत किया रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु को हुक्म फ़रमाया कि अज़ान के वक़्त कानों में उँगलियाँ कर लो कि इसके सबब आवाज़ बलन्द होगी। इस ह़दीस को इब्ने माजा ने अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने सअ़्द रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु से रिवायत किया अज़ान कहने की बड़ी फ़ज़ीलतें ह़दीसों में आई हैं, बाज़ फ़ज़ाइल ज़िक्र किए जाते हैं।

ह़दीस न.1 :– मुस्लिम व अह़मद व इब्ने माजा मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम मुअज़्ज़िनों की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा दराज़ होंगी। अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रऊफ़ मनादी तैसीर में फ़रमाते हैं यह ह़दीस मुतावातिर है और ह़दीस के मअ़ना यह बयान फ़रमाते हैं कि मुअज़्ज़िन रह़मते इलाही के बहुत उम्मीदवार होंगे कि जिसको जिस चीज़ की उम्मीद होती है उसकी त़रफ़ गर्दन दराज़ करता है या उसके यह मअ़ना हैं उनको सवाब बहुत है और बाज़ों ने कहा कि इससे यह इशारा है कि शर्मिन्दा न होंगे, इसलिए कि जो शर्मिन्दा होता है, उसकी गर्दन झुक जाती है।

ह़दीस न.2 :– इमाम अह़मद अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुअज़्ज़िन की जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर तर व ख़ुश्क जिसने उसकी आवाज़ सुनी उसकी तस्दीक़ करता है और एक रिवायत में है हर तर व ख़ुश्क जिसने आवाज़ सुनी उसके लिये गवाही देगा। दूसरी रिवायत में है हर ढेला और पत्थर उसके लिए गवाही देगा।

ह़दीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक और अबू दाऊद अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु से

रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब अज़ान कही जाती है शैतान गोज़ मारता हुआ भागता है(यानी आवाज़ के साथ हवा ख़ारिज करता हुआ भागता हैं) यहाँ तक कि अज़ान की आवाज़ उसे न पहुँचे। जब अज़ान पूरी हो जाती है चला आता है फ़िर जब इक़ामत कही जाती है भाग जाता है जब पूरी हो लेती है आ जाता है और ख़तरा डालता है फ़लाँ बात याद कर फ़लाँ बात याद कर वह जो पहले याद न थी यहाँ तक कि आदमी को यह नहीं मालूम होता कि कितनी पढ़ी।

हदीस न.4 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं शैतान जब अज़ान सुनता है इतनी दूर भागता है जैसे रौहा (जगह का नाम) और रौहा मदीने से छत्तीस मील के फ़ासले पर है।

हदीस न.5 :– तबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अज़ान देने वाला कि सवाब का तालिब है उस शहीद की मिस्ल है कि ख़ून में आलूदा है और जब मरेगा क़ब्र में उसके बदन में कीड़े नहीं पड़ेंगे।

हदीस न.6 :– इमाम बुख़ारी अपनी तारीख़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है रब तआ़ला अपना दस्ते क़ुदरत उसके सर पर रखता है और यूंहीं रहता है यहाँ तक कि अज़ान से फ़ारिग़ हो और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है जहाँ तक आवाज़ पहुँचे जब वह फ़ारिग़ हो जाता है रब तआ़ला फ़रमाता है "मेरे बन्दे ने सच कहा और तूने हक़ गवाही दी लिहाज़ा तुझे बशारत हो"।

हदीस न.7 :– तबरानी सग़ीर में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस बस्ती में अज़ान कही जाये अल्लाह तआ़ला अपने अ़ज़ाब से उस दिन उसे अमन देता है।

हदीस न.8 :– तबरानी मअ़क़ल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस क़ौम में सुबह को अज़ान हुई उनके लिए अल्लाह के अ़ज़ाब से शाम तक अमान है और जिनमें शाम को अज़ान हुई उनके लिये अल्लाह के अ़ज़ाब से सुबह तक अमान है।

हदीस न.9 :– अबू यअ़ला मुसनद में उबई रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मैं जन्नत में गया उसमें मोती के गुम्बद देखे उसकी ख़ाक मुश्क की है। फ़रमया ऐ जिब्रील, यह किस के लिए है। अ़र्ज़ की हुज़ूर की उम्मत के मुअज़्ज़िनों और इमामों के लिए।

हदीस न.10 :–इमाम अहमद अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो उस पर आपस में तलवार चलती।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते

हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने सात बरस सवाब के लिये अज़ान कही अल्लाह
तआला उसके लिये नार से बराअत (दोज़ख़ से आज़ादी) लिख देगा।
तआला उसके लिये नार से बराअत (दोज़ख़ से आज़ादी) लिख देगा।

तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं

हदीस न.12 :– इब्ने माजा व हकीम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने बारह बरस अज़ान कही उसके लिये जन्नत वाजिब हो
गई और हर रोज़ उसकी अज़ान के बदले साठ नेकियाँ और इक़ामत (नमाज़ से पहले कही जाने
वाली तकबीर) के बदले तीस नेकियाँ लिखी जायेंगी।

हदीस न.13 :– बैहकी की रिवायत सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ है कि फ़रमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने साल भर अज़ान पर मुहाफ़ज़त की यानी
हमेशा अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

हदीस न.14 :– बैहकी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने पाँच नमाज़ों की अज़ान ईमान की बिना पर सवाब के
लिये कही उसके जो गुनाह पहले हुए हैं माफ़ हो जायेंगे जो अपने साथियों की पाँच नमाज़ों में
इमामत करे ईमान की बिना पर सवाब के लिए तो जो गुनाह पहले हुए मुआफ़ कर दिये जायेंगे।

हदीस न.15 :– इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते है सल्लल्लाहु
तआला अलैहि वसल्लम जो साल भर अज़ान कहे और उस पर उजरत तलब न करे क़यामत के
दिन बुलाया जायेगा और जन्नत में दरवाजे पर खड़ा किया जायेगा और उस से कहा जायेगा
जिस के लिए तू चाहे शफ़ाअत कर।

हदीस न.16 :– ख़तीब व इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िनों का हश्र यूँ होगा कि जन्नत की ऊँटनियों
पर सवार होंगे उनके आगे बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु होंगे सब के सब बलन्द आवाज़ से
अज़ान कहते हुए आयेंगे लोग उनकी तरफ़ नज़र करेंगे और पूछेंगे यह कौन लोग हैं ? कहा जाएगा
उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हैं लोग ख़ौफ़ में हैं और उनको
ख़ौफ़ नहीं लोग ग़म में है उनको ग़म नहीं।

हदीस न.17 :– अबुश्शैख़ अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि फ़रमाते हैं
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अज़ान कही जाती है आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते
हैं और दुआ क़बूल होती है जब इक़ामत का वक़्त होता है दुआ रद्द नहीं की जाती। अबू दाऊद व
तिर्मिज़ी की रिवायत उन्हीं से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्म ने फ़रमाया
अज़ान व इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती।

हदीस न.18 :– दारमी व अबू दाऊद ने सुहैल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की
हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं दो दुआयें रद्द नहीं होतीं या बहुत कम
रद्द होती हैं अज़ान के वक़्त और जिहाद की शिद्दत के वक़्त।

हदीस न.19 :– अबुश्शैख़ ने रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐ

इब्ने अ़ब्बास अज़ान 'को नमाज़ से तअ़ल्लुक़ है तो तुम में कोई शख़्स अज़ान न कहे मगर पाकी की ह़ालत में।

हदीस न.20 :– तिर्मिज़ी, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम :–

لایؤذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ

तर्जमा :– " कोई शख़्स अज़ान न दे मगर बा–वुज़ू"।

हदीस न.21 :– बुख़ारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व अह़मद जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो अज़ान सुनकर यह दुआ़ पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो गई। दुआ़ यह है :–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ(سَيِّدِنَا)مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَ عَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह इस दुआ़ए ताम और नमाज़ बरपा होने वाले के मालिक तू हमारे सरदार मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और बलन्द दर्जा अ़ता कर और उनको मक़ामे मह़मूद में खड़ा कर जिसका तूने वअ़्दा किया है बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता।

हदीस न.22 :– इमाम अह़मद व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई की रिवायत इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से है कि मुअज़्ज़िन का जवाब दे फिर मुझ पर दुरूद पढ़े फिर वसीले का सवाल करे।

हदीस न.23 :– त़बरानी की रिवायत में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हुमा से यह भी है :–

وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

तर्जमा :– "और कर दे हमको उनकी शफ़ाअ़त में क़यामत के दिन"।

हदीस न.24 :– त़बरानी क़बीर में कअ़ब इब्ने अ़जरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब तू अज़ान सुने तो अल्लाह के दाई (अल्लाह की त़रफ़ बुलाने वाले) का जवाब दे।

हदीस न.25 :– इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाहि स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन को अज़ान कहते सुनो तो जो वह कहता हो तुम भी कहो।

हदीस न.26 :– फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मोमिन को बदबख़्ती व नामुरादी के लिए काफ़ी है कि मुअज़्ज़िन को तकबीर कहते सुने और जवाब न दे।

हदीस न.27 :– कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ज़ुल्म है पूरा ज़ुल्म और कुफ्र है और निफ़ाक़ है यह कि अल्लाह के मुनादी(एअ़लान करने वाले)को अज़ान कहते सुने और ह़ाज़िर न हो यह दोनों ह़दीसें त़बरानी ने मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की। अज़ान

के जवाब का निहायत अ़ज़ीम सवाब है।

हदीस न.28 :– अबुश्शैख़ की रिवायत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.29 :– इब्ने अ़साकिर ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ गिरोहे ज़नान (औरतों का गिरोह) जब तुम बिलाल को अज़ान और इक़ामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिए हर कलिमे के बदले एक लाख नेकी लिखेगा और हज़ार दर्जे बलन्द फ़रमायेगा और हज़ार गुनाह मिटा देगा औ़रतों ने अ़र्ज़ की कि यह तो औ़रतों के लिए है मर्दों के लिए क्या है। फ़रमाया मर्दों के लिए दूना।

हदीस न.30 :– त़बरानी की रिवायत हज़रते मोमिन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है कि औ़रतों के लिए हर कलिमे के मुक़ाबिल दस लाख दरजे बलंद किये जायेंगे। फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की कि यह औ़रतों के लिए है मर्दों के लिए क्या है?फ़रमाया मर्दों के लिए दूना।

हदीस न.31 :– हाकिम व अबू नईम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया मुअज़्ज़िन को नमाज़ पढ़ने वाले पर दो सौ बीस नेकी ज़्यादा हैं मगर वह जो उसके मिस्ल कहे और अगर इक़ामत कहे तो एक सौ चालीस नेकी हैं मगर वह जो उसके मिस्ल कहे।

हदीस न.32 :– सहीह मुस्लिम में अमीरूल मोमिनीन हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते है स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो जो शख़्स उसके मिस्ल कहे और जब वह ह़य्याअ़लस्स़लाह़'और ह़य्याअ़ललफ़लाह़' कहे तो यह लाहौ–ला–वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहे जन्नत में दाखिल होगा।

हदीस न. 33 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने रिवायत की ज़ियाद इब्ने हारिस सुदाई रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं नमाज़े फ़ज्र में रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अज़ान कहने का मुझे हुक्म दिया। मैंने अज़ान कही बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इक़ामत कहना चाही फ़रमाया सुदाई ने अज़ान कही और जो अज़ान दे वही इक़ामत कहे।

मसाइले फ़िक़हिया

अज़ान उ़र्फ़े शरअ़ में एक ख़ास़ क़िस्म का एअ़लान है जिसके लिए अलफ़ाज़ मुकर्रर हैं। अज़ान के अ़लफ़ाज़ यह हैं :–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ۔حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ۔حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

मसअ्ला :– फ़र्ज पंजगाना (यानी पाँचों वक्तों की नमाज़) कि उन्हीं में जुमा भी है जब जमाअ़ते मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा किए जायें तो उनके लिए अज़ान सुन्नते मुअक्कदा है और इसका हुक्म वाजिब की त़रह़ है कि अगर अज़ान न कही तो वहाँ के सब लोग गुनाहगार होंगे यहाँ तक कि इमामे मुहम्मद रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया अगर किसी शहर के सब लोग अज़ान

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 01 से 10)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

तर्क कर दें तो मैं उन से जंग करूँगा और अगर एक शख़्स छोड़ दे तो उसे मारूँगा और क़ैद करूँगा। (ख़ानिया जि.1 पेज66 व हिन्दिया,जि. 1 पेज 150,दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मस्जिद में बिला अज़ान व इक़ामत जमाअत पढ़ना मकरूह। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ज़ा नमाज़ मस्जिद में पढ़े तो अज़ान न कहे। अगर कोई शख़्स शहर में घर में नमाज़ पढ़े और अज़ान न कहे तो कराहत नहीं कि वहाँ की मस्जिद की अज़ान उसके लिए काफ़ी है और कह लेना मुस्तहब है। (रद्दुल मुहतार 1–257)

मसअला :– गाँव में मस्जिद है कि उसमें अज़ान व इक़ामत होती है तो वहाँ घर में नमाज़ पढ़ने वाले का वही हुक्म है जो शहर में है और मस्जिद न हो तो अज़ान व इक़ामत में उसका हुक्म मुसाफ़िर का सा है (आलमगीरी)

मसअला :– अगर शहर के बाहर व गाँव, बाग़ या खेती वग़ैरा में है और वह जगह क़रीब है तो गाँव या शहर की अज़ान किफ़ायत करती है फिर भी अज़ान कह लेना बेहतर है और जो क़रीब न हो तो काफ़ी नहीं। क़रीब की हद यह है कि यहाँ तक पहुँचती हो। (आलमगीरी)

मसअला :– लोगों ने मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि वह नमाज़ सही न हुई थी और वक़्त बाक़ी है तो उसी मस्जिद में जमाअत से पढ़ें और अज़ान को लौटाना नहीं और ज़्यादा देर न हुई हो तो इक़ामत की भी हाजत नहीं और ज़्यादा वक़्फ़ा हुआ तो इक़ामत कहे और वक़्त जाता रहा तो ग़ैरे मस्जिद में अज़ान व इक़ामत के साथ पढ़ें।

(रद्दुल मुहतार, जि. 1 पेज 262 आलमगीरी जि. 1 पेज 51 मअ् इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– जमाअत भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो अज़ान व इक़ामत से पढ़ें और अकेला भी क़ज़ा के लिए अज़ान व इक़ामत कह सकता है जबकि जंगल में तन्हा हो वर्ना क़ज़ा का इज़हार गुनाह है व लिहाज़ा मस्जिद में क़ज़ा पढ़ना मकरूह है और पढ़े तो अज़ान न कहे और वित्र की क़ज़ा में दुआए क़ुनूत के वक़्त दोनों हाथ कानों तक न उठाये। हाँ अगर किसी ऐसे सबब से क़ज़ा हो गई जिसमें वहाँ के तमाम मुसलमान मुबतला हो गये। तो अगर्चे मस्जिद में पढ़े तो अज़ान कहें।

(आलमगीरी जि. 1 पेज 51,दुर्रे मुख़्तार,जि. 1, 262 रद्दुल मुहतार मआ तन्क़ीह अज़ इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– अहले जमाअत से चन्द नमाज़ें क़ज़ा हुईं तो पहली के लिए अज़ान व इक़ामत दोनों कहें और बाक़ियों में इख़्तेयार है ख़्वाह दोनों कहें या सिर्फ़ इक़ामत कहें और दोनों कहना बेहतर यह उस सूरत में है कि एक मज्लिस में वह सब पढ़ें और अगर मुख़्तलिफ़ वक़्तों में पढ़ें तो हर मज्लिस में पहली के लिए अज़ान कहें। (आलमगीरी जि. 1 पेज 51)

मसअला :– वक़्त होने के बाद अज़ान कही जाये वक़्त से पहले कही गई या वक़्त होने से पहले शुरू हुई और इसी बीच अज़ान होते ही में वक़्त आ गया तो लौटाई जाये।(मुतून,दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 258)

मसअला :– अज़ान का मुस्तहब वक़्त वही है जो नमाज़ का है यानी फ़ज्र में रौशनी फैलने के बाद और मग़रिब और जाड़ों की, ज़ोहर में अव्वले वक़्त और गर्मियों की ज़ोहर और हर मौसम की अस्र व इशा में निस्फ़ वक़्त और गर्मियों की ज़ोहर और हर मौसम की अस्र व इशा में निस्फ़ वक़्त गुज़रने

के बाद मगर अस्र में इतनी ताख़ीर न हो कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते मकरूह वक़्त आ जाये और अगर अव्वल वक़्त अज़ान हुई और आख़िर वक़्त में नमाज़ हुई तो भी सुन्नते अज़ान अदा हो गई। (दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 258 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– फ़राइज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ें मसलन वित्र,जनाज़ा ईदैन, नज़्र, सुनने रवातिब (सुन्नते मुअक्कदा)तरावीह, इस्तिस्क़ा (एक नफ़्ल नमाज़ जो बारिश की दुआ के लिए पढ़ी जाती है),चाश्त कुसूफ़ (नफ़्ल नमाज़ जो चाँद गहन के वक़्त पढ़ी जाती है) इन सारी नफ़्ल नमाज़ों में अज़ान नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 50)

मसअला :– बच्चे और मग़मूम (ग़मगीन)के कान में और मिर्गी वाले और ग़ज़बनाक और बदमिज़ाज आदमी या जानवर के कान में और लड़ाई की शिद्दत और आग लगने के वक़्त और मय्यत को दफ़न करने के बाद और जिन्न की सरकशी के वक़्त और मुसाफ़िर के पीछे और जंगल में जब रास्ता भूल जाये और कोई बताने वाला न हो उस वक़्त अज़ान मुस्तहब है।(रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 258) वबा के ज़माने में भी मुस्तहब है। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– औरतों को अज़ान व इक़ामत कहना मकरूहे तहरीमी है कहेंगी गुनाहगार होंगी और अज़ान दोहराई जायेगी। (आलमगीरी, जि. 1 पेज 50 रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 258)

मसअला :– औरतें अपनी नमाज़ अदा पढ़ती हों या क़ज़ा उसमें अज़ान व इक़ामत मकरूह है अगर्चे जमाअत से पढ़ें (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 262) उनकी जमाअत ख़ुद मकरूह है। (मुतून)

मसअला :– ख़ुन्सा (हिजड़ा) व फ़ासिक़ अगर्चे आलिम ही हो और नशा वाले और पागल और नासमझ बच्चे और जुनुबी (बेगुस्ला) की अज़ान मकरूह है इन सब की अज़ान का इआदा किया जाये यानी दोहराई जाये। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 263)

मसअला :– समझदार बच्चे और ग़ुलाम और अंधे और वलदुज़्ज़िना(यानी जो ज़िना से पैदा हों) और बे– वुज़ू की अज़ान सही है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 262) मगर बे –वुज़ू अज़ान कहना मकरूह है। (मराक़िल फ़लाह)

मसअला :– जुमे के दिन शहर में ज़ोहर की नमाज़ के लिए अज़ान नाजाइज़ है अगर्चे ज़ोहर पढ़ने वाले माज़ूर हों जिन पर जुमा फ़र्ज़ न हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 262)

मसअला :– अज़ान कहने का अहल वह है जिसे नमाज़ के वक़्तों की पहचान हो और वक़्त न पहचानता हो तो उस सवाब का मुस्तहक़ नहीं जो मुअज़्ज़िन के लिए है। (आलमगीरी, ग़ुनिया जि 1 पेज 362)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि मुअज़्ज़िन मर्द आक़िल, नेक, परहेज़गार,आलिम, सुन्नत का जानने वाल इज़्ज़त वाला लोगों के अहवाल का निगराँ और जो जमाअत से रह जाने वाले हों ,उनको डाँटने वाला हो ,अज़ान पर मुदावमत करता हो (यानी हमेशा पाबन्दी से पढ़ता हो)और सवाब के लिए अज़ान कहता हो यानी अज़ान पर उजरत न लेता हो अगर मुअज़्ज़िन नाबीना हो और वक़्त बताने वाला कोई ऐसा है कि सही बता दे तो उसका और आँख वाले की अज़ान कहना यकसाँ है।(आलमगीरी जि. 1 पेज 268)

मसअला :– अगर मुअज़्ज़िन ही इमाम भी हो तो बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 268)

मसअला :– एक शख़्स को "एक वक़्त में दो मस्जिदों में अज़ान कहना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 268)

मसअला :– अज़ान व इमामत की विलायत बानीए मस्जिद को है यानी जो उस मस्जिद को बनाने वाला हो उसका हक़ है कि मुअज़्ज़िन व इमाम वही मुक़र्रर करे। वह न हो तो उसकी औलाद उसके ख़ानदान वालों को और अगर अहले मुहल्ला ने किसी ऐसे को मुअज़्ज़िन या इमाम किया जो बानी के मुअज़्ज़िन व इमाम से बेहतर है तो वही बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर अज़ान देते में मुअज़्ज़िन मर गया या उसकी ज़ुबान बन्द हो गई या रूक गया और कोई बताने वाला नहीं या उसका वुज़ू टूट गया और वुज़ू करने चला गया या बेहोश हो गया तो इन सब सूरतों में सिरे से अज़ान कही जाये, वही कहे ख़्वाह दूसरा कहे।(दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 363 गुनिया जि.1पेज 361)

मसअला :– अज़ान के बाद मआज़ल्लाह मुरतद हो गया (यानी इस्लाम से फिर गया)तो दोहराने की हाजत नहीं और दोहराना बेहतर है और अगर अज़ान कहते में मुर्तद हो गया तो बेहतर है कि दूसरा शख़्स सिरे से कहे और अगर उसी को पूरा करे तो भी जाइज़ है (आलमगीरी जि. 1 पेज 50) यानी यह दूसरा शख़्स बाक़ी को पूरा करले यह कि वह इस्लाम से फिरने के बाद उसको पूरा करे कि काफ़िर की अज़ान सही नहीं और अज़ान का टूकड़े टुकड़े पढ़ना सही नहीं बाज़ (थोड़ी) का ख़राब होना कुल का ख़राब होना है जैसे नमाज़ की पिछली रकअत में फ़साद हो यानी किसी वजह से नमाज़ जाती रहे तो सब फ़ासिद है (इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– बैठ कर अज़ान कहना मकरूह है अगर कही दोहराई जाये मगर मुसाफ़िर अगर सवारी पर अज़ान कह ले तो मकरूह नहीं और इक़ामत मुसाफ़िर भी उतर कर कहे अगर न उतरा और सवारी पर कह ली तो हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 पेज 50 ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ान क़िबला रू कहे और इसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है अैर अज़ान दोहराई जाये मगर मुसाफ़िर जब सवारी पर अज़ान कहे और उसका मुँह क़िब्ले की तरफ़ न हो तो हरज नहीं।

(दुर्रे मुख़्तार ,आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ान कहने की हालत में बिला उज़्र खकारना मकरूह है और अगर गला पड़ गया या आवाज़ साफ़ करने के लिए खंकारा तो हरज नहीं। (गुनिया)

मसअला :– मुअज़्ज़िन को अज़ान की हालत में चलना मकरूह है और अगर कोई चलता जाये और उसी हालत में अज़ान कहता जाये तो इआदा करे। (गुनिया, पेज 361 रद्दुल मुहतार जि.1पेज 263)

मसअला :– अज़ान के बीच में बातचीत करना मना है अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे।

(सग़ीरी पेज 196)

मसअला :– अज़ान के अलफ़ाज़ में लहन हराम है मसलन अल्लाह या अकबर के हमज़ा को मद के साथ 'आल्लाह' या 'आकबर;' पढ़ना यूँही अकबर में 'बे' के बाद अलिफ़' बढ़ाना हराम है यानी 'अकबार' पढ़ना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 250 आलमगीरी वग़ैराहुमा जि.1 पेज 52)

मसअला :– यूँही कलिमाते अज़ान को क़वाइदे मौसीक़ी पर गाना भी लहन व नाजाइज़ है (यानी संगीत के नियमों के अनुसार पढ़ना या गाना हराम है।) (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है कि अज़ान बलन्द जगह कही जाये कि पड़ोस वालों को खूब सुनाई दे और बलन्द आवाज़ से कहे। (बह्र)

मसअ्ला :– ताक़त से ज़्यादा आवाज़ बलन्द करना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अज़ान मेज़ना पर कही जाए (मस्जिद में जो जगह अज़ान कहने के लिए ख़ास हो उसे मेज़ना कहते हैं)या ख़ारिजे मस्जिद (हर मस्जिद के दो हिस्से होते हैं एक दाख़िले मस्जिद और दूसरी ख़ारिजे मस्जिद कहलाती है वहाँ लोग वुज़ू वग़ैरा करते हैं) और मस्जिद में अज़ान न कहे (खुलासा आलमगीरी)मस्जिद में अज़ान कहना मकरूह है (ग़ायतुल बयान, फ़तहुल क़दीर जि. 2 पेज 29,नज़मे जन्दवेसी,तहतावी अलल मराक़ी) यह हुक्म हर अज़ान के लिए है फ़िक्ह की किसी किताब में कोई अज़ान इससे मुसतस्ना (अलग) नहीं। अज़ाने सानी यानी जुमे के ख़ुतबे से पहले जो अज़ान होती है वह भी इसी में दाख़िल है। इमाम इतक़ानी व इमाम इब्नुल हुमाम ने यह मसअ्ला ख़ास बाबे जुमा में लिखा, हाँ इसमें एक बात अलबत्ता यह ज़ाइद है कि ख़तीब के महाज़ी हो यानी सामने। बाज़ जगह हिन्दुस्तान में अक्सर जगह रिवाज पड़ गया है मस्जिद के अन्दर मिम्बर से हाथ दो हाथ के फ़ासले पर होती है इसकी कोई सनद किसी किताब में नहीं, हदीस व फ़िक्ह दोनों के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– अज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दोनों मिलकर एक कलिमा है। दोनों के बाद सकता करे यानी ठहरे, दरमियान में नहीं और सकता की मिक़दार यह है कि जवाब देने वाला जवाब दे ले और सकता का तर्क मकरूह है और ऐसी अज़ान का लौटाना मुस्तहब। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार,जि.1 पेज 259 आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– अगर कलिमाते अज़ान या इक़ामत में किसी जगह तक़दीम व ताख़ीर हो गई (यानी तरतीब बिगड़ गई) तो उतने को सही कर ले सिरे से दोहराने की हाजत नहीं और अगर सही न की और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ लौटाने की हाजत नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ल :– 'हय्याअ़लस्सलाह' दाईं तरफ़ मुँह करके कहे और 'हय्याअ़ललफ़लाह' बाईं जानिब अगर्चे अज़ान नमाज़ के लिए न हो बल्कि मसलन बच्चे के कान में या और किसी लिए कही। यह फेरना फ़क़त मुँह का है सारे बदन से न फिरे। (मुन्यह,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर मीनार पर अज़ान कहे तो दाहिनी तरफ़ के ताक़ से सर निकाल कर हय्याअल-स्सलाह कहे और बायें जानिब के ताक़ से हय्याअ़ललफ़लाह(शरहे वक़ाया)यानी जब बग़ैर इसके आवाज़ पहुँचना पूरे तौर पर न हो (रद्दुल मुहतार जि.1स. 259) यह वहीं होगा कि मीनार बन्द है और दोनों तरफ़ ताक़ खुले हैं और खुले मीनार पर ऐसा न करे बल्कि वहीं सिर्फ़ मुँह फेरना हो और क़दम एक जगह क़ाइम।

मसअ्ला :– सुबह की अज़ान में हय्याअ़ललफ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम' कहना मुस्तहब है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अज़ान कहते वक़्त कानों के सूराख़ में उंगलियाँ डाले रहना और अगर दोनों हाथ कानों पर रख लिए तो भी अच्छा है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार) और अव्वल ज़्यादा अच्छा है कि

इरशादे हदीस के मुताबिक़ है और बलन्द आवाज़ में ज़्यादा मुईन(मददगार)। कान जब बन्द होते हैं आदमी समझता है कि अभी आवाज़ पूरी न हुई ज़्यादा बलन्द करता है। (रज़ा)

मसअ्ला :– इक़ामत अज़ान की तरह है यानी जो अहकाम ज़िक्र हुए वह इसके लिए भी हैं सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है इसमें 'हय्याअ़ललफ़लाह'के बाद 'क़दक़ामतिस्सलाह'दो बार कहे इसमें भी आवाज़ बलन्द होगी मगर न अज़ान जैसी बल्कि इतनी कि हाज़िरीन तक आवाज़ पहुँच जाये। तकबीर के कलिमात जल्द जल्द कहे दरमियान में सकता न करे, न कानों पर हाथ रखना है, न कानों में उंगलियाँ रखना है और सुबह की इक़ामत में 'अस्सलातुख़ैरूम मिनन नौम' नहीं। इक़ामत बलन्द जगह या मस्जिद से बाहर होना सुन्नत नहीं अगर इमाम ने इक़ामत कही तो क़दक़ामति–स्सलाह के वक़्त आगे बढ़ कर मुसल्ले पर चला जाये।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, जि.1 पेज 260 आलमगीरी,जि.1पेज 52)

मसअ्ला :– इक़ामत में भी 'हय्याअ़लस्सलाह'हय्यअ़ललफ़लाह'के वक़्त दायें बायें मुँह फेरे।

(दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 259)

मसअ्ला :– इक़ामत का सुन्नत होना अज़ान की बनिस्बत ज़्यादा मुअक्कद है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिसने अज़ान कही अगर मौजूद नहीं तो चाहे जो इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है और मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उसकी इजाज़त से दूसरा कह सकता है कि यह उसी का हक़ है और अगर बे–इजाज़त कही और मुअज़्ज़िन को नागवार हो तो मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 पेज 50)

मसअ्ला :– जुनुब (नापाक)व मुहदिस(जिसे हदस हुआ हो मसलन किसी वजह से वुज़ू टुटा हो) की इक़ामत मकरूह है मगर लौटाई नहीं जायेगी। अगर जुनुब अज़ान कहे तो दोहराई जाए वह इस लिए कि अज़ान की तकरार जाइज़ है और इक़ामत दो बार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 263)

मसअ्ला :– इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उसे खड़े होकर इन्तिज़ार करना मकरूह है बल्कि बैठ जाये जब 'हय्याअ़ललफ़लाह' पर पहुँचे उस वक़्त खड़ा हो। यूँही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें, उस वक़्त उठें जब मुकब्बिर(तकबीर या इक़ामत कहने वाला) हय्याअ़ललफ़लाह' पर पहुँचे। यही हुक्म इमाम के लिए है (आलमगीरी जि. 1 पेज 53) आजकल अक्सर जगह रिवाज़ पड़ गया है कि इक़ामत के वक़्त सब लोग खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा न हो उस वक़्त तक तकबीर नहीं कही जाती यह ख़िलाफ़े सुन्नत है।

मसअला :– मुसाफ़िर ने अज़ान व इक़ामत दोनों न कही या इक़ामत न कही तो मकरूह है और अगर सिर्फ़ इक़ामत पर इक्तिफ़ा किया तो कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि अज़ान भी कहे अगर्चे तन्हा हो या उसके सब हमराही वहीं मौजूद हों। (दुर्रे मुख़्तार,जि.1 पेज 264 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – शहर के बाहर किसी मैदान में जमाअ़त क़ाइम की और इक़ामत न कही तो मकरूह है और अज़ान न कही तो हरज नहीं मगर ख़िलाफ़े औला है (ख़ानिया जि.1 पेज 74)

मसअ्ला :– मस्जिदे मुहल्ला यानी जिसके लिए इमाम व जमाअ़त मुअ़य्यन हो कि वही जमाअ़ते ऊला क़ाइम करता हो उस में जब जमाअ़ते ऊला हो कि वहीं जमाअ़ते ऊला सुन्नत तरीक़े से हो

चुकी हो तो दोबारा अज़ान कहना मकरूह है और बग़ैर अज़ान अगर दूसरी जमाअत क़ाइम की जाये तो इमाम मिहराब में न ख़ड़ा हो बल्कि दाहिने या बायें हट कर ख़ड़ा हो कि इम्तियाज़(ख़ास) रहे इस दूसरी जमाअत के इमाम को मिहराब में ख़ड़ा होना मकरूह है और मस्जिदे मुहल्ला न हो जैसे सड़क,बाज़ार,स्टेशन,सरायें की मस्जिदें जिन में चन्द शख़्स आते हैं और पढ़कर चले जाते हैं फिर कुछ और आये और पढ़ी इसी तरह होता हो तो इस मस्जिद में तकरारे अज़ान मकरूह नहीं बल्कि अफ़ज़ल यही है कि हर गिरोह जो नया आये अपनी अज़ान व इक़ामत के साथ जमाअत करे ऐसी मस्जिद में हर इमाम मिहराब में ख़ड़ा हो(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 265 आलमगीरी,जि.1 पेज 51 फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ,बज़्ज़ाज़िया)मिहराब से मुराद वस्ते मस्जिद है यानी मस्जिद के बीच में होना,ताक़ हो या न हो जैसे मस्जिदुल हराम शरीफ़ जिसमें यह मिहराब असलन नहीं या हर मस्जिदे सैफ़ी(वह जगह जहाँ गर्मियों में नमाज़ पढ़ी जाती है)यानी सिहने मस्जिद उसका वस्त मिहराब है अगर्चे वहाँ इमारत असलन(बिल्कुल)नहीं होती,मिहराबे हक़ीक़ी यही हैं और ताक़ की शक्ल,में मिहराब ज़मानए रिसालत व ज़मानए खुलफ़ाए राशेदीन में न थी। वलीद बादशाह मर्वान के ज़माने में बनाई गई(फ़तावा रज़विया)बाज़ लोगों के ख़्याल में है कि दूसरी जमाअत का इमाम पहले के मुसल्ले पर न ख़ड़ा हो लिहाज़ा मुसल्ला हटा कर वहीं ख़ड़े होते हैं जो इमामे अव्वल के क़ियाम की जगह है यह जहालत है उस जगह से दाहिने बायें हटना चाहिए मुसल्ले अगर्चे वही हों।

मसअ्ला :– अगर अज़ान आहिस्ता हुई तो फिर अज़ान कही जाये और पहली जमाअत जमाअते ऊला नहीं। (क़ाज़ी ख़ाँ जि. 1 पेज 74) मुहल्ले की मस्जिद में कुछ मुहल्ले वालों ने अपनी जमाअत पढ़ली उन के बाद इमाम और बाक़ी लोग आये तो जमाअते ऊला इन्हीं की है पहलों के लिए कराहत यूँही अगर ग़ैर मुहल्ले वाले पढ़ गये उन के बाद मुहल्ले के लोग आये तो जमाअते ऊला यही है और इमाम अपनी जगह पर ख़ड़ा होगा। (आलमगीरी जि. 1 पेज 51)

मसअ्ला :– इक़ामत के बीच में भी मुअज़्ज़िन को कलाम(बातचीत)करना नाजाइज़ है जिस तरह अज़ान में। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– अज़ान व इक़ामत के बीच में उसको किसी ने सलाम किया तो जवाब न दे। ख़त्म के बाद भी जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है यानी मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलिमा कहे मगर 'हय्याअलस्सलाह' और 'हय्याअलल्फ़लाह'के जवाब में लाहौ–ल वला कुव्व–ता इल्ला बिल्लाह'कहे और बेहतर यह है कि दोनों कहे बल्कि इतना लफ़्ज़ और मिला ले :–

مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

तर्जमा :– जो अल्लाह ने चाहा हुआ जो नहीं चाहा नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार, जि.1पेज 266)

मसअ्ला :–'' अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम' के जवाब में कहे :–

صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ وَ بِالْحَقِّ وَ نَطَقْتَ

तर्जमा :– तू सच्चा और नेकोकार है तूने हक़ कहा। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम तमाम अशग़ाल रोक दे यहाँ तक कि कुर्आन मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आये तो तिलावत रोक दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूँही इक़ामत में (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जुनुब भी अज़ान का जवाब दे हैज व निफ़ास वाली औरत और खुत्बे सुनने वाले और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले और जो जिमाअ् में मशग़ूल या क़ज़ाए हाजत में हो उन पर जवाब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम, कलाम, और जवाबे सलाम तमाम अशग़ाल रोक दे यहाँ तक कि कुर्आन मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आये तो तिलावत रोक दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूँही इक़ामत में (दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 262)

मसअ्ला :– जो अज़ान के वक़्त बातों में मशग़ूल रहे उस पर मआज़अल्लाह ख़ातमा बुरा होने का ख़ौफ़ है। (फ़तावा रज़वियां)

मसअ्ला :– रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो उतनी देर ख़ड़ा हो जाये सुने और जवाब दे। (आलमगीरी बज्ज़ाज़िया)

मसअ्ला :– इक़ामत का जवाब मुस्तहब है इसका जवाब भी उसी तरह है फ़र्क़ इतना है कि 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में यह कहे

اَقَامَهَااللّٰهُ وَ اَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ

तर्जमा :– " अल्लाह इसको क़ाइम रखे और हमेशा रखे जब तक कि आसमान व ज़मीन है।"
या यह कहे।

اَقَامَهَااللّٰهُ وَ اَدَامَهَا وَ جَعَلْنَا مِنْ صَالِحِیْ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا

तर्जमा :–"अल्लाह इसको क़ाइम रखे और हमेशा रखे और हमको ज़िन्दगी और मरने के बाद इसके नेक लोगों में रखे।" (रज़ा)

मसअ्ला :– अगर चन्द अज़ानें सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर यह है कि सब का जवाब दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर अज़ान के वक़्त जवाब न दिया तो अगर ज़्यादा देर न हुई हो अब दे ले।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब अज़ान ख़त्म हो जाये तो मुअज़्ज़िन और सामेईन(सुनने वाले) दुरूद शरीफ़ पढ़ें उसके बाद यह दुआ :–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ(سَیِّدِنَا)مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَوَ الْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِیْ وَ عَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِیْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

तर्जमा :–ऐ अल्लाह इस दुआए ताम और नमाज़ बरपा होने वाले के मालिक तू हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और बलन्द दर्जा अता कर और उनको मक़ामे महमूद में ख़ड़ा कर जिसका तूने वादा किया है बे शक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। (रद्दुल,मुहतार, जि.1 पेज 267 गुनिया जि. 1 पेज 365)

मअसला :– जब मुअज़्ज़िन 'अश्हदुअन –न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह' कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ़ पढ़े और मुस्तहब है कि अगूँठों को बोसा देकर आँखों से लगा ले और कहे :–

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

तर्जमा :– " या रसूलल्लाह! मेरी आंखों की ठंडक हुज़ूर से है ऐ अल्लाह सुनने और देखने की कुव्वत के साथ मुझे फायदा पहुँचा" । (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ाने नमाज़ के अलावा और अज़ानों का भी जवाब दिया जायेगा जैसे बच्चा पैदा होते वक़्त की अज़ान। (रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 126)

मसअला :– अगर अज़ान ग़लत कही गई मसलन लहन के साथ तो उस का जवाब नहीं बल्कि ऐसी अज़ान सुने भी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुताअख़्ख़िरीन. (बाद वाले उलमा) ने तसवीब मुस्तहसन रखी है यानी अज़ान के बाद नमाज़ के लिये,दोबारा एअ्लान करना और उसके लिये शरीअत ने कोई ख़ास अलफ़ाज़ मुकर्रर नहीं किए बल्कि जो वहाँ का उर्फ़ हो मसलन।

اَلصَّلٰوۃ الصَّلٰوۃُیاقَامَتْ قَامَتُیاالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 261)

मसअला :– मग़रिब की अज़ान के बाद तसवीब नहीं होती (इनाया)और दो बार कह लें तो हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अज़ान व इक़ामत के दरमियान वक़्फ़ा करना सुन्नत है। अज़ान कहते ही इक़ामत कह देना मकरूह है मगर मग़रिब में वक़्फ़ा तीन छोटी आयतों या एक बड़ी आयत के बराबर हो,बाक़ी नमाज़ों में अज़ान व इक़ामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग पाबन्दे जमाअत हैं आ जायें मगर इतना इन्तिज़ार न किया जाये कि वक़्ते कराहत आ जाये।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 261 आलमगीरी जि.1पेज 53)

मसअला :– जिन नमाज़ों से पहले सुन्नत या नफ़्ल हैं उनमें औला यह है कि मुअज़्ज़िन अज़ान के बाद सुन्नतें व नवाफ़िल पढ़े वर्ना बैठा रहे। (आलमगीरी जि. 1 पेज 53)

मसअला :– रईसे मुहल्ला का उसकी रियासत के सबब इन्तिज़ार मकरूह है हाँ अगर वह शरीफ़ है और वक़्त में गुन्जाइश है तो इन्तिज़ार कर सकते हैं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 268)

मसअला :– मुतक़द्दिमीन यानी पहले के उलमा ने अज़ान पर उजरत लेने को हराम बताया मगर मुतअख़्ख़िरीन यानी बाद के उलमा ने जब लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दी और अब इसी पर फ़तवा है मगर अज़ान कहने पर अहादीस में जो सवाब इरशाद हुये वह उन्हीं के लिये है जो उजरत नहीं लेते सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिए इस ख़िदमत को अन्जाम देते हैं। हाँ अगर लोग बतौरे खुद मुअज़्ज़िन को साहिबे हाजत समझ कर दे दें तो यह बिलइत्तेफ़ाक़ जाइज़ बल्कि बेहतर है और यह उजरत नहीं (गुनिया 366) जबकि यह मशहूर न हो जाए कि उजरत ज़रूर मिलेगी। (रज़ा)

नमाज़ की शर्तों का बयान

तम्बीह :– इस बाब में जहाँ यह हुक्म दिया गया कि नमाज़ सही है या हो जायेगी या जाइज़ है उससे मुराद फ़र्ज़ अदा होना है यह मतलब नहीं कि बिला कराहत व मुमानअत व गुनाह सही व

जाइज़ होगी अकसर जगहें ऐसी हैं कि मकरूह तहरीमी व तर्के वाजिब होगा और कहा जायेगा कि नमाज़ हो गई कि यहाँ इससे बहस नहीं, इसको बाबे मकरूहात में इन्शाअल्लाह तआला बयान किया जायेगा। यहाँ शर्तों का बयान है कि बे उनके नमाज़ होगी ही नहीं। सेहते नमाज़ यानी नमाज़ के सही होने की छः (6) शर्ते हैं –1. तहारत (पाकी)2. सत्रे औरत (बदन का वह हिस्सा जिसका ढकना फर्ज़ है) 3. इस्तिकबाले किब्ला 4. वक़्त 5. नियत 6. तहरीमा।

पहली शर्त तहारत

यानी नमाज़ी के बदन का हदसे अकबर व असग़र और नजासते हक़ीक़िया क़द्रे मानेअ़ से यानी नजासत की वह मिक़दार जिसके लगे रहने से नमाज़ न हो उससे पाक होना। उसके कपड़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़े नजासते हक़ीक़िया क़द्रे मानेअ़ से पाक होना (मुतून) हदसे अकबर यानी वह काम जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए और हदसे असग़र यानी वह काम जिनसे वुज़ू जाता रहता है और उनसे पाक होने का तरीक़ा वुज़ू व गुस्ल के बयान में गुज़रा और नजासते हक़ीक़िया से पाक करने का बयान दूसरे हिस्से में पाकी से मुतअ़ल्लिक़ यह सब बयान गुज़र चुके यह बातें वहाँ से मालूम की जायें इस पहली नमाज़ शर्त का मतलब यह है कि इस क़द्र नजासत से पाक होना है कि बग़ैर पाक किए नमाज़ होगी ही नहीं मसलन ख़फ़ीफ़ा कपड़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज़्यादा जिस में लगी हो इसका नाम क़द्रे मानेअ़ है और अगर इससे कम है तो इस का ज़ाइल करना सुन्नत है। यह मसाइल भी बाबुल नजासत (बहारे शरीअ़त के दूसरे हिस्से)में ज़िक्र किए गये।

मसअ्ला :– किसी शख़्स ने अपने को बे वुज़ू गुमान किया और उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली बाद को ज़ाहिर हुआ कि बे वुज़ू न था नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :– मुसल्ली अगर ऐसी चीज़ को उठाए हो कि उसकी हरकत से वह भी हरकत करे अगर उसमें नजासत क़द्रे मानेअ़ हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं मसलन चाँदनी का एक सिरा ओढ़कर नमाज़ पढ़ी और दूसरे में नजासत है अगर रूकू व सुजूद व क़ियाम व क़ादा में उसकी हरकत से उस नजासत की जगह तक हरकत पहुँचती है तो नमाज़ न होगी वर्ना हो जायेगी। यूँही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा लेकर नमाज़ पढ़ी कि ख़ुद उसकी गोद में अपनी ताक़त से न रूक सके बल्कि उसके रोकने से थमा हुआ है अगर वह अपनी ताक़त से झुका हुआ है उसके रोकने का मुहताज नहीं तो नमाज़ हो जायेगी कि अब यह उसे उठाये हुये नहीं फिर भी बे–ज़रूरत कराहत से ख़ाली नहीं अगर्चे उसके बदन और कपड़े पर नजासत भी न हो। (दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 269 जि. 1 56 आलमगीरी, रज़ा)

मसअ्ला :– अगर नजासत क़द्रे मानेअ़ से कम है जब भी मकरूह है फिर नजासते ग़लीज़ा दिरहम के बराबर है तो मकरूह तहरीमी और उससे कम तो ख़िलाफ़े सुन्नत।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी जि. 1 पेज 54)

मसअ्ला :– छत,ख़ेमा शामियाने का ऊपरी हिस्सा अगर नजिस हो और मुसल्ली के सर से खड़े होने में लगे जब भी नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 269)यानी अगर शामियाने वग़ैरा की नजिस जगह बक़द्रे मानेअ़ नमाज़ी के सर को बक़द्रे अदाये रूक्न लगे यानी इतनी देर जितनी देर तीन बार सुब्हानल्लाह कहने में लगे मतलब यह है कि अगर क़द्रे मानेअ़ नजासत से छुआ ओर फ़ौरन हटा दिया कि इतना वक़्त न होने पाया कि जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह ले तो

नमाज़ हो जायेगी और अगर तीन तस्बीह के बराबर या ज़यादा देर की तो नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– अगर नमाज़ी का कपड़ा या बदन नमाज़ के दरमियान में बक़द्रे मानेअ् नापाक हो गया और तीन तस्बीह का वक़्फ़ा हुआ नमाज़ न हुई और अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त कपड़ा नापाक था या किसी नापाक चीज़ को लिये हुए था और उसी हालत में शुरू कर ली और 'अल्लाहु अकबर' कहने के बाद जुदा किया तो नमाज़ मुनअ्किद ही न हुई यानी शुरूअ् ही नहीं हुई।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसल्ली (नमाज़ी) का बदन जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत के बदन से मिला रहा या उन्होंने उसकी गोद में सर रखा तो नमाज़ हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसल्ली के बदन पर नजिस कबूतर बैठा नमाज़ हो जायेगी। (बहर)

मसअ्ला :– जिस जगह नमाज़ पढ़े उसके पाक होने से मुराद सज्दे व क़दम रखने की जगह का पाक होना है जिस चीज़ पर नमाज़ पढ़ता हो उसके सब हिस्से का पाक होना सेहते नमाज़ के लिए शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार जि 1 पेज 270)

मसअ्ला :– मुसल्ली के एक पाँव के नीचे दिरहम से ज़्यादा नजासत हो नमाज़ न होगी। यूँही अगर दोनों पाँव के नीचे थोड़ी–थोड़ी नजासत है कि जमा करने से एक दिरहम हो जायेगी और अगर एक क़दम की जगह पाक थी और दूसरा क़दम जहाँ रखेगा नापाक है उसने इस पाँव को उठाकर नमाज़ पढ़ी हो गई हाँ बे ज़रूरत एक पाँव पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।(दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 270)

मसअ्ला :– पेशानी पाक जगह है और नाक नजिस जगह तो नमाज़ हो जायेगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है और बिला ज़रूरत यह भी मकरूह। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)

मसअ्ला :– सजदे में हाथ या घुटना नजिस जगह होने से सही मज़हब में नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270) और अगर हाथ नजिस जगह हो और हाथ पर सजदा किया तो बिलइजमा यानी सब के नज़दीक नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 270)

मसअ्ला :– आस्तीन के नीचे नजासत है और उसी आस्तीन पर सजदा किया नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)अगर्चे नजासत हाथ के नीचे न हो बल्कि चौड़ी आस्तीन के ख़ाली हिस्से के नीचे हो यानी आस्तीन फ़ासिल (आड़, रोक) न समझी जायेगी अगर्चे कपड़ा मोटा हो कि उसके बदन की ताबेअ् है बख़िलाफ़ और मोटे कपड़े के कि नजिस जगह बिछा कर पढ़ी और उसकी रंगत या बू महसूस न हो तो नमाज़ हो जायेगी कि यह कपड़ा नजासत व मुसल्ली में फ़ासिल (रोक) हो जायेगा कि बदने मुसल्ली का ताबेअ् नहीं। यूँही अगर चौड़ी आस्तीन का ख़ाली हिस्सा सजदा करने में नजासत की जगह पड़े और वहाँ न हाथ हो न पेशानी तो नमाज़ हो जयेगी अगर्चे आस्तीन बारीक हो कि अब उस नजासत को बदने मुसल्ली से कोई तअल्लुक़ नहीं। (रज़ा)

मसअ्ला :– अगर सजदा करने में दामन वग़ैरा नजिस ज़मीन पर पड़ते हों तो मुज़िर नहीं (नमाज़ में नुक़सान नहीं) (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)

मसअ्ला :– अगर नजिस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जो सत्र के काम में नहीं आ सकता यानी उसके नीचे की चीज़ झलकती हो नमाज़ न हुई और अगर शीशे पर नमाज़ पढ़ी और उसके नीचे नजासत है अगर्चे नुमायाँ (ज़ाहिर)हो नमाज़ हो गई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)

दूसरी शर्त सत्रे औरत

यानी बदन का वह हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है उसको छुपाना। अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

" हर नमाज़ के वक़्त कपड़े पहनो "। और फ़रमाता है :–

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

तर्जमा :– "औरतें ज़ीनत यानी ज़ीनत की जगहों को ज़ाहिर न करें मगर वह कि ज़ाहिर हैं।(कि उनके खुले रहने पर जाइज़ होने की वजह से आदत पड़ी हुई है)

हदीस में है जिस को इब्ने अदी ने कामिल में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ो तहबंद बाँध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाबहत न करो और अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने खुज़ैमा उम्मुल मोमिनीम सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बालिग़ औरत की नमाज़ बग़ैर दोपट्टे के अल्लाह तआला क़बूल नहीं फ़रमाता अबू दाऊद ने रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की क्या बग़ैर इज़ार यानी बिला पाजामा वग़ैरा पहने सिर्फ़ कुर्ते और दुपट्टे में औरत नमाज़ पढ़ सकती है। इरशाद फ़रमाया जब कुर्ता पूरा हो कि पुश्ते क़दम को छिपा ले और दार कुतनी बरिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाफ़ के नीचे से घुटने तक औरत है और तिर्मिज़ी ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब निकलती है शैतान उसकी तरफ़ झाँकता है।

मसअला :– 7 सत्रे औरत हर हाल में वाजिब यानी फ़र्ज़ है ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने बिला किसी सही ग़र्ज़ के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिलइजमाअ़ फ़र्ज़ है यहाँ तक कि अगर अँधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी अगर्चे वहाँ कोई न हो और उसके पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी बिलइजमाअ़ नमाज़ न होगी मगर औरत के लिए तन्हाई में जबकि नमाज़ में न हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं बल्कि सिर्फ़ नाफ़ से घुटने तक और मुहारिम के सामने पेट और पीठ का छुपाना भी वाजिब है और ग़ैर महरम के सामने और नमाज़ के लिए अगर्चे तन्हा अंधेरी कोठरी में हो तमाम बदन सिवा पाँच उज़्व के जिसका बयान आयेगा छुपाना फ़र्ज़ है बल्कि जवान औरत को ग़ैर मर्दों के सामने मुँह खोलना भी मना है। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 270 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 272)

मसअला :– इतना बारीक क़पड़ा जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं उससे नमाज़ पढ़ी तो न हुई (आलमगीरी जि. 1 पेज 52) यूँही अगर चादर में से औरत के बालों की सियाही चमके नमाज़ न होगी (रज़ा) बाज़ लोग बारीक साड़ियाँ और तहबंद बाधकर नमाज़ पढ़ते हैं कि रान चमकती हैं उनकी नमाज़ें नहीं होतीं और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सत्रे औरत न हो सके अलावा नमाज़ के भी हराम है।

मसअ्ला :– दबीज़ (मोटा)कपड़ा जिससे बदन का रंग न चमकता हो मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ है कि देखने से उज़्व की हैअ्त(बनावट)मा़लूम होती है ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जायेगी मगर उस उ़ज़्व की त़रफ़ दूसरों को निगाह करना जाइज़ नहीं (रद्दुल मुह़तार)और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मना है और औ़रतों के लिए बदर्जा औला या़नी और ज़्यादा मुमा़नअ़त (मना है)बा़ज़ औ़रतें जो बहुत चुस्त पाजामे पहनती हैं इस मसअ्ले से सबक़ लें।

मसअ्ला :– नमाज़ में सत्र के लिए पाक कपड़ा होना ज़रूरी है या़नी इतना नजिस न हो जिससे नमाज़ न हो सके तो अगर पाक कपड़े पर क़ुदरत है और नापाक पहनकर नमाज़ पढ़ी नामज़ न हुई (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 56)

मसअ्ला :– उसके इ़ल्म में कपड़ा नापाक है और उसमें नमाज़ पढ़ी फिर मा़लूम हुआ कि पाक था नमाज़ न हुई । (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :–ग़ैर नमाज़ में (या़नी जब नमाज़ में न हो)नजिस कपड़ा पहना तो ह़रज़ नहीं अगर्चे पाक कपड़ा मौजूद हो और जो दूसरा नहीं तो उसी को पहनना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार जि. 1 पेज 270)यह उस वक़्त है कि उसकी नजासत ख़ुश्क हो छूट कर बदन को न लगे वर्ना पाक कपड़ा होते हुए ऐसा कपड़ा पहनना मुतलक़न मना है कि बिला वजह बदन नापाक करना है। (रज़ा)

मसअ्ला :– मर्द के लिए नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक औ़रत है यानी उसका छुपाना फ़र्ज़ है नाफ़ उसमें दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271 रद्दुल मुह़तार) इस ज़माने में बहुतेरे ऐसे हैं कि तहबंद या पाजामा इस त़रह़ पहनते हैं कि पेडू का कुछ हि़स्सा खुला रहता है अगर कुर्ते वग़ैरा से इस त़रह़ छुपा हो कि जिल्द (चमड़े) की रंगत न चमके तो ख़ैर वर्ना ह़राम है और नमाज़ में चौथाई की मिक़दार खुला रहा तो नमाज़ न होगी और बा़ज़ बेबाक ऐसे हैं कि लोगों के सामने घुटने बल्कि रान तक खोले रहते हैं यह भी ह़राम है और इसकी आ़दत है तो फ़ासिक़ है।

मसअ्ला :– आज़ाद औ़रतों और ख़ुन्सा मुश्किल (ऐसा हिजड़ा जिस को औ़रत या मर्द में शामिल करना मुश्किल हो) के लिए सारा बदन औ़रत है सिवा मुँह की टकली और हथेलियों और पाँव के तलवों के ,उसके सर के लटतके हुए बाल और गर्दन और कलाईयाँ भी औ़रत हैं उनका छुपाना फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271)

मसअ्ला :– इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की सियाही चमके औ़रत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी न होगी जब तक कि उस पर कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े जिससे बाल वग़ैरा का रंग छुप जाए। (आ़लमगीरी जि.1 पेज 54)

मसअ्ला :– बाँदी के लिए सारी पीठ और दोनों पहलू और नाफ़ से घुटनों से नीचे तक औ़रत है ख़ुन्सा मुश्किल रक़ीक़(गुलाम) हो तो उसका भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271)

मसअ्ला :– बाँदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ के दरमियान ही में मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया अगर फ़ौरन अ़मले क़लील या़नी एक हाथ से उसने सर छुपा लिया तो नमाज़ हो गई वर्ना नहीं ख़्वाह उसे अपने आज़ाद होने का इ़ल्म हुआ या नहीं, हाँ अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही न थी जिससे सर छुपाये तो हो गई। (दुर्रे मुख़्तार,आ़लमगीरी)

मसअला :– जिन आज़ा का सत्र फ़र्ज़ है उनमें कोई उ़ज़्व चौथाई से कम खुल गया नमाज़ हो गई और अगर चौथाई उ़ज़्व खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया जब भी हो गई और अगर बक़द्र एक रुक्न यानी तीन मर्तबा सुब्हानल्लाह कहने के खुला रहा या बिलक़स्द खोला (यानी जानबूझ कर)अगर्चे फ़ौरन छुपा लिया नमाज़ जाती रही।(आलमगीरी जि. 1 पेज 55 रद्दुल मुहतार जि. 1–273)

मसअला :– अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त उ़ज़्व की चौथाई खुली है यानी उसी हालत पर अल्लाहु अकबर कह लिया तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर चन्द आज़ा में कुछ कुछ खुला रहा, कि हर एक उस उ़ज़्व की चौथाई से कम है मगर मजमुआ उनका उन खुले हुए आज़ा में जो सब से छोटा है उसकी चौथाई की बराबर है नमाज़ न हुई मसलन औरत के कान का नवाँ हिस्सा और पिंडली का नवाँ हिस्सा खुला रहा तो मजमुआ दोनों का कान की चौथाई की क़द्र ज़रूर है नमाज़ जाती रही।(आलमगीरी जि.1 पेज 55 रद्दुल मुहतार जि.1पेज 274)

मसअला :– औरते ग़लीज़ यानी कुब्ल व दुबुर (पाख़ाने और पेशाब का मक़ाम) और उन के आस पास की जगह और औरते ख़फ़ीफ़ा और इन के अलावा जो आज़ाए औरत हैं। इस हुक्म में सब बराबर हैं ग़िलज़त व ख़िफ़्फ़त बा एअ़तिबारे हुरमते नज़र के है यानी ज़्यादती और कमी देखने के एअ़तिबार से ह़राम है कि ग़लीज़ा की तरफ़ देखना ज़्यादा ह़राम है कि अगर किसी को घुटना खोले हुए देखे तो नर्मी के साथ मना करे अगर बाज़ न आये तो उससे झगड़ा न करे और अगर रान खोले हुए है तो सख़्ती से मना करे और बाज़ न आया तो मारे नहीं और अगर औरते ग़लीज़ा खोले हुए है तो जो मारने पर क़ादिर हो मसलन बाप या हाकिम वह मारे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सत्र के लिए यह ज़रूरी नहीं कि अपनी निगाह भी उन आज़ा पर न पड़े तो अगर किसी ने सिर्फ़ लम्बा कुर्ता पहना और उसका गिरेबान खुला हुआ है कि अगर गिरेबान से नज़र करे तो आज़ा दिखाई देते हैं नमाज़ हो जायेगी अगर्चे बिलक़स्द (जानबूझ कर) उधर नज़र करना मकरूहे तह़रीमी है। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 274 आलमगीरी जि.1–54)

मसअला :– औरों से सत्र फ़र्ज़ होने के यह मअ़ना हैं कि इधर उधर से न देख सकें तो मआज़–ल्लाह अगर किसी शरीर ने नीचे झुक कर आज़ा को देख लिया तो नमाज़ न गई। (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द में आज़ाए औरत नौ हैं आठ अ़ल्लामा इब्राहीम ह़लबी व अ़ल्लामा शामी व अ़ल्लामा त़ह़त़ावी वग़ैराहुम ने गिने।

1. ज़कर (लिंग) मअ़ अपने सब अज़्व ह़शफ़ा (सुपारी) व क़स्बा(ज़कर की गिरह या उसकी लम्बाई) व कुलफ़ा (ज़कर का चमड़ा)के। 2. अंडकोष यह दोनों मिलकर एक अ़ज़्व हैं उन में फ़क़त़ एक की चौथाई खुलना मुफ़सिदे नमाज़ नहीं 3. दुबुर यानी पाख़ाना का मक़ाम 4, व 5. हर एक सुरीन जुदा औरत है। 6, व 7. हर रान जुदा औरत है। चढ्ढे यानी रान के ऊपर के जोड़ से घुटने तक रान है घुटना भी इस में दाख़िल है अलग उ़ज़्व नहीं तो अगर पूरा घुटना बल्कि दोनों खुल जायें नमाज़ हो जायेगी कि दोनों मिलकर भी एक रान की चौथाई को नहीं पहुचते। 8. नाफ़ के नीचे से अ़ज़्वे तनासुल (लिंग) की जड़ तक और उसके सीध में पुश्त (पीठ) और दोनों करवटों की जानिब सब मिलकर एक औरत है। आला ह़ज़रत रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु(जो कि अपने वक़्त के मुजद्दिदे आज़म हैं) ने यह तह़क़ीक़ फ़रमाई कि दुबुर व अंडकोष के दरमियान की जगह भी एक मुस्तक़िल औरत है

और उन आज़ा का शुमार और उनके तमाम अहकाम को चार शेरों में जमा फ़रमाया।

ستر عورت بمردنہ عضواست — از تہ ناف تا تہ زانو
ہر چہ ربعش بقدر رکن کشود — یا کشودی دے نماز مجو
ذکر و انثیین و حلقۂ پس — دو سرین ہر فخذ بہ زانوئے او
ظاہر افصل انثیین و دبر — باقی زیر ناف از ہر سو

तर्जमा :– मर्द की शर्मगाह नौ हैं नाफ़ के नीचे से ज़ानू के नीचे तक इनमें से जिसका चौथाई एक रूक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह के मिक़दार खुल जाये या खोल दे नमाज़ न होगी। ज़कर, खुसिया, दोनों इर्द गिर्द उसके दोनों चूतड़ और पिछली शर्मगाह के नीचे और नाफ़ के नीचे हर तरफ़ से।

मसअ्ला :– आज़ाद औरतों के लिए अलावा पाँच अ़ज्व कि जिनका बयान गुज़रा सारा बदन औ़रत है और वह तीस आ़ज़ा पर मुश्तमिल कि उनमें जिसकी चौथाई खुल जाये नमाज़ का वही हुक्म है जो ऊपर बयान हुआ 1. सर यानी पेशानी के ऊपर से शुरू गर्दन तक और एक कान से दूसरे कान तक यानी आ़दतन जितनी जगह पर बाल जमते हैं 2. बाल जो लटकते हों। 3 व 4.दोनों कान। 5.गर्दन इसमें गला भी दाख़िल है। 6 व 7. दोनों शाने। 8 व 9. दोनों बाज़ू इनमें कोहनियाँ भी दाख़िल हैं। 10 व 11. दोनों कलाईयाँ यानी कोहनी के बाद से 12. सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान की हद नीचे तक यानी जहाँ पिस्तान की हद ख़त्म होती है। 13. व 14. दोनों हाथों की पुश्त। 15. व 16. दोनों पिस्तानें जबकि अच्छी तरह उठ चुकी हों अगर बिल्कुल न उठी हों या ख़फ़ीफ़ उभरी हों कि सीने से जुदा उ़ज्व की हैयत न पैदा हुई हो तो सीने की ताबेअ़ हैं जुदा उज्व नहीं और पहली सूरत में भी उनके दरमियान की हद सीने ही में दाख़िल है, जुदा उ़ज्व नहीं 17. पेट यानी सीने की हद (सीने की हद जो ऊपर जिक्र की गई) से नाफ़ के निचले हिस्से तक यानी नाफ़ का भी पेट में शुमार है। 18. पीठ यानी पीछे की जानिब सीने के मुक़ाबिल से कमर तक। 19. दोनों शानों के बीच में जो जगह है बग़ल के नीचे सीने की नीचे हद तक दोनों करवटों में जो जगह है और उसके बाद से दोनो करवटों में कमर तक जो जगह है उसका अगला हिस्सा सीने में और पिछला शानों या पीठ में शामिल है और उसके बाद से दोनों करवटों में कमर तक जो जगह है उसका अगला हिस्सा पेट में और पिछला पीठ में दाख़िल है। 20 व 21 बग़ल दोनों सुरीन। 22 व 23 फ़र्ज व दुबुर। 24 व 25 दोनों रानें घुटने भी इन्ही में शामिल हैं। 26 .नाफ़ के नीचे पेड़ू और उससे मिली हुई जो जगह है और उनके मुक़ाबिल पुश्त की जानिब सब मिलकर एक औरत है 27 व 28. दोनों पिंडलियाँ टख़नों समेत। 29 व 30 दोनों तलवे और बाज़ उलमा ने पुश्ते दस्त और तलवों को औ़रत में दाख़िल नहीं किया।

मसअ्ला :– औ़रत का चेहरा अगर्चे औ़रत नहीं मगर फितने की वजह से ग़ैर महरम के सामने मुँह खोलना मना है यूँही उसकी तरफ़ नज़र करना ग़ैर महरम के लिए जाइज़ नहीं और छूना तो और ज़्यादा मना है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर किसी मर्द के पास सत्र के लिए जाइज़ कपड़ा न हो और रेशमी कपड़ा है तो फ़र्ज़ है कि उसी से सत्र करे और उसी में नमाज़ पढ़े अलबत्ता और कपड़े के होते हुए मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना ह़राम है और उस में नमाज़ मकरूहे तह़रीमी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 275)

मसअ्ला :– कोई शख़्स बरहना (नंगा शख़्स)अगर अपना सारा जिस्म सर समेत किसी एक कपड़े में छुपा कर नमाज़ पढ़े नमाज़ न होगी और अगर सर उससे बाहर निकाल ले हो जायेगी।.(रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़े दिन हो या रात घर में हो या मैदान में ख़्वाह वैसे बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं यानी मर्दों मर्दों की त़रह़ और औ़रतें औ़रतों की त़रह़ या पाँव फैला कर और औ़रते ग़लीज़ा पर हाथ रखकर और यह बेहतर है और रूकू व सुजूद की जगह इशारा करे और यह इशारा रूकूअ़ व सुजूद से उसके लिये अफ़ज़ल है और यह बैठकर पढ़ना खड़े होकर पढ़ने से अफ़ज़ल ख़्वाह क़ियाम में रूकूअ़ व सुजूद के लिए इशारा करे या रूकूअ़ व सुजूद करे। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 रद्दुल मुहतार पेज 275)

मसअ्ला :– ऐसा शख़्स बरहना (नंगा) नमाज़ पढ़ रहा था किसी ने आ़रियतन (यानी थोड़ी देर के लिए) उसको कपड़ा दे दिया या मुबाह़ (जाइज़)कर दिया नमाज़ जाती रही कपड़ा पहनकर सिरे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 275)

मसअ्ला :– अगर कपड़ा देने का किसी ने वा़दा किया तो आख़िर वक़्त तक इन्तेज़ार करे जब देखे कि नमाज़ जाती रहेगी तो बरहना ही पढ़ ले। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 276)

मसअ्ला :– अगर दूसरे के पास कपड़ा है और ग़ालिब गुमान है कि माँगने से दे देगा तो माँगना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 276)

मसअ्ला :– अगर कपड़ा मोल मिलता है और उसके पास दाम ह़ाजते अस्लिया से ज़ाइद हैं तो अगर इतने दाम माँगता हो जो अन्दाज़ा करने वालों के अन्दाज़े से बाहर न हों तो ख़रीदना वाजिब (रद्दुल मुह़तार) यूँही अगर उधार देने पर राज़ी हो जब भी ख़रीदना वाजिब होना चाहिए।

मसअ्ला :– अगर उसके पास कपड़ा ऐसा है कि पूरा नजिस है तो नमाज़ में उसे न पहने और अगर एक चौथाई पाक है त़ो वाजिब है कि उसे पहनकर पढ़े बरहना जाइज़ नहीं। यह सब उस वक़्त है कि ऐसी चीज़ नहीं कि कपड़ा पाक कर सके या उसकी नजासत क़द्रे मानेअ़ से कम कर सके वर्ना वाजिब होगा कि पाक करे या तक़लीले नजासत यानी नजासत को कम करे।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द शख़्स बरहना हैं तो तन्हा तन्हा दूर दूर नमाज़ें पढ़ें और अगर जमाअ़त की तो इमाम बीच में खड़ा हो (आलमगीरी जि.1 पेज 55)

मसअ्ला :– अगर बरहना शख़्स को चटाई या बिछौना मिल जाये तो उसी से सत्र करे नंगा न पढ़े यूँही घास या पत्तों से सत्र कर सकता है तो यही करे। (आ़लमगीरी जि. 1–55)

मसअ्ला :– अगर पूरे सत्र के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बा़ज़ आ़ज़ा का सत्र हो जायेगा तो उससे सत्र वाजिब है और उस कपड़े से औ़रते ग़लीज़ा यानी कुबुल, दुबुर (अगली पिछली शर्मगाह) को छुपाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिसने ऐसी मजबूरी में बरहना नमाज़ पढ़ी तो बादे नमाज़ कपड़ा मिलने पर इआदा नहीं नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर सत्र का कपड़ा या उसके पाक करने की चीज़ न मिलना बन्दों की जानिब से हो तो नमाज़ पढ़े फिर बाद में लौटाए। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 277)

तीसरी शर्त इस्तिक़बाले क़िब्ला

यानी नमाज़ में क़िब्ला यानी काबा की तरफ़ मुँह करना अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

तर्जमा :– " बेवक़ूफ़ लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ले पर मुसलमान लोग थे उन्हें किस चीज़ ने उस से फेर दिया तुम फ़रमा दो अल्लाह ही के लिए मश्रिक़ व मग़रिब है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत फ़रमाता है" हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने सोलह या सत्रह महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी और हुज़ूर को पसन्द यह था कि काबा क़िब्ला हो इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और फ़रमाता है :–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ٥

तर्जमा :– " जिस क़िब्ले पर तुम पहले थे हम ने फिर वही इसलिए मुक़र्रर किया कि रसूल की इत्तिबाअ् करने वाले उन से मुतमय्यिज़ (अलग अलग) हो जायें। जो एड़ियों के बल लौट जाते हैं और बेशक यह शाक़ है मगर उन पर जिन को अल्लाह ने हिदायत की और अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाए (बर्बाद) न करेगा बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान रह़म वाला है ऐ मह़बूब आसमान की तरफ़ तुम्हारा बार बार मुँह उठाना हम देखते हैं तो ज़रूर हम तुम्हें उसी क़िब्ले की तरफ़ फेर देंगे जिसे तुम पसन्द करते हो तो अपना मुँह (नमाज़ में)मस्जिदे ह़राम की तरफ़ फेरो और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो उसी की तरफ़ (नमाज़ में)मुँह करो और बेशक जिन्हें किताब दी गई वह ज़रूर जानते हैं कि वही ह़क़ है उनके रब की तरफ़ से और अल्लाह उनके कोतकों से ग़ाफ़िल नहीं"।

मसअ्ला :– नमाज़ अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाये और उसी के लिये सजदा हो न किसी काबा को अगर किसी ने मआज़ल्लाह कअ्बे के लिये सजदा किया ह़राम व गुनाहे कबीरा किया और इबादते काबा की नियत की जब तो खुला काफ़िर है के ग़ैरे ख़ुदा की इबादत कुफ़्र है।(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 286व इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– इस्तिक़बाले क़िब्ला आ़म है कि बिऐनिही कअ्बाए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ यानी ठीक कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ मुँह हो जैसे मक्का मुकर्रमा वालों के लिए या उस जेहत(दिशा) को मुँह हो जैसे औरों के लिए (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 287) यानी तह़क़ीक़ यह है कि जो ऐने कअ्बा कि सिम्ते ख़ास तह़क़ीक़ कर सकता है अगर्चे कअ्बा आड़ में हो जैसे मक्का मुअ़ज़्ज़मा के मकानो में

जबकि मसलन छत पर चढ़ कर काबा को देख सकते हैं तो ऐन कअ्बा की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ है जेहत काफ़ी नहीं और जिसे यह तहक़ीक़ नामुमकिन हो अगर्चे ख़ास मक्का मुअ़ज़्ज़मा में हो उसके लिये जेहते कअ्बा को मुँह करना काफ़ी है (इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– कअ्बए मुअ़ज़्जमा के अन्दर नमाज़ पढ़ी तो जिस रूख़ चाहे पढ़े काबा की छत पर भी नमाज़ हो जायेगी मगर उसकी छत पर चढ़ना मना है (ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर सिर्फ़ हतीम की तरफ़ मुँह किया कअ्बा मुअज़्ज़मा मुहाज़ात में न आया नमाज़ न हुई (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– जेहते कअ्बा को मुँह होने के यह मअ्ना हैं कि मुँह की सतह का कोई जुज़ काबे की सिम्त में वाक़ेअ् हो तो अगर क़िब्ला से कुछ फिरा हुआ है मगर मुँह का कोई जुज़ कअ्बे के मुवाजिहा (मुक़ाबिल) में है नमाज़ हो जायेगी इसकी मिक़दार 45 डिग्री रखी गई है तो अगर 45 डिग्री से ज़ाइद मुँह फिरा हुआ है इस्तिक़बाल न पाया गया नमाज़ न हुई। मसलन 'ख' ग एक रेखा है क अ इस पर लम्ब है और फ़र्ज़ करो कि कअ्बऐ मुअ़ज़्ज़मा ठीक बिन्दु 'क' 'के मुहाज़ी है दोनो लम्बों को आधा आधा करते हुये रेखायें 'अ च' और 'अ छ' ख़ीचीं तो यह कोण 45–45 डिग्री के हुए कि लम्ब 90 डिग्री है अब जो शख़्स मक़ामे अ पर खड़ा है अगर बिन्दु 'क की तरफ़ मुँह करे तो ऐन कअ्बा को मुँह और अगर दाहिने बायें 'च' या 'छ' की तरफ़ झुके तो जब तक 'च क या 'छ क' के अन्दर है जेहते कअ्बा में है और जब 'छ' से बढ़ कर ग या 'च' से गुज़र कर 'ख की तरफ़ कुछ भी क़रीब होगा तो अब जेहत से निकल गया नमाज़ न होगी

मसअ्ला :– बनाई गई उस इमारते कअ्बा का नाम क़िब्ला नहीं बल्कि वह फ़ज़ा है इस बुनियाद की मुहाज़ात में सातों ज़मीन से अ़र्श तक क़िब्ला ही हैं तो अगर वह इमारत वहाँ से उठा कर दूसरी जगह रख दी जाये और अब उस इमारत की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ी न होगी या कअ्बा मुअ़ज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फ़ज़ा की तरफ़ नमाज़ पढ़ी हो गई यूँही अगर बलन्द पहाड़ पर या कुँए के अन्दर नमाज़ पढ़ी और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया नमाज़ हो गई कि फ़ज़ा की तरफ़ तवज्जोह पाई गई चाहे इमारत की तरफ़ न हो (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 290)

मसअ्ला :– जो शख़्स इस्तिक़बाले क़िब्ला से आजिज़ हो मसलन मरीज़ है उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि उधर रूख़ बदले और वहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जेह कर दे या उसके पास अपना या

अमानत का माल है जिसके चोरी जाने का सही अन्देशा हो या कश्ती के तख़्ते पर बहता जा रहा है और सही अन्देशा है कि इस्तिक़बाल करे तो डूब जायेगा या शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता या उतर तो जायेगा मगर बे मददगार सवार न होने देगा या यह बूढ़ा है कि फिर ख़ुद सवार न हो सकेगा और ऐसा कोई नहीं जो सवार करा दे तो इन सब सूरतों में जिस रूख़ नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले और उसका इआ़दा यानी लौटाना भी नहीं ,हाँ सवारी के रोकने पर क़ादिर हो तो रोक कर पढ़े और अगर रोकने में क़ाफ़िला निगाह से छुप जायेगा तो सवारी ठहरना भी ज़रूरी नहीं यूँही रवानी में पढ़े (रद्दुल मुहतार जि1 पेज 290)

मसअ्ला :– चलती कश्ती में नमाज़ पढ़े तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त क़िब्ले को मुँह करे और जैसे घूमती जाये यह भी क़िब्ले को मुँह फेरता रहे अगर्चे नफ़्ल नमाज़ हो। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– मुसल्ली के पास माल है और अन्देशा सही है कि इस्तिक़बाले क़िब्ला करेगा तो चोरी हो जायेगा,ऐसी हालत में कोई ऐसा शख़्स मिल गया जो हिफ़ाज़त करे अगर्चे बाउजरते मिस्ल (आम तौर पर आदमी उस काम की जो उजरत ले उसे उजरते मिस्ल कहते हैं)इस्तिक़बाल फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)यानी जबकि वह उजरत हाजते असलिया से ज़ाइद इसके पास हो या मुहाफ़िज़ (हिफ़ाज़त करने वाला)आइन्दा लेने पर राज़ी हो और अगर वह नक़द माँगता है और उसके पास नहीं या है मगर हाजते असलिया से ज़ाइद नहीं या है मगर वह उजरते मिस्ल से बहुत ज़्यादा माँगता है तो उस वक़्त हिफ़ाज़त के लिए उसे उजरत पर रखना ज़रूरी नहीं यूहीं पढ़े। (इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– कोई शख़्स क़ैद में है और वह लोग उसे इस्तिक़बाल से मानेअ् (रोकते) हैं तो जैसे भी हो सके नमाज़ पढ़ ले फिर जब मौक़ा मिले वक़्त में या बाद में तो उस नमाज़ को दोहरा ले।

(रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 290)

मसअ्ला :– अगर किसी शख़्स को किसी जगह क़िब्ले की शनाख़्त न हो, न कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, न वहाँ मस्जिदें व मेहराबें हैं, न चाँद सूरज सितारे निकले हों या हों मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उन से मालूम कर सके तो ऐसे के लिये हुक्म है तहर्री करे (यानी सोचे जिधर क़िब्ला होना दिल में जमें उधर ही मुँह करे) उसके हक़ में वही क़िब्ला है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– तहर्री करके नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी ,हो गई लौटाने की हाजत नहीं। (तनवीरूल अबसार जि. 1 पेज 290)

मसअ्ला :– ऐसा शख़्स अगर बे तहर्री किसी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े नमाज़ न हुई अगर्चे 'वाक़ई में क़िब्ले ही की तरफ़ मुँह किया हो, हाँ अगर क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना नमाज़ के बाद यक़ीन के साथ मालूम हुआ, हो गई और अगर बादे नमाज़ उस तरफ़ क़िब्ला होना गुमान हो यक़ीन न हो या नमाज़ के बीच में उसको क़िब्ला होना मालूम हुआ अगर्चे यक़ीन के साथ तो नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :– अगर सोचा और दिल में किसी तरफ़ क़िब्ला होना साबित हुआ अगर उसके ख़िलाफ़ दूसरी तरफ़ उसने मुँह किया नमाज़ न हुई अगर्चे वाक़ई में वही क़िब्ला था जिधर मुँह किया अगर्चे

बाद को यक़ीन के साथ उसी का क़िब्ला होना मालूम हो। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :– अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरयाफ़्त नहीं किया ख़ुद ग़ौर करके किसी तरफ़ को पढ़ ली तो अगर क़िब्ले ही की तरफ़ मुँह था हो गई वर्ना नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जानने वाले से पूछा उसने नहीं बताया उसने तहर्री कर के नमाज़ पढ़ ली अब नमाज़ के बाद उसने बताया नमाज़ हो गई दोहराने की हाजत नहीं (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– अगर मस्जिदें और मेहराबे वहाँ हैं मगर उन का एअ्तिबार न किया बल्कि अपनी राय से एक तरफ़ को मुतवज्जेह हो लिया या तारे वग़ैरा मौजूद हैं और इल्म है कि उनके ज़रिये से मालूम करे और न किया बल्कि सोच कर पढ़ली दोनों सूरतों में न हुई अगर ख़िलाफ़े जेहत यानी क़िब्ले के रूख़ के ख़िलाफ़ की तरफ़ पढ़ी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 290)

मसअ्ला :– एक शख़्स तहर्री कर के एक तरफ़ पढ़ रहा है तो दूसरे को उसकी इत्तिबाअ् जाइज़ नहीं बल्कि उसे भी तहर्री का हुक्म है अगर उसका इत्तिबाअ् किया तहर्री न की उस दूसरे की नमाज़ न हुई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर तहर्री कर के नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ के दरमियान में अगर्चे सजदए सहव में राय बदल गई या ग़लती मालूम हुई तो फ़र्ज़ है कि फ़ौरन घूम जाये और पहले जो पढ़ चुका है उस में ख़राबी न आयेगी इसी तरह अगर चारों रकअ्ते चार दिशाओं में पढ़ी जाइज़ हैं और अगर फ़ौरन न फिरा यहाँ तक कि एक रूक्न यानी तीन बार सुबहानल्लाह कहने का वक़्फ़ा हुआ नमाज़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 290)

मसअ्ला :– नाबीना (अन्धा)ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा था कोई बीना (अंखियारा)आया उसने अन्धे को सीधा कर के उसकी इक़्तिदा की तो अगर वहाँ कोई शख़्स ऐसा था जिस से क़िब्ले का हाल नाबीना दरयाफ़्त कर सकता था मगर न पूछा दोनों की नमाज़ न हुई और अगर कोई ऐसा न था तो नाबीना की होगई और मुक़तदी की न हुई(ख़ानिया,हिन्दिया, जि.1पेज 60 ग़ुनिया 224 रद्दुल मुहतार, जि.1पेज 291)

मसअ्ला :– तहर्री कर के ग़ैरे क़िब्ला को नमाज़ पढ़ रहा था बाद को उसे अपनी राय की ग़लती मालूम हुई और क़िब्ले की तरफ़ फिर गया तो जिस दूसरे शख़्स को उसकी पहली हालत मालूम हो अगर यह भी उसी क़िस्म का है कि उसने भी पहले वही तहर्री की थी और अब उसको भी ग़लती मालूम हुई तो उसकी इक़्तिदा कर सकता है वर्ना नहीं (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 291)

मसअ्ला : – अगर इमाम तहर्री कर के ठीक जेहत में पहले ही से पढ़ रहा है तो अगर्चे मुक़तदी तहर्री करने वालो में न हो उसकी इक़्तिदा कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 291)

मसअ्ला :– अगर इमाम व मुक़तदी एक ही जेहत को तहर्री कर के नमाज़ पढ़ रहे थे और इमाम ने नमाज़ पूरी कर ली और सलाम फेर दिया अब मसबूक़ (जिसकी शुरू की रकअ्त छूटी हो) व लाहिक़ (जिसकी बीच की रकअ्त छूटी हो)की राय बदल गई तो मसबूक़ घूम जाये और लाहिक़ सिरे से पढ़े (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 291)

मसअ्ला :– अगर पहले एक तरफ़ को राय हुई और नमाज शुरू की फिर दूसरी तरफ़ को राय

पलटी फिर वह पलट गया फिर तीसरी या चौथी बार वही राय हुई जो पहली मरतबा थी तो उसी तरफ़ फिर जाये सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :– अन्धेरी रात है चन्द शख़्सों ने जमाअ़त से तहर्री कर के मुख़्तलिफ़ जेहतों में नमाज़ पढी मगर नमाज़ के दरमियान में यह मा'लूम न हुआ कि इसकी जेहत इमाम की जेहत के ख़िलाफ़ है न मुक़तदी इमाम से आगे है नमाज़ हो गई और अगर बा'द नमाज़ मा'लूम हुआ कि इमाम के ख़िलाफ़ इसकी जेहत थी कुछ हरज नहीं और अगर इमाम के आगे होना मा'लूम हुआ नमाज़ में या बा'द को तो नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 293)

मसअ्ला :– मुसल्ली ने क़िब्ले से बिला उ़ज़्र क़स्दन बिना किसी मजबूरी के जानबूझ कर सीना फेर दिया अगर्चे फ़ौरन ही क़िब्ले की त़रफ़ हो गया नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और बक़द्र तीन तस्बीह के वक़्फ़ा न हुआ तो हो गई। (मुनिया, पेज 101 बहर जि. 1–298)

मसअ्ला :– अगर सिर्फ़ क़िब्ले से फेरा उस पर वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ले की त़रफ़ मुँह करे और नमाज़ न जायेगी मगर बिला उ़ज़्र मकरूह है। (मुनिया 101,बहर जि. 1 पेज 258)

चौथी शर्त़ वक़्त है

इसके मसाइल ऊपर मुस्तक़िल बाब नमाज़ के वक़्तों के बयान में बयान हुए

पाँचवीं शर्त़ नियत है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है।

وَ مَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

तर्जमा :–" उन्हें तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह ही की इ़बादत करें उसी के लिये दीन को ख़ालिस़ रखते हुए"। हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى

तर्जमा :– " आमाल का मदार नियत पर है और हर शख़्स के लिए वह है जो उसने नियत की ।

इस ह़दीस को बुख़ारी व मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अमीरूल मोमिनीन उ़मर इब्ने ख़त़्त़ाब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया।

मसअ्ला :– नियत दिल के पक्के इरादे को क़हते हैं महज़ (सिर्फ़) जानना नियत नहीं जब तक कि इरादा न हो। (तनवीरूल अबसार जि.1पेज 207)

मसअ्ला :– नियत में ज़बान का एअ्तिबार नहीं यानी अगर दिल में मसलन ज़ोहर का इरादा किया और जुबान से लफ़्ज़े अस्र निकला ज़ोहर की नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नियत का अदना (सबसे कम)दर्जा यह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे कौन सी नमाज़ पढ़ता है तो फ़ौरन बिला देर किए बता दे अगर ह़ालत ऐसी है कि सोचकर बतायेगा तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278)

मसअ्ला :– जुबान से कह लेना मुस्तहब है और इसमें कुछ अ़रबी की तख़सीस़ नहीं फ़ारसी वग़ैरा में भी हो सकती है और तलफ़्फ़ुज़ में माज़ी का सीग़ा (ऐसा लफ़्ज़ जिस से गुज़रे हुए वक़्त में काम

का होना ज़ाहिर हो) हो मसलन नवैतु'या 'नियत की मैंने। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278)
मसअ्ला :– बेहतर यह है कि अल्लाहु अकबर कहते वक़्त नियत हाज़िर हो। (मुनिया)
मसअ्ला :– तकबीर से पहले नियत की और शुरू नमाज़ और नियत के दरमियान कोई अम्रे अजनबी मसलन खाना, पीना, कलाम वग़ैरा वह काम जो नमाज़ से ग़ैर मुतअल्लिक़ हैं फ़ासिल(जुदा करने वाले) न हों नमाज़ हो जायगी अगर्चे तहरीमा के वक़्त नियत हाज़िर न हो। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– वुज़ू से पहले नियत की तो वुज़ू करना फ़ासिले अजनबी नहीं नमाज़ हो जायेगी यानी ऐसा करने से नमाज़ में फ़र्क़ न आयेगा ,युँही वुज़ू के बाद नियत की उसके बाद नमाज़ के लिये चलना पाया गया नमाज़ हो जायेगी और यह चलना फ़ासिले अजनबी नहीं। (गुनिया)
मसअ्ला :– सही यह कि नफ़्ल व सुन्नत व तरावीह में मुतलक़न नमाज़ की नियत काफ़ी है मगर एहतियात यह है कि तरावीह में तरावीह या सुन्नते वक़्त या क़ियामुल्लैल की नियत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मुताबअ़त (पैरवी)की नियत करे इसलिए कि बाज़ मशाइख़ सुन्नतों में मुतलक़न नियत को नाकाफ़ी क़रार देते हैं। (मुनिया पेज 106)
मसअ्ला :– अगर शुरू के बाद नियत पाई गई उसका एअ्तिबार नहीं यहाँ तक कि अगर तकबीरे तहरीमा में अल्लाहु कहने के बाद अकबर से पहले नियत की नमाज़ न होगी।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 279)
मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ के लिए मुतलक़ नमाज़ की नियत काफ़ी है। अगर्चे नफ़्ल नियत में न हो।
(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 279)
मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ में नियते फ़र्ज़ भी ज़रूर है मुतलक़न नमाज़ या नफ़्ल वग़ैरा की नियत काफ़ी नहीं। अगर फ़र्ज़ियत जानता ही न हो मसलन पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ता है मगर उनकी फ़र्ज़ियत इल्म में नहीं नमाज़ न होगी और उस पर उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है मगर जब इमाम के पीछे हो और यह नियत करे कि इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है वही मैं भी पढ़ता हूँ तो यह नमाज़ हो जायेगी अगर जानता हो मगर फ़र्ज़ को ग़ैरे फ़र्ज़ से अलग न किया तो दो सूरतें हैं अगर सब में फ़र्ज़ की ही नियत करता है तो नमाज़ हो जायेगी मगर जिन फ़र्ज़ों से पेश्तर (पहले)सुन्नतें हैं अगर सुन्नतें पढ़ चुका है तो इमामत नहीं कर सकता कि सुन्नतें ब–नियते फ़र्ज़ पढ़ने से इसका फ़र्ज़ साक़ित हो चुका मसलन ज़ोहर के पेश्तर चार रकअ़त सुन्नतें ब नियते फ़र्ज़ पढ़े तो अब फ़र्ज़ नमाज़ में इमामत नहीं कर सकता कि यह फ़र्ज़ पढ़ चुका दूसरी सूरत यह कि नियते फ़र्ज़ किसी में न की तो नमाज़ फ़र्ज़ अदा न हुई । (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1–280 रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– फ़र्ज़ में यह भी ज़रूर है कि उस ख़ास नमाज़ मसलन ज़ोहर या अस्र की नियत करे या मसलन आज के ज़ोहर या फ़र्ज़ वक़्त की नियत वक़्त में करे मगर जुमे में फ़र्ज़ वक़्त की नियत काफ़ी नहीं खुसूसियते जुमा की नियत ज़रूरी है। (तनवीरूल अबसार)
मसअ्ला :– अगर वक़्ते नमाज़ ख़त्म हो चुका और उसने फ़र्ज़ वक़्त की नियत की तो फ़र्ज़ न हुए ख़्वाह वक़्त का जाता रहना उसके इल्म में हो या नहीं। (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– नमाज़े फ़र्ज़ में यह नियत कि आज के फ़र्ज़ पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं जबकि किसी

नमाज़ के मुअय्यन (ख़ास) न किया मसलन आज की ज़ोहर या इशा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औला यह है कि यह नियत करे आज की फ़लाँ नमाज़ कि अगर्चे वक़्त ख़ारिज़ हो गया हो नमाज़ हो जायेगी ख़ुसूसन उस के लिए जिसे वक़्त ख़ारिज होने में शक हो।

(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 283 आलमगीरी जि. 1 पेज 61)

मसअला :– अगर किसी ने उस दिन को दूसरा दिन गुमान कर लिया मसलन वह दिन पीर का और उसने मंगल समझ कर मंगल की ज़ोहर की नियत की बाद को मालूम हुआ कि पीर था नमाज़ हो जायेगी (ग़ुनिया)यानी जबकि आज का दिन नियत में हो कि इस तअय्युन के बाद पीर या मंगल की तख़सीस बेकार है और उसमें ग़लती मुज़िर नहीं। हाँ अगर सिर्फ़ दिन के नाम ही से नियत की और आज के दिन का इरादा न किया मसलन मंगल की ज़ोहर पढ़ता हूँ तो नमाज़ न होगी अगर्चे वह दिन मंगल ही का हो कि मंगल बहुत हैं। (इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– नियत में रकअ़त की तादाद की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल है तो अगर तादादे रकअ़त में ख़ता वाकेअ़ हुई मसलन तीन रकअ़ते मग़रिब की नियत की तो नमाज़ हो जायेगी।

(दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 251 रद्दुल मुहतार)

मसअला : – फ़र्ज़ क़ज़ा हो गये हों तो उन में दिन का तअय्युन (ख़ास) करना और नमाज़ का तअय्युन करना ज़रूरी है मसअला फ़लाँ दिन की फ़लाँ नमाज़ मुतलक़न ज़ुहर वग़ैरा या मुतलक़न नमाज़े क़ज़ा नियत में होना काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1–281)

मसअला :– अगर उसके ज़िम्मे एक ही नमाज़ क़ज़ा हो तो दिन मुअय्यन करने की हाजत नहीं मसलन मेरे ज़िम्में जो फुलाँ नमाज़ है काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़े हैं और दिन तारीख़ भी याद न हो तो उसके लिए आसान तरीक़ा नियत का यह है कि सब में पहली या सब में पिछली फुलाँ नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है (दुर्रे मुख़्तार ज़ि 1 पेज 281)

मसअला :– किसी के ज़िम्मे इतवार की नमाज़ थी मगर उसको गुमान हुआ कि हफ़्ते की है और उसकी नियत से नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि इतवार की थी अदा न हुई। (ग़ुनिया पेज 251)

मसअला :– क़ज़ा या अदा की नियत की कुछ हाजत नहीं अगर क़ज़ा ब–नियते अदा पढ़ी या अदा ब–नियते क़ज़ा तो नमाज़ हो गई यानी मसलन वक़्ते ज़ोहर बाक़ी है और उसने गुमान किया कि वक़्त जाता रहा और उस दिन की नमाज़े ज़ुहर ब–नियते क़ज़ा पढ़ी या वक़्त जाता रहा और उसने गुमान किया कि बाक़ी है और यह ब–नियते अदा पढ़ी हो गई और यूँ न किया बल्कि वक़्त बाक़ी है और उसने ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ी मगर उस दिन के ज़ुहर की नियत न की तो न हुई यूँही उसके ज़िम्मे किसी दिन की नमाज़े ज़ोहर थी और ब–नियते अदा पढ़ी न हुई।

(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 283)

मसअला :– मुक़तदी को इक़्तिदा की नियत भी ज़रूरी है और इमाम को नियते इमामत मुक़तदी की नमाज़ सही होने के लिये ज़रूरी नहीं यहाँ तक कि अगर इमाम ने यह इरादा कर लिया कि मैं

फुलाँ का इमाम नहीं हूँ और उसने उसकी इक़्तिदा की नमाज़ हो गई मगर इमाम ने इमामत की नियत न की तो सवाबे जमाअ़त न पाएगा और सवाबे जमाअ़त ह़ासिल होने के लिए मुक़तदी की शिरकत से पेश्तर नियत कर लेना ज़रूरी नहीं बल्कि वक़्ते शिरकत भी नियत कर सकता है।

(आ़लमगीरी, जि. 1 पेज 62 दुर्रेमुख़्तार जि. 1–282)

मसअ्ला :– एक सूरत में इमाम को नियते इमामत बिल इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी है कि मुक़तदी औ़रत हो और वह किसी मर्द के मुह़ाज़ी (बराबर)खड़ी हो जाये और वह नमाज़े जनाज़ा न हो तो इस सूरत में अगर इमाम ने औ़रतों की इमामत की नियत न की तो उस औ़रत की नमाज़ न हुई(दुर्रे मुख़्तार जि. 1पेज 285)और इमाम की यह नियत शुरू नमाज़ के वक़्त ज़रूरी है बाद को अगर नियत कर भी ले सेह़ते इक़्तिदाए ज़न (औ़रत की इक़्तिाद के स़ह़ी होने) के लिये काफ़ी नहीं (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 285)

मसअ्ला :– जनाज़े में तो मुत़लक़न ख़्वाह मर्द के मुह़ाज़ी हो या न हो औ़रतों की इमामत की नियत बिलइत्तिफ़ाक़ ज़रूरी नहीं और ज़्यादा सही यह है कि जुमा व ईदैन में भी ह़ाजत नहीं बाक़ी नमाज़ों में अगर मुह़ाज़ी मर्द के न हुई तो औ़रत की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे इमाम ने औ़रतों की इमामत की नियत न की हो। (दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 285)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने अगर सिर्फ़ नमाज़े इमाम या फ़र्ज़ इमाम की नियत की और इक़्तिदा का इरादा न किया नमाज़ न हुई। (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने इक़्तिदा की नियत से यह नियत की कि जो नमाज़ इमाम की वही नमाज़ मेरी तो जाइज़ है। (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने यह नियत की कि वह नमाज़ शुरू करता हूँ जो इस इमाम की नमाज़ है अगर इमाम नमाज़ शुरू कर चुका है जब तो ज़ाहिर कि उस नियत से इक़्तिदा स़ह़ी है और अगर इमाम ने अब तक नमाज़ शुरू न की तो दो सूरते हैं अगर मुक़तदी के इल्म में हो कि इमाम ने अभी नमाज़ शुरू न की तो शुरू करने के बा़द वही पहली नियत काफ़ी है और अगर उसके गुमान में है कि शुरू कर ली और वाक़ई में शुरू न की हो तो वह नियत काफ़ी नहीं। (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़्तदी ने नियते इक़्तिदा की मगर फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ मुतअ़य्यन न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुआ (गुनिया) या़नी जब तक यह नियत न हो कि नमाज़े इमाम में उस का मुक़तदी होता हूँ।

मसअ्ला :– जुमे में ब–नियते इक़्तिदा नमाज़े इमाम की नियत की ज़ुहर या जुमे की नियत न की नामज़ हो गई ख़्वाह इमाम ने जुमा़ पढ़ा हो या ज़ोहर और अगर ब–नियते इक़्तिदा ज़ुहर की नियत की और इमाम की नमाज़े जुमा थी तो न जुमा हुआ न ज़ुहर। (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने इमाम को क़ा़दा में पाया और यह मा़लूम न हो कि क़अ़्दा ऊला है या आख़िरा और इस नियत से इक़्तिदा की कि अगर यह क़अ़्दा ऊला है तो मैंने इक़्तिदा की वर्ना नहीं तो अगर्चे क़ा़दा ऊला हो इक़्तिदा स़ह़ी न हुई और अगर इस नियत से इक़्तिदा की कि क़अ़्दा ऊला है तो मैंने फ़र्ज़ में इक़्तिदा की वर्ना नफ़्ल तो इस इक़्तिदा से फ़र्ज़ अदा न होगा अगर्चे क़अ़्दा ऊला हो। (आ़लमगीरी)

मसअला :– यूँही अगर इमाम को नमाज़ में पाया और यह नहीं मालूम की इशा पढ़ता है या तरावीह और यूँ इक़्तिदा की कि अगर फ़र्ज़ है तो इक़्तिदा की,तरावीह है तो नहीं तो इशा हो ख़्वाह तरावीह इक़्तिदा सही न हुई। (आलमगीरी जि. 1 पेज 63) उसको यह चाहिये कि फ़र्ज़ की नियत करे कि अगर फ़र्ज़ जमाअत थी तो फ़ज़ वर्ना नफ़्ल हो जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– इमाम जिस वक़्त जाए इमामत (इमामत की जगह)पर गया उस वक़्त मुक़तदी ने नियते इक़्तिदा कर ली अगर्चे ब–वक़्ते तकबीर नियत हाज़िर न हो इक़्तिदा सही है बशर्ते कि इस दरमियान में कोई अमल मुनाफ़िये नमाज़ (यानी जिस से नमाज़ जाती रहे) न पाया गया हो(गुनिया पेज450)

मसअला :– नियते इक़्तिदा में यह इल्म ज़रूर नहीं कि इमाम कौन है ज़ैद है या अम्र और अगर यह नियत की कि इस इमाम के पीछे और इसके इल्म में वह ज़ैद है बाद को मालूम हुआ कि अम्र है इक़्ताद सही है और अगर इस शख़्स की नियत न की बल्कि यह कि ज़ैद की इक़्तिदा करता हूँ बाद को मालूम हुआ कि अम्र है तो नियत सही नहीं। (आलमगीरी, जि. 1 पेज 62 गुनिया जि. पेज 450)

मसअला :– जमाअते कसीर हो तो मुक़तदी को चाहिए कि नियते इक़्तिदा में इमाम का तअय्युन न करे यूँही जनाज़े में यह नियत न करे कि फुलाँ मय्यत की नमाज़। (आलमगीरी जि. 1 पेज 63)

मसअला :– नमाज़े जनाज़े की यह नियत है नमाज़ अल्लाह के लिए और दुआ इस मय्यत के लिए (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 283)

मसअला :– मुक़तदी को शुबह हो कि मय्यत मर्द है या औरत तो यह कह ले कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ जिस पर इमाम नमाज़ पढ़ता है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 284)

मसअला :– अगर मर्द की नियत की बाद को औरत होना मालूम हुआ या बिलअक्स (यानी इसका उल्टा) जाइज़ न हुई बशर्ते कि मौजूदा जनाज़ा की तरफ़ इशारा न हो यूँही अगर ज़ैद की नियत की बाद को उसका अम्र होना मालूम हुआ सही नहीं और अगर यूँ नियत की कि इस जनाज़े की और इस के इल्म में वह ज़ैद है बाद को मालूम हुआ कि अम्र है तो हो गई। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1स. 284) यूँही अगर इसके इल्म में वह मर्द है बाद को औरत होना मालूम हुआ या बिलअक्स तो जाइज़ हो जायेगी जबकि इस मय्यत पर नमाज़ नियत में है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 284)

मसअला :– चन्द जनाज़े एक साथ पढ़े तो उनकी तादाद मालूम होना ज़रूरी नहीं और अगर उसने तादाद मुअय्यन कर ली और उससे ज़ाइद थे तो किसी जनाज़े की न हुई (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 284) यानी जबकि नियत में इशारा न हो सिर्फ़ इतना हो कि दस मय्यतों की नमाज़ और वह थे ग्यारह तो किसी पर न हुई और अगर नियत में इशारा था मसलन इन दस मय्यतों पर नमाज़ और वह हों बीस तो सब की हो गई यह अहकाम इमामे नमाज़े जनाज़ा के हैं और मुक़तदी के भी अगर उसने यह नियत न की हो कि जिन पर इमाम पढ़ता है उन के जनाज़े की नमाज़ कि इस सूरत में अगर उसने उन को दस समझा और वह हैं ज़्यादा तो इसकी नमाज़ भी सब पर हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 284)

मसअला :– नमाज़े वाजिब में वाजिब की नियत करे और उसे मुअय्यन भी करे मसलन नमाज़े ईदुल फ़ित्र, ईदे अज़हा, नज़र, नमाज़ बादे तवाफ़ या नफ़्ल जिस को क़स्दन फ़ासिद किया हो कि उस

की क़ज़ा भी वाजिब हो जाती है यूँही सजदए तिलावत में नियत का तअय्युन ज़रूरी है मगर जबकि नमाज़ में फ़ौरन किया जाये और सजदए शुक्र अगर्चे नफ़्ल है मगर इसमें भी नियत का तअय्युन ज़रूरी है यानी यह नियत कि शुक्र का सजदा करता हूँ और सजदए सहव को "दुर्रे मुख़्तार" में लिखा कि इसमें नियत का तअय्युन ज़रूरी नहीं मगर "नहरूल फ़ाइक़" में ज़रूरी समझी और यही ज़ाहिर तर है यानी ज़्यादा सही मालूम होता है (रद्दुल मुह़तार जि. 1 पेज 281)और नज़्रें बहुत सी हों तो उनमें भी हर एक की अलग तअय्युन ज़रूरी है और वित्र में फ़क़त वित्र की नियत काफ़ी है अगर्चे उसके साथ नियते वुजूब न हो हाँ नियते वाजिब औला है। अलबत्ता अगर नियते अ़दमे वुजूब(वाजिब न मानकर)है तो काफ़ी (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 285 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह नियत कि मुँह मेरा क़िब्ले की त़रफ़ है शर्त़ नहीं हाँ यह ज़रूरी है कि क़िब्ला से एराज़ (फ़िरने) क़ी नियत न हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 285)

मसअ्ला :– नमाज़ ब–नियते फ़र्ज़ शुरू की फ़िर दरमियाने नमाज़ में यह गुमान किया कि नफ़्ल है और ब–नियते नफ़्ल नमाज़ पूरी की तो फ़र्ज़ अदा हुए और अगर ब–नियते नफ़्ल शुरू की और दरमियान में फ़र्ज़ का गुमान किया और उसी गुमान के साथ पूरी की तो नफ़्ल हुई(आलमगीरी जि.1पेज 62)

मसअ्ला :– एक नमाज़ शुरू करने के बाद दूसरी की नियत की तो अगर तकबीरे जदीद (यानी एक दूसरी तकबीर) के साथ है तो पहली जाती रही और दूसरी शुरू हो गई वर्ना वही पहली है ख़्वाह दोनों फ़र्ज़ हों या पहली फर्ज़ दूसरी नफ़्ल या पहली नफ़्ल दूसरी फ़र्ज़ (आलमगीरी, जि.1 पेज 62गुनिया पेज 247) यह उस वक़्त में है कि दोबारा नियत ज़ुबान से न करे वर्ना पहली बहरहाल जाती रही। (हिन्दिया जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– ज़ुहर की एक रकअ्त के बाद फिर ब–नियत उसी ज़ुहर की तकबीर कही तो यह वही नमाज़ है और पहली रकअ्त भी शुमार होगी लिहाज़ा अगर क़अ्दा अख़ीरा किया तो हो गई वर्ना नहीं हाँ अगर ज़ुबान से भी नियत का लफ़्ज़ कहा तो पहली नमाज़ जाती रही और वह रकअ्त शुमार नहीं। (आलमगीरी जि.1 पेज 62,गुनिया जि. 248)

मसअ्ला :– अगर दिल में नमाज़ तोड़ने की नियत की मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो वह बदस्तूर नमाज़ में है जब तक कोई नमाज़ को तोड़ने वाली बात न करे। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 296)

मसअ्ला :– दो नमाज़ों की एक साथ नियत की इसमें चन्द सूरतें हैं 1.उनमें एक फ़र्ज़े ऐन है, दूसरी जनाज़ा तो फ़र्ज़ की नियत हुई। 2. और दोनों फ़र्ज़े ऐन हैं तो एक अगर वक़्ती है और दूसरी का वक़्त नहीं आया तो वक़्ती हुई। 3–और एक वक़्ती है दूसरी क़ज़ा और वक़्त में वुसअ़त नहीं जब भी वक़्ती हुई। 4–और वक़्त में वुसअ़त है तो कोई न हुई । 5– और दोनों क़ज़ा हों तो साहिबे तरतीब के लिये पहली हुई। 6–और साहिबे तरतीब नहीं तो दोनों बातिल। 7–और एक फ़र्ज़ दूसरी नफ़्ल तो फ़र्ज़ हुए। 8–और दोनों नफ़्ल हैं तो दोनों हुईं। 9–और एक नफ़्ल दूसरी नमाज़े जनाज़ा तो नफ़्ल की नियत रही। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 296 ,रद्दुल मुहतार, गुनिया पेज 247)

मसअ्ला :– नमाज़ ख़ालिसन लिल्लाह (यानी ख़ास अल्लाह के लिए) शुरू की फिर मआज़ल्लाह

रिया की मिलावट हो गई तो शुरू का एअ्तिबार किया जायेगा।(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 स.294आलमगीरी जि.1 पेज 63)

मसअ्ला :– पूरा रिया यह है कि लोगों के सामने है इस वजह से पढ़ ली वर्ना पढ़ता ही नहीं और अगर यह सूरत है कि तन्हाई में पढ़ता मगर अच्छी न पढ़ता और लोगों के सामने ख़ूबी के साथ पढ़ता है तो उसको अस्ल नमाज़ का सवाब मिलेगा और उस ख़ूबी का सवाब नहीं। और यहाँ रिया पाई गई अज़ाब बहरहाल है। (दुर्रे मुख़्तार,जि.1 पेज 294 आलमगीरी जि. 1 पेज 163)

मसअ्ला :– नमाज़ ख़ुलूस के साथ पढ़ रहा था लोगों को देखकर यह ख़्याल हुआ कि रिया की मुदाख़लत हो जायेगी या शुरू करना चाहता था कि रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हुआ तो इस की वजह से तर्क न करे नमाज़ पढ़े और इस्तिग़फ़ार करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 294)

छठी शर्त तकबीरे तहरीमा है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

तर्जमा :– "अपने रब का नाम लेकर नमाज़ पढ़ी"।

और अहादीस इस बारे में बहुत हैं कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम 'अल्लाहु अकबर' से नमाज़ शुरू फ़रमाते।

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में तकबीरे तहरीमा रूक्न है बाक़ी नमाज़ों में शर्त।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 297)

मसअ्ला :– ग़ैर जनाज़ा में अगर कोई नजासत लिये हुए तहरीमा बाँधे और 'अल्लाहु अकबर' ख़त्म करने से पेश्तर फेंक दे नमाज़ शुरू हो जायेगी युँही तहरीमा के शुरू में सत्र खुला हुआ था या क़िब्ले से मुनहरिफ़ था या आफताब ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार पर था और तकबीर से फ़ारिग़ होने से पहले अ़मले क़लील के साथ सत्र छुपा लिया या क़िब्ला को मुँह कर लिया या निस्फ़ुन्नहार से आफ़ताब ढल गया नमाज़ शुरू हो जायेगी। यूँही मआज़ल्लाह बे–वुज़ू शख़्स दरिया में गिर पड़ा और आज़ाए वुज़ू पर पानी पहुँचने से पेश्तर तकबीरे तहरीमा शुरू की मगर ख़त्म से पहले आज़ा धुल गये नमाज़ शुरू हो गई। (रद्दुल मुहतार जि. 1पेज 297)

मसअ्ला– फ़र्ज़ की तहरीमा पर नफ़्ल नमाज़ की 'बिना 'कर सकता है मसलन इशा की चारों रकअ्तें पूरी करके बे–सलाम फेरे सुन्नतों के लिये खड़ा हो गया लेकिन क़स्दन ऐसा करना मकरूह व मना है और क़स्दन न हो तो हरज नहीं मसलन जुहर की चार रकअ्त पढ़कर क़अ्दा अख़ीरा कर चुका था अब ख़्याल हुआ कि दो ही पढ़ीं उठ खड़ा हुआ और पाँचवीं रकअ्त का सजदा भी कर लिया अब मालूम हुआ कि चार हो चुकी थीं तो यह रकअ्त नफ़्ल हुई अब एक और पढ़ ले कि दो रकअतें हो जायेंगी तो यह 'बिना' जानबूझ कर न हुई। लिहाज़ा इसमें कोई कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक नफ्ल पर दूसरी नफ़्ल की बिना कर सकता है और एक फ़र्ज़ को दूसरी फ़र्ज़ या नफ़्ल पर बिना नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 279)

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

हदीस न1. :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि एक शख़्स मस्जिद में हाज़िर हुये रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब में तशरीफ़ फ़रमा थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ी फिर ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर सलाम अ़र्ज़ किया। फ़रमाया वअ़लैकस्सलाम,जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई। वह गये और नमाज़ पढ़ी फिर हाज़िर हो कर सलाम अ़र्ज़ किया फ़रमाया व अ़लैकस्सलाम जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई। तीसरी बार या उसके बाद अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह। मुझे तअ़्लीम फ़रमाईये। इरशाद फ़रमाया जब नमाज़ को खड़े होना चाहो तो कामिल वुजू करो फ़िर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर के अल्लाहु अकबर कहो फिर क़ुर्आन पढ़ो जितना मयस्सर आये फिर रूकुअ़ करो यहाँ तक कि रूकूअ़ में तुम्हें इत़्मिनान हो फिर उठो यहाँ तक कि सीधे ख़ड़े हो जाओ फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत़्मिनान हो जाये फिर उठो यहाँ तक कि बैठने में इत़्मिनान हो फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत़्मिनान हो जाये फिर उठो और सीधे ख़ड़े हो जाओ फिर इसी त़रह़ पूरी नमाज़ में करो।

हदीस न2. :– स़ही मुस्लिम शरीफ़ में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज़ शुरू करते और اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ से क़िरात और जब रूकूअ़ करते सर को न उठाये होते न झुकाये बल्कि दरमियानी ह़ालत में रखते और जब रूकूअ़ से सर उठाते सजदे को न जाते जब तक कि सीधे न ख़ड़े हो लें और सजदे से उठकर सजदा न करते जब तक कि सीधे न बैठ लें और हर दो रकअ़त पर अत्तह़िय्यात पढ़ते और बायाँ पाँव बिछाते और दाहिना ख़ड़ा रख़ते और शैत़ान की त़रह़ बैठने से मना फ़रमाते और दरिन्दों की त़रह़ कलाईयाँ बिछाने से मना फ़रमाते (यानी सजदे में मर्दो को) और सलाम के साथ नमाज़ ख़त्म करते।

हदीस न3. :– स़ही बुख़ारी शरीफ़ में सुहैल इब्ने सअ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि लोगों को हुक्म किया जाता कि नमाज़ में मर्द दाहिना हाथ बायीं कलाई पर रखे।

हदीस न4. :– इमाम अह़मद अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने हम को नमाज़ पढ़ाई और पिछली स़फ़ में एक शख़्स था जिसने नमाज़ में कुछ कमी की। जब सलाम फेरा तो उसे पुकारा फ़लाँ! तू अल्लाह से नहीं डरता क्या तू नहीं देख़ता कि कैसे नमाज़ पढ़ता है। तुम यह गुमान करते होगे कि जो तुम करते हो उसमें से कुछ मुझ पर पोशीदा (छुपा हुआ)रह जाता होगा। ख़ुदा की क़सम मैं पीछे से वैसा ही देख़ता हूँ जैसा सामने से।

हदीस न.5 व 6 :– अबू दाऊद ने रिवायत की कि उबई इब्ने कअ़ब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने दो मक़ाम पर रसुलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का सकता फ़रमाना यानी ठहरना याद किया। एक उस वक़्त जब तकबीरे तह़रीमा कहते दूसरा غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ जब पढ़ कर फ़ारिग़ होते उबई इब्ने कअ़ब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इसकी तस्दीक़ की यानी इसको सच बताया। तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी ने भी इसके मिस्ल रिवायत की इस ह़दीस से

'आमीन'का आहिस्ता कहना साबित होता है।

हदीस न.7 :– इमाम बुख़ारी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि जब इमाम ٥غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ कहे तो आमीन कहो कि जिसका क़ौल मलाइका के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो उस के अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.8 :– सही मुस्लिम में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब तुम नमाज़ पढ़ो तो सफ़ें सीधी कर लो फिर तुम में से जो कोई इमामत करे वह जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब ٥غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ कहे तो तुम आमीन कहो। अल्लाह तआ़ला तुम्हारी दुआ़ क़बूल फ़रमायेगा और जब रूकूअ़ करो कि इमाम तुम से पहले रूकू करेगा और तुम से पहले उठेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो यह उसका बदला हो गया और जब वह "समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदा्ह" कहे तुम "अल्लाहुम्मा् व लकल ह़म्द" कहो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा।

हदीस न.9,10 :– अबू हुरैरा व क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से इसी सही मुस्लिम में है जब इमाम क़िरात करे तो तुम चुप रहो।

इस ह़दीस और इसके जो पहले ह़दीस है दोनों से साबित होता है कि आमीन आहिस्ता कही जाये कि अगर ज़ोर से कहना हो तो इमाम के आमीन कहने का पता और मौक़ा बताने की क्या ह़ाजत होती कि जब वह ٥ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ कहे तो आमीन कहो और इस से बहुत स़रीह़ (स़ाफ़)तिर्मिज़ी की रिवायात शोअ़बा से है वह अलक़मा से वह अबी वाइल से रिवायत करते हैं 'आमीन कहो और उस में आवाज़ पस्त (धीमी) कि नीज़ अबू हुरैरा व क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा की रिवायत से यह भी साबित होता है कि इमाम के पीछे मुक़तदी क़िरअ़त न करे बल्कि चुप रहे और यही कुर्आन अज़ीम का भी इरशाद है कि :–

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (پ ۹ ع ۱۰)

तर्जमा : "जब कुर्आन पढ़ा जाये तो सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि रह़म किए जाओ"।

हदीस न. 11 व 12 :– अबू दाऊद व नसई इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमाम तो इस लिये बनाया गया है कि उसकी इक्तिदा की जाये जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब वह क़िरअ़त करे तुम चुप रहो।

हदीस न. 13 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अ़लक़मा से रावी कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं क्या तुम्हें वह नमाज़ पढ़ाऊँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ थी। फिर नमाज़ पढ़ी और हाथ न उठाये मगर पहली बार यानी तकबीरे तह़रीमा के वक़्त और एक रिवायत में यूँ है कि। पहली मर्तबा उठाते फिर नहीं। तिर्मिज़ी ने कहा यह ह़दीस ह़सन है।

हदीस न.14 :– दार क़ुत़नी व इब्ने अ़दी की रिवायत उन्हीं से है कि अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द

रदियल्लाहु तआला फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबूबक्र व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ नमाज़ पढ़ी तो इन हज़रात ने हाथ न उठाये मगर नमाज़ शुरू करते वक़्त।

हदीस न.15 :– मुस्लिम व अहमद जाबिर इब्ने समुरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह क्या बात है कि तुम्हें हाथ उठाते देखता हूँ जैसे चंचल घोड़े की दुमें, नमाज़ में सुकून के साथ रहो।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद व इमाम अहमद ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि सुन्नत से है कि नमाज़ में हाथ पर हाथ नाफ़ के नीचे रखे जायें।

इन अहकाम के मुतअल्लिक़ कसरत के साथ और अहादीस व आसार मौजूद हैं। तबर्रूकन चन्द हदीसें ज़िक्र कीं कि यह मक़सूद नहीं कि अफ़आले नमाज़ अहादीस से साबित किये जायें कि हम न इस के अहल न इस की ज़रूरत कि अइम्मए किराम ने यह मरहले तय फ़रमा दिये हमें तो उनके इरशाद काफ़ी हैं कि वह अरकाने शरीअत हैं वह वही फ़रमाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद से माख़ूज़ है।

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा :– यह है कि बावुज़ू क़िब्ला–रू दोनों पाँव के पंजो में चार उंगल का फ़ासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अँगूठे कान की लौ से छू जायें और उंगलियाँ न मिली हुई रखे न ख़ूब खोले हुये बल्कि अपनी हालत पर हों और हथेलियाँ क़िब्ले को हों। नियत कर के अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये और नाफ़ के नीचे बाँध ले यूँ कि दाहिनी हथेली की गद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उँगलियाँ बाईं कलाई की पुश्त पर और अँगुठा और छंगुलिया कलाई के अग़ल बग़ल और सना पढ़े यानी :–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

सुब्हा न कल्लाहुम्मा व बिहम्मद क व तबार कस्मुका व तआला जद्दु का व ला इलाह ग़ैरूका

तर्जमा :– "पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बलन्द है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।"

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم (अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैता निर्रजीम)

फिर तस्मीया यानी بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

कहे फिर अल्हम्द पढ़े । अल्हम्द शरीफ़ यह है :–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ مٰالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ط غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्मदु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन 0 अर्रहमानिर्रहीम 0 मालिकि यौमिद्दीन 0 इय्या क नअ्बुदु व इय्या क नस्तईन 0 इहदि नस्सिरातल मुस्तकीम 0सिरातल्लजीन अन् अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबिअ़लैहिम वलद्दाल्लीन 0

तर्जमा : – "सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। बहुत मेरहबान रहम वाला। रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया न उनका जिन पर ग़ज़ब हुआ और न बहके हुओं का।"

और ख़त्म पर आमीन आहिस्ता कहे उसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत कि तीन के बराबर हो अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रूकू में जाये और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियाँ घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हों न यूँ कि सब उंगलियाँ एक तरफ़ फ़कत अँगूठा और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم(सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम 0)कहे फिर سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہ (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदह) कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये और तन्हा हो तो इसके बाद اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ(अल्लाहुम्मा रब्बना व लकलहम्दु)कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाये यूँ कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ दोनों हाथों के बीच में सर रखे न यूँ कि सिर्फ़ पेशानी छू जाये और नाक की नोक लग जाये बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाये और बाज़ूओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िब्ला–रू जमे हों और हथेलियाँ बिछी हों और उगंलियाँ क़िब्ले को हों और कम अज़ कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی(सुब्हा न रब्बियल अअ्ला) कहे फिर सर फिर हाथ उठाये और दाहिना क़दम खड़ा कर के उसकी उंगलियाँ क़िबला–रूख़ करे और बायाँ क़दम बिछा कर उस पर ख़ूब सीधा बैठ जायें और हथेलियाँ बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथों की उंगलियाँ क़िब्ले को हों फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे को जाये और उसी तरह सजदा करे फिर सर उठाये फिर हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाये अब सिर्फ़ 0 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم पढ़ कर क़िरात शुरू कर दे फिर उसी तरह रूकू और सजदा कर के दाहिना क़दम खड़ा कर के बायाँ क़दम बिछा कर बैठ जाये और यह पढ़े :–

اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوٰتُ وَالطَّیِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ
وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ.
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

अत्तहिय्यातु लिल्ला हि वस्सला वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि–स्सालिहीन अश्हदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना–मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू 0

तर्जमा : " तमाम तहिय्यतें और नमाज़ें और पाकीज़गियाँ अल्लाह के लिए हैं सलाम आप पर ऐ नबी और अल्लाह की रहमत और बरकतें हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और गवाही देता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं"।

और यह ख़्याल रहे कि इस में कोई हर्फ़ कमो बेश (कम या ज़्यादा)न करे और इसको 'अत्तहीय्यात' कहते हैं और जब कलिमए لا 'ला' के क़रीब पहुँचे दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हलक़ा बनाये और छुंगलिया और उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ़्ज़े 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये मगर उस को हरकत न दे और कलिमए 'इल्लल्लाह'पर गिरा दे और सब उंगलियाँ फ़ौरन सीधी करे अगर दो से ज़्यादा रकअ्तें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ों की इन रकअ्तों में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं अब पिछला क़ादा जिस के बाद नमाज़ ख़त्म करेगा उसमें तशह्हुद (अत्तहिय्यात)के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े। दुरूद शरीफ़ यह है :–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

अल्लाहुम्मा सल्लिअ़ला सय्यिदना मुहम्मदिंव व अ़ला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लै त अ़ला सय्यिदिना इब्राहीम व अ़ला आलिसय्यिदिना इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद 0अल्ला हुम्मा बारिक अ़ला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अ़ला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अ़ला सय्यिदिना इब्राहीम व अ़ला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्न क हमीदुम्मजीद 0

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजी सय्यिदिना इब्राहीम पर और उनकी आल पर बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है। ऐ अल्लाह! बरकत नाज़िल कर हमारे सरदार मुहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की सय्यिदिना इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है।"

और इसके बाद नीचे दी जा रही दुआओं में से कोई दुआ पढ़े

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.0

अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुन्यिा हसनतंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव वक़िना अ़ज़ाबन्नार

तर्जमा : ऐ अल्लाह ! ऐ हमारे परवरदिगार ! तू हमको दुनिया में नेकी दे और आख़िरत में नेकी दे और हमको जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

अल्लाहुम्मग़ फ़िर ली वलि वालि दय्य वलिमन तवालदा वलि जमीइल मोमिनी न वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अह्या इ मिन्हुम वल अमवाति इन्न का मुजीबुद दअ्वाति बि रह़मतिक

या अरहमर्राहिमीन

तर्जमा : " ऐ अल्लाह तू बख़्शा दे मुझको और मेरे वालिदैन को और उसको जो पैदा हो और तमाम मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लेमीन व मुस्लेमात को। बेशक तू दुआओं का क़बूल करने वाला है अपनी रहमत से, सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान "

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْماً كَثِیْراً وَّ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْ حَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों का बख़्शने वाला कोई नहीं है तू अपनी तरफ़ से मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझ पर रहम कर। बेशक तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है"।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَیْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَ مَالَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمْ اَعْلَمْ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर क़िस्म के ख़ैर का सवाल करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ और जिसको मैं नहीं जानता और हर क़िस्म के शर से तेरी पनाह माँगता हूँ जिस को मैंने जाना और जिसको नहीं जाना।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह तेरी पनाह माँगता हूँ अज़ाबे क़ब्र से और तेरी पनाह माँगता हूँ मसीह़ दज्जाल के फ़ितने से और तेरी पनाह माँगता हूँ ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से ऐ अल्लाह! तेरी पनाह माँगता हूँ गुनाह और नादान से और तेरी पनाह माँगता हूँ क़र्ज़ के ग़लबे और मर्दों के ग़ज़ब से"। इन दुआओं में से जो भी दुआ पढ़े बग़ैर 'अल्लाहुम्मा' के न पढ़े फिर दाहिने शाने की तरफ़ मुँह कर के اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰه अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि 'कहे फिर बाईं तरफ़।

यह तरीक़ा जो ज़िक्र हुआ इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है। मुक़तदी के लिये इस में की बाज़ बातें जाइज़ नहीं मसलन इमाम के पीछे फ़ातिहा या और कोई सूरत पढ़ना औरत भी बाज़ बातों में अलग है मसलन हाथ बाँधने और सजदे की हालत और क़अ्दे की सूरत में फ़र्क़ है जिस को हम बयान करेंगे इन ज़िक्र की हुई चीज़ों में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि इस के बग़ैर नमाज़ होगी ही नही बाज़ वाजिब कि जान बूझकर उसका तर्क करना गुनाह और नमाज़ वाजिबुल इआदा यानी लौटाना वाजिब है और भूल कर हो तो सजदए सहव वाजिब। बाज़ सुन्नते मुअक्कदा कि उसके तर्क की आदत गुनाह और बाज़ मुस्तहब कि करे तो सवाब और न करे तो गुनाह नहीं।

नोट :– हमने कुछ अरबी इबारतों को हिन्दी में भी लिख दिया है ताकि पढ़कर याद कर सकें मगर हिन्दी में हर लफ़्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ (अच्चारण) मुमकिन नहीं है। इस लिए किसी क़ारी से उसका उच्चारण ठीक करलें।

फ़राइज़े नमाज़

सात चीजें नमाज़ में फ़र्ज़ हैं 1. तकबीरे तह़रीमा (नमाज़ शुरू करने के लिए जो तकबीर कहते हैं

उसे तकबीरे तहरीमा कहते हैं) 2. कियाम (नमाज़ में खड़े होने की हालत को कियाम कहते हैं) 3. किरात 4. रूकू 5. सजदा 6. कअ्दा आखीरा (नमाज़ में बैठने की हालत को कादा कहते हैं। वह दो होते हैं एक कादए ऊला दूसरा कअ्दए अखीरा जिस कअ्दे के बाद सलाम फेरना हो उसे कादए अखीरा और जिसके बाद सलाम नही फेरना हो उसे कादए ऊला कहते हैं 7. खुरूज बिसुनएही (यानी अपने इरादे से नमाज़ खत्म करना)

1. तकबीरे तहरीमा :– हकीकतन यह शराइते नमाज़ से है मगर चूँकि अफ़आले नमाज़ से इसको बहुत ज़्यादा नज़दीकी हासिल है (यानी तकबीरे तहरीमा नमाज़ से बहुत करीब और बिल्कुल मिली हुई है) इस वजह से फराइज़े नमाज़ में इसका शुमार हुआ।

मसअ्ला :– नमाज़ के शराइत यानी तहारत व इस्तिकबाल व सत्रे औरत व वक्त तकबीरे तहरीमा के लिये शराइत हैं यानी तकबीर कहने से पहले इन सब शराइत का पाया जाना ज़रूरी है अगर अल्लाहु अकबर कह चुका और कोई शर्त मफकूद (कम)है नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिन नमाज़ों में कियाम फर्ज़ है उनमें तकबीरे तहरीमा के लिये कियाम फर्ज़ है तो अगर बैठकर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम को रूकू में पाया और तकबीरे तहरीमा कहता हुआ रूकू में गया यानी तकबीर उस वक्त खत्म की कि हाथ बढ़ाये तो घुटने तक पहुँच जायें नमाज़ न हुई (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार) नफ़्ल के लिये तकबीरे तहरीमा रूकू में कही नमाज़ न हुई और बैठकर कहता तो हो जाती।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकतदी ने लफ़्ज़े अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अकबर को इमाम से पहले खत्म कर चुका नमाज़ न हुई । (दुर्रे मुख्तार)

मसअ्ला :– इमाम को रूकु में पाया और अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहा मगर उस तकबीर से तकबीरे रूकूअ् की नियत की नमाज़ शुरू हो गई और यह नियत बेकार है। (दुर्रे मुख्तार 1–323)

मसअ्ला :– इमाम से पहले तकबीरे तहरीमा कही अगर इकतिदा की नियत है नमाज़ में न आया वर्ना शुरू हो गई मगर इमाम की नमाज़ में शिर्कत न हुई बल्कि अपनी अलग। (आलमगीरी1–64)

मसअ्ला :– इमाम की तकबीर का हाल मालूम नहीं कि कब कही तो अगर गालिब गुमान है कि इमाम से पहले कही, न हुई और अगर गालिब गुमान न हो तो एहतियात यह है कि नियत तोड़ दे और फिर से तकबीरे तहरीमा कह कर नियत बाँधे । (दुर्रेमुख्तार,रद्दूल मुहतार 1स.323)

मसअ्ला :– जो शख्स तकबीर के तलफ्फुज़ पर कादिर न हो मसलन गूँगा हो या किसी और वजह से जुबान बन्द हो उस पर तलफ्फुज़ वाजिब नहीं दिल में इरादा काफ़ी है (दुर्रे मुख्तार 1–324)

मसअ्ला :– अगर तअ्ज्जुब के तौर पर अल्लाहु अकबर कहा या मोअज़्ज़िन के जवाब में कहा और इसी तकबीर से नमाज़ शुरू कर दी नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख्तार 1–323)

मसअ्ला :– अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ़्ज़ जो खालिस ताज़ीमे इलाही के अल्फ़ाज़ हो 'अल्लाहु अजल्ल'या 'अल्लाहु अअ्ज़म'या'अल्लाहुकबीरून' या 'अल्लाहुल अकबर या 'अल्लाहुल कबीर' या 'अर्रहमानु अकबर'या 'अल्लाहु इलाहुन' या 'ला इलाह–ह इल्लल्लाहु' या सुब्हानल्लाह,या

'अलहम्दुलिल्लाह'या 'ला इला–ह ग़ैरूहु' या 'तबारकल्लाह'वग़ैरा'' अल्फ़ाज़े ताज़ीमी कहे तो इन से भी इब्तिदा हो जायेगी मगर यह तब्दीली मकरूहे तहरीमी है और अगर दुआ या तलबे हाजत के लफ़्ज़ हों मसलन :– अल्लाहुम्मग़फ़िरली'या 'अल्लाहुम्मरहमनी'या 'अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी' वग़ैरा अलफ़ाज़े दुआ कहे तो नमाज़ शुरू न हुई और अगर सिर्फ़ अल्लाह'या 'अऊज़ुबिल्लाह' या 'इन्नालिल्लाह या लाहौ–ल वलाक़ुव्व–त इल्ला बिल्लाह या 'माशा अल्लाहु का–न' या 0 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ कहा अल्लाहु'या 'अल्लाहुम–म' कहा तो नमाज़ शुरू न हुई और अगर सिर्फ़ 'अल्लाहु'कहा या 'अल्लाहुम्मा कहा हो जायेगी। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लफ़्ज़े अल्लाह को आल्लाहु या अकबर को आकबर या अकबार कहा नमाज़ न होगी बल्कि अगर उनके ग़लत मअ्ना समझ कर क़स्दन कहे तो काफ़िर है। (दुर्रे मुख़्तार 1–323)

मसअ्ला :– पहली रकअ्त का रूकू मिल गया तो तकबीरे ऊला की फ़ज़ीलत पा गया।(आलमगीरी)

2. क़ियाम :– कमी की जानिब इसकी हद यह है कि हाथ फैलाये तो घुटनों तक न पहुँचें और पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–298)

मसअ्ला :– क़ियाम उतनी देर तक है जितनी देर क़िरात है यानी जितनी क़िरात फ़र्ज़ है उतनी देर क़ियाम वाजिब है और जितनी क़िरात सुन्नत है उतनी देर क़ियाम सुन्नत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह हुक्म पहली रकअ्त के सिवा और रकअ्तों का है पहली रकअ्त में क़ियामे फ़र्ज़ में मिक़दारे तकबीरे तहरीमा भी शामिल होगी और क़ियामे मसनून यानी जितनी देर खड़ा होना सुन्नत है उस में सना और अऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह की मिक़दार भी शामिल है (रज़ा)

मसअ्ला :– क़ियाम व क़िरात का वाजिब व सुन्नत होने का यह मअ्ना है कि उस के तर्क पर तर्के वाजिब व सुन्नत का हुक्म दिया जायेगा वर्ना बजा लाने में जितनी देर तक क़ियाम किया और जो कुछ क़िरात की सब फ़र्ज़ ही है फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फ़ज़्र में क़ियाम फ़र्ज़ है कि बिला सही उज़्र के बैठकर यह नमाज़ें पढ़ेगा न होंगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक पाँव पर खड़ा होना यानी दूसरे पाँव को ज़मीन से उठा लेना मकरूहे तहरीमी है और अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया तो हरज नहीं। (आलमगीरी 1–65)

मसअ्ला :– अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स सजदा कर तो सकता है मगर सजदा करने से ज़ख़्म बहता है जब भी उसे बैठकर इशारे से पढ़ना मुस्तहब है और खड़े होकर इशारे से पढ़ना भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस शख़्स को खड़े होने से क़तरा आता है या ज़ख़्म बहता है और बैठने से नहीं तो उसे फ़र्ज़ है कि बैठकर पढ़े अगर और तौर पर उस की रोक न कर सके। यूँही खड़ा होने से चौथाई सतर खुल जायेगा या क़िरात बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठकर पढ़े और अगर खड़े होकर

कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी पर क़ादिर हो खड़े होकर पढ़े बाक़ी बैठकर।

(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–299)

मसअ्ला :– अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने के बाद खड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े जमाअत मयस्सर हो तो जमाअ़त से वर्ना तन्हा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार1–299)

मसअ्ला :– खड़े होने से महज़ कुछ तकलीफ़ होना उ़ज़्र नहीं बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा (यानी माफ़ होगा) कि खड़ा न हो सके या सजदा न कर सके या खड़े होने या सजदा करने में ज़ख़्म बहता है या खड़े होने में क़तरा आता है या चौथाई सत्र खुलता है या क़िरात से मजबूरे महज़ हो जाता है। यूँही खड़ा हो सकता है मगर उससे मर्ज़ में ज़्यादती होती या देर में अच्छा होगा या नाक़ाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होगी तो बैठ कर पढ़े। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– अगर लाठी या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। (ग़ुनिया 259)

मसअ्ला :– अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाये। (ग़ुनिया)

तम्बीहे ज़रूरी :– आजकल उमूमन यह बात देखी जाती है कि जहाँ ज़रा बुख़ार आया या ख़फ़ीफ़ सी तकलीफ़ हुई बैठकर नमाज़ शुरू कर दी हालाँकि वही लोग उसी हालत में दस–दस पन्द्रह–पन्द्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। उनको चाहिये कि इन मसाइल से आगाह हों और जितनी नमाज़ें बावुजूद क़ुदरते क़ियाम बैठकर पढ़ीं हों उनका लौटाना फ़र्ज़ है । यूँही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था मगर लाठी या दीवार या आदमी के सहारे से खड़ा होना मुमकिन था तो वह नमाज़े भी न हुईं उन का फेरना फ़र्ज़। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

मसअ्ला :– कश्ती पर सवार है और वह चल रही है तो बैठकर उस पर नमाज़ पढ़ सकता है (ग़ुनिया) यानी जबकि चक्कर आने का गुमान ग़ालिब हो और किनारे पर उतर न सकता हो।

3. क़िरात :– क़िरात इसका नाम है कि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किये जायें कि हर हर्फ़ ग़ैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाये (मतलब यह है कि हर हर्फ़ को उनके सही मख़ारिज से पढ़े)और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूरी है कि खुद सुने अगर हुरूफ़ को तसहीह तो की मगर इस क़द्र आहिस्ता कि खुद न सुना और कोई बात ऐसी भी नहीं जो सुनने में रुकावट होती मसलन शोर गुल तो नमाज़ न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यूँही जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुक़र्रर किया गया है उससे यही मक़सद है कि कम से कम इतना हो कि खुद सुन सके मसलन तलाक़ देने, आज़ाद करने, जानवर ज़िबह करने में। (आलमगीरी 1–65)

मसअ्ला :– मुतलक़न एक एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअ़तों में और वित्र व नवाफ़िल की हर

रकअ़त में इमाम व मुनफ़रिद पर फ़र्ज़ है और मुक़तदी को किसी नमाज़ में क़िरात जाइज़ नहीं। न फ़ातिहा न आयत न आहिस्ता की नमाज़ में न जहर (बलन्द आवाज़ से पढ़ना) की नमाज़ में इमाम की क़िरात मुक़तदी के लिये भी काफ़ी है (आम्मए कुतुब)

मसअला :– फ़र्ज़ की किसी रकअ़त में क़िरात न की या फ़क़त एक में की, नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी1–65)

मसअला :– छोटी आयत जिस में दो या दो से जाइद कलिमात हों पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जायेगा और अगर एक ही ह़र्फ़ की आयत हो जैसे :–0 قٓ0نٓ0 صٓ कि बाज़ क़िरातों में इनको आयत माना है तो इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा अगर्चे इस की तकरार करे।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार) रही एक कलिमे की आयत 0 مُدْهَآمَّتٰنِ इस में इख़्तेलाफ़ है और बचने में एहतियात।

मसअला :– सूरतों के शुरू में 0 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ एक पूरी आयत है मगर सिर्फ़ इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़िराते शाज़्ज़ह यानी मशहूर क़िरात के अ़लावा क़िरात से फ़र्ज़ अदा न होगा। यूँही बजाय क़िरात आयत की हिज्जे की नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

4. रूकू :– इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो घुटनों को पहुँच जाये यह रूकू का अदना दर्जा है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा 1–300) और पूरा यह कि पीठ सीधी बिछा दे।

मसअला :– कुबड़ा शख़्स कि उस का कुबड़ ह़द्दे रुकू को पहुँच गया हो,रुकू के लिये सर से इशारा करे। (आलमगीरी)

5. सुजूद :– ह़दीस में है सब से ज़्यादा कुर्ब बन्दा को ख़ुदा से उस ह़ालत में है कि सजदा में हो। लिहाज़ा दुआ ज़्यादा करो। इस ह़दीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया। पेशानी का ज़मीन पर जमना सजदे की ह़क़ीक़त है और पाँव की एक उंगली का पेट लगना शर्त़ तो अगर किसी ने इस त़रह़ सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ़ उँलगी की नोक ज़मीन से लगी जब भी न हुई इस मसअ़ले से बहुत लोग ग़ाफ़िल हैं। (दुर्रे मुख़्तार, 1–336 फ़तावए रज़विया)

मसअला :– अगर किसी उ़ज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक से सजदा करे फिर भी फ़क़त नाक की नोक लगना काफ़ी नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है (आलमगीरी 1–65)

मसअला :– रुख़्सार (गाल)या ठोड़ी ज़मीन पर लगाने से सजदा न होगा ख़्वाह उ़ज़्र के सबब हो या बिना उ़ज़्र अगर उ़ज़्र हो तो इशारे का हुक्म है। (आलमगीरी1–65)

मसअला :– हर रकअ़त में दो बार सजदा फ़र्ज़ है।

मसअला :– किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई,क़ालीन वग़ैरा पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जाइज़ है वर्ना नहीं (आ़लमगीरी) बा़ज़ जगह जाड़ों में मस्जिद में प्याल बिछाते हैं उन लोगों को सजदा करने में इसका लिहाज़ बहुत ज़रूरी है

कि अगर पेशानी खूब न दबी तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी तो मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा हुई। कमानी दार गद्दे जैसे आजकल स्पंचदार गद्दे पर सजदे में पेशानी खूब नहीं दबती। लिहाज़ा नमाज़ न होगी। रेल के बाज़ दर्जो में बाज़ गाड़ियों में इस किस्म के गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिये।

मसअ्ला :– दोपहिया यक्का वग़ैरा पर सजदा किया तो अगर उसका जुवा या बम बैल और घोड़े पर है सजदा न हुआ और ज़मीन पर रखा है तो हो गया (आ़लमगीरी 1–65) बहली का खटोला अगर बानों से बुना हुआ हो और इतना सख़्त बुना हो कि सर ठहर जाये दबाने से अब न दबे तो नमाज़ हो जाएगी वर्ना न होगी।

मसअ्ला :– ज्वार बाजरा वग़ैरा छोटे दानों जिन पर पेशानी न जमें सजदा न होगा अलबत्ता अगर बोरी वग़ैरा में खूब कस कर भर दिये गये कि पेशानी जमने में रुकावट न हो तो हो जायेगी। (आ़लमगीरी1–66)

मसअ्ला :– अगर किसी उज़्र मसलन भीड़ की वजह से अपनी रान पर सजदा किया जाइज़ है और बिला उ़ज़्र बातिल और घुटने पर उ़ज़्र व बिला उ़ज़्र किसी हालत में नहीं हो सकता। (दुर्रे मुख़्तार 1–337 आ़लमगीरी1–66)

मसअ्ला :– भीड़–भाड़ की वजह से दूसरे की पीठ पर सजदा किया और वह नमाज़ ही में इसका शरीक है तो जाइज़ है वर्ना नाजाइज़ ख़्वाह वह नमाज़ ही में न हो या नमाज़ में तो हो मगर इसका शरीक न हो यानी दोनों अपनी अपनी पढ़ते हों। (आ़लमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– हथेली या आस्तीन या इमामे के पेच या किसी और कपड़े पर जिसे पहने हुए है सजदा किया और नीचे की जगह नापाक है तो सजदा न हुआ हाँ इन सब सूरतों में जब कि फिर पाक जगह पर सजदा कर लिया तो हो गया (मुनिया 121 दुर्रे मुख़्तार 1–337)

मसअ्ला :– इमामे के पेच पर सजदा किया अगर माथा खूब जम गया सजदा हो गया और माथा न जमा बल्कि फ़क़त छू गया कि दबाने से दबेगा या सर का कोई हिस्सा लगा तो न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – ऐसी जगह सजदा किया कि क़दम की बनिस्बत बारह उँगल से ज़्यादा ऊँचा है सजदा न हुआ वर्ना हो गया। (दुर्रे मुख़्तार 1–338)

मसअ्ला :– किसी छोटे पत्थर पर सजदा किया अगर ज़्यादा हिस्सा पेशानी का लग गया हो गया वर्ना नहीं। (आ़लमगीरी1–66)

6. क़अ्दए अख़ीरा :– नमाज़ की रकअ्तें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहीय्यात यानी रसूलुह तक पढ़ ली जाये फ़र्ज़ है। (आ़लमगीरी 1–66)

मसअ्ला :– चार रकअ्त पढ़ने के बाद बैठा फिर यह गुमान करके कि तीन ही हुई खड़ा हो गया फिर याद कर के कि चार रकअ्तें हो चुकी बैठ गया फिर सलाम फेर दिया अगर दोनों बार का बैठना मजमूअतन यानी दोनों को मिलाकर अत्तहीय्यात के मिक़दार हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया वर्ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पूरा क़अ्दए अख़ीरा सोते में गुज़र गया जागने के बाद अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है वर्ना नमाज़ न होगी। यूँही क़ियाम, क़िरात, रुकू सुजूद में अव्वल से आख़िर तक सोता ही

रहा तो जागने के बाद उनका लौटाना फ़र्ज़ है वर्ना नमाज़ न होगी और सजदए सहव भी करे लोग इस से ग़ाफ़िल हैं , ख़ुसूसन गर्मियों व तरावीह में। (रद्दुल मुहतार 1–306)

मसअला :– पूरी रकअ़त सोते में पढ़ ली तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार 1–306)

मसअला : – चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअ़त के बाद क़अ़्दा न किया तो जब तक पाँचवीं का सजदा न किया हो बैठ जाये और पाँचवीं का सजदा कर लिया या फ़ज्र में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सजदा कर लिया या मग़रिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सजदा कर लिया तो इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो गये मग़रिब के सिवा और नमाज़ों में एक रकअ़त और मिला ले। (ग़ुनिया 285)

मसअला :– अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठने के बाद याद आया कि सजदए तिलावत या नमाज़ का कोई सजदा करना है और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सजदे के बाद फ़िर अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठे वह पहला क़अ़्दा जाता रहा ,क़अ़्दा न करेगा तो नमाज़ न होगी। (ग़ुनिया 123)

मसअला :– सजदए सहव करने से पहला क़ादा बातिल न हुआ मगर अत्तहीय्यात वाजिब है यानी अगर सजदए सहव करके सलाम फेर दिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया मगर गुनाहगार हुआ लौटाना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

7. ख़ुरूज बिसुन्एही (यानी अपने इरादे से नमाज़ ख़त्म करना)

यानी क़अ़्दए अख़ीरा के बाद सलाम, कलाम वग़ैरा कोई ऐसा फ़ेल जिससे नमाज़ जाती रहे बक़स्द यानी जानबूझ कर करना मगर सलाम के अ़लावा कोई दूसरा मुनाफ़ी क़स्दन पाया गया तो नमाज़ बाजिबुल इआ़दा हुई और बिला क़स्द कोई मुनाफ़ी पाया गया तो नमाज़ बातिल मसलन अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठने के बाद तयम्मुम वाला पानी पर क़ादिर हुआ या मोज़े पर मसह किये हुये या और मुद्दत पूरी हो गई या अ़मले क़लील के साथ मोज़ा उतार दिया या बिल्कुल बे पढ़ा था और कोई आयत बे किसी के पढ़ाये महज़ सुनने से याद हो गई या नंगा था अब पाक कपड़ा बक़द्रे सत्र किसी ने लाकर दे दिया जिस से नमाज़ हो सके यानी नमाज़ न होने के मिक़दार उस में नजासत न हो या हो तो उस के पास कोई चीज़ ऐसी है जिस से पाक कर सके या यह भी नहीं मगर उस कपड़े की चौथाई या ज़्यादा पाक है या इशारे से पढ़ रहा है अब रुकू व सुजूद पर क़ादिर हो गया या साहिबे तरतीब को याद आया कि इस से पहले की नमाज़ नहीं पढ़ी है अगर वह साहिबे तरतीब इमाम है तो मुक़तदी की भी गई या इमाम को हदस हुआ और उम्मी को ख़लीफ़ा किया और अत्तहीय्यात के बाद ख़लीफ़ा किया तो नमाज़ हो गई या नमाज़े फ़ज्र में आफ़ताब तुलू कर आया या नमाज़ जुमा में अस्र का वक़्त आ गया या ईदैन में निस्फ़ुन्नहारे शरई हो गया या पट्टी पर मसह किये हुये था ज़ख़्म अच्छा हो कर गिर गई या साहिबे उ़ज़्र था अब उ़ज़्र जाता रहा यानी इस वक़्त से वह हदस मौक़ूफ़ हुआ यहाँ तक कि इस के बाद का दूसरा वक़्त पूरा ख़ाली रहा या नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा था और उसे कोई चीज़ मिल गई जिस से तहारत हो सकती है या क़ज़ा पढ़ रहा था और वक़्ते मकरूह आ गया या बाँदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी और आज़ाद हो गई और फ़ौरन सर न ढाँका इन सब सूरतों में नमाज़ बातिल हो गई। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– मुक़तदी उम्मी था और इमाम क़ारी और नमाज़ में उसे कोई आयत याद हो गई तो

नमाज़ बातिल न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 1–408)

मसअ्ला :– कियाम व रुकू व सुजूद व कअ्दए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है अगर कियाम से पहले रुकू कर लिया फिर कियाम किया तो वह रुकूअ् जाता रहा अगर कियाम के बाद फिर रुकूअ् करेगा नमाज़ हो जायेगी वर्ना नहीं, यूँही रुकूअ् से पहले सजदा करने के बाद अगर रुकूअ् किया फिर सजदा कर लिया हो जायेगी वर्ना नहीं। (रद्दुल मुहतार 1–302)

मसअ्ला :– जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उन में इमाम की इत्तिबाअ् मुक़तदी पर फ़र्ज़ है यानी उन में का कोई फ़ेल इमाम से पेश्तर अदा कर चुका और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी मसलन इमाम से पहले रुकू या सजदा कर लिया और इमाम रुकू या सजदा में अभी आया भी न था कि उसने सर उठा लिया तो अगर इमाम के साथ या बाद को अदा कर लिया, हो गई वर्ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार1–302)

मसअ्ला :– मुक़तदी के लिए यह भी फ़र्ज़ है कि इमाम की नमाज़ को अपने ख़याल में सहीह तसव्वुर करता हो और अगर अपने नज़्दीक इमाम की नमाज़ बातिल समझता है तो उस की न हुई अगर्चे इमाम की नमाज़ सहीह हो (दुर्रे मुख़्तार 1–303)

वाजिबाते नमाज़

1 . तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना। 2–8. सुरह फ़ातिहा पढ़ना यानी उस की सातों आयतें कि हर आयत मुस्तकिल वाजिब है इन में एक आयत बल्कि एक लफ़्ज़ का तर्क भी तर्के वाजिब है 9 .सूरत मिलाना यानी एक छोटी सूरत जैसे إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ 0 या तीन छोटी आयतें जैसे ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ 0 ثُمَّ عَبَسَ وَ بَصَرَ 0 ثُمَّ نَظَرَ 0 एक या दो आयतें आयतें तीन छोटी के बराबर पढ़ना। 10.11.नमाज़े फ़र्ज़ में दो पहली रकअ़तों में क़िरात वाजिब है। 12. 13. सूरह फ़ातिहा और उसके साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की दो पहली रकअ़तों में और नफ़्ल व वित्र की हर रकअ़त में वाजिब है। 14. सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले होना। 15. हर रकअ़त में सूरत से पहले एक ही बार सूरह फ़ातिहा पढ़ना। 16. सूरह फ़ातिहा व सूरत के दरमियान किसी ग़ैर चीज़ का फ़ासिल न होना आमीन सूरह फ़ातिहा के ताबेअ् है और बिस्मिल्लाह सूरत के ताबेअ् है यह ग़ैर चीज़ नहीं।

17. क़िरात के बाद मुत्तसिलन यानी फ़ौरन रुकू करना।

18. एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुक्न फ़ासिल न हो।

19. तअ्दीले अरकान (इत्मिनान से अरकान अदा करना)यानी रुकू व सुजूद व क़ौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार सुब्हानल्लाह कहने की क़द्र ठहरना।

20. यूँही क़ौमा यानी रुकूअ् से सीधा खड़ा होना। 21. जलसा यानी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना। 22. क़अ्दए ऊला अगर्चे नामज़े नफ़्ल हो। 23. और फ़र्ज़ व वित्र व सुनने रवातिब (मुअक्कदा) में क़ादए ऊला में अत्तहीय्यात पर कुछ न बढ़ाना। 24,25. दोनों क़अ्दों में पूरी अत्तहीय्यात पढ़ना यूँही जितने क़अ्दे करने पड़ें सब में पूरी अत्तहीय्यात वाजिब है एक लफ़्ज़ भी अगर छोड़ेगा तर्के वाजिब होगा। 26,27. लफ़्ज़े'अस्सलामु' दो बार वाजिब है और लफ़्ज़े 'अ़लैकुम' वाजिब नहीं। 28 वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। 29. तकबीरे कुनूत यानी दुआए कुनूत से पहले जो

तकबीर कहते हैं। 30–35. ईदैन की छओं (6)तकबीरें। 36. ईदैन में दूसरी रकअ़त के रुकू की तकबीर। 37. इस तकबीर के लिये लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना। 38 .हर जहरी नमाज़ में इमाम को जहर (यानी आवाज़) से क़िरात करना। 39. गैर जहरी में आहिस्ता यानी जिन नमाज़ों में जहरी का हुक्म नहीं उनमें आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। 40. वाजिब व फ़र्ज़ों का उसकी जगह पर होना। 41. रुकू का हर रकअ़त में एक ही बार होना मतलब एक से ज़्यादा रुकू न करना। 42. सुजूद का दो ही बार होना यानी दो से ज़्यादा सजदे न करना। 43. दूसरी रकअ़त से पहले क़अ़दा न करना। 44. चार रकअ़त वाली में तीसरी पर क़अ़दा न होना। 45. आयते सजदा पढ़ी हो तो सजदए तिलावत करना। 46. सहव हुआ हो तो सजदा सहव करना 47. दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान तीन तस्बीह की क़द्र वक़्फ़ा न होना यानी,इनके दरमियान इतनी देर न ठहरे जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह ले। 48, इमाम जब क़िरात करे बलन्द आवाज़ से हो ख़्वाह आहिस्ता उस वक़्त मुक़तदी का चुप रहना 49. सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबअ़त (पैरवी)करना।(आलमगीरी 1/66 दुर्रे मुख़्तार 1/307)

मसअ्ला :– किसी क़अ़दे में अत्तहीयात का कोई हिस्सा भूल जाये तो सजदए सहव वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार 1/313)

मसअ्ला :– आयते सजदा पढ़ी और सजदा करने में सहवन (भूल से)तीन आयत या ज़्यादा की देर हुई तो सजदए सहव करे। (गुनिया 291)

मसअ्ला :– सूरत पहले पढ़ी उसके बाद सूरह फ़ातिहा या सूरह फ़ातिहा व सूरत के दरमियान देर तक यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने की मिक़दार चुपका रहा यानी इतनी देर तक चुप रहा कि जितनी देर में तीन मरतबा सुब्हानल्लाह कह ले तो सजदए सहव वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार 1–307)

मसअ्ला :– सूरह फ़ातिहा का एक लफ़्ज़ भी रह गया तो सजदए सहव करे (दुर्रे मुख़्तार 1–309)

मसअ्ला :– जो चीज़ें फ़र्ज़ व वाजिब हैं मुक़तदी पर वाजिब है कि इमाम के साथ उन्हें अदा करे बशर्ते कि किसी वाजिब का तआ़रुज़ (टकराव)न हो और तआ़रुज़ हो तो उसे फ़ौत न करे बल्कि उस को अदा करके मुताबअ़त(पैरवी) करे मसलन इमाम अत्तहीय्यात पढ़ कर खड़ा हो गया और मुक़तदी ने अभी पूरी नहीं पढ़ी तो मुक़तदी को वाजिब है कि पूरी कर के खड़ा हो और सुन्नत में मुताबअ़त सुन्नत है बशर्ते कि तआ़रुज़ न हो और तआ़रुज़ हो तो उस को तर्क करे और इमाम की मुताबअ़त करे मसलन रुकू या सजदे में उसने तीन तस्बीह न कही थी इमाम ने सर उठा लिया तो वह भी उठा ले। (रद्दुल मुहतार 1–316)

मसअ्ला :– अल्फ़ाज़े अत्तहीय्यात से उनके मआ़नी का क़स्द(इरादा)और इनशा ज़रूरी है गोया अल्लाह तआ़ला के लिए तहीय्यत करता है और नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और अपने ऊपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता है न यह कि वाक़िआ़ मेअ़्राज की हिकायत मद्देनज़र हो। (आलमगीरी,1–7दुर्रे मुख़्तार 1–345)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ व वित्र व सुन्नते मुअक्कदा के क़अ़दए ऊला में अगर अत्तहीय्यात के बाद इतना कह लिया "अल्लाहुम–म स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिन"या "अल्लाहुम–म स़ल्लि अ़ला सय्यिदिना"तो अगर भूल कर कहा तो सजदए सहव कर ले और अगर जानबूझ कर हो तो लौटाना वाजिब है।

(मसअला :– मुक़तदी क़अ्दए ऊला में इमाम से पहले अत्तहीय्यात पढ़ चुका तो सुकूत करे यानी ख़ामोश रहे दुरूद व दुआ कुछ न पढ़े और मसबूक़ (जिसे शुरू से जमाअत न मिली यानी जिसकी रकअ्त छूट गई हो) को चाहिये कि क़अ्दए अख़ीरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक़्त फ़ारिग़ हो और सलाम से पेश्तर फ़ारिग़ हो चुका तो कलिमाए शहादत की तकरार करे।(दुर्रेमुख़्तार)

नमाज़ की सुन्नतें

1. तहरीमा के लिये हाथ उठाना। 2. हाथों की उंगलियाँ अपने हाल पर छोड़ना यानी न बिल्कुल मिलाये न –ब–तकल्लुफ़ कुशादा रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे। 3. हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला–रू होना। 4. ब–वक़्ते तकबीर सर न झुकाना 5. तकबीर से पहले हाथ उठाना 6. तकबीरे क़ुनूत में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे 7. यूँ ही ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे और इनके अ़लावा किसी ज़गह नमाज़ में हाथ उठाना सुन्नत नहीं (आलमगीरी 1 / 68)

मसअ्ला :– अगर तकबीर कह ली और हाथ न उठाया तो अब न उठाये और अगर मोज़ए मसनून यानी जहाँ तक हाथ उठाना सुन्नत है वहाँ तक मुमकिन न हो तो जहाँ तक हो सके उठाये।(आलमगीरी1 / 68)

मसअ्ला :– औरत के लिये सुन्नत यह है कि मोंढों तक हाथ उठाये (रद्दुल मुहतार 1–324)

मसअ्ला :– कोई शख़्स एक ही हाथ उठा सकता है तो एक ही उठाये और अगर हाथ मोज़ए मसनून से ज़्यादा करे जब ही उठता है तो उठाये। (आलमगीरी 1–68) 9 इमाम का बलन्द आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना 10. समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह कहना। 11. सलाम कहना जिस क़द्र बलन्द आवाज़ की हाजत हो और बिला हाजत बहुत ज़्यादा बलन्द आवाज़ करना मकरूह है।

मसअ्ला :– इमाम को तकबीरे तहरीमा और तकबीराते इन्तेक़ाल सब जहर से होना सुन्नत है यानी ऊँची आवाज़ से हो कि सब सुन लें। (रद्दुल मुहतार 1–319)

मसअ्ला :– अगर इमाम की तकबीर की आवाज़ तमाम मुक़तदियों को नहीं पहुँचती तो बेहतर है कि कोई मुक़तदी भी बलन्द आवाज़ से तकबीर कहे कि नमाज़ शुरू होने और इन्तिकालात (हालात बदलने)का हाल सब को मा़लूम हो जाये और बिला ज़रूरत मकरूह व बिदअ़त है।(रद्दुल मुहतार1–320)

मसअ्ला :– तकबीरे तहरीमा से अगर तहरीमा मक़सूद न हो बल्कि महज़ एलान मक़सूद हो तो नमाज़ ही न होगी यूँ होना चाहिये कि नफ़्से तकबीर से तहरीमा मक़सूद हो और जहर से एलान यूँ ही आवाज़ पहुँचाने वाले को क़स्द करना चाहिये अगर उसने फ़क़त आवाज़ पहूँचाने का क़स्द किया तो न इसकी नमाज़ हो न उसकी जो उसकी आवाज़ पर तहरीमा बान्धे और अ़लावा तकबीरे तहरीमा के और तकबीरात या 'समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह' या 'रब्बना व–लकलहम्द' में अगर महज़ एलान का क़स्द हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अलबत्ता मकरूह होगी कि तर्के सुन्नत है यानी सुन्नत का छोड़ना है (रद्दुल मुहतार 1–319)

मसअ्ला :– मुकब्बिर को चाहिये कि उस जगह से तकबीर कहे जहाँ से लोगों को उसकी हाजत है पहली या दूसरी सफ़ में जहाँ तक इमाम की आवाज़ बिला तकल्लुफ़ पहुँचती है यहाँ से तकबीर कहने का क्या फ़ायदा यह, बहुत ज़रूरी है कि इमाम की आवाज़ के साथ तकबीर कहे इमाम के कह लेने के बाद तकबीर कहने से लोगों को धोका लगेगा नीज़ यह कि अगर मुकब्बिर ने तकबीर में मद (दराज़ करना) किया तो इमाम के तकबीर कह लेने के बाद इसकी तकबीर ख़त्म होने का

इन्तिज़ार न करें बल्कि अत्तहीय्यात वग़ैरा पढ़ना शुरू कर दें यहाँ तक कि अगर इमाम तकबीर कहने के बाद उसके इन्तिज़ार में तीन बार सुबहानल्लाह कहने के बराबर ख़ामोश रहा उसके बाद अत्तहीय्यात शुरू की तर्के वाजिब हुआ नमाज़ वाजिबुल इआदा है यानी लौटाना वाजिब।

मसअला :– मुक़तदी व मुन्फ़रिद को जहर की हाजत नही सिर्फ़ इतना ज़रूरी है कि ख़ुद सुने (दुर्रे मुख़्तार, 1–319 बहर 1–303)

12. तकबीर के बाद फ़ौरन हाथ बाँध लेना यूँ कि मर्द नाफ़ के नीचे दाहिने हाथ की हथेली बाईं कलाई के जोड़ पर रखे और बाक़ी उंगलियों को बाईं कलाई की पुश्त पर बिछाये और औरत व ख़ुन्सा बाईं हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पुश्त पर दाहिनी हथेली रखे (ग़ुनिया वग़ैरा 294) बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं फिर बाँधते हैं यह न चाहिये बल्कि नाफ़ के नीचे लाकर बाँध ले।

मसअला :– बैठे या लेटे नमाज़ पढ़े जब भी यूँ ही हाथ बाँधे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस क़ियाम में ज़िक्र मसनून हो उस में हाथ बाँधना सुन्नत है तो सना और दुआये कुनूत पढ़ते वक़्त और जनाज़े में तकबीरे तहरीमा के बाद चौथी तकबीर तक हाथ बाँधे रखे और रुकू से खड़े होने और तकबीराते ईदैन में हाथ न बाँधे। (रद्दुल मुहतार 1–328)

13 .सना व 14.तअव्वुज़ व 15. तस्मिया व 16. आमीन कहना 17. और इन सब का आहिस्ता होना 18–पहले सना पढ़े 19–फ़िर तअव्वुज़ 20–फिर तस्मिया 21–और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़े वक़्फ़ा न करे तहरीमा के बाद फ़ौरन सना पढ़े और सना में وَجَلَّ ثَنَاءُكَ ग़ैरे जनाज़ा में न पढ़े यानी सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा में وَجَلَّ ثَنَاءُكَ पढे और दीगर अज़कार (ज़िक्र की जमा) जो अहादीस में वारिद हैं वह सब नफ़्ल के लिये हैं। (दुर्रे मुख़्तार 1–328)

मसअला :– इमाम ने जहर के साथ क़िरात शुरू कर दी तो मुक़तदी सना न पढ़े अगर्चे दूर होने की वजह से या बहरे होने की वजह से इमाम की आवाज़ न सुनता हो जैसे जुमे व ईदैन में पिछली सफ़ के मुक़तदी कि दूर होने की वजह से क़िरात नहीं सुनते (आलमगीरी 1–85)इमाम आहिस्ता पढ़ता हो तो पढ़ ले। (रद्दुल मुहतार 1–328)

मसअला :– इमाम को रुकू या पहले सजदे में पाया तो अगर ग़ालिब गुमान है कि सना पढ़कर पा लेगा तो पढ़े और क़अ्दा या दूसरे सज्दे में पाया तो बेहतर यह है कि बग़ैर सना पढ़े शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल,मुहतार 1–328)

मसअला :– नमाज़ में अऊज़ु व बिस्मिल्लाह क़िरात के ताबेअ् हैं और मुक़तदी पर क़िरात नहीं। लिहाज़ा तअव्वुज़ व तस्मिया भी उन के लिये मसनून नहीं। हाँ जिस मुक़तदी की कोई रकअ्त जाती रही हो तो जब वह अपनी बाक़ी रकअ्त पढ़े उस वक़्त इन दोनों को पढ़े।(दुर्रे मुख़्तार 1–329)

मसअला :– तअव्वुज़ सिर्फ़ पहली रकअ्त में है और तस्मिया हर रकअ्त के अव्वल में मसनून है। फ़ातिहा के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाहि पढ़ना मुस्तहसन (अच्छा) है। क़िरात ख़्वाह सिर्री हो या जहरी मगर बिस्मिल्लाह बहर हाल आहिस्ता पढी जाये।

मसअला :– अगर सना व तअव्वुज़ व तस्मिया पढ़ना भूल गया और क़िरात शुरू कर दी तो इआदा न करे यानी लौटाए नहीं कि उन का महल ही फ़ौत हो गया (यानी जहाँ पढ़ना था उस से आगे बढ़ गया)

यूँही अगर सना पढ़ना भूल गया और तअ़व्वुज़ शुरू कर दिया तो सना का इआदा नहीं। (रद्दुल मुहतार1–329)

मसअ्ला :– मसबूक़ शुरू में सना न पढ़ सका तो जब अपनी बाक़ी रकअ्त पढ़ना शुरू करे उस वक़्त पढ़ ले। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– फ़राइज़ में नियत के बाद तकबीर से पहले या बाद "इन्नी वज्जहतु" (आख़िर तक) न पढ़े और पढ़े तो उसके आख़िर में "व अना अव्वलुल मुस्लिमीन" की जगह "व अना मिनल मुस्लिमीन" कहे।(ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– ईदैन में तकबीरे तहरीमा ही के बाद सना कह ले और सना पढ़ते वक़्त हाथ बाँध ले और अऊ़ज़ु बिल्लाह चौथी तकबीर के बाद कहे। (दुर्रे मुख़्तार 1–329)

मसअ्ला :– आमीन को तीन तरह पढ़ सकते हैं मद कि अलिफ़ को खींचकर पढ़ें और क़स्र कि अलिफ़ को दराज़ न करें और इमाला की मद की सूरत में अलिफ़ को या की तरफ़ माइल करें। जैसे आमीन या अमीन, या एमीन (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअ्ला :– अगर मद के साथ मीम को तश्दीद पढ़ी यानी आम्मीन या य' को गिरा दिया यानी आमिन पढ़ा। इन दोनों सूरतो में नमाज़ हो जायेगी मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है। और अगर मद के साथ मीम को तश्दीद पढ़ी और या को हज़फ़ (ख़त्म)कर दिया यानी आम्मिन पढ़ा या क़स्र के साथ तश्दीद पढ़ा यानी अम्मीन पढ़े या हज़फ़े 'य'हो यानी अमिन पढ़े तो इन तीनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअ्ला :– इमाम की आवाज़ उस को न पहुँची मगर उसके बराबर वाले दूसरे मुक़तदी ने आमीन कही और उसने आमीन की आवाज़ सुन ली अगर्चे उसने आहिस्ता कही है तो यह भी आमीन कहे ग़र्ज़ यह कि इमाम का وَلَا الضَّالِّيْنَ कहना मालूम हो तो आमीन कहना सुन्न्त हो जायेगा, इमाम की आवाज़ सुने या किसी मुक़तदी के आमीन कहने से मालूम हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअला :– सिर्री नमाज़ में इमाम ने आमीन कही और यह उसके क़रीब था कि इमाम की आवाज सुन ली तो यह भी कहे। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

24.रुकू में तीन سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم कहना। 25. घुटनों को हाथ से पकड़ना। 26.उंगलियाँ खूब खुली रखना यह हुक्म मर्दों के लिये है। 27. औरतों के लिये सुन्नत घुटनों पर हाथ रखना है। 28. और उंगलियाँ कुशादा न करना है आजकल अकसर मर्द रुकू में महज़ हाथ रख देते हैं और उँगलियाँ मिलाकर रखते हैं यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। 29. हालते रुकू में टाँगें सीधी होना अकसर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं यह मकरुह है। 30.रुकू के लिये अल्लाहु अकबर कहना।

मसअला :– अगर ज़ोए(ظ) अदा न हो सके तो سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم की जगह سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْکَرِیْم कहे (रद्दुल मुहतार 1–332)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू को जाये यानी जब रुकू के लिये झुकना शुरू करे तो अल्लाहु अकबर कहना शुरू करे और ख़त्मे रुकू पर तकबीर ख़त्म करे। (आ़लमगीरी 1–69) इस मसाफ़त(दूरी)को पूरा करने के लिये अल्लाह के 'लाम' को बढ़ाये अकबर की 'बे'वग़ैरा किसी हर्फ़ को न बढ़ाये।

मसअ्ला :– 31. हर तकबीर में अल्लाहु अकबर की 'रे' को जज़्म पढ़े। (आलमगीरी 1–69)

मसअला :– आखिर सूरत में अगर अल्लाह तआला की सना हो तो अफ़ज़ल यह है कि क़िरात को तकबीर से वस्ल करे यानी मिला दे जैसे :–

وَكَبِّرْهُ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَ اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

और अगर आखिर में कोई लफ़्ज़ ऐसा है जिसका इस्मे जलालत(अल्लाह के नाम)के साथ मिलना नापसन्द हो तो फ़स्ल बेहतर है यानी ख़त्मे क़िरात पर ठहरे फिर अल्लाहु अकबर कहे जैसे اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝ में वक़्फ़ व फ़स्ल करे फिर रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहे और दोनों न हों तो फ़स्ल व वस्ल दोनों यकसाँ हैं। (रद्दुल मुहतार,फ़तावा रजविया)

मसअला :– किसी आने वाले की वजह से रुकू या क़िरात में तूल देना यानी क़िरात वग़ैरा को बढ़ा देना मकरूहे तहरीमी है जबकि उसे तूल देना हो यानी उसकी ख़ातिर मलहूज़ हो और न पहचानता हो तो तवील करना (क़िरात व रुकू का बढ़ाना)अफ़ज़ल है कि नेकी पर इआनत (मदद)है मगर इस क़द्र तूल न दे कि मुकतदी घबरा जायें। (रद्दुल मुहतार 1–332)

मसअला – मुकतदी ने अभी तीन बार तस्बीह न कही थी कि इमाम ने रुकू या सजदा से सर उठा लिया तो मुकतदी पर इमाम की मुताबअत (पैरवी) वाजिब है और अगर मुक़तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया तो मुक़तदी पर लौटना वाजिब है न लौटेगा तो कराहते तहरीम का मुरतकिब होगा गुनाहगार होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–333)

मसअला – 32.रुकू में पीठ खूब बिछी रखे यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला उस की पीठ पर रख दिया जाये तो ठहर जाये। (फ़तहुल क़दीर 1–259)

मसअला :– रुकू में ने सर झुकाये न ऊँचा हो बल्कि पीठ के बराबर हो (हिदाया 1–89)हदीस में है उस शख़्स की नमाज़ नाकाफ़ी है (यानी कामिल नहीं) जो रुकू व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता। यह हदीस अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी ने अबू मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की और तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस हसन सही है और फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद को पूरा करो कि खुदा की क़सम मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– 33. औरत रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ़ इस क़द्र कि हाथ घुटनों तक पहुँच जायें,पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे बल्कि महज़ हाथ रख दे और हाथों की उंगलियाँ मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए रखे मर्दों की तरह खूब सीधी न कर दे। (आलमगीरी 1–68)

मसअला :– तीन बार तस्बीह अदना दर्जा है कि इस से कम में सुन्नत अदा न होगी और तीन बार से ज्यादा कहे तो अफ़ज़ल है मगर ख़त्म ताक़ (बेजोड़) अदद पर हो ,हाँ अगर यह इमाम है और मुकतदी घबराते हों तो ज्यादा न करे।(फ़तहुल क़दीर 1–259)

हिलया में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु वग़ैरा से है कि इमाम के लिये तस्बीहात पाँच बार कहना मुस्तहब है। हदीस में है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई रुकू करे और तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم कहे तो उसका रुकू पूरा हो गया और यह अदना दर्जा है और जब सजदा करे और तीन बार हो गया سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی कहे तो सजदा पूरा हो गया यह अदना दर्जा है इस ,को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह

इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– 34–रुकू से जब उठे तो हाथ न बाँधे लटका हुआ छोड़े दे। (आलमगीरी)

मसअला :–35 سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه की ه को साकिन पढ़े उस पर हरकत ज़ाहिर न करे ना د को बढ़ाये (आलमगीरी) 36.रुकू से उठने में इमाम के लिए سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहना 37 और मुक़तदी के लिये اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْد कहना 38. और मुनफ़रिद को दोनों कहना सुन्नत है।

मसअला :– رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ से भी सुन्नत अदा हो जाती है मगर وَ होना बेहतर है और اَللّٰهُمَّ होना उससे बेहतर और सब में बेहतर यह कि दोनों हो यानी اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْد (दुर्रे मुख़्तार 1–334) हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जब इमाम سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहे तो اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ कहो कि जिस का क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हुआ उस के अगले गुनाह की मग़फ़िरत हो जायेगी इस ह़दीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला : – मुनफ़रिद سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه कहता हुआ रुकू से उठे और सीधा खड़ा होकर اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْد कहे (दुर्रे मुख़्तार 1–334)39.सजदे के लिए और 40.सजदे से उठने के लिये अल्लाहु अकबर कहना 41.और सजदे में कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहना 42. और सजदे में हाथ का ज़मीन पर रखना। (दुर्रे मुख़्तार 1–339)

मसअला : – 43. सजदे में जाये तो ज़मीन पर पहले घुटने रखे। 44.फिर हाथ 45.फिर नाक 46.फिर पेशानी और जब सजदे से सर उठाये इस का उल्टा करे यानी 47 पहले पेशानी उठाये 48.फिर नाक 49–फिर हाथ 50.फिर घुटने(आलमगीरी 1–70)रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जब सजदे को जाते तो पहले घुटने रखते फिर हाथ और जब उठते तो पहले हाथ उठाते फिर घुटने असहाबे सुनने अरबा और दारमी ने इस ह़दीस को वाइल इब्ने हजर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– मर्द के लिये सजदे में सुन्नत यह है कि 51–बाज़ू करवटों से जुदा हों 57–और पेट रानों से 53–और कलाईयाँ ज़मीन पर न बिछाये मगर जब सफ़ में हो तो बाज़ू करवटों से जुदा न होंगे (हिदाया 1–90 आलमगीरी1–70 दुर्रे मुख़्तार 1–338)ह़दीस में है जिस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम सजदे में एअ़तिदाल(दरमियानी ह़ालत)करे–और कुत्ते की तरह कलाईयाँ न बिछाये और सही मुस्लिम में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर फ़रामते हैं जब तू सजदा करे तो हथेली को ज़मीन पर रख दे और कोहनियाँ उठा ले। अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि जब हुज़ूर सजदा करते तो दोनों हाथ करवटों से दूर रखते यहाँ तक कि हाथों के नीचे से अगर बकरी का बच्चा गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता और मुस्लिम की रिवायत भी इसी के मिस्ल है। दूसरी रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम की अ़ब्दुल्लाह इब्ने मालिक इब्ने बुहैना से यूँ है कि हाथों को कुशादा रखते यहाँ तक कि बग़ल मुबारक की सफ़ेदी ज़ाहिर होती।

मसअला :– औरत सिमट कर सजदा करे यानी बाज़ू करवटों से मिला दे और पेट रान से 57 और

रान पिंडलियों से 58 .और पिंडलियाँ ज़मीन से। (आलमगीरी वगै़रा 1–70)

मसअ्ला :– 59. दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे और अगर किसी उज़्र से एक साथ न रख सकता हो तो पहले दाहिना रखे फ़िर बायाँ। (रद्दुल मुहतार 1–335)

मसअ्ला :– अगर कोई कपड़ा बिछा कर उस पर सजदा करे तो हर्ज नहीं और जो कपड़ा पहने हुए है उस का कोना बिछा कर सजदा किया या हाथों पर सजदा किया तो अगर उज़्र नहीं है तो मकरूह है और अगर वहाँ कंकरियाँ हैं या ज़मीन सख़्त गर्म या सख़्त सर्द है तो मकरूह नहीं और वहाँ धूल हो और इमामे को गर्द से बचाने के लिये पहने हुए कपड़े पर सजदा किया तो हर्ज नहीं और चेहरे को ख़ाक से बचाने के लिये किया तो मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार 1–338)

मसअ्ला :– अचकन वग़ैरा बिछा कर नमाज़ पढ़े तो उस के ऊपर का हिस्सा पाँव के नीचे रखे और दामन पर सजदा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सजदे में एक पाँव उठा हुआ रखना मकरूह और मना है। (दुर्रे मुख़्तार 1–339) 60.दोनों सजदों के दरमियान अत्तहीय्यात की तरह बैठना यानी बायाँ क़दम बिछाना और दाहिना खड़ा रखना। 61.और हाथों का रानों पर रखना 62.सजदों में उंगलियाँ क़िबला –रू होना 63.हाथों की उंगलियाँ मिली हुई होना। (दुर्रे मुख़्तार 1–335)

मसअ्ला :– सजदे में दोनों पाँव की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है,और हर पाँव की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का क़िबला रू होना सुन्नत। (फ़तावा रज़विया 1–565)

मसअ्ला :– जब दोनों सजदे कर ले तो दूसरी रकअ़त के लिये 65.पंजो के बल 66.घुटनों पर हाथ रखकर उठे यह सुन्नत है हाँ कमज़ोरी वग़ैरा उज़्र के सबब अगर ज़मीन पर हाथ रखकर उठा जब भी हरज नहीं (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) अब दूसरी रकअ़त में सना तअव्वुज़ न पढ़े दूसरी रकअ़त के सजदों से फ़ारिग़ होने के बाद 67.बायाँ पाँव बिछा कर 68.दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना। 69.और दाहिना क़दम खड़ा रखना 70.और दाहिने पाँव की उंगलियाँ क़िबला रूख करना यह मर्दों के लिये है 71.और औरत दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और 72.बाएं सुरीन पर बैठे 73.और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना 74.और बायाँ बाईं पर 75.और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना कि न खुली हुई हों न मिली हुई 76.और उंगलियों के किनारे घुटनों के पास होना घुटने पकड़ना न चाहिये 77.शहादत पर इशारा करना यूँ कि छंगुलिया और उस के पास वाली को बंद कर ले, अंगूठे और बीच की उंगली का हलक़ा बाँधे और 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये और 'इल्ला'पर रख दे और सब उंगलियाँ सीधी कर ले। हदीस में है जिस को अबू दाऊद व नसई ने अ़ब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब दुआ़ करते (अत्तहीय्यात में कलिमए शहादत पर पहुँचते)तो उंगली से इशारा करते और हरकत न देते नीज़ तिर्मिज़ी व नसई व बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक शख़्स को दो उंगलियों से इशारा करते देखा फ़रमाया तौहीद कर तौहीद कर(एक उंगली से इशारा कर)

मसअ्ला :– 78.क़ादए ऊला के बाद तीसरी रकअ़त के लिये उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर हाँ अगर उज़्र रहे तो हर्ज नहीं। (गुनिया)

मसअ्ला :– नमाज़े फर्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में अफ़ज़ल सुरह फ़ातिहा पढ़ना है और

सुब्हानल्लाह कहना भी जाइज़ है और बक़द्र तीन तस्बीह के चुप खड़ा रहा तो भी नमाज़ हो जायेगी मगर सुकूत न चाहिये यानी ख़ामोश नहीं रहना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दूसरे क़अ्दे में भी उसी तरह बैठे जैसे पहले में बैठा था और अत्तहीय्यात भी पढ़े (दुर्रे मुख़्तार) 79.अत्तहीय्यात के बाद दूसरे क़अ्दे में दुरूद शरीफ़ पढ़ना और अफ़ज़ल वह दुरूद है जो पहले ज़िक्र हुआ।

मसअ्ला :– दुरूद शरीफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और हुज़ूर सय्येदिना इब्राहीम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के असमाये तय्येबा के साथ लफ़्ज़े सय्येदिना कहना बेहतर है।

(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार1–345)

फ़ज़ाइले दुरूद

दुरूद शरीफ़ पढ़ने के फ़ज़ाइल में अहादीस बहुत आई हैं तबर्रूकन बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तआ़ला उस पर दस बार दुरूद नाज़िल फ़रमायेगा।

हदीस न.2 :– नसई की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से यूँ है कि फ़रमाते हैं जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तआ़ला उस पर दस दुरूद नाज़िल फ़रमायेगा और उसकी दस ख़तायें मिटा देगा और दस दर्जे बलंद फ़रमायेगा।

हदीस न.3 :– इमाम अहमद अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और क़बूल हो जाये तो अल्लाह तआ़ला उसके अस्सी बरस के गुनाह मिटा देगा।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ियामत के दिन मुझ से सबसे ज़्यादा क़रीब वह होगा जिसने सब से ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा है।

हदीस न.5 :– नसई व दारमी उन्हीं से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फ़ारिग़ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उस की नाक ख़ाक में मिले जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे और उसकी नाक ख़ाक में मिले जिसको रमज़ान का महीना आया और उस की मग़फ़िरत से पहले चला गया और उसकी नाक ख़ाक में मिले जिसने माँ बाप या दोनों या एक को उनके बुढ़ापे में पाया और उन्होंने उस को जन्नत में दाख़िल न किया (यानी उनकी ख़िदमत व इताअ़त न की जन्नत का मुस्तहक़ हो जाता)

हदीस न.7 : – तिर्मिज़ी ने हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं पूरा बख़ील वह है जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे।

हदीस न.8 :– नसई व दारमी ने रिवायत की कि अबूतलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाये और खुशी चेहरए अक़दस में नुमायाँ थी। फ़रमाया मेरे पास जिब्रील आये और कहा आप का रब फ़रमाता है कि आप राज़ी नहीं कि आप की उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद भेजे में उस पर दस बार दुरूद भेजूँगा और आप की उम्मत में जो कोई आप पर सलाम भेजे मैं उस पर दस बार सलाम भेजूँगा।

हदीस न.9 : – तिर्मिज़ी शरीफ़ में है उबई इब्ने कअ़्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसुलल्लाह! मैं कसरत से दुआ माँगता हूँ तो उस में हुजूर पर दुरूद के लिये कितना वक़्त मुक़र्रर करूँ। फ़रमाया जो तुम चाहो । अर्ज़ की चौथाई । फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है । मैंने अर्ज़ की निस्फ़ (आधा)फ़रमाया जो तुम चाहो और ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये भलाई है। मैंने अर्ज़ की,दो तिहाई। फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मैंने अर्ज़ की ,तो कुल दुरूद ही के लिये मुक़र्रर करूँ। फ़रमाया ऐसा है तो खुदाए पाक तुम्हारे कामों की किफ़ायत फ़रमायेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा।

हदीस 10 : – दुर्रे मुख़्तार में अस्बहानी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और वह क़बूल हो जाये तो अल्लाह तआला उस को अस्सी बरस के गुनाह मिटा देगा।

हदीस 11 : – इमाम अहमद रुवैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुजूर फ़रमाते हैं जो दुरूद पढ़े और यह कहे :–

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(तर्जमा) :– ऐ अल्लाह ! तू अपने महबूब को क़ियामत के दिन ऐसी जगह में उतार जो तेरे नज़्दीक मुक़र्रब है " तो उसके लिये मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो गई।

हदीस 12 : – तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं दुआ आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअ़ल्लक़(रुकी हुई) है चढ़ नहीं सकती जब तक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे।

मसअला : – उम्र में एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हर जलसए ज़िक्र में दुरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब ख़्वाह खुद नामे अक़दस ले या दूसरे से सुने अगर एक मजलिस में सौ बार ज़िक्र आये तो हर बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिये अगर नामे अक़दस लिया या सुना और दुरूद शरीफ़ उस वक़्त न पढ़ा तो किसी दूसरे वक़्त में उस के बदले का पढ़ ले। (दुर्रे मुख़्तार1–346)

मसअला :– ग्राहक को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर का इस ग़र्ज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना या सुब्हानल्लाह कहना कि उस चीज़ की उ़म्दगी ख़रीदार पर ज़ाहिर करे नाजाइज़ है। यूँही किसी बड़े को देखकर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस नियत से कि लोगों को उसके आने की ख़बर हो जाये उसकी ताज़ीम को उठें और जगह छोड़ दें नाजाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–348)

मसअला : – जहाँ तक भी मुमकिन हो दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और खुसूसियत के साथ इन जगहों में 1–रोज़े जुमा 2– शबे जुमा (जुमेरात का दिन गुज़र कर रात में) 3–सुबह 4–शाम 5–मस्जिद में जाते वक़्त 6– मस्जिद से निकलते वक़्त 7–सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला

अलैहि वसल्लम के रौज़ए अतहर की ज़्यारत के वक़्त 8—सफ़ा मरवह पर 9—खुतबे में 10—अज़ान के जवाब के बाद 11—इकामत के वक़्त 12—दुआ के अव्वल आख़िर बीच में 13—दुआये क़ुनूत के बाद 14—हज में लब्बैक से फ़ारिग़ होने के बाद 15—इज्तेमा व फ़िराक़ (यानी इकट्ठा होने और अलग होने)के वक़्त 16—वुज़ू करते वक़्त 17—जब कोई चीज़ भूल जाये उस वक़्त। 18—वाज़ कहते वक़्त 19—और पढ़ने 20—और पढ़ाने के वक़्त खुसूसन हदीस शरीफ़ पढ़ने के अव्वल आख़िर 21—सवाल 22—व फ़तवा लिखते वक़्त 23—तस्नीफ़ के वक़्त 24—निकाह 25—और मंगनी 26—और जब कोई बड़ा काम करना हो। नामे अक़्दस लिखे तो दुरूद ज़रूर लिखे कि बाज़ उलमा के नज़्दीक इस वक़्त दुरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 1—348)

मसअ्ला :— अकसर लोग आज कल दुरूद शरीफ़ के बदले صلعم (सलअम) عم (अम) या ص (स्वाद का सिरा) या (ऐन का सिरा) ع यानी संक्षेप में लिखते हैं यह नाजाइज़ व सख़्त हराम है यूँही रदियल्लाहु तआला अन्हु की जगह رض रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जगह رح लिखते हैं यह भी न चाहिये। जिन के नाम मुहम्मद, अहमद, अली, हसन या हुसैन वग़ैरा होते हैं उन नामों पर ص बनाते हैं यह भी मना है कि इस जगह तो यह शख़्स मुराद है इस पर दुरूद के इशारे के क्या मअ्ना (तहतावी)

मसअ्ला :— क़अ्दए अख़ीरा के अलावा फ़र्ज़ नमाज़ में दुरूद शरीफ़ पढ़ना नहीं 80.और नवाफ़िल के क़अ्दए ऊला में भी मसनून है। (दुर्रेमुख़्तार) 81. दुरूद के बाद दुआ पढ़ना। (दुर्रे मुख़्तार 1—350)

मसअ्ला :-- 82 दुआ अरबी ज़बान में पढ़े ग़ैर अरबी में मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार 1—350)

मसअ्ला :— अपने और अपने वालिदैन व उस्ताज़ों के लिये जबकि मुसलमान हों और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिये दुआ माँगे ख़ास अपने ही लिये न माँगे। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार1—350)

मसअ्ला :— माँ बाप और उस्ताज़ों के लिये मग़फ़िरत की दुआ हराम है जबकि काफ़िर हों और मर गये हों तो दुआए मग़फ़िरत को फ़ुक़हा ने कुफ़्र तक लिखा है। हाँ अगर ज़िन्दा हों तो उसके लिये हिदायत व तौफ़ीक़े तौबा की दुआ करे। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 1—351)

मसअ्ला :— मुहालाते आदिया (यानी जो आदतन मुहाल हो) व मुहालाते शरईय्या (यानी जिन्हें शरीअत ने मुहाल किया हो)उनकी दुआ हराम है। (दुर्रे मुख़्तार 1—350)

मसअ्ला :— वह दुआयें कि क़ुर्आन व हदीस में हैं उन के साथ दुआ करे मगर क़ुर्आन की दुआयें ब—नियते क़ुर्आन इस मौक़े पर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि क़ियाम के अलावा नमाज़ में किसी जगह क़ुर्आन पढ़ने की इजाज़त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ल :— नमाज़ में एसी दुआयें जाइज़ नहीं जिन में ऐसे अल्फ़ाज़ हों जो आदमी एक दूसरे से करता है मसलन اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِي **तर्जमा** :— ऐ अल्लाह मेरी शादी कर दे। (आलमगीरी 1—71)

मसअ्ल :— मुनासिब यह है कि नमाज़ में जो दुआ याद हो वह पढ़े और ग़ैरे नमाज़ में बेहतर यह है कि जो दुआ करे वह हिफ़्ज़ से न हो बल्कि वह जो क़ुलूब में हाज़िर हो यानी रटी रटाई दुआयें न माँगकर दिल से दुआयें माँगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ल :— मुस्तहब है कि आख़िर नमाज़ में नमाज़ के अज़्कार के बाद यह दुआ पढ़े : —

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ

رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ٥

तर्जमा : "ऐ परवरदिगार ! तू मुझको और मेरी जुर्रियत को नमाज़ क़ाइम करने वाला बना और ऐ रब तू मेरी दुआ क़बूल फ़रमा ऐ रब तू मेरी और मेरे वालिदैन और ईमान वालों की क़ियामत के दिन मग़फ़िरत फ़रमा।" (आलमगीरी1–71)

83. मुक़तदी के तमाम इन्तिक़ालत इमाम के साथ–साथ होना। 84, 85 .अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाह दो बार कहना। 86. पहले दाहिनी त़रफ़ 87–फिर बायीं त़रफ़। (दुर्रे मुख़्तार 1–352)

मसअ्ला :– दाहिनी त़रफ़ सलाम में मुँह इतना फेरे कि दाहिना रुख़सार दिखाई दे और बायीं में बायाँ (आलमगीरी 1–71)

मसअ्ला :– अ़लैकुमुस्सलाम कहना मकरूह है। यूँही आख़िर में व बरकातुहू मिलाना भी न चाहिये।

मसअ्ला :– 88–सुन्नत यह है कि इमाम दोनों सलाम बलंद आवाज़ से कहे मगर 89–दूसरा ब–निस्बत पहले के कम आवाज़ से हो। (दुर्रे मुख़्तार 1–353)

मसअ्ला :– अगर पहले बाईं त़रफ़ सलाम फेर दिया तो जब तक कलाम न किया हो दूसरा दाहिनी त़रफ़ फेर ले फिर बायीं त़रफ़ सलाम के लौटाने की ह़ाजत नहीं और अगर पहले में किसी त़रफ़ मुँह न फेरा तो दूसरे में बाईं त़रफ़ मुँह करे और अगर बायीं त़रफ़ सलाम फेरना भूल गया तो जब तक क़िब्ले को पीठ न हो या कलाम न किया हो कह ले। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी, रद्दुलमुहतार 1–352)

मसअ्ला : – इमाम ने जब सलाम फेरा तो वह मुक़तदी भी सलाम फेर दे जिस की कोई रकअ़त न गई हो अलबत्ता अगर उसने अत्तहीय्यात पूरी न की थी कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम का साथ न दे बल्कि वाजिब है कि अत्तहीय्यात पूरी करके सलाम फेरे। (दुर्रेमख़्तार1–352)

मसअ्ला :– इमाम के सलाम फेर देने से मुक़तदी नमाज़ से बाहर न हुआ जब तक यह खुद भी सलाम न फेरे यहाँ तक कि अगर उसने इमाम के सलाम के बाद और अपने सलाम से पहले क़हक़हा लगाया वुज़ू जाता रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार 1–353)

मसअ्ला :– मुक़तदी को इमाम से पहले सलाम फेरना जाइज़ नहीं मगर ज़रूरत की वजह से मसलन ह़द्स यानी वुज़ू टुटने का ख़ौफ़ हो या अन्देशा हो कि आफ़ताब तुलू कर आयेगा या जुमा या ईदैन में वक़्त ख़त्म हो जायेगा। (रद्दुल मुहतार 1–353)

मसअल :– पहली बार लफ़्ज़े सलाम कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगर्चे अ़लैकुम न कहा हो उस वक़्त अगर कोई शरीके जमाअ़त हुआ तो इक़्तिदा सही न हुई हाँ अगर सलाम के बाद सजदए सहव किया तो इक़्तिदा सही हो गई। (रद्दुल मुहतार 1–352)

मसअ्ला :– इमाम दाहिने सलाम से ख़िताब से उन मुक़तदियों की नियत करे जो दाहिनी त़रफ़ हैं और बाइें से बाईं त़रफ़ वालों की मगर औ़रत की नियत न करे अगर्चे शरीके जमाअ़त हो नीज़ दोनों सलामों में किरामन कातिबीन(किरामन कातिबीन उन फ़रिश्तों के नाम हैं जो हर शख़्स के कंधे पर मुक़र्रर उसकी नेकियों और बुराईयों को लिखते हैं) और उन मलाइका की नियत करे जिन को अल्लाह तआ़ला ने हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर किया और नियत में कोई अ़दद मुअ़य्यन न करे।(दुर्रेमुख़्तार 1–354)

मसअ्ला :– मुक़तदी भी हर त़रफ़ के सलाम में उस त़रफ़ वाले मुक़तदियों और उन मलाइका की

नियत करे नीज़ जिस तरफ़ इमाम हो उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नियत करे और इमाम उसके मुहाज़ी (सामने)हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करे और मुनफ़रिद सिर्फ़ उन फ़रिश्तों ही की नियत करे। (दुर्रेमुख़्तार 1–356)

मसअ्ला :– 90–सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाहिने बायें को इन्हिराफ़ करे (फिर जाये) और दाहिनी तरफ़ अफ़ज़ल है और मुक़तदियों की तरफ़ भी मुँह करके बैठ सकता है जबकि कोई मुक़तदी उसके सामने नमाज़ में न हो अगर्चे किसी पिछली सफ़ में वह नमाज़ पढ़ता हो।(रद्दुलमुहतार1–367)

मसअ्ला :– मुनफ़रिद बग़ैर इन्हिराफ़(बग़ैर फिरे हुए) अगर वहीं दुआ माँगे तो जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़ोहर व मग़रिब व इशा के बाद मुख़्तसर दुआयें करके सुन्नत पढ़े ज़्यादा तवील दुआ में मशग़ूल न हो। (आलमगीरी 1–72)

मसअ्ला :– फ़ज्र व अस्र के बाद इख़्तियार है जिस क़द्र अज़कार व दुआयें पढ़ना चाहे पढ़े मगर मुक़तदी अगर इमाम के साथ दुआ में मशग़ूल हों और ख़त्म के इन्तिज़ार में हों तो इमाम इस क़द्र तवील दुआ न करे कि घबरा जायें। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– सुन्नतें वहीं न पढ़े बल्कि दाहिने बायें आगे पीछे हटकर पढ़े या घर जाकरपढ़े।(आलमगीरी,1–72)

मसअ्ला :– जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं उन में बादे फ़र्ज़ कलाम न करना चाहिये अगर्चे सुन्नतें हो जायेंगी मगर सवाब कम होगा और सुन्नतों में ताख़ीर भी मकरूह है। यूँही बड़े बड़े वज़ाइफ़ की भी इजाज़त नहीं। (गुनिया, 331 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद बलन्दिये आफ़ताब तक वहीं बैठा रहे।(आलमगीरी)

मुस्तहब्बाते नमाज़

1. हालते क़ियाम में सजदे की जगह पर नज़र करना। 2. रुकू में पुश्ते क़दम की तरफ़ 3. सजदे में नाक की तरफ़। 4. क़अ्दे में गोद की तरफ़। 5. पहले सलाम में दाहिने शाने की तरफ़। 6. दूसरे में बायें की तरफ़ 7. जमाही आये तो मुँह बन्द किये रहना और न रुके तो होंट दाँत के नीचे दबायें और इससे भी न रुके तो क़ियाम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुँह ढाँक ले और ग़ैर क़ियाम में बाएं हाथ की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुँह ढाँकना मकरुह है ,जमाही रोकने का मुजर्रब तरीक़ा यह है कि दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमाही नहीं आती थी। 8. मर्द के लिये तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना। 9. औरत के लिए कपड़े के अन्दर बेहतर है। 10 जहाँ तक मुमकिन हो खाँसी रोकना। 11.जब मुकब्बिर حَيَّ عَلَى الْفَلَاح कहे तो इमाम मुक़तदी सब का खड़ा हो जाना 12. जब मुकब्बिर قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة कह ले तो नमाज़ शुरू कर सकता है मगर बेहतर है कि इक़ामत पूरी होने पर शुरू करे। 13. दोनों पंजो के दरमियान क़ियाम में चार उंगल का फ़ासला होना। 14. मुक़तदी को इमाम के साथ शुरू करना। 15. सजदा ज़मीन पर बिला हाइल होना यानी मुसल्ला वग़ैरा कोई चीज़ सर और ज़मीन के बीच में न हो।

नमाज़ के बाद के ज़िक्र व दुआ

नमाज़ के बाद ज़िक्र वग़ैरा करने के बारे में जो लम्बी लम्बी दुआयें अहादीस में आई हैं वह ज़ोहर व मग़रिब व इशा में सुन्नतों के बाद पढ़ी जायें, सुन्नत से पहले मुख़्तसर दुआ ही माँगना चाहिये वर्ना सुन्नतों का सवाब कम हो जायेगा। (रदुल मुहतार)

तम्बीह :– अहादीस में किसी दुआ की निस्बत जो तादाद आई है उससे कम ज़्यादा न करे कि जो फ़ज़ाइल उन अज़्कार(ज़िक्र की जमा)के लिये हैं वह उसी अदद के साथ मख़्सूस हैं उन में कम ज़्यादा करने की मिसाल यह है कि कोई कुफ़्ल(ताला) किसी ख़ास क़िस्म की कुंजी से खुलता है अब अगर कुंजी में दंदाने कम या ज़ाइद कर दें तो उससे न खुलेगा। अलबत्ता अगर शुमार में शक हो जाये तो ज़्यादा कर सकता है और यह ज़्यादत नहीं बल्कि इतमाम है यानी यह पूरा करने के लिए ही है। (रदुल मुहतार 1–स.356)

हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तिग़फ़ार करे और आयतुलकुर्सी तीनों कुल यानी सुरए इख़्लास, सूरए फ़लक़ नास एक एक बार पढ़े। सुब्हानल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाहु अकबर 34 बार फिर उसके बाद नीचे लिखी आयात एक बार पढ़े तो उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगें अगर्चे समुंदर के झाग के बराबर हों।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

और अस्र व फ़ज्र के बाद बग़ैर पाँव बदले बग़ैर कलाम किये दस दस बार यह पढ़े :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

तर्जमा :– " अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क व हम्द है उसी के हाथ में ख़ैर है वह ज़िन्दा करता है और मौत देता है और वह हर शय पर क़ादिर है"। हर नमाज़ के बाद पेशानी यानी सर के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़े हाथ खींचकर माथे तक लाये। दुआ यह है : –

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम की बरकत से कि उसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं वह रहमान व रहीम है ऐ अल्लाह। तू मुझसे रंज व ग़म दूर कर दे।

हदीस न.1 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं नमाज़े फ़ज्र के बाद तुलूए आफ़ताब तक और अ़स्र के बाद ग़ुरूब तक ज़िक्र करना इस से बेहतर है कि चार–चार ग़ुलाम बनी इस्माईल से आज़ाद किये जायें।

हदीस न.2 :– तिर्मिज़ी उन्हीं से रावी इरशाद हुआ कि फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़कर आफ़ताब निकलने तक ज़िक्र करे फिर बादे बलंदीए आफ़ताब दो रकअ़त नमाज़ पढ़े तो ऐसा है जैसे

हज व उमरह किया पूरा पूरा।

हदीस न. 3 बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैराहुमा मुग़ीरा इब्ने शोबा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नमाज़े फ़र्ज़ के बाद यह दुआ पढ़ते –

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

तर्जमा : " अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं और वह हर शय पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह जिसे तू अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं और तेरी क़ज़ा का कोई फेरने वाला नहीं और तेरे अज़ाब से मालदार को उसका माल नफ़ा नहीं देता।

हदीस न.4 :– सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम फेर कर बलंद आवाज़ से यह दुआ पढ़ते –

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क व हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है। गुनाह से बाज़ रहने और नेकी की ताक़त अल्लाह ही से है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी की इबादत करते हैं उसी के लिए नेअ़मत व फ़ज़्ल है और उसी के लिए अच्छी तारीफ़ है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी के लिए दीन को ख़ालिस करते हैं अगर्चे काफ़िर बुरा मानें"।

हदीस न.5 : – सही बुख़ारी व मुस्लिम में मरवी कि फ़ुक़राए मुहाजिरीन (ग़रीब मुहाजिरीन)हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुए और अर्ज़ की मालदारों ने बड़े–बड़े दर्जे और ला–ज़वाल नेमत हासिल कीं। इरशाद फ़रमाया क्या सबब? लोगों ने अर्ज़ की जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वह भी पढ़ते है और जैसे हम रोज़ा रखते हैं वह भी रखते हैं और वह सदक़ा करते हैं और ग़ुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते। इरशाद फ़रमाया क्या तुम्हें ऐसी बात न सिखा दूँ जिससे उन लोगों को पालो जो तुम आगे बढ़ गये और बाद वालों पर सबक़त ले जाओ और तुम से कोई अफ़ज़ल न हो मगर वह तुम्हारी तरह करें। लोगों ने अर्ज़ की हाँ या रसुलल्लाह! इरशाद फ़रमाया कि हर नमाज़ के बाद 33–33बार 'सुब्हानल्लाह' 'अल्लाहु अकबर' और 'अल्हम्दुलिल्लाह' कह लिया करो। अबू सालेह़ कहते हैं कि फिर फ़ुक़राये मुहाजिरीन हाज़िर हुये और अर्ज़ की हम ने जो किया उस को हमारे भाई मालदारों ने सुना तो उन्होंने भी वैसा ही किया। इरशाद फ़रमाया यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहता है देता है। अबू सालेह़ का कलाम सिर्फ़ मुस्लिम में है।

हदीस न.6 : – सही मुस्लिम में कअ़ब इब्ने अजरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि इरशाद

फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ अज़कार नमाज़ के बाद हैं जिनका कहने वाला नामुराद नहीं रहता। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुब्हानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार,।

हदीस न.7 : – सही मुस्लिम में है अबू हूरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हर नमाज़ के बाद 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे यह कुल निन्यान्वे हुए और यह कलिमा कहकर सौ पूरे करे :– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

तो उस की तमाम ख़तायें बख़्श दी जायेंगी अगर्चे दरया के झाग की मिस्ल हों।

हदीस न.8 :– बैहक़ी शोबुल ईमान में रावी कि हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसी मिम्बर पर फ़रमाते सुना जो हर नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ मानेअ़ (रोकने वाली) नहीं सिवा मौत के यानी मरते ही जन्नत में चला जाये और लेटते वक़्त जो इसे पढ़े अल्लाह तआला उसे और उस के पड़ोसी के घर को और आस पास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा।

हदीस न.9 : – इमाम अहमद अब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम से और तिर्मिज़ी अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मग़रिब और सुबह के बाद बग़ैर जगह बदले और पाँव मोड़े दस बार जो यह पढ़ ले :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

उस के लिये हर एक के बदले दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और दस गुनाह मिटाये जायेंगे और दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे और यह दुआ उसके लिये हर बुराई और शैताने रजीम से हिफ़ाज़त करती है और किसी गुनाह को हलाल नहीं कि उसे पहुँचे सिवा शिर्क के और वह सब से अमल में अच्छा है मगर वह जो उस से अफ़ज़ल कहे तो यह बढ़ जायेगा। दूसरी रिवायत में फज्र व अस्र आया है और हनफ़िया के मज़हब से ज़्यादा मुनासिब यही है।

हदीस न.10 :– इमाम अहमद अबू दाऊद व नसई रिवायत करते हैं कि मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ कर इरशाद फ़रमाते ऐ मआज़!मैं तुझे महबूब रखता हूँ फ़रमाया तू हर नमाज़ के बाद इसे कह लेना छोड़ना नहीं :–

رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

तर्जमा :– "ऐ परवरदिगार! तू अपने ज़िक्र व शुक्र और हुस्ने इबादत पर मेरी मदद फ़रमा"।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने नज्द की जानिब एक लश्कर भेजा वह जल्द वापस हुआ और ग़नीमत बहुत लाया। एक साहब ने कहा इस लश्कर से बढ़कर हमने कोई लश्कर नहीं देखा जो जल्द वापस हुआ हो और ग़नीमत ज़्यादा लाया हो। इस पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि

क्या वह क़ौम बता दूँ जो ग़नीमत और वापसी में इन से बढ़कर है जो लोग सुबह़ में ह़ाज़िर हुये फिर बैठे अल्लाह का ज़िक्र करते रहे यहाँ तक कि आफ़ताब तुलू कर आये वह जल्द वापस होने वाले और ज़्यादा ग़नीमत वाले हैं।

क़ुर्आन मजीद पढ़ने का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۔

तर्जमा : "क़ुर्आन से जो मयस्सर आये पढ़ो।" और फ़रमाता है:–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝(پ٩ع١٤)

तर्जमा :– "जब क़ुर्आन पढ़ा जाये तो उसे सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि रह़म किये जाओ"।

हदीस न.1 ता 3 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने उ़बादा इब्ने सामित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जिसने सूरए फ़ातिह़ा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं या़नी नमाज़ कामिल नहीं चुनाँचे दूसरी रिवायत स़ह़ी मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है–"वह नमाज़ नाक़िस़ है "यह हुक्म उस के लिये है जो इमाम हो या तन्हा पढ़ता हो और मुक़तदी को खुद पढ़ना नहीं बल्कि इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है इस ह़दीस को इमाम मुह़म्मद और तिर्मिज़ी व ह़ाकिम ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया और इसी के मिस्ल इमाम अह़मद ने अपनी मुसनद में रिवायत की इमाम हलबी ने फ़रमाया कि यह ह़दीस बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त़ पर स़ह़ी है।

ह़दीस न.4 ता 6 :– इमाम अबू जाफ़र शरहे मआ़निल आसार में रिवायत करते हैं कि ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व ज़ैद इब्ने साबित व जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से सवाल हुआ तो इन सब ह़ज़रात ने फ़रमाया इमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़िरात न कर।

ह़दीस न.7 :– इमाम मुह़म्मद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से इमाम के पीछे क़िरात के बारे में सवाल हुआ फ़रमाया ख़ामोश रह कि नमाज़ में शुग़ल है और इमाम की क़िरात तुझे काफ़ी है।

ह़दीस न.8 :– सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया मैं दोस्त रखता हूँ या़नी यह बात पसन्द करता हूँ कि जो इमाम के पीछे क़िरात करे उस के मुँह में अंगारा हो।

ह़दीस न.9 :– अमीरुल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़े आज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं तो इमाम के पीछे क़िरात करता है काश उसके मुँह में पत्थर हों।

ह़दीस न.10 :– ह़ज़रते अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मनकूल है कि फ़रमाया जिसने इमाम के पीछे क़िरात की उसने फ़ित़रत से ख़त़ा की।

अह़कामे फ़िक़हिय्या :– यह तो पहले मा़लूम हो चुका है कि क़िरात में इतनी आवाज़ ज़रूरी है

कि अगर कोई रोक मसलन ऊँचा सुनने वाला और शोर गुल न हो तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी न हो तो नमाज़ न होगी। इसी तरह जिन मुआमलात में आवाज़ का एअ्तिबार है सब में इतनी आवाज़ ज़रूरी है मसलन जानवर ज़िबह करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना, तलाक़ देना, इताक़ यानी गुलाम आज़ाद करना,इस्तिस्ना यानी कुछ अलग करना,आयते सजदा पढ़ने पर सजदए तिलावत वाजिब होना।

मसअ्ला :– 7 फ़ज्र व मग़रिब व इशा की दो पहली में और जुमा व ईदैन व तरावीह और वित्रे रमज़ान कि इन सब में इमाम पर जहर (आवाज़ से पढ़ना)वाजिब है और मग़रिब की तीसरी और इशा की तीसरी चौथी या ज़ोहर व अस्र की तमाम रकअ्तों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जहर के यह मअ्ना हैं कि दूसरे लोग यअ्नी वह कि सफ़े अव्वल में है सुन सके यह अदना दर्जा है और अअ्ला के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं और आहिस्ता यह कि खुद सुन सके(आम्मएकुतुब)

मसअ्ला :– इस तरह पढ़ना कि फ़क़त दो एक आदमी जो उस के क़रीब हैं सुन सकें जहर नहीं बल्कि आहिस्ता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हाजत से ज़्यादा इस क़द्र बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरे के लिए तकलीफ़ की वजह हो मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आहिस्ता पढ़ रहा था कि दूसरा शख़्स शामिल हो गया तो जो बाक़ी है उसे जहर से पढ़े और जो पढ़ चुका है उसका लौटाना ज़रूरी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक बड़ी आयत जैसे आयतल कुर्सी या आयते मदाइना(तीसरे पारे की सातवें रुकू वाली आयते करीमा जो पूरी एक सफ़्हे की है)अगर एक रकअ्त में उसमें का बाज़ पढ़ा और दूसरी में बाज़ तो जाइज़ है जबकि हर रकअ्त में जितना पढ़ा बक़द्रे तीन आयत के हो। (आ़लमगीरी)

मसअला :– दिन के नवाफ़िल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है और रात के नवाफ़िल में इख़्तियार है अगर तन्हा पढ़े और जमाअ्त से रात के नफ़्ल पढ़े तो जहर वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जहरी नमाज़ों में मुनफ़रिद को इख़्तियार है और अफ़ज़ल जहर है जबकि अदा पढ़े और जब क़ज़ा है तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जहरी की क़ज़ा अगर्चे दिन में हो इमाम पर जहर वाजिब है और सिर्री की क़ज़ा में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है अगर्चे रात में अदा करे। (आ़लमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चार रकअ्ती फ़र्ज़ की पहली दोनों रकअ्तों में सूरत भूल गया तो पिछली रकअ्तों में पढ़ना वाजिब है और एक में भूल गया तो तीसरी या चौथी में पढ़े और मग़रिब की पहली दोनों में भूल गया तो तीसरी में पढ़े और एक रकअ्त की क़िराते सूरत जाती रही और इन सब सूरतों में फ़ातिहा के साथ पढ़े जहरी नमाज़ हो तो फ़ातिहा व सूरत जहरन पढ़े वरना आहिस्ता और सब सूरतों में सजदए सहव करे और क़स्दन छोड़ी तो नमाज़ लौटाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– सूरत मिलाना भूल गया रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाये और सूरत मिलाये फिर रुकू करे और आख़िर में सजदए सहव करे अगर दोबारा रुकू न करेगा तो नमाज़ न होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पहली रकअ्तों में फ़ातिहा भूल गया तो पिछली रकअ्तों में उसकी क़ज़ा नहीं और रुकू से पहले याद आया तो क़ियाम की तरफ़ लौटे और फ़ातिहा व सूरत पढ़े फ़िर रुकू करे अगर दोबारा रुकू न करेगा नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक आयत का हिफ़्ज़ (याद) करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़े ऐन है और पूरे क़ुर्आन मजीद का हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया और सूरए फ़ातिहा और दूसरी छोटी सूरत इस के मिस्ल मसलन तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का हिफ़्ज़ वाजिबे ऐन है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बक़द्रे ज़रूरत मसाइले फ़िक़्ह का जानना फ़र्ज़े ऐन है और हाजत से ज़ाइद सीखना क़ुर्आन के हिफ़्ज़ करने से अफ़ज़ल है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में सूरए बुरूज या इसके मिस्ल सूरतें पढ़े और अस्र व इशा में इससे छोटी और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल यानी सूरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ से सूरए नास तक की छोटी सूरतें पढ़ना अफ़ज़ल है और जल्दी हो तो हर नमाज़ में जो चाहे पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इज़तिरारी (बेचैनी या बेक़रारी)की हालत में मसलन वक़्त जाते रहने या दुश्मन या चोर का ख़ौफ़ हो तो बक़द्रे हाल यानी मौक़े के मुताबिक़ पढ़े ख़्वाह सफ़र में हो या हज़र में यहाँ तक कि अगर वाजिबात की रिआयत नहीं कर सकता तो इसकी भी इजाज़त है मसलन फ़ज्र का वक़्त इतना तंग है कि सिर्फ़ एक आयत पढ़ सकता है तो यही करे। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)मगर बादे बलन्दीए आफ़ताब इस नमाज़ को लौटाये।

मसअ्ला :– सुन्नते फ़ज्र में जमाअ्त जाने का ख़ौफ़ हो तो सिर्फ़ वाजिबात पर इख़्तिसार करे सना व तअव्वुज़ को तर्क करे और रुकू सुजूद में एक–एक बार तस्बीह पर इकतेफ़ा करे।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हज़र में जबकि वक़्त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में तिवाले मुफ़स्सल पढ़े और अस्र व इशा में औसाते मुफ़स्सल और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल और इन सब सूरतों में इमाम व मुनफ़रिद दोनों का एक ही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

फ़ाइदा :– सूरए हुजरात से आख़िर तक क़ुर्आन मजीद की सूरतों को मुफ़स्सल कहते हैं। उसके यह तीन हिस्से हैं सूरए हुजुरात से बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल और सूरए बुरूज से सूरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ तक औसाते मुफ़स्सल और सुरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ से आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल

मसअ्ला : – अस्र की नमाज़ वक़्ते मकरूह में अदा करे जब भी बेहतर यह है कि क़िराते मसनूना को पूरा करे जबकि वक़्त में तंगी न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वित्र में नबी सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली रकअ्त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى दूसरी में قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ी है ,लिहाज़ा कभी तबर्रुकन इन्हें पढ़े।

मसअ्ला :– क़िरात मसनूना पर ज़्यादत न करे जबकि मुक़तदियों पर गिराँ हो और शाक़ न हो तो ज़्यादते क़लीला में हरज नहीं। (आलमगीरी ,रद्दुल मुहतार)

मसअला : – फ़र्ज़ में ठहर–ठहर कर क़िरात करे और तरावीह में मुतवस्सित अन्दाज़ पर और रात के नवाफ़िल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके यानी कम से कम मद का जो दर्जा क़ारियों ने रखा है उसको अदा करे वरना ह़राम है इसलिये कि तरतील से क़ुर्आन पढ़ने का हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)आजकल के अकसर ह़ाफ़िज इस त़रह़ पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है يَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُوْنَ के सिवा किसी भी लफ़्ज़ का पता भी नहीं चलता न सही ह़रूफ़ अदा करते हैं बल्कि जल्दी में लफ़्ज़ के लफ़्ज़ खा जाते है और इस पर फ़ख़्र होता है कि फ़लाँ इस क़द्र जल्दी पढ़ता है हालाँकि इस तरह क़ुर्आन मजीद पढ़ना ह़राम व सख़्त ह़राम है।

मसअला :– सातों क़िरातें जाइज़ हैं मगर ज़्यादा अच्छा यह है कि अ़वाम जिसे न जानते हों वह न पढ़े कि उस में उनके दीन की हिफ़ाज़त है जैसे हमारे यहाँ क़िराते इमाम आ़सिम व रिवायते ह़फ़्स राइज़ है लिहाज़ा यही पढ़े (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– फ़र्ज़ की पहली रकअ़त को ब निस्बत दूसरी के दराज़ करना मसनून है और उसकी मिक़दार यह रखी गई है कि पहली में दो तिहाई दूसरी में एक तिहाई (आलमगीरी)

मसअला :– अगर फ़र्ज़ की पहली रकअ़त में तूले फ़ाह़िश किया मसलन पहली में चालीस आयतें दूसरी में तीन तो भी मुज़ाएक़ा नहीं मगर बेहतर नहीं। (रद्दुल मुह्तार)

मसअला :– बेहतर यह है कि और नमाज़ों में भी पहली रकअ़त की क़िरात दूसरी से क़द्रे ज़्यादा हो यही हुक्म जुमे व ईदैन का भी है (आ़लमगीरी)

मसअला :– सुनन व नवाफ़िल में दोनों रकअ़तों में बराबर की सूरतें पढ़े (मुनया)

मसअला :– दुसरी रकअ़त की क़िरात पहली से त़वील करना मकरूह है जबकि बय्यिन (खुला हुआ)फ़र्क़ मालूम होता हो और इसकी मिक़दार यह है कि अगर दोनों सूरतों की आयतें बराबर हों तो तीन आयत की ज़्यादती से कराहत है और छोटी बड़ी हों तो आयतों की तादाद का एअ़तिबार नहीं बल्कि हुरूफ़ व कलिमात का एअ़तिबार है अगर कलिमात व हुरूफ़ में बहुत तफ़ावुत (फ़र्क़)हो "अगर्चे आयतें गिनती में बराबर हों मसलन पहली में اَلَمْ نَشْرَحْ पढ़ी और दूसरी में لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ तो कराहत है अगर्चे दोनों में आठ आठ आयतें हैं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जुमे व ईदैन की पहली रकअ़त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى दूसरी में هَلْ اَتٰكَ पढ़ना सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से साबित है यह उस क़ादे से मुसतस्ना(अलग)है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सूरतों का मुअय्यन कर लेना कि उस नमाज़ में हमेशा वही सूरत पढ़ा करे मकरूह है मगर जो सूरतें अह़ादीस में वारिद हैं उनको कभी कभी पढ़ लेना मुस्तह़ब है मगर मुदावमत (हमेशगी)न करे कि कोई वाजिब न गुमान करे (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 365)

मसअला :– फ़र्ज़ नमाज़ में आयते तरग़ीब (जिस में सवाब का बयान है) व तरहीब (जिस में अज़ाब का ज़िक्र है)पढ़े तो मुक़तदी व इमाम उसके मिलने और उस से बचने की दुआ़ न करे नवाफ़िल बाजमाअ़त का भी यही हुक्म है हाँ नफ़्ल तन्हा पढ़ता हो तो दुआ़ कर सकता है।(रद्दुल मुहतार जि.1 स.366)

मसअला :– दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत की तकरार मकरूहे तन्ज़ीही है जबकि कोई मजबूरी न

हो और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं मसलन पहली रकअ़त में पूरी قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ पढ़ी तो अब दूसरी में भी यही पढ़े यानी बिना इरादे के वही पहली सूरत शुरू कर दी या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– नवाफ़िल की दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत को मुकर्रर (बार–बार)पढ़ना या एक रकअ़त में उसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है (गुनिया स. 462)

मसअ्ला :– एक रकअ़त में पूरा कुर्आन मजीद ख़त्म कर लिया तो दूसरी में फ़ातिहा के बाद'अलिफ़ लाम मीम' से शुरू करे (आलमगीरी जि. 1 स. 74)

मसअ्ला :– फ़राइज़ की पहली रकअ़त में चन्द आयतें पढ़ीं और दूसरी में दूसरी जगह से चन्द आयतें पढ़ीं अगर्चे उसी सूरत की हों तो अगर दरमियान में दो या ज़्यादा आयतें रह गईं तो हरज नहीं मगर बिला ज़रूरत ऐसा न करे और अगर एक ही रकअ़त में चन्द आयतें पढ़ीं फिर कुछ छोड़ कर दूसरी जगह से पढ़ा तो मकरूह है और भूल कर ऐसा हुआ तो लौटे और छूटी हुई आयतें पढ़े (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– पहली रकअ़त में किसी सूरत का आख़िर पढ़ा और दूसरी में कोई छोटी सूरत मसलन पहली में اَفَحَسِبْتُمْ और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌतो हरज नहीं (आलमगीरी जि़ 1 स. 74)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की एक रकअ़त में दो सूरत न पढ़े और मुनफ़रिद पढ़ ले तो हरज भी नहीं ब–शर्ते कि उन दोनों सूरतों में फ़ासिला न हो और अगर बीच में एक या चन्द सूरतें छोड़ दीं तो मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पहली रकअ़त में कोई सूरत पढ़ी दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़ कर पढ़ी तो मकरूह है और अगर वह दरमियान की सूरत बड़ी है कि उसको पढ़े तो दूसरी की क़िरात तवील हो जायेगी तो हरज नही जैसे "وَالتِّيْنِ" के बाद "اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ" पढ़ने में हरज नहीं औरاِذَا جَآءَ के बादقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌपढ़ना न चाहिये (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– कुर्आन मजीद उलटा पढ़ना कि दूसरी रकअ़त में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़े यह मकरूहे तहरीमी है मसलन पहलीقُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَपढ़ी और दूसरी में اَلَمْ تَرَ كَيْفَ (दुर्रेमुख़्तार) इस के लिये सख़्त वईद आई है अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु ताअ़ाला अ़न्हु फ़रमाते हैं जो कुर्आन मजीद उलट कर पढ़ता है क्या ख़ौफ़ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे भूल कर हो तो न गुनाह न सजदए सहव।

मसअ्ला :– बच्चों की आसानी के लिए 'अ़म म पारा ख़िलाफ़े तरतीबे कुर्आन मजीद पढ़ना जाइज़ है

मसअ्ला :– भूल कर दूसरी रकअ़त में ऊपर की सूरत शुरू कर दी या एक छोटी सूरत का फ़ासिला हो गया फिर याद आया तो जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे अगर्चे अभी एक ही हर्फ़ पढ़ा हो मसलन पहली में पढ़ने की قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और दूसरी मेंاَلَمْ تَرَ كَيْفَ याاِذَا جَآءَ छोड़ कर تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ शुरू कर दी अब याद आने पर उसी को ख़त्म करे।(दुर्रे मुख़्तार 1–367)

मसअ्ला :– ब निसबत एक बड़ी आयत के तीन छोटी आयतों का पढ़ना अफ़ज़ल है जुज़वे सूरत यानी सूरत का कुछ हिस्सा और पूरी सूरत में अफ़ज़ल वह है कि जिसमें ज़्यादा आयतें हों।

मसअला :– रुकू के लिये तकबीर कही मगर अभी रुकू में न गया था यानी घुटनों तक हाथ पहुँचने के काबिल न झुका था कि और ज़्यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है कुछ हरज नहीं(आलमगीरी)

नमाज़ के बाहर क़ुर्आन पढ़ने के मसाइल

मसअला :– क़ुर्आन मजीद देखकर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफ़ज़ल है कि यह पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से उसका छूना भी और यह सब इबादत हैं।

मसअला :– मुस्तहब यह है कि बा–वुज़ू क़िब्ला–रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और शुरू तिलावत में अऊज़ू पढ़ना वाजिब है और शुरू सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत है और अगर सूरत के दरमियान से पढ़े तो बिस्मिल्लाह मुस्तहब है और अगर जो आयत पढ़ना चाहता है उसके शुरू में ज़मीर मौला तआला की तरफ़ लौटती है जैसे :–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ तो इस सूरत में अऊज़ु के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है दरमियान में कोई दुनयावी काम करे तो अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या सुब्हानल्लाह और कलिमए तय्यबा वग़ैरा अज़कार पढ़े अऊज़ु बिल्लाह फिर पढ़ना उस के ज़िम्मे नहीं। (गुनिया वग़ैरा स 436)

मसअला :– सूरए बराअत से अगर तिलावत शुरू की तो अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरए बराअत आ गई तो तसमीया(यानी बिस्मिल्लाह शरीफ़)पढ़ने की हाजत नहीं (गुनिया) और उसके शुरू में नया तअव्वुज़ जो आजकल के हाफ़िज़ों ने निकाला है बेअस्ल है और यह जो मशहूर है कि सूरए तौबा इब्तेदाअन भी पढ़े जब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े यह महज़ ग़लत है।

मसअला :– गर्मियों में सुबह को क़ुर्आन मजीद ख़त्म करना बेहतर है और जाड़ों में अव्वल शब को कि हदीस में है कि जिसने शुरू दिन में क़ुर्आन ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस हदीस को दारमी ने सअ्द इब्ने वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया तो गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुबह को ख़त्म करने में इस्तिग़फ़ारे मलाइका ज़्यादा होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होतीं हैं शुरू रात में ख़त्म करने से इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होगी। (गुनिया 464)

मसअला :– तीन दिन से कम में क़ुर्आन का ख़त्म ख़िलाफ़े औला है कि नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने तीन रात से कम में क़ुर्आन पढ़ा उसने समझा नहीं। इस हदीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया।

मसअला :– जब ख़त्म हो तो तीन बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ना बेहतर है अगर्चे तरावीह में हो अलबत्ता अगर फ़र्ज़ नमाज़ में ख़त्म करे तो एक बार से ज़्यादा न पढ़े। (गुनिया वग़ैरा 464)

मसअला :– लेट कर क़ुर्आन पढ़ने में हरज नहीं जबकि पाँव सिमटे हों और मुँह खुला हो,यूँही चलने और काम करने की हालत मे भी तिलावत जाइज़ है जबकि दिल न बटे वर्ना मकरूह है।(गुनिया स 464)

मसअ्ला :– गुस्लख़ाने और मौज़ए नजासत में क़ुर्आन मजीद पढ़ना नाजाइज़ है। (गुनिया 464)

मसअ्ला :– जब बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ा जाये तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है जबकि वह मजमा सुनने की ग़र्ज़ से हाज़िर हो वर्ना एक का सुनना काफ़ी है अगर्चे और अपने काम में हों। (गुनिया,फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– मजमे में सब लोग बलन्द आवाज़ से पढ़ें यह हराम है अकसर तीजों में सब बलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं यह हराम है अगर चन्द शख़्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा स 366)

मसअ्ला :– बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में मशग़ूल हों बलन्द आवाज़ से पढ़ना नाजाइज़ है। लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है अगर काम में मशग़ूल होने से पहले उसने पढ़ना शुरू कर दिया हो, और अगर वह जगह काम करने के लिए मुक़र्रर न हो तो अगर पहले पढ़ना उसने शुरू किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम करने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया तो सब पर गुनाह। (गुनिया स 465)

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद सुनना तिलावत करने और नफ़्ल पढ़ने से अफ़ज़ल है। (गुनिया)

मसअ्ला :– तिलावत करने में कोई शख़्स मुअ़ज़्ज़में दीनी,बादशाहे इस्लाम या आ़लिमे दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है।(गुनिया 465)

मसअ्ला :– औ़रत को औ़रत से क़ुर्आन मजीद पढ़ना ग़ैर महरम नाबीना(अन्धे)से पढ़ने से बेहतर है कि अगर्चे वह उसे देखता नहीं मगर आवाज़ तो सुनता है और औ़रत की आवाज़ भी औ़रत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। (गुनिया 465)

मसअ्ला : – क़ुर्आन पढ़ कर भुला देना गुनाह है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किए गए यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह जो मुझ पर पेश हुए तो इससे बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उसने भुला दिया। इस हदीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। दूसरी रिवायत में है कि जो क़ुर्आन पढ़कर भूल जाये क़ियामत के दिन कोढ़ी होकर आयेगा और क़ुर्आन मजीद में है कि अन्धा उठेगा।

मसअ्ला :– जो शख़्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि उसे बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व हसद पैदा न हो। (गुनिया 465)इसी तरह अगर किसी का क़ुर्आन शरीफ़ उसके पास है उस पर ग़लती देखी तो उसे ठीक कर देना वाजिब है।

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद निहायत बारीक क़लम से लिखकर छोटा कर देना जैसा आजकल तावीज़ी क़ुर्आन छपते मकरूह है कि इसमें तहक़ीर की सूरत है। (गुनिया 465) बल्कि हमाइल यानी छोटा क़ुर्आन जो गले में लटकाते हैं उतना छोटा भी न लिखना चाहिए।

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद बलन्द आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है जब कि किसी नमाज़ी या मरीज़ या सोते को तकलीफ़ न पहुँचे। (गुनिया 465)

मसअ्ला :– दीवारों और मिह्राबों पर कुर्आन मजीद लिखना अच्छा नहीं और मुस्हफ़(कुर्आन)शरीफ़ को मतल्ला करने यानी सोने का पानी चढ़ाने में ह्रज नहीं(गुनिया 465) बल्कि ब नियते ताज़ीम मुस्तह्ब है।

क़िरात में ग़लती हो जाने का बयान

इस बाब में क़ाइदा कुल्लिया यह है कि अगर ऐसी ग़लती हुई जिससे मअ्ना बिगड़ गए हों तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं यानी मअ्ना ग़लत हो जाने से नमाज़ जाती रहेगी।

मसअ्ला :– एअ्राबी ग़लतियाँ अगर ऐसी हों जिनसे मअ्ना न बिगड़ते हों तो मुफ़सिदे नमाज़ नहीं यानी उन से नमाज़ नहीं जायेगी मसलन لَاتَرْفَعُوْآاَصْوَاتَكُم में اَصْوَاتَكُم के ت पर ज़बर की जगह पेश पढ़ा और نَعْبُدُ के ب पर पेश की जगह ज़बर पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी और अगर मअ्ना इतना बदल गया कि उसका अक़ीदा रखना और जानबूझ कर पढ़ना कुफ़ हो तो ज़्यादा एह्तियात यह है कि नमाज लौटाये मसलन اِنَّمَايَخْشَى اللّٰهَ مِنْ، عَصٰى اٰدَمُ رَبَّه में م को जबर और ب को पेश पढ़ दिया गया और فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْن में ذ पर ज़ेर पढ़ा और عِبَادِهِ الْعُلَمَاء में اَللّٰه पर पेश और اَلْعُلَمَآءُ पर ज़बर पढ़ा और اِيَّاكَ نَعْبُد में ك को ज़ेर पढ़ा और اَلْمُصَوِّر के و को ज़बर पढ़ा। इन सब सूरतों में नमाज़ को दोबारा पढ़ना बेहतर है। (रद्दुलमुहतार,आलमगीरी ज़ि 1 स 76)

मसअ्ला :– तश्दीद को तख़फ़ीफ़ पढ़ा यानी सिर्फ़ किसी ह्र्फ़ पर ज़बर,ज़ेर पेश या सुकून पढ़ा जैसे 0 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْن में اِيَّاكَ की ی पर तश्दीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ जबर पढ़ा जैसे اِيَاكَ 0 और जैसे 0 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن में ب पर तश्दीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ ज़ेर पढ़ा और जैसे 0 رَبِ الْعٰلَمِيْن पढ़ा और जैसे قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا में ت पर तशदीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ ज़ेर पढ़ा यानी قُتِلُوا पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी।(आलमगीरी,रद्दुद मुह्तार)

तम्बीह :– यह कोई क़ाइदए कुल्लिया नहीं बल्कि बाज़ जगह तशदीद न पढ़ने से नमाज़ न होगी जैसे सूरए माऊन में 0 يَدُعُّ الْيَتِيْم में अगर किसी ने يَدُعُّ पर तशदीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ पेश पढ़ी जैसे يَدُعُ الْيَتِيْم 0 पढ़ा तो नमाज़ न होगी तो मत्लब वही है कि मअ्ना फ़ासिद होने से नमाज़ न होगी और अगर मअ्ना फ़ासिद न हों तो नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला : – मुख़फ़्फ़फ़ को मुशद्दद पढ़ा यानी जिस ह्र्फ़ पर तश्दीद न थी तश्दीद पढ़ी जैसे 0 وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ में كَذَبَ के ذ को तश्दीद के साथ पढ़ा या इदग़ाम को तर्क किया यानी एक ह्र्फ़ को दूसरे के साथ मिला कर न पढ़ा जैसे اِهْدِنَا الصِّرَاط में اَلْصِرَاط पढ़ा यानी ل ज़ाहिर कर के اِهْدِنَا الْصِرَاط पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी।(आलमगीरी, ज़ि 1 स 76 रद्दुलमुहतार ज़ि 1 स 424)

मसअ्ला :– ह्र्फ़ ज़्यादा करने से अगर मअ्ना न बिगड़ें तो नमाज़ फ़ासिद न होगी जैसे وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر में ه के बाद ی ज़्यादा करके وَانْهٰی पढ़ा और जैसे هُمُ الَّذِيْن में م को जज़्म कर के अलिफ़ ज़ाहिर कर के هُمْ اَلَّذِيْن पढ़ा और अगर ह्र्फ़ के बढ़ाने से मअ्ना फ़ासिद हो जायें जैसे زَرَابِيُّ की ی को ب से बदल कर زَرَابِيْبُ पढ़ा और जैसे مَثَانِيْ में ی के बाद ن ज़्यादा करके مَثَانِيْن पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी।

(आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ह्र्फ़ को दूसरे कलिमे के साथ मिलाने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती जैसे اِيَّاكَ نَعْبُدُ को

إِيَّاكَ نَعْبُدُ पढ़ा यूँही कलिमे के बाज़ हर्फ़ को क़तअ् करना भी मुफ़सिद नहीं यूहीं वक़्फ़ व इब्तिदा का बे-मौक़ा होना भी मुफ़सिद नहीं अगर्चे वक़्फ़े लाज़िम हो إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ पर वक़्फ़ किया फिर पढ़ा أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ या أَصْحَابُ النَّارِ पर वक़्फ़ न किया और الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ पढ़ दिया और شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ पर वक़्फ़ कर के إِلَّا هُوَ पढ़ा। इन सब सूरतों में नमाज़ हो जायेगी मगर ऐसा करना बहुत बुरा है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– कोई कलिमा यानी लफ़्ज़ ज़्यादा कर दिया तो वह कलिमा क़ुर्आन में है या नहीं दोनों सूरतों में मअ्ना बिगड़ता है तो नमाज़ जाती रहेगी जैसे

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَّ جَمَالًا और إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

और अगर मअ्ना न बिगड़ते हों तो नमाज़ हो जायेगी अगर्चे क़ुर्आन में उसका मिस्ल न हो जैसे إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا और فِيهَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ تُفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– किसी कलिमे को छोड़ गया और मअ्ना फ़ासिद न हुए जैसे جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا में दूसरे سَيِّئَةٌ को न पढ़ा तो भी नमाज़ हो जायेगी और अगर उसकी वजह से मअ्ना फ़ासिद हों जैसे فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ में لَا न पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई हर्फ़ कम कर दिया जिससे मअ्ना फ़ासिद हो गये जैसे خَلَقْنَا को बिला خ के لَقْنَا पढ़ा और جَعَلْنَا में बग़ैर ج के عَلْنَا पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर मअ्ना फ़ासिद न हों जैसे अरबी ज़बान का क़ाइदा है कि मुनादा (जिसे पुकारा जाये)के आख़िर से कुछ हर्फ़ गिरा देते हैं इसको तरख़ीम कहते हैं। अगर इस क़ाइदे के तौर पर शरारत के साथ कोई हर्फ़ गिरा दिया जैसे يَا مَالِكُ में يَا مَالِ पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी यूहीं تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا में تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक लफ़्ज़ के बदले में दूसरा लफ़्ज़ पढ़ा अगर मअ्ना फ़ासिद न हों तो नमाज़ हो जायेगी जैसे عَلِيمٌ की जगह حَكِيمٌ पढ़ा और अगर मअ्ना फ़ासिद हों तो नमाज़ न होगी जैसे وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ में فَاعِلِينَ की जगह غَافِلِينَ पढ़ा और अगर निस्बत में ग़लती की और मनसूब इलैह यानी जिसकी तरफ़ निस्बत की गई उसका ज़िक्र क़ुर्आन में नहीं है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई जैसे مَرْيَمَ ابْنَتَ غَيْلَانَ पढ़ा और अगर क़ुर्आन में है तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जैसे مَرْيَمَ ابْنَةَ لُقْمٰنَ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हुरूफ़ के आगे पीछे करने में भी अगर मअ्ना फ़ासिद हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी वर्ना नहीं जैसे قَسْوَرَةٍ को قَوْسَرَةٍ पढ़ा عَصْفٍ की जगह عَفْصٍ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद होगई और اِنْفَجَرَتْ की जगह اِنْفَرَجَتْ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यही हुक्म कलिमे के आगे पीछे करने का है जैसे لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيقٌ में شَهِيقٌ को زَفِيرٌ से पहले करके لَهُمْ فِيهَا شَهِيقٌ وَّ زَفِيرٌ पढ़ दिया तो नमाज़ हो जायेगी और إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ में अगर किसी ने إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَحِيمٍ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ पढ़ा तो नमाज़ न होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक आयत को दूसरी आयत की जगह पढ़ा अगर पूरा वक़्फ़(ठहराव)कर चुका है तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जैसे وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ पर वक़्फ़ कर के إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ पढ़ा या إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ पर वक़्फ़ किया फिर पढ़ा। أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ नमाज़ हो गई और अगर वक़्फ़ न किया तो मअ्ना बदलने की सूरत में नमाज़ न होगी जैसे ऊपर गुज़री मिसाल में दोनों जगह की आयते

करीमा को एक ही साँस में पढ़ दिया यानी إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ एक ही साँस में पढ़ा और लफ़्ज़ صٰلِحٰتِ पर वक़्फ़ न किया तो नमाज़ न होगी और अगर मअ़ना नहीं बिगड़ा तो नमाज़ हो जायेगी जैसे إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ की जगह فَلَهُمْ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ पढ़ा तो नमाज़ हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी कलिमे को दो बार पढ़ा तो मअ़्ना फ़ासिद होने में नमाज़ फ़ासिद होगी जैसे رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ और مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ مٰلِكِ مٰلِكِ जबकि इज़ाफ़त के इरादे से पढ़ा हो यानी 'रब का रब' मालिक का मालिक' और अगर मख़रज को दुरूस्त करने के इरादे से दोबारा पढ़ा या बग़ैर इरादे के ज़बान से दो बार हो गया या कुछ भी इरादा न किया तो इस सब सूरतों में नमाज़ हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला : – एक ह़र्फ़ की जगह दूसरा ह़र्फ़ पढ़ना अगर इस वजह से हो कि उसकी ज़बान से वह ह़र्फ़ अदा नहीं होता तो मजबूर है उस पर कोशिश करना ज़रूरी है और अगर लापरवाही की वजह से है जैसे आजकल के बहुत से हाफ़िज़ और उ़लमा,कि अदा करने पर क़ादिर हैं यानी अदा कर सकते हैं मगर बेख़्याली में अदा नहीं करते बल्कि ह़र्फ़ को बदल देते हैं तो अगर मअ़्ना फ़ासिद हों तो नमाज़ न होगी इस क़िस्म की जितनी नमाज़ें पढ़ी हों उनकी क़ज़ा लाज़िम है। इसका साफ़–साफ़ बयान इमामत के बयान में आयेगा।

मसअ्ला :– ط और ت में फ़र्क़ करना ज़रूरी है। यूँही س، ث और ص में फ़र्क़ करना ज़रूरी है इसी तरह ذ ،ز और ظ में फ़र्क़ करना ज़रूरी है।ऐसी ही ء، ع ه और ح में फ़र्क़ करना ज़रूरी है। युँही ض، ظ और د में फ़र्क़ करना ज़रूरी हैं। वर्ना मअ़्ना फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बाज़ लोग तो س-ش، ز-ج، ق-ك में भी फ़र्क़ नहीं करते

मसअ्ला :– मद,गुन्ना,इज़्हार,इख़्फ़ा,इमाला(ये फ़न्ने क़िरात के शब्द हैं)बे मौक़ा पढ़ा या जहाँ पढ़ना है न पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी वग़ैरा)

नोट :– मद किसी ह़र्फ़ को खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं हुरूफ़े मद तीन हैं 1. वाव साकिन उस से पहले पेश हो 2. य साकिन उससे पहले ज़ेर हो आलिफ़ साकिन उस से पहले ज़बर हो मद की दो क़िस्मे हैं मद मुत्तसिल और मद मुन्फ़सिल। मद मुत्तसिल ह़रूफ़े मद के बाद हमज़ा उसी लफ़्ज़ में हो। और ह़रूफ़े मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद मुन्फ़सिल।

गुन्ना :– नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं नून मीम गुशद्दद हों तो गुन्ना ज़रूरी है।

इज़्हार :– नाक में आवाज़ न ले जाने को और ज़ाहिर कर के पढ़ने को इज़हार कहते हैं

इख़्फ़ा :– किसी ह़र्फ़ की पोशीदा कर के पढ़ने को इख़्फ़ा कहते हैं।

इमाला :– ज़ेर को ى य की त़रफ़ माइल कर के पढ़ने को इमाला कहते है (क़ादरी)

मसअ्ला :– लह़न यानी गाने की त़रह़ कुर्आन पढ़ना ह़राम है और सुनना भी ह़राम है मगर मद वग़ैरा में लह़न हुआ तो नमाज़ हो जायेगी (आलमगीरी 1–77)जबकि बहुत ज़्यादा खींचना न हो कि तान की ह़द तक पहुँच जाये।(و साकिन से पहले अगर पेश हाى साकिन से पहले अगर ज़ेर हो ओर الف से पहले अगर ज़बर हो तो ऐस و، ى और الف को हुरूफ़े मद्दा कहते हैं)

मसअ्ला :–अल्लाह तआ़ला के लिए मुअन्नस (स्त्री लिंग)के सेगे या मुअन्नस की ज़मीर पढ़ने से नमाज़ जाती रहती है। (आ़लमगीरी 1–77)

इमामत का बयान

हदीस न.1 : – अबू दाऊद इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया तुम में के अच्छे लोग अज़ान कहें और क़ारी लोग इमामत करें कि उस ज़माने में जो ज़्यादा कुर्आन पढ़ा होता वही इल्म में ज़्यादा होता।

हदीस न.2 : – स़ही मुस्लिम की रिवायत अबू स़ईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ "अक़रा" है यानी कुर्आन ज़्यादा पढ़ा हुआ।

हदीस न.3 : – अबुश्शैख़ की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया इमाम व मोअज़्ज़िन को उन सब के बराबर सवाब है जिन्होंने उनके साथ पढ़ी है।

हदीस न.4 : – अबू दाऊद व तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि अबू अ़तिया अ़क़ीली कहते हैं कि मालिक इब्ने हुवैरस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हमारे यहाँ आया करते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त आ गया हम ने कहा आगे बढ़िये,नमाज़ पढ़ाईये। फ़रमाया अपने में से किसी को आगे करो कि नमाज़ पढ़ाये और बता दूँगा कि मैं क्यूँ नहीं पढ़ाता। मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम से सुना है कि फ़रमाते हैं जो किसी क़ौम की मुलाक़ात को जाये तो उनकी इमामत न करे और यह चाहिये कि उन्हीं में का कोई इमामत करे।

हदीस न.5 : – तिर्मिज़ी अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया कि तीन शख़्सों की नमाज़ कानों से मुतजाविज़ नहीं होती यानी कानों से आगे नहीं बढ़ती। भागा हुआ गुलाम यहाँ तक कि वापस आये, और जो औ़रत इस ह़ालत में रात गुज़ारे कि उसका शौहर उस पर नाराज़ है और किसी गिरोह का इमाम कि वह लोग उसकी इमामत से कराहत करते हों (यानी किसी शरई ख़राबी की वजह से)

हदीस न.6 : – इब्ने माजा की रिवायत इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से यूँ है कि तीन शख़्सों की नमाज़ सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती एक वह शख़्स़ कि क़ौम की इमामत करे और वह लोग उस को बुरा जानते हों और वह औ़रत जिस ने इस ह़ालत में रात गुज़ारी कि उस का शौहर उस पर नाराज़ है और दो मुसलमान भाई जो एक दूसरे को किसी दुनयावी वजह से छोड़े हों।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम तीन शख़्सों की नमाज़ कबूल नहीं होती जो शख़्स क़ौम के आगे हो यानी इमाम हो और वह लोग उस से कराहत करते हों और वह शख़्स कि नमाज़ को पीठ दे कर आये यानी नमाज़ फ़ौत होने के बाद पढ़े और वह शख़्स़ जिसने आज़ाद को गुलाम बनाया।

हदीस न.8 : – इमाम अह़मद व इब्ने माजा सलामा बिन्ते हुर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ियामत की अ़लामत से है कि बाहम अहले मस्जिद इमामत एक दूसरे पर डालेंगे किसी को इमाम नहीं पायेंगे कि उनको नमाज़ पढ़ा दें (यानी कोई इमामत के लाइक़ नहीं होगा)

हदीस न.9 :– बुख़ारी के अ़लावा सिह़ाह़ सित्ता में अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के घर या उसकी सल्तनत में इमामत न की जाये न उसकी मसनद पर बैठा जाये मगर उस की इजाज़त से।

हदीस न.10 :– बुखारी व मुस्लिम वग़ैरा हुमा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई औरों को नमाज़ पढ़ाये तो नमाज़ में तख़्फ़ीफ़(नमाज़ लम्बी न) करे कि उन में बीमार और कमज़ोर और बूढ़ा होता है और जब अपनी पढ़े तो जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े।

हदीस न.11 : – इमाम बुख़ारी अबू क़तादह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मैं नमाज़ में दाख़िल होता हूँ और तवील करने का इरादा रखता हूँ कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ लिहाज़ा नमाज़ में इख़्तिसार (छोटा) कर देता हूँ कि जानता हूँ उसके रोने से उस की माँ को ग़म लाहिक़ होता है।

हदीस न.12 : – सही मुस्लिम में है अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई जब पढ़ चुके हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया ऐ लोगो मैं तुम्हारा इमाम हूँ रुकू व सुजूद व क़ियाम और नमाज़ से फिरने में मुझ पर सबक़त (पहल) न करो कि मैं तुमको आगे और पीछे से देखता हूँ।

हदीस न.13 :– इमाम मालिक की रिवायत उन्हीं से इस तरह है कि फ़रमाया कि जो इमाम से पहले अपना सर उठाता और झुकाता है उस की पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं।

हदीस न.14 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरा हुमा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं क्या जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है इससे नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसका सर गधे का सर कर दे। बाज़ मुहद्दिसीन से मन्कूल है कि इमाम नौवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हदीस लेने के लिये एक बड़े मशहूर शख़्स के पास दमिश्क़ में गये और उनके पास बहुत कुछ पढ़ा मगर वह पर्दा डाल कर पढ़ाते, मुद्दतों तक उन के पास बहुत कुछ पढ़ा मगर उन का मुँह न देखा। जब ज़माना दराज़ गुज़रा और उन्होंने देखा इनको हदीस की बहुत ख़्वाहिश है तो एक रोज़ पर्दा हटा दिया। देखते क्या हैं कि उनका मुँह गधे का सा है। उन्होंने कहा साहबज़ादे इमाम पर सबक़त करने से डरो कि यह हदीस जब मुझ को पहुँची मैंने इसे बईद जाना यानी यह समझा कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने इमाम पर क़स्दन(जानबूझ कर) सबक़त (पहल)की तो मेरा मुँह ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो।

हदीस न.15 : – अबू दाऊद सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कि तीन बातें किसी को हलाल नहीं जो किसी क़ौम की इमामत करे तो ऐसा करे कि ख़ास अपने लिए दुआ करे उन्हें छोड़ दे ऐसा किया तो उनकी ख़ियानत की और किसी के घर के अन्दर बग़ैर इजाज़त नज़र करे और ऐसा किया तो उनकी ख़ियानत की और पाख़ाना पेशाब रोक कर नमाज़ पढ़े बल्कि हल्का हो ले यानी फ़ारिग़ हो ले तब पढ़े।

अहकामे फ़िक़्हिय्यह

इमामते कुबरा का बयान हिस्सए अकाइद यानी पहले हिस्से में मज़कूर हुआ इस बाब में इमामते सुग़रा यानी इमामते नमाज़ के मसाइल बयान किये जायेंगे। इमामत के यह मअ़ना हैं कि दूसरे की नमाज़ इसकी नमाज़ के साथ मिली हो।

शराइते इमामत

मसअ्ला :– मर्द ग़ैर माज़ूर के इमाम के लिये छह शर्तें हैं। 1–इस्लाम 2–बालिग़ 3–आक़िल होना 4–मर्द होना 5–क़िरात 6–माज़ूर न होना।

मसअ्ला :– औरतों के इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं औरत भी इमाम हो सकती है अगर्चे मकरूह है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला : – नाबालिग़ों के इमाम के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ भी नाबालिगों की इमामत कर सकता है अगर समझ वाला हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– माज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ायद उ़ज़्र वाले की इमामत कर सकता है कम उ़ज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक़तदी दोनों को दो क़िस्म के उ़ज़्र हों मसलन एक को रियाह(गैस)का मर्ज़ है दूसरे को क़तरा आने का तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता। (आलमगीरी,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– ताहिर यानी पाक शख़्स माज़ूर की इक़्तिदा नहीं कर सकता जबकि हालते वुज़ू में हदस पाया गया या वुज़ू के बाद वक़्त के अन्दर पाया गया अगर्चे नमाज़ के बाद, और अगर न वुज़ू के वक़्त हदस था न ख़त्मे वक़्त तक हदस हुआ तो यह नमाज़ जो उसने हदस के ख़त्म होने पर पढ़ी इस में तंदुरुस्त उस की इक़्तिदा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार 389)

मसअ्ला :– माज़ूर अपने मिस्ल माज़ूर की इक़्तिदा कर सकता है एक उ़ज़्र वाला दो उ़ज़्र वाले की इक़्तिदा नहीं कर सकता न एक उ़ज़्र वाला दूसरे उ़ज़्र वाले की इक़्तिदा कर सकता है जबकि वह एक उ़ज़्र उसी के दो में से हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि़ 1 स 389)

मसअ्ला :– माज़ूर ने अपने मिस्ल दूसरे माज़ूर और तन्दुरुस्त की इमामत की तो तंदुरुस्त की न होगी माज़ूरों की हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला : – वह बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को पहुँच गई हो जैसे राफ़ज़ी अगर्चे सिर्फ़ सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की ख़िलाफ़त या सहाबी होने का इन्कार करता हो या शैख़ैन यानी हज़रते सिद्दीक़े अकबर व फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा की शान में तबर्रा कहता हो यानी बकवास करता हो क़द्री, जहमी,मुशब्बेह (यह बदमज़हब फ़िरक़ों के नाम हैं)और वह जो क़ुर्आन को मख़लूक़ बताता है और वह जो शफ़ाअ़त या दीदारे इलाही या अ़ज़ाबे क़ब्र या किरामन कातिबीन का इन्कार करता है उनके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती (आलमगीरी) इससे सख़्त तर हुक्म इस ज़माने के वहाबिया का है कि अल्लाह तआ़ला व नबीये करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करते या तौहीन करने वालों को अपना पेशवा या कम से कम मुसलमान ही जानते हैं के पीछे हरगिज़ हरगिज़ किसी की नमाज़ नहीं होगी क्यूँकि नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज

है काफ़िरों और मुर्तदों पर नहीं।

मसअला : – जिस बदमज़हब की बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुँची हो जैसे तफ़्ज़ीलिया उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी)

इक़्तिदा की शर्तें

इक़्तिदा की तेरह शर्तें हैं जो कि यह हैं :–

1. इक़्तिदा की नियत होना।
2. उस इक़्तिदा की नियत का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना (यानी तहरीमा के वक़्त या तहरीमा से पहले नियत सही होना) तहरीमा से पहले नियत करने की सूरत में कोई अजनबी वह काम जो नमाज़ को तोड़ दे नियत और तहरीमा में फ़ासिला करने वाला न हो।
3. इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना।
4. दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़ मुक्तदी की नमाज़ को शामिल हो।
5. इमाम की नमाज़ मज़हबे मुक़तदी पर सही होना।
6. और इमाम व मुक़तदी दोनों का उसे सही समझना।
7. औरत का मुक़ाबिल न होना उन शर्तों के साथ जो ज़िक्र की जायेंगी।
8. मुक़तदी का इमाम से आगे न होना।
9. इमाम के इन्तिक़ाल यानी अल्लाहु अकबर वग़ैरा का इल्म होना
10. इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम हो।
11. अरकान की अदा में शरीक होना।
12. अरकान की अदा में मुक़तदी इमाम के मिस्ल हो या कम यानी मुक़तदी इमाम के साथ पूरी नमाज़ में शामिल हो या कुछ रकअतें छूट गई हों।
13. यूँही शराइत में मुक़तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।

मसअला :– सवार ने पैदल की या पैदल ने सवार की इक़्तिदा की या मुक़तदी व इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं इन तीनों सूरतों में इक़्तिदा न हुई कि दोनों के मकान मुख़्तलिफ़ हैं और अगर दोनों एक सवारी पर सवार हों तो पीछे वाला अगले की इक़्तिदा कर सकता है कि मकान एक है। (रद्दुल मुहतार 1–370)

मसअला : – इमाम व मुक़तदी के दरमियान इतना चौड़ा रास्ता हो जिस में बैल गाड़ी जा सके तो इक़्तिदा नहीं हो सकती। यूँही अगर बीच में नहर हो जिस में कश्ती या छोटी कश्ती चल सके तो इक़्तिदा सही नहीं अगर्चे वह नहर बीच मस्जिद में हो और अगर बहुत तंग नहर हो जिस में छोटी कश्ती भी न तैर सके तो इक़्तिदा सही है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– बीच में हौज़ दह–दर–दह है तो इक़्तिदा नहीं हो सकती मगर जबकि हौज़ के गिर्द सफ़ें बराबर मुंत्तसिल हों तो इक़्तिदा सही है और अगर छोटा हौज़ है तो इक़्तिदा सही है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– बीच में चौड़ा रास्ता है मगर उस रास्ते में सफ़ क़ाइम हो गई मसलन कम से कम तीन शख़्स खड़े हो गये तो उन के पीछे दूसरे लोग इमाम की इक़्तिदा कर सकते हैं। बशर्ते कि हर दो सफ़ और सफ़े अव्वल व इमाम के दरमियान बैल गाड़ी न जा सके यानी अगर रास्ता ज़्यादा चौड़ा

हो कि एक से ज़्यादा सफ़ें उस में हो सकती हैं तो इतनी हो लें कि दो सफ़ों के दरमियान बैल गाड़ी न जा सके। यूँही अगर रास्ता लम्बा हो यानी मसलन हमारे मुल्कों में पूरब पश्चिम हो तो भी हर दो सफ़ों में और इमाम व मुक़तदी में वही शर्त है (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि. 1 स.394)

मसअ्ला :– मैदान में जमाअ़त क़ाइम हुई अगर इमाम व मुक़तदी के दरमियान इतनी जगह ख़ाली है कि उस में दो सफ़ें क़ाइम हो सकती हैं तो इक़्तिदा सही नहीं बड़ी मस्जिद मसलन मस्जिदे –जामेअ़् का भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार 393)

मसअ्ला :– बड़ा मकान मैदान के हुक्म में है और उस मकान को बड़ा कहेंगे जो चालीस हाथ हो (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिदे ईदगाह में कितना ही फ़ासला इमाम व मुक़तदी में हो मानेए इक़्तिदा नहीं यानी इक़्तिदा सही है अगर्चे बीच में दो या ज़्यादा सफ़ों की गुन्ज़ाइश हो (आलमगीरी जि. 1 स. 81)

मसअ्ला :– मैदान में जमाअ़त क़ाइम हुई पहली दो सफ़ों ने अभी अल्लाहु अकबर न कहा था कि तीसरी सफ़ ने इमाम के बाद तहरीमा बाँध लिया इक़्तिदा सही हो गई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स.394)

मसअ्ला :– मैदान में जमाअ़त हुई और सफ़ों के दरमियान बक़द्रे हौज़ दह–दर–दह के ख़ाली छोड़ा कि उस में कोई खड़ा न हुआ तो अगर उस ख़ाली जगह के आस पास यानी दाहिने बायें सफ़ें मुत्तसिल(मिली हुई) हैं तो उस जगह के बाद वाले की इक़्तिदा सही है वर्ना नहीं और दह–दर–दह से कम जगह बची है तो पीछे वाले की इक़्तिदा सही है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– दो कश्तियाँ एक दूसरे से बंधी हों एक पर इमाम है दूसरी पर मुक़तदी तो इक़्तिदा सही है और जुदा हों तो नहीं और अगर कश्ती किनारे पर रुकी हुई है और इमाम कश्ती पर है और मुक़तदी ख़ुश्की में तो अगर दरमियान में रास्ता हो या बड़ी नहर के बराबर फ़ासला हो तो इक़्तिदा सही नहीं वर्ना है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार) यानी जब इमाम उतरने पर क़ादिर न हो इसलिये कि जो शख़्स कश्ती से उतर कर ख़ुशकी में पढ़ सकता है उस की कश्ती पर नमाज़ होगी ही नहीं हाँ अगर कश्ती ज़मीन पर बैठ गई तो उस पर बहरहाल नमाज़ सही है कि अब वह तख़्त के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो मस्जिद बड़ी न हो उस में इमाम अगर्चे मिहराब में हो मुक़तदी मस्जिद के किनारे पर उस की इक़्तिदा कर सकता है। (आलमगीरी जि. 1 स. 82)

मसअ्ला : – इमाम व मुक़तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो तो अगर इमाम के रुकू सुजूद में शुबहा न हो मसलन उस की या मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो या उसके मुक़तदियों के इन्तिक़ालात यानी रुकू सुजूद देखता है तो हरज नहीं अगर्चे उसके लिए इमाम तक पहुँचने का रास्ता न हो मसलन दरवाज़े में जालियाँ हैं कि इमाम को देख रहा है मगर खुला नहीं है कि जाना चाहे तो जा सके। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 394)

मसअ्ला :– इमाम व मुक़तदी के दरमियान मिम्बर हाइल होना (यानी बीच में होना) इक़्तिदा को रोकने वाली नहीं जबकि इमाम का हाल मुश्तबह न हो यानी शक में न डाले (रद्दुलमुहतार)

मसअला : – जिस मकान की छत मस्जिद से बिल्कूल मुत्तसिल (मिली हुई)हो कि बीच में रास्ता ने हो तो उस छत पर इक़्तिदा हो सकती है और अगर रास्ते का फ़ासला हो तो नहीं।(रद्दुल मुहतार जि.1स 395)

मसअला :– मस्जिद के बाहर चबूतरा है और इमाम मस्जिद में है मुक़तदी उस चबूतरे पर इक़्तिदा कर सकता है जबकि सफ़ें मुत्तसिल (मिली हुई) हों। (आलमगीरी जि. 1 स 83)

मसअला : – वक़्ते नमाज़ में तो यही मालूम था कि इमाम की नमाज़ सही है बाद को मालूम हुआ कि सही न थी मसलन मोज़े के मसह की मुद्दत गुज़र चुकी थी या भूल कर बे–वुज़ू नमाज़ पढ़ाई तो मुक़तदी की नमाज़ भी न हुई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 397)

मसअला : – इमाम की नमाज़ ख़ुद उसके गुमान में सही है और मुक़तदी के गुमान में सही न हो जब भी इक़्तिदा सही न हुई मसलन शाफ़िई मज़हब इमाम के बदन से ख़ून निकल कर बह गया जिससे हनफ़ियों के नज़दीक वुज़ू टूटता है और शाफ़िई मज़हब वाले इमाम ने बग़ैर वुज़ू किये इमामत की तो हनफ़ी उस की इक़्तिदा नहीं कर सकता अगर करेगा नमाज़ बातिल होगी और अगर इमाम की नमाज़ ख़ुद उस के तौर पर सही न हो मगर मुक़तदी के तौर पर सही हो तो उस की इक़्तिदा सही है जबकि इमाम को अपनी नमाज़ का फ़साद मालूम न हो मसलन शाफ़ेई इमाम ने औरत या उज़्वे तनासुल (लिंग) छूने के बाद बग़ैर वुज़ू के भूल कर इमामत की हनफ़ी उस की इक़्तिदा कर सकता है अगर्चे उस को मालूम हो कि उस से ऐसा वाक़ेअ़ हुआ था और उस ने वुज़ू न किया (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 397)

मसअला :– शाफ़िई या दूसरे मुक़ल्लिद की इक़्तिदा उस वक़्त कर सकते हैं जब वह पाकी के मसाइल और नमाज़ में हमारे हनफ़ी मज़हब के फ़राइज़ की रिआयत करता हो या मालूम हो कि इस नमाज़ में रिआयत की है यानी उस की तहारत (पाकी) ऐसी न हो कि हनफ़ियों के तौर पर नापाक कहा जाये,न नमाज़ इस क़िस्म की हो कि हम उसे फ़ासिद कहें फिर भी हनफ़ी को हनफ़ी की इक़्तिदा अफ़ज़ल है और अगर मालूम न हो कि हमारे मज़हब की रिआयत करता है न यह कि इस नमाज़ में रिआयत की है तो जाइज़ है मगर मकरुह और अगर मालूम हो कि इस नमाज़ में रिआयत नहीं की है तो बिल्कुल बातिल है (आलमगीरी रद्दुलमुहतार)

मसअला :– औरत का मर्द के बराबर खड़ा होना उस वक़्त मर्द के इक़्तिदा को रोकता है जबकि कोई चीज़ एक हाथ ऊँची हाइल न हो और न मर्द के क़द बराबर बलन्दी पर औरत खड़ी हो (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 393 आलमगीरी)

मसअला : – एक औरत मर्द के बराबर खड़ी हो तो तीन मर्दो की नमाज़ जाती रहेगी दो दाहिने बायें और एक पीछे वाले की, और दो औरतें हों तो चार मर्द की नमाज़ फ़सिद हो जायेगी दो दाहिने बायें दो पीछे और तीन औरतें हो, तो दाहिने बायें और पीछे की हर सफ़ से तीन तीन शख़्स की और अगर औरतों की पूरी सफ़ हो तो पीछे जितनी सफ़ें हैं उन सब की नमाज़ न होगी।(रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 393)

मसअला : – मस्जिद में बालाख़ाना है उस पर औरतों ने इमामे मस्जिद की इक़्तिदा की और

बालाख़ाने के नीचे मर्दों ने उसी की इक़्तिदा की अगर्चे मर्द औरतों से पीछे हों नमाज़ फ़ासिद न होगी और औरतों की सफ़ नीचे हो और मर्द बालाख़ाने पर तो उस में जितने मर्द औरतों की सफ़ से पीछे होंगे उनकी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 92)

मसअ्ला : – एक ही सफ़ में एक तरफ़ मर्द खड़े हुए दूसरी तरफ़ औरतें तो सिर्फ़ एक मर्द की नमाज़ नहीं होगी जो दरमियान में है बाक़ियों की हो जायेगी। (आलमगीरी जि.1 स.82)

मसअ्ला : इस वजह से कि मुक़तदी के पाँव इमाम से बड़े हैं उस की उंगलियाँ इमाम की उंगलियों से आगे हैं मगर ऐड़ियाँ बराबर हों तो नमाज़ हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 381)

मसअ्ला : – सब से ज़्यादा इमामत का मुस्तहक़ वह शख़्स है जो नमाज़ व तहारत के अहकाम को सब से ज़्यादा जानता हो अगर्चे बाक़ी उ़लूम में पूरी महारत न रखता हो बशर्ते कि इतना कु़र्आन याद हो कि सुन्नत के तरीक़े पर पढ़े और सही पढ़ता हो यानी हुरूफ़ मख़ारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ ख़राबी न रखता हो और बुराईयों से बचता हो उस के बाद वह शख़्स जो तजवीद (क़िरात)का ज़्यादा इल्म रखता हो और उस के मुवाफ़िक़ अदा करता हो, अगर कोई शख़्स इन बातों में बराबर हों तो वह कि ज़्यादा परहेज़गार हो यानी हराम तो हराम शुबहात से भी बचता हो। इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा उ़म्र वाला यानी जिस को ज़्यादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा इसमें भी बराबर हों तो जिस के अख़लाक़ ज़्यादा अच्छे हों। इस में भी बराबर हों तो ज़्यादा वजाहत वाला यानी तहज्जुद गुज़ार कि तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़्यादा खुबसूरत हो जाता है,फिर ज़्यादा खूबसूरत, फिर ज़्यादा हसब वाला,फिर वह कि नसब के एअ्तिबार से ज़्यादा शरीफ़ हो,फिर ज़्यादा मालदार, फिर ज़्यादा इ़ज़्ज़त वाला, फिर वह जिस के कपड़े ज़्यादा सुथरे हों। ग़र्ज़ चन्द शख़्स बराबर के हों तो उनमें जो शरई तरजीह रखता हो ज़्यादा हक़दार है और अगर तरजीह न हो तो कुरा (लाटरी) डाला जाये जिस के नाम का कुरआ़ निकले वह इमामत करे या उन में से जमाअ़त जिस को मुन्तख़ब करे वह इमाम हो और जमाअ़त में इख़्तिलाफ़ हो तो जिस तरफ़ ज़्यादा लोग हों वह इमाम हो और अगर जमाअ़त ने ग़ैर औला को इमाम बनाया तो बुरा किया मगर गुनाहगार न हुए। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 375 वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमामे मुअय्यन ही इमामत का हक़दार है अगर्चे हाज़िरीन में कोई इस से ज़्यादा इल्म और ज़्यादा तजवीद वाला हो (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 375) यानी जब कि उस इमाम में इमामत की सारी शर्ते पाई जाती हों वर्ना वह इमामत का अहल ही नहीं बेहतर होना दरकिनार।

मसअ्ला :– किसी के मकान में जमाअ़त क़ाइम हुई और साहिबे ख़ाना में अगर शराइते इमामत पाये जायें तो वही इमामत के लिंए औला (ज़्यादा अच्छा) है अगर्चे और कोई इस से इल्म वग़ैरा में बेहतर हो। हाँ अफ़ज़ल यह है कि साहिबे ख़ाना उन में से इल्म की फ़ज़ीलत की वजह से किसी को आगे बढ़ाये कि इसमें उसके लिए इ़ज़्ज़त है और अगर वह मेहमान खुद ही आगे बढ़ गया तो भी नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 378 ,रद्दुलमुहतार जि. 1 स.375)

मसअ्ला :– किराये का मकान है उसमें मालिके मकान और किरायेदार और मेहमान तीनों मौजूद हों

तो किरायेदार इमामत का ज़्यादा हक़दार है वही इजाज़त देगा और इसी से इजाज़त ली जायेगी यही हुक्म उसका है कि मकान में वक़्ती तौर पर रहता हो कि यही ज़्यादा हक़दार है।(आलमगीरी जि.1स.78)
मसअ्ला :– बादशाह व अमीर व क़ाज़ी किसी के घर इक्ट्ठे हुए तो ज़्यादा हक़दार बादशाह है फिर अमीर फिर क़ाज़ी फिर साहिबे ख़ाना। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– किसी शख़्स की इमामत से लोग किसी शरई वजह से नाराज़ हों तो उस का इमाम बनना मकरूहे तहरीमी है और अगर नाराज़ी किसी शरई वजह से न हो तो कराहत नहीं बल्कि अगर वही ज़्यादा हक़दार हो तो उसी को इमाम होना चाहिये। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 376)
मसअ्ला :– कोई शख़्स इमामत के लाइक़ है और अपने महल्ले की इमामत नहीं करता और माहे रमज़ान में दूसरे महल्ले वालों की इमामत करता है उसे चाहिये कि इशा का वक़्त आने से पहले चला जाये वक़्त हो जाने के बाद जाना मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 81)
मसअ्ला :– इमाम को चाहिये कि रिआयत करे और सुन्नत के मिक़दार से ज़्यादा लम्बी क़िरात न करे कि यह मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 81)
मसअ्ला :– बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुँची हो, और खुले तौर पर गुनाह करने वाला जैसे शराबी,जूआरी,ज़िनाकार,सूदख़ोर,चुग़लख़ोर वग़ैराहुम जो कबीरा गुनाह खुले आम करते हैं उन को इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा यानी उनके पीछे पढ़ी हुई नमाज़ का लौटाना वाजिब है (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 376)
मसअ्ला :– गुलाम देहक़ानी (दिहाती) अंधे,वलदुज़्ज़िना(जो ज़िना से पैदा हुआ)अमरद(जिसके दाढ़ी मुँछ न निकले हो) कोढ़ी,फ़ालिज की बीमारी वाले,बर्स वाले कि जिसका बर्स ज़ाहिर हो सफ़ीह (यानी बेवकूफ़ कि ख़रीद व फ़रोख़्त में धोका खाता है) की इमामत मकरूहे तन्ज़ीही है और कराहत उस वक़्त है कि उस जमाअ़त में कोई इन से बेहतर हो और अगर यही लोग इमामत के लाइक़ हों तो कराहत नहीं और अन्धे की कि इमामत में तो बहुत ख़फ़ीफ़ (थोड़ी) कराहत है।(दुर्रेमुख़्तार जि.1स.376)
मसअ्ला :– जिसको कम सूझता हो वह भी अंधे के हुक्म में है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला :– फ़ासिक़ की इक़्तिदा न की जाये मगर सिर्फ़ जुमे की इस में मजबूरी है। बाक़ी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाये और जुमा अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो उस में भी इक़्तिदा न की जाये दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़े।(गुनिया,479 रद्दुल मुहतार, जि.1स.376 फ़तहुल क़दीर जि.1स.304)
मसअ्ला :– औ़रत,खुन्सा (हिजड़ा) नाबालिग़ लड़के की इक़्तिदा बालिग़ मर्द किसी नमाज़ में नहीं कर सकता यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा व तरावीह व नवाफ़िल में और मर्द बालिग़ इन सब का इमाम हो सकता है मगर औ़रत भी उसकी मुक़तदी हो तो इमामते औ़रत की नियत करे सिवा जुमा व ईदैन के कि उनमें अगर्चे इमाम ने इमामते औ़रत की नियत न की इक़्तिदा कर सकती है और औ़रत व खुन्सा औ़रत के इमाम हो सकते हैं मगर औ़रत को मुतलक़न इमाम होना मकरूहे तहरीमी है फ़राइज़ हों या नवाफ़िल फिर भी अगर औ़रत औ़रतों की इमामत करे तो इमाम आगे न हो बल्कि बीच में खड़ी हो और आगे होगी जब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी और खुन्सा के लिये यह शर्त है कि

सफ़ से आगे हो वर्ना नमाज़ होगी ही नहीं खुन्सा खुन्सा का भी इमाम नहीं हो सकता।(रद्दुलमुहतार1-3881)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा सिर्फ़ औरतों ने पढ़ी थी औरत ही इमाम और औरतें ही मुक़तदी तो इस जमाअ़त में कराहत नही। बल्कि अगर औरत नमाज़े जनाज़ा में मर्द की इमामत करेगी जब भी नमाज़े जनाज़ा अदा हो जायेगी अगर्चे मर्द की नमाज़ न होगी।(आलमगीरी जि.1स.80दुर्रे मुख़्तार जि.1स.380)

मसअ्ला :– पागल पागलपन की ह़ालत में इमाम नहीं हो सकता और जब होश में हो और मालूम भी हो तो हो सकता है,यूँही जिसको नशा है उसकी इमामत सह़ी नही और मदहोश अपने मिस्ल के लिये इमाम हो सकता है औरों के लिये नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 389 आलमगीरी जि.1स.79)

मसअ्ला :– जिसको कुछ कुर्आन याद हो अगर्चे एक ही आयत वह उम्मी की (यानी उस की जिसको कोई आयत याद नहीं) इक़्तिदा नहीं कर सकता और उम्मी उम्मी के पीछे पढ़ सकता है जिसको कुछ आयतें याद हैं मगर हुरूफ़ सह़ी अदा नहीं करता जिसकी वजह से मअ्ना फ़ासिद हो जाते हैं वह भी उम्मी के मिस्ल है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1स.389)

मसअ्ला :– उम्मी गूँगे की इक़्तिदा नहीं कर सकता। गूँगा उम्मी की कर सकता है और अगर उम्मी सह़ी तौर पर तहरीमा भी बाँध नहीं सकता तो गूँगा की इक़्तिदा कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 389)

मसअ्ला :– उम्मी ने उम्मी और क़ारी की (यानी उसकी कि ब–क़द्रे फ़र्ज़ कुर्आन सह़ी पढ़ सकता हो) इमामत की तो किसी की नामज़ न होगी अगर्चे क़ारी दरमियाने नमाज़ में शरीक हुआ हो यूँही अगर क़ारी ने उम्मी को ख़लीफ़ा बनाया हो अगर्चे तशह्हुद में। (रद्दुलमुहतार जि.1 स.389)

मसअ्ला :– उम्मी पर वाजिब है कि रात दिन कोशिश करे यहाँ तक कि ब–क़द्रे फ़र्ज़ कुर्आन मजीद याद करले वर्ना अल्लाह तआ़ला के नज़दीक माज़ूर नहीं (आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– जिस से हुरूफ़ सह़ी अदा न होते उस पर वाजिब है कि तसह़ीहे हुरूफ़ यानी हुरूफ़ को उस के सह़ी मख़रज और सिफ़ात के साथ मश्क़ करने में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सह़ी पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता हो तो जहाँ तक मुमकिन हो उसकी इक़्तिदा करे या वह आयतें पढ़े जिसके हुरूफ़ सह़ी अदा कर सकता हो और यह दोनों सूरतें ना मुमकिन हों तो ख़ूब कोशिश करने के ज़माने में उनकी अपनी नमाज़ हो जायेगी और अपनी त़रह़ दूसरे की इमामत भी कर सकता है यानी उनकी उन्हीं हुरूफ़ को सह़ी न पढ़ता हो जिस को यह सह़ी नहीं पढ़ता और अगर उसके जो हुरूफ़ अदा नहीं होते दूसरा उस को अदा कर लेता है मगर कोई दूसरा ह़र्फ़ उस से अदा नहीं होता तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता और अगर कोशिश भी नहीं करता तो उसकी ख़ुद भी नहीं होती दूसरे की उसके पीछे क्या होगी ? आज कल आ़म लोग इसमें मुब्तला हैं कि ग़लत पढ़ते हैं और कोशिश नहीं करते उनकी नमाज़ें ख़ुद बात़िल हैं इमामत की तो बात ही अलग है। हकला यानी जिससे एक ही हुरूफ़ दो दो या तीन तीन अदा होते हैं उसका भी यही हुक्म है यानी अगर साफ़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है तो उसके पीछे पढ़ना लाज़िम है वर्ना उनकी अपनी हो जायेगी और अपनी त़रह़ या अपने से कमतर की इमामत भी कर सकता है।(रद्दुल मुहतार जि.1स. 391)

मसअ्ला :– क़ारी नमाज़ पढ़ा रहा था उम्मी (शरीअ़त में उम्मी ऐसे मुसलमान को कहते हैं जो

कुर्आन शरीफ़ की कोई आयत भी न पढ़ सकता हो) आया और शरीक न हुआ बल्कि अपनी अलग नमाज़ पढ़ी तो उस उम्मी की नमाज़ न होगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– क़ारी कोई दूसरी नमाज़ पढ़ा रहा है तो उम्मी को जाइज़ है कि अपनी पढ़ ले और इन्तिज़ार न करे। (आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– उम्मी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और क़ारी मस्जिद के दरवाज़े पर है या मस्जिद के पड़ोस में तो उम्मी की नमाज़ हो जायेगी (आलमगीरी जि. 1 स. 80) जिसका सत्र खुल गया हो वह सत्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता, हाँ सत्र खुले हुओं का इमाम हो सकता है और अगर बाज़ मुक़तदी का सत्र खुला हुआ है और बाज़ का छुपा हुआ तो सत्र छुपाने वाले की नमाज़ न होगी खुले हुओं की होजायेगी और जिनके पास सत्र के लाइक़ कपड़े न हों उन के लिये अफ़ज़ल यह है कि तन्हा तन्हा बैठकर इशारे से दूर दूर पढ़ें जमाअ़त से पढ़ना मकरूह है और अगर जमाअ़त से पढ़ें तो इमाम बीच में हो आगे न हो। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 380 आलमगीरी जि. 1 स. 80) सत्र खुले हुए से मुराद जिसके पास कपड़ा ही नहीं क्यूंकि कपड़ा होते हुए न छुपाया तो न उसकी हो न उसके पीछे किसी और की जैसा कि नमाज़ की शर्तों के बाब में बयान हुआ।

मसअ्ला :– जो रुकू व सुजूद से आ़जिज़ है य़ानी वह कि खड़े या बैठे रुकू व सुजूद की जगह इशारा करता हो उसके पीछे उसकी नमाज़ न होगी जो रुकू व सुजूद कर सकता है और अगर बैठकर रुकू व सुजूद कर सकता हो तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ने वाले की हो जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि.1 स.396)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे और एक फ़र्ज़ वाले की दूसरी फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नहीं हो सकती ख़्वाह दोनों के फ़र्ज़ दो नाम के हों मसलन एक ज़ोहर पढ़ता हो दूसरा अ़स्र या सिफ़त में जुदा हों मसलन एक आज की ज़ोहर पढ़ता हो दूसरा कल की और अगर दोनों की एक ही दिन के एक ही वक़्त की क़ज़ा हो गई है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है,यूँही अगर इमाम ने अ़स्र की नमाज़ गुरूब से पहले शुरू की दो रकअ़तें पढ़ीं कि आफ़ताब गुरूब हो गया अब दूसरा शख़्स जिसकी उसी दिन की नमाज़े अ़स्र जाती रही पिछली किरअ़तों में उसकी इक़्तिदा कर सकता है अलबत्ता अगर यह मुक़तदी मुसाफ़िर था तो उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता मगर गुरूब से पहले इक़ामत की नियत कर ली हो तो कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, जि.1स.389 रद्दुलमुहतार आलमगीरी जि.1स. 80)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने बाहम यूँ नमाज़ पढ़ी कि हर एक ने इमामत की नियत की नमाज़ हो गई और अगर हर एक ने इक़्तिदा की नियत की तो दोनों की न हुई। (आलमगीरी जि.1 स.81)

मसअ्ला :– जिसने किसी नमाज़ की मन्नत मानी उस नमाज़ को न फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है न नफ़्ल वाले के,न उसके पीछे कि मन्नत की नमाज़ पढ़ता है हाँ अगर एक की नज़र मानने के बाद दूसरे ने यूँ नज़र की कि उस नमाज़ की मन्नत मानता हूँ जो फुलाँ ने मानी है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 390 आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने नफ़्ल पढ़ने की क़सम खाई, मन्नत वाला मन्नत की नमाज़ उसके पीछे भी नहीं पढ़ सकता और यह क़सम खाने वाला फ़र्ज़ और नफ़्ल और नज़र और दूसरे क़सम खाने

वाले के पीछे पढ़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 390 आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– दो शख़्स नफ़्ल एक साथ पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दी तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है और तन्हा–तन्हा पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दें तो इक़्तिदा नहीं हो सकती।(दुर्रेमुख़्तार जि.1स.390)

मसअ्ला :– लाहिक़ यानी जिसकी दरमियानी रकअ्त छूट गईं हों वह उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता जिसकी शुरू की रकअ्त छूट गईं हों और न लाहिक़ की कर सकता है। यूँही मसबूक़ की ना लाहिक़ की न मसबूक़ न इन दोनों की कोई दूसरा शख़्स इक़्तिदा कर सकता है।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1स.390)

मसअ्ला :– जिन नमाज़ों में क़स्र है वक़्त गुज़र जाने के बाद उनमें मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता ख़्वाह मुक़ीम ने वक़्त ख़त्म होने पर शुरू की हो या वक़्त में शुरू की और नमाज़ पूरी न होने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया अलबत्ता अगर मुसाफ़िर ने मुक़ीम के पीछे तहरीमा बाँध लिया और तहरीमा के बाद वक़्त ख़त्म हो गया तो इक़्तिदा सही है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 390)

मसअ्ला :– महल्ले इक़ामत यानी शहर या गाँव में जो शख़्स चार रकअ्त वाली नमाज़ पढ़ाये और दो पर सलाम फेर दे तो ज़रूर है कि मुक़तदी को उसका मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम हो ख़्वाह मुक़तदी ख़ुद मुक़ीम हो या मुसाफ़िर। अगर इमाम ने न नमाज़ से पहले अपना मुसाफ़िर होना बताया न बाद को और चला गया, न उसका हाल और तरह मालूम हुआ तो मुक़तदी अपनी फिर पढ़ें,हाँ अगर जंगल में या मन्ज़िल पर दो पढ़कर चला गया तो उन की नमाज़ हो जायेगी यही समझा जायेगा कि मुसाफ़िर था। (ख़ानिया, जि. 1 स. 90)

मसअ्ला :– जहाँ शर्त न पाई जाने की वजह से इक़्तिदा सही न हो तो वह नमाज़ सिरे से शुरू ही न होगी और अगर मुख़्तलिफ़ होने की वजह से इक़्तिदा सही न हो तो इसके नफ़्ल हो जायेंगे मगर इस नफ़्ल के तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब न होगी। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 392)

मसअ्ला :– जिसने वुज़ू किया है तयम्मुम वाले की और पाँव धोने वाला मोज़े पर मसह करने वाले की और आज़ाए वुज़ू का धोने वाला पट्टी पर मसह करने वाले की इक़्तिदा कर सकता है।(आलमगीरी जि.1स.79)

मसअ्ला :– खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला बैठने वाले और कुबड़े की इक़्तिदा कर सकता है अगर्चे उसका कुब हद्दे रुकू को पहुँचा हो जिसके पाँव में ऐसा लंगड़ापन है कि पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं जमता औरों की इमामत कर सकता है मगर दूसरा शख़्स औला (ज़्यादा अच्छा)है।(आलमगीरी जि.1स.79)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता है अगरचे फ़र्ज़ पढ़ने वाला पिछली रकअ्तों में क़िरात न करे। (आलमगीरी जि. 1 स. 78)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने फ़र्ज़ पढने वाले की इक़्तिदा की फिर नमाज़ फ़ासिद कर दी फिर उसी ने नमाज़ में उस फ़ौत शुदा (छूटी हुई) की क़ज़ा की नियत से इक़्तिाद की तो सही है।(आलमगीरी जि. 1स.79)

मसअ्ला :– इशारे से पढ़ने वाला अपने मिस्ल की इक़्तिदा कर सकता है मगर जबकि इमाम लेटकर इशारे से पढ़ता हो और मुक़तदी खड़े या बैठ कर पढ़ते हों तो इक़्तिदा नहीं कर सकते।

(दुर्रे मुख़्तार जि.1स.396)

मसअ्ला :– जिन्न ने इमामत की है तो इक़्तिदा सही है अगर इन्सानी सूरत में ज़ाहिर हुआ।

(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 372)

मसअ्ला :– इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिससे उसकी इमामत सही न हो तो उस पर लाज़िम है कि इस बात की मुक़तदियों को ख़बर कर दे जहाँ तक मुमकिन हो ख़्वाह ख़ुद कहे या कहला भेजे या ख़त के ज़रीए से और मुक़तदी अपनी अपनी नमाज़ को दोहरायें। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 397)

मसअ्ला :– इमाम ने अपना काफ़िर होना बताया तो पेशतर (पहले) के बारे में उसका क़ौल नहीं माना जायेगा और जो नमाज़ें उसके पीछे पढ़ीं उनका लौटाना नहीं। हाँ अब वह बेशक मुर्तद हो गया (दुर्रे मुख़्तार ज़ि 1 स. 389) मगर जबकि यह कहे कि अब तक काफ़िर था और अब मुसलमान हुआ तो वह शख़्स मुसलमान हो गया मगर जितनी नमाज़ें उसके पीछे पहले पढ़ीं उन्हें लौटाना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– पानी न मिलने के सबब इमाम ने तयम्मुम किया था और मुक़तदी ने वुज़ू किया और नमाज़ के बीच में मुक़तदी ने पानी देखा इमाम की नमाज़ सही हो गई और मुक़तदी की बातिल (दुर्रेमुख़्तार जि.1स. 395)जबकि उसके गुमान में हो कि इमाम ने भी पानी पर इत्तिला पाई बहुत किताबों में यह हुक्म मुतलक़ है यानी बग़ैर क़ैद के और ज़ाहिर यह है कि क़ैद के साथ है। अल्लाह अच्छाई का ज़्यादा जानने वाला है।

जमाअ़त का बयान

हदीस न. 1: – बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना तन्हा पढ़ने से सत्ताईस (27)दर्जा बढ़कर है।

हदीस न. 2 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने मांजा ने रिवायत की कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं हमने अपने को इस हालत में देखा कि नमाज़ से पीछे नहीं रहता मगर खुला मुनाफ़िक़ या बीमार और बीमार की यह हालत होती कि दो शख़्सों के दरमियान में चला कर नमाज़ को लाते और फ़रमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हम को सुननुल हुदा की तालीम फ़रमाई और जिस मस्जिद में अज़ान होती है उसमें नमाज़ पढ़ना सुननुल हुदा से है और सुननुल हुदा उस सुन्नत को कहते हैं जिसे बिलावजह छोड़ना गुनाह है। और एक रिवायत में यूँ है कि जिसे यह अच्छा मालूम हो कि कल ख़ुदा से मुसलमान होने की हालत में मिले तो पाँचों नमाज़ों पर मुहाफ़ज़त करे यानी पाँचों नमाज़ों को उनकी शर्तों के साथ हमेशा पढ़ता रहे। जब उन की अज़ान कही जाये कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये सुननुल हुदा मशरूअ़ फ़रमाई यानी शरीअ़त में देखा और यह सुननुल हुदा से है और अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसे यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ लिया करता है तो तुम ने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी और अगर नबी की सुन्नत छोड़ोगे तो 'गुमराह' हो जाओगे और अबू दाऊद की रिवायत में है 'काफ़िर'हो जाओगे और जो शख़्स अच्छी तरह तहारत करे फिर मस्जिद को जाये तो जो क़दम चलता है हर क़दम के

बदले अल्लाह तआ़ला नेकी लिखता है और दर्जा बलन्द करता है और गुनाह मिटा देता है।

हदीस न.3 :– नसाई व इब्ने खुजैमा अपनी स़ही में उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व़सल्लम जिसने कामिल वुजू किया फिर नामजे फ़र्ज़ के लिये चला और इमाम के साथ पढ़ी उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.4 :– त़बरानी अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर यह नमाज़े जमाअ़त से पीछे रह जाने वाला जानता कि इस जाने वाले के लिये क्या है तो घसिटता हुआ ह़ाज़िर होता।

हदीस न.5 व 6 :– तिर्मिजी अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह तआ़ला के लिये चालीस दिन बा–जमाअ़त नमाज़ पढ़े और तकबीरे ऊला पाये उसके लिये दो आज़ादियाँ लिख दी जायेंगी एक नार(दोज़ख़)से दूसरी निफ़ाक़ से। इब्ने माजा की रिवायत ह़ज़रते उ़मर इब्ने ख़त्ताब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स़ चालीस रातें मस्जिद में जमाअ़त के साथ पढ़े कि इशा की तकबीरे ऊला फ़ौत न हो तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये दोज़ख़ से आज़ादी लिख देगा।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम रात मेरे रब की त़रफ़ से एक आने वाला आया और एक रिवायत में है मैंने अपने रब को निहायत जमाल के साथ तजल्ली फ़रमाते हुए देखा उसने फ़रमाया ऐ मुहम्मद मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ(हाज़िर हूँ और भलाई है)उसने फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि मलाए अअ़्ला यानी मलाइकए मुक़र्रबीन किस अम्र (बात) में बहस करते हैं ?। मैंने अ़र्ज़ की नहीं जानता उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा यहाँ तक कि उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में पाई तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है मैंने जान लिया और एक रिवायत में है जो कुछ मशरिक़ (पूरब) व मग़रिब (पश्चिम)के दरमियान है जान लिया। फ़रमाया ऐ मुह़म्मद जानते हो मलाए अअ़्ला किस चीज़ में बहस करते हैं। मैंने अ़र्ज़ की हाँ दरजात व कफ्फ़ारात और जमाअ़तों की त़रफ़ चलने और सख़्त सर्दी में पूरा वुजू करने और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार में और जिसने इनको हमेशा किया ख़ैर के साथ ज़िन्दा रहेगा और ख़ैर के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसे उस दिन कि अपनी माँ के पेट से–पैदा हुआ था। उसने फ़रमाया ऐ मुह़म्मद! मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ जब नमाज़ पढ़ो यह कह लो:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَ اِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ۔

तर्जमा : "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाला करता हूँ कि अच्छे काम करूँ और बुरी बातों से बाज़ रहूँ और मिस्कीनों से महब्बत रखूँ और तू जब अपने बन्दों पर फ़ितना करना चाहे तो मुझे उससे पहले उठा ले"। फ़रमाया और दरजात ये हैं। सलाम आ़म करना यानी हर मुसलमान को

सलाम करना और खाना खिलाना और रात में नमाज़ पढ़ना जब लोग सोते हों।
हदीस न.8 व 9 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ
रिवायत की है कि एक दिन सुबह की नमाज़ को तशरीफ़ लाने में देर हुई यहाँ तक कि क़रीब था
कि हम आफ़ताब देखने लगें कि जल्दी करते हुए तशरीफ़ लाये इक़ामत हुई और मुख़्तसर नमाज़
पढ़ी। सलाम फेर कर बलन्द आवाज़ से फ़रमाया सब अपनी–अपनी जगह पर रहो मैं तुम्हें ख़बर
दूँगा कि किस चीज़ ने सुबह की नमाज़ में आने से रोका, मैं रात उठा वुज़ू किया और जो मुक़द्दर
था नमाज़ पढ़ी फिर मैं नमाज़ में ऊंघा (इसके बाद उसी के मिस्ल वाक़ेआत बयान फ़रमाये और इस
रिवायत में यह है)उसके दस्ते कुदरत रखने से उन की खुनकी मैंने अपने सीने में पाई तो मुझ पर
हर चीज़ रौशन हो गई और मैंने पहचान ली और इस रिवायत में यह भी है कि अल्लाह तआला ने
फ़रमाया कफ़्फ़ारात क्या हैं ? मैंने अर्ज़ की जमाअत की तरफ़ चलना और मस्जिदों में नमाज़ों के
बाद बैठने और सख़्तियों के वक़्त कामिल वुज़ू करना इसके आख़िर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह हक़ है इसे पढ़ो और सीखो, तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस के
मुतअल्लिक़ सवाल किया तो जवाब दिया कि यह हदीस सही है और इसी के मिस्ल
दारमी व तिर्मिज़ी ने अब्दुर्रहमान इब्ने आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.10 :– अबू दाऊद व नसई व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद को जाये और लोगों को इस हालत में पाये कि नमाज़ पढ़ चुके तो अल्लाह तआला इसे भी जमाअत से पढ़ने वालों के मिस्ल सवाब देगा और उनके सवाब से कुछ कम न होगा। हाकिम ने कहा यह हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है।

हदीस न.11 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व हाकिम और इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में उबई इब्ने कअब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़कर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया फुलाँ हाज़िर है ? लोगों ने अर्ज़ की, नहीं। फ़रमाया फ़लाँ हाज़िर है ? लोगों ने अर्ज़ की नहीं। फ़रमाया यह दोनों नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर बहुत गिराँ (भारी)हैं अगर जानते कि इनमें क्या (सवाब)है तो घुटनों के बल घसिटते आते और बेशक पहली सफ़ फ़रिश्तों की सफ़ के मिस्ल है और अगर तुम जानते उसकी फ़ज़ीलत क्या है तो उसकी तरफ़ सबक़त करते। मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ ब–निस्बत तन्हा के ज़्यादा पाकीज़ा है और दो के साथ ब–निस्बत एक के ज़्यादा अच्छी और जितने ज़्यादा हों अल्लाह तआला के नज़्दीक ज़्यादा महबूब हैं। यहया इब्ने मुईन और ज़हली कहते हैं यह हदीस सही है।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी और इब्ने ख़जिमा से सही मुस्लिम में हज़रत उसमान से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस ने बाजमाअत इशा की नमाज़ पढ़ी गोया आधी रात क़ियाम किया और जिस ने फ़ज्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ी गोया पूरी रात क़ियाम किया।

हदीस न.13 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम मुनाफ़िक़ीन पर सब से ज़्यादा गिराँ नमाज़े इशा व फ़ज्र है और जानते कि इसमें क्या है तो घसिटते हुए आते और बेशक मैंने क़स्द (इरादा)किया कि नमाज़ क़ाइम करने का हुक्म दूँ फिर किसी को अम्र फ़रमाऊँ (हुक्म दूँ) कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और मैं अपने हमराह कुछ लोगों को जिन के पास लकड़ियों के गट्ठे हों उन के पास लेकर जाऊँ जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उनके घर उन पर आग से जला दूँ। इमाम अहमद ने उन्हीं से रिवायत की कि फ़रमाते हैं अगर घरों में औरतें और बच्चे न होते तो नमाज़े इशा क़ाइम करता और जवानों को हुक्म देता कि जो कुछ घरों में है आग से जला दें।

हदीस न.14 :– इमाम मालिक ने अबूबक्र इब्ने सुलैमान रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की नमाज़ में सुलैमान इब्ने अबी हसमा रदियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं देखा बाज़ार तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया कि सुबह की नमाज़ में मैंने सुलैमान को नहीं पाया। उन्होंने कहा रात में नमाज़ पढ़ते रहे फिर नींद आ गई फ़रमाया कि सुबह की नमाज़ जमाअत से न पढ़ूँ ? यह मेरे नज़्दीक इस से बेहतर है कि रात में क़ियाम करूँ।

हदीस न. 15 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने अज़ान सुनी और आने में कोई उज़्र नहीं उसकी वह नमाज़ मक़बूल नहीं। लोगों ने अर्ज़ की उज़्र क्या है ? ख़ौफ़ या मर्ज़ और एक रिवायत इब्ने हब्बान व हाकिम की उन्हीं से है जो अज़ान सुने और बिला उज़्र हाज़िर न हो उसकी नमाज़ ही नहीं हाकिम ने कहा यह हदीस सही है।

हदीस न.16 :– अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि (जंगल) में तीन शख़्स हों और नमाज़ न क़ाइम की गई मगर उन पर शैतान मुसल्लत हो गया तो जमाअत को लाज़िम जानों कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवड़ से दूर हो।

हदीस न.17 से 20 तक :– अबू दाऊद व नसाई ने रिवायत की कि अब्दुल्लाह इब्ने मकतूम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! मदीने में मूज़ी (ख़तरनाक) जानवर ब–कसरत (ज्यादा)हैं और मैं नाबीना हूँ तो क्या मुझे रुख़सत (छूट) है कि घर पढ़ लूँ। फ़रमाया حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة व حَيَّ عَلَى الْفَلَاح सुनते हो। अर्ज की हाँ। फ़रमाया तो हाज़िर हो इसी के मिस्ल मुस्लिम ने अबू हुरैरा से और तबरानी ने कबीर में अबू उमामा से और अहमद व अबू यअ्ला और तबरानी ने औसत में और इब्ने हब्बान ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की। (अंधा कि अन्दाज़ा न रखता हो न कोई ले जाने वाला हो खुसूसन दरिन्दों का ख़ौफ़ हो तो उसे ज़रूर रुख़सत है मगर हुज़ूर ने उन्हें अफ़ज़ल पर अमल करने की हिदायत फ़रमाई कि और लोग सबक़ लें जो बिला उज़्र घर में पढ़ लेते है)

हदीस न.21 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक साहब मस्जिद में हाज़िर हुए उस वक़्त कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़

पढ़ चुके थे फ़रमाया है कोई कि इस पर सदक़ा करे(यानी इसके साथ नमाज़ पढ़ ले कि इसे जमाअ़त का सवाब मिल जाये) एक साहब(यानी हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु) ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी।

हदीस न.22 :– इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं दो और दो से ज़्यादा जमाअ़त है।

हदीस न.23 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआआ अन्हु से रावी हुजूर फ़रमाते हैं अगर लोग जानते कि अज़ान और सफ़े अव्वल में क्या है फिर बग़ैर कुरआ डाले नहीं पाते तो इस पर कुरआ डालते।

हदीस न.24 :– इमाम अहमद व तबरानी अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अ़र्ज़ की और दूसरी सफ़ पर। फ़रमाया अल्लाह और फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अ़र्ज़ की और दूसरी पर। फ़रमाया और दूसरी पर और फ़रमाया सफ़ों को बराबर करो, मोंढों को मकाबिल करो और भाईयों के हाथों में नर्म हो जाओ और खुली हुई जगहों को बन्द करो कि शैतान भेड़ के बच्चों की तरह तुम्हारे दरमियान दाख़िल हो जाता है।

हदीस न.25 :– बुख़ारी के अ़लावा दीगर सिहाहे सित्ता में मरवी नोमान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमारी सफ़ें तीर की तरह सीधी करते यहाँ तक कि ख़्याल फ़रमाया कि अब हम समझ लिये फिर एक दिन तशरीफ़ लाये और खड़े हुये और क़रीब था कि तकबीर कहें कि एक शख़्स का सीना सफ़ से निकला देखा। फ़रमाया ऐ अल्लाह के बन्दों सफ़ें बराबर करो या तुम्हारे अन्दर अल्लाह तआ़ला इख़्तिलाफ़ डाल देगा। बुख़ारी ने भी इस हदीस के आख़िरी हिस्से को रिवायत किया।

हदीस न.26 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो सफ़ को मिलायेगा अल्लाह तआ़ला उसे मिलायेगा और जो सफ़ को काटेगा अल्लाह तआ़ला उसे काट देगा। हाकिम ने कहा मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है।

हदीस न.28 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा जाबिर इब्ने सुमरह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं क्यूँ नहीं उस तरह सफ़ बाँधते हो जैसे मलाइका अपने रब के हुज़ूर बाँधते हैं। अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! किस तरह मलाइका अपने रब के हुज़ूर सफ़ बाँधते हैं। फ़रमाया अगली सफ़ें पूरी करते हैं और सफ़ में मिलकर खड़े होते हैं।

हदीस न.29 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़ें मिलाते हैं। हाकिम

ने कहा यह हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है।

हदीस न.30 :– इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाते हैं जो सफ़ों की खुली हुई जगहों को बन्द करे अल्लाह तआला उसका दर्जा बलन्द फ़रमाएगा और तबरानी की रिवायत में इतना और भी है कि उसके लिये जन्नत में अल्लाह तआला उसके बदले एक घर बनायेगा।

हदीस न.31 :– सुनने अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और हमारे मोंढे या सीने पर हाथ फेरते और फ़रमाते मुख़्तलिफ़(अलग–अलग)खड़े न हो कि दुम्हारे दिल मुख़्तलिफ़ हो जायेंगे।

हदीस न.32, 33, 34 :– तबरानी इब्ने उमर से और अबू दाऊद बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लहु तआला अन्हुम से रावी कि फ़रमाते हैं उस क़दम से बढ़कर किसी क़दम का सवाब नहीं जो इसलिए चला कि सफ़ में कुशादगी(खुली हुई जगह) को बन्द करे और बज़्ज़ाज़ अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि जो सफ़ की कुशादगी बन्द करे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.35 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाते हैं अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़ के दाहिने वालों पर दुरूद भेजते हैं।

हदीस न.36 :– तबरानी कबीर में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मस्जिद के बायें जानिब को इसलिये आबाद करे कि उधर लोग कम हैं उसे दूना सवाब है।

हदीस न.37 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्दो की सब सफ़ों में बेहतर पहली सफ़ है और सब में कम तर पिछली और औरतों की सब सफ़ों में बेहतर पिछली है और कमतर पहली।

हदीस न.38, व 39 :– अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका से और मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआआ अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा सफ़े अव्वल से लोग पीछे होते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआला उन्हें अपनी रहमत से पीछे कर के नार(दोज़ख़)में डाल देगा।

हदीस न.40 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सफ़े मुक़द्दम (पहली सफ़) को पूरा करो फिर उसको जो उसके बाद हो अगर कुछ कमी हो तो पिछली में हो।

हदीस न.41 :– अबू दाऊद अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरत का दालान में नमाज़ पढ़ना सहन में पढ़ने से बेहतर है और कोठरी में दालान से बेहतर है।

हदीस न.42 :– तिर्मिज़ी अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर आँख ज़िना करने वाली है (यानी जो अजनबी की तरफ़

नज़र करे) और बेशक औरत इत्र लगाकर मजलिस में जाये तो ऐसी और ऐसी है यानी ज़ानिया है अबू दाऊद व नसई में भी इसी के मिस्ल है।

हदीस न.43 :– सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से अक़्लमन्द लोग मेरे क़रीब हों फिर वह जो उनके क़रीब हों (इसे तीन बार फ़रमाया) और बाज़ारों की चीख़ पुकार से बचो।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

आक़िल, बालिग़, हुर, क़ादिर पर जमाअत वाजिब है बिला उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और सज़ा का मुस्तहिक़ है और कई बार तर्क करे तो फ़ासिक़ मर्दूदुश्शहादत यानी जिसकी शरीअत में गवाही क़बूल नहीं और उसको सख़्त सज़ा दी जायेगी अगर पड़ोसी ख़ामोश रहे तो वह भी गुनहगार हुए। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 स 372)

मसअला :– जुमा व ईदैन में ज़माअत शर्त है और तरावीह में सुन्नते किफ़ाया कि मुहल्ले के सब लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और कुछ लोगों ने क़ाइम कर ली तो बाक़ियों के सर से जमाअत साक़ित हो गई और रमज़ान के वित्र में मुस्तहब है नवाफ़िल और रमाज़न के अलावा वित्र में अगर तदाई के तौर पर हो तो मकरूह है। तदाई के यह मअ्ना हैं कि तीन से ज़्यादा मुक़तदी हों। सूरज गहन में जमाअत सुन्नत है और चाँद गहन में तदाई के साथ मकरूह।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जमाअत में मशग़ूल होना कि उसकी कोई रक्अ्त फ़ौत न हो वुज़ू में तीन–तीन बार आज़ा (हाथ पाँव वग़ैरा) धोने से बेहतर है और तीन–तीन बार आज़ा धोना तकबीरे ऊला (वह तकबीर जिससे नमाज़ शुरू हो जाती है) पाने से बेहतर यानी अगर वुज़ू में तीन–तीन बार आज़ा धोता है तो रक्अ्त जाती रहेगी तो अफ़ज़ल यह है कि तीन तीन बार न धोये और रक्अ्त न जाने दे और अगर जानता है कि रक्अ्त तो मिल जायेगी मगर तकबीरे ऊला न मिलेगी तो तीन–तीन बार धोये। (सग़ीरी स. 36)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला में जिसके लिये इमाम मुक़र्रर हो इमामे मुहल्ला ने अज़ान व इक़ामत के साथ सुन्नत तरीक़े पर जमाअत पढ़ ली हो तो अज़ान व इक़ामत के साथ पहली हालत पर दोबारा जमाअत क़ाइम करना मकरूह है और अगर बे–अज़ान दूसरी जमाअत हुई हो तो हरज नहीं जबकि मेहराब से हट कर हो और अगर पहली जमाअत बग़ैर अज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या ग़ैरों ने जमाअत क़ाइम की तो फिर जमाअत क़ाइम की जाये और यह जमाअत दूसरी जमाअत न होगी हैअ्त बदलने के लिये इमाम का मेहराब से दाहिने या बायें हट कर खड़ा होना काफ़ी है शारए आम की मस्जिद (आम रास्ते की मस्जिद जैसे सराए,स्टेशन वग़ैरा की)जिसमें लोग जमाअत जमाअत आते और पढ़कर चले जाते हैं यानी उस के नमाज़ी मुक़र्रर न हों उसमें अगर्चे अज़ान व इक़ामत के साथ जमाअते सानिया(दूसरी जमाअत)क़ाइम की जाये कोई हरज नहीं बल्कि यही अफ़ज़ल है कि जो गिरोह आये नई अज़ान व इक़ामत से जमाअत करे,यूँही स्टेशन व सराए की मस्जिदें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– जिस की जमाअ्त जाती रही उस पर यह वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमाअ्त तलाश कर के पढ़े,हाँ मुस्तहब है अलबत्ता जिसकी मस्जिदे ह़रम शरीफ़ की जमाअ्त फ़ौत हुई उस पर मुस्तह़ब भी नहीं कि दूसरी जगह तलाश करे। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 373)

जमाअ्त छोड़ने के उ़ज़्र हैं

मसअ्ला :– 1–मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में दुश्वारी हो। 2–अपाहिज। 3–जिसका पाँव कट गया हो। 4–जिस पर फ़ालिज गिरा हो। 5–इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आ़जिज़ है। 6–अंधा अगर्चे अंधे के लिये कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुँचा दे। 7–सख़्त बारिश। 8–और रास्ता में बहुत कीचड़ का होना। 9–सख़्त सर्दी। 10–सख़्त तारीकी (अँधेरा) 11–सख़्त आँधी। 12–माल या खाने के तलफ़(बार्बाद) होने का ख़ौफ़ हो। 13–कर्ज़ख़्वाह का ख़ौफ़ है और यह तंगदस्त हैं। 14–ज़ालिम का ख़ौफ़। 15–पाख़ाना की ह़ाजते शदीद हो। 17–रीह़ (गैस) की ह़ाजते शदीद हो। 18–खाना ह़ाज़िर है और नफ़्स को उसकी ख्वाहिश हो। 19–क़ाफ़िला चले जाने का अन्देशा हो। 20–मरीज़ की तीमारदारी (देखभाल) कि जमाअ्त लिये जाने से उसको तकलीफ़ होगी और घबरायेगा। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स.371)

मसअ्ला :– औ़रतों को किसी नमाज़ में जमाअ्त की ह़ाज़िरी जाइज़ नहीं। दिन की नमाज़ हो या रात की, जुमा हो या ईदैन ख़्वाह वह जवान या बुढ़िया वाज़ की मजलिसों में भी जाना नाजाइज़ है (दुर्रेमुख़्तार 1–380)

मसअ्ला :– अकेला मुक़तदी मर्द, अगर्चे(नाबालिग़) लड़का हो इमाम के बराबर दाहिनी जानिब खड़ा हो बायीं त़रफ़ या पीछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुक़तदी हों तो पीछे ख़ड़े हों बराबर ख़ड़ा होना मकरूहे तनज़ीही है। दो से ज़ाइद का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तह़रीमी। (दुर्रे मुख़्तार 1–381)

मसअ्ला :– दो मुक़तदी हैं एक मर्द और एक लड़का तो दोनों पीछे खड़े हों अगर अकेली औ़रत मुक़तदी है तो पीछे खड़ी हो। ज़्यादा औ़रतें हों जब भी यही हुक्म है। दो मुक़तदी हों एक मर्द एक औ़रत तो मर्द बराबर खड़ा हो और औ़रत पीछे। दो मर्द हों एक औ़रत तो मर्द इमाम के पीछे खड़े हों और औ़रत मुक़तदियों के पीछे। (आ़लमगीरी,1–83 बहर1–352)

मसअ्ला :– एक शख़्स इमाम के बराबर खड़ा हुआ और पीछे सफ़ है तो मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार1–381)

मसअ्ला :– इमाम के बराबर ख़ड़े होने के यह मअ्ना हैं कि मुक़तदी का क़दम इमाम से आगे न हो यानी उसके पाँव का गट्टा इमाम के गट्टे से आगे न हो सर के आगे पीछे होने का कुछ एअ्तिबार नहीं तो अगर इमाम के बराबर खड़ा हुआ और चूँकि मुक़तदी इमाम से दराज़ क़द है लिहाज़ा सजदे में मुक़तदी का सर इमाम से आगे होता है मगर पाँव का गट्टा गट्टे से आगे न हो तो ह़र्ज नहीं,यूँही अगर मुक़तदी के पाँव बड़े हों कि उंगलियाँ इमाम से आगे हैं जब भी ह़रज नहीं जबकि गट्टा आगे न हो। (रद्दुल मुह़तार जि.1 स.381)

मसअ्ला :– इशारे से नमाज़ पढ़ना हो तो क़दम की मुह़ाज़ात (मुक़ाबिल होना)मोअ्तबर नहीं बल्कि शर्त़ यह है कि इसका सर इमाम के सर से आगे न हो अगर्चे मुक़तदी का क़दम इमाम से आगे हो

ख़्वाह इमाम रुकू व सुजूद से पढ़ता हो या इशारे से बैठकर या लेट कर क़िब्ले की त़रफ़ पाँव फैलाकर और अगर इमाम करवट पर लेट कर इशारे से पढ़ता हो तो सर की मुह़ाज़ात नहीं ली जायेगी बल्कि शर्त़ यह है कि मुक़तदी इमाम के पीछे लेटा हो (रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– मुक़तदी अगर एक क़दम पर खड़ा है तो मुह़ाज़ात में उसी क़दम का एअ़्तिबार है और दोनों पाँव पर खड़ा हो अगर एक बराबर है और एक पीछे तो स़ही है और एक बराबर है और एक आगे तो नमाज़ स़ही न होना चाहिये। (रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– एक शख़्स़ इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाये और वह आने वाला उस मुक़तदी के बराबर खड़ा हो जाये या वह मुक़तदी पीछे हट आये, ख़ुद या आने वाले ने उसको खींचा ख़्वाह तकबीर के बाद या पहले यह सब सूरतें जाइज़ हैं जो हो सके करे और सब मुमकिन हैं तो इख़्तियार है मगर मुक़तदी जब कि एक हो तो उसका पीछे हटना अफ़ज़ल है और दो हों तो इमाम को आगे बढ़ना अफ़ज़ल है। अगर मुक़तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक़तदी पीछे हटा इस नियत से कि यह कहता है इसकी मानो तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी हाँ अगर शरीअ़त के हुक्म पर अ़मल करने की नियत से हटा तो कुछ ह़रज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार जि.1स.382)

मसअला :– मर्द और बच्चे और ख़ुन्सा (हिजड़ा)और औ़रतें जमा हों तो स़फ़ों की तरतीब यह है कि पहले मर्दों की स़फ़ हो फ़िर बच्चों की फिर ख़ुन्सा की फिर औ़रतों की और बच्चा तन्हा हो तो मर्दों की स़फ़ में दाख़िल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.384)

मसअला :– स़फ़ें मिलकर ख़ड़ी हों कि बीच में कुशादगी (ख़ाली जगह)न रह जाये और सब के मोंढे बराबर हों। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.382)

मसअला :– इमाम को चाहिये कि वस्त (बीच) में खड़ा हो अगर दाहिनी या बायीं जानिब खड़ा हुआ तो ख़िलाफ़े सुन्नत किया। (आलमगीरी)

मसअला :– मर्दो की पहली स़फ़ कि इमाम से क़रीब है दुसरी से अफ़ज़ल है और दूसरी तीसरी से और इसी त़रह आख़िरी स़फ़ तक समझ लो (आ़लमगीरी) मुक़तदी के लिये अफ़ज़ल जगह यह है कि इमाम से क़रीब हो और दोनों त़रफ़ बराबर हो तो दाहिनी त़रफ़ अफ़ज़ल है।(आलमगीरी जि. 1 स. 83)

मसअला :– स़फ़े मुक़द्दम का अफ़ज़ल होना (यानी आगे की स़फ़ों का अफ़ज़ल होना)ग़ैर जनाज़ा में है और जनाज़े की नमाज़ में आख़िरी स़फ़ अफ़ज़ल है (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 383)

मसअला :– इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है (रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– पहली स़फ़ में जगह हो और पिछली स़फ़ भर गई हो तो उस को चीर कर जाये और उस ख़ाली जगह में खड़ा हो उस के लिये ह़दीस में फ़रमाया कि जो स़फ़ में कुशादगी देख कर उसे बन्द कर दे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी। (आ़लमगीरी) और यह वहाँ जहाँ फितना फ़साद का ख़त़रा न हो।

मसअला :– स़ह़ने म़स्जिद में जगह होते हुए बाला खाना पर इक़्तिदा करना मकरूह है। युँही स़फ़ में जगह होते हुये स़फ़ के पीछे खड़ा होना मना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :— औरत अगर मर्द के मुहाज़ी (बराबर)हो तो मर्द की नमाज़ जाती रहेगी इसके लिये चन्द शर्तें हैं 1. औरत मुशतहात हो यानी इस काबिल हो कि उस से जिमा हो सके अगर्चे नाबालिग़ा हो और मुशतहात में उम्र का एअ्तिबार नहीं नौ बरस की हो या उस से कुछ कम की जब कि उसका जुस्सा (जिस्म) इस काबिल हो कि इस से जिमा–किया जा सके और अगर इस काबिल नहीं तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अगर्चे नामज़ पढ़ना जानती हो बुढ़िया भी इस मसअ्ले में मुशतहात के हुक्म में है वह औरत अगर उसकी ज़ौजा (बीवी)हो या माहारिम (सगी बहन बेटी वगैरा)में हो जब भी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (2) कोई चीज़ उंगली बराबर मोटी और एक हाथ उँची हाइल न हो न दोनों के दरमियान इतनी जगह ख़ाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके न औरत इतनी बलन्दी पर हो कि मर्द के बदन का कोई हिस्सा उस औरत के बदन के किसी हिस्से के बराबर हो। (3)रूकू सुजूद वाली नमाज़ में यह मुहाज़ात वाकेअ् हो। अगर नमाज़े जनाज़ा में मुहाज़ात हुई तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। (4) वह नमाज़ दोनों में तकबीरे तहरीमा के एअ्तिबार से शामिल हो यानी औरत ने उसकी इक्तिदा की हो या दोनों ने किसी इमाम की अगर्चे शुरू से शिरकत न हो तो अगर दोनों अपनी–अपनी पढ़ते हों तो फ़ासिद न होगी मकरूह होगी। (5) अदा में मुशतरक (शामिल) हों कि उस में मर्द उसका इमाम हो या उन दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिसके पीछे अदा कर रहे है हकीकत में या हुक्म में मसलन दोनों लाहिक़ हों कि इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अगर्चे इमाम के पीछे नहीं मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही हैं और मसबूक़ इमाम के पीछे न हकीकतन है न हुक्मन बल्कि वह मुनफ़रिद है। (6)दोनों एक ही जेहत (दिशा)में नमाज़ पढ़ रहे हों अगर जेहत बदल जाये जैसे रात के अँधेरे में कि पता न चलता हो एक तरफ़ इमाम का मुँह है और दूसरी तरफ़ मुक्तदी का या काबा मुअज़्ज़मा में नमाज़ पढ़ी और जेहत बदल गई हो नमाज़ हो जायेगी।(7)औरत आकिला हो मजनूना (पागल औरत) कि मुहाज़ात (बराबर में खड़ा होने)में नमाज़ फ़ासिद न होगी (8)इमाम ने औरतों की इमामत की नियत कर ली हो अगर्चे शुरू करते वक़्त औरतें शरीक न हों और अगर औरतों की इमामत की नियत न हो तो औरत ही की फ़ासिद होगी मर्द की नहीं (9)इतनी देर तक मुहाज़ात रहे कि एक पूरा रुक्न आदा हो जाये यानी बक़द्रे तीन तस्बीह के मुहाज़ात रहे। (10)दोनों नमाज़ पढ़ना जानते हों। (11) मर्द आकिल बालिग़ हो।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल जि.1 स. 385 मुहतार,आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— मर्द के शुरू करने के बाद औरत आकर बराबर खड़ी हो गई और उसने इमामते औरत की नियत भी कर ली है मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया मगर न हटी तो औरत की नमाज़ जाती रहेगी मर्द की नहीं यूँही अगर मुक्तदी के बराबर खड़ी हुई और इशारा कर दिया और न हटी तो औरत ही की नमाज़ फ़ासिद होगी (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— खुन्सा मुश्किल के बराबर में खड़े होने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी(आलमगीरी स. 1 जि. 48)

मसअ्ला :— अमरद खुबसूरत मुशतही यानी वह खुबसूरत लड़का जिसके अभी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली और बालिग़ होने के करीब है और जिसे देख कर शहवत का अन्देशा हो उसके मर्द के बराबर खड़े होने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 पेज 388)

मसअ्ला :– मुक़्तदीं की चार क़िस्में हैं (1) **मुदरिक** (2)**लाहिक** (3) **मस्बूक़** (4) **लाहिक़ मसबूक़** **मुदरिक** उसे कहते है जिसने अव्वल रकअ्त से तशहहुद तक इमाम के साथ पढ़ी अगर्चे पहली रकअ्त में इमाम के साथ रूकू ही में शरीक़ हुआ हो **लाहिक** वह कि इमाम के साथ पहली रकअ्त में इक़्तिदा की मगर बादे इक़्तिदा उसकी कुल रकअ्तें या बाज़ फ़ौत हो गईं ख़्वाह उज़्र से फ़ौत हों जैसे ग़फ़लत या भीड़ की वजह से रूकू सुजूद करने न पाया या नमाज़ में उसे हदस हो गया या मुक़ीम ने मुसाफ़िर के पीछे इक़्तिदा की या नमाज़े ख़ौफ़ में पहले गिरोह को जो रकअ्त इमाम के साथ न मिली ख़्वाह बिला उज़्र फ़ौत हों जैसे इमाम से पहले रूकू सुजूद कर लिया फिर उसका इआ़दा भी न किया तो इमाम की दूसरी रकअ्त उसकी पहली रकअ्त होगी और तीसरी दूसरी चौथी तीसरी और आख़िर में एक रकअ्त पढ़नी होगी **मसबूक़** वह है कि इमाम के बाज़ रकअ्तें पढ़ने के बाद शामिल हुआ और आख़िर तक शामिल रहा **लाहिक मसबूक़** वह है जिसकी कुछ रकअ्तें शुरू की न मिली फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ होगया।

मसअ्ला :– लाहिक़ मुदरिक के हुक्म में है कि जब अपनी फ़ौत शुदा (छूटी हुई रकअ्त) पढ़ेगा तो उसमें न क़िरात करेगा न सहव (भूल) हो जाने से सजदए सहव करेगा और अगर मुसाफ़िर था तो नमाज़ में इक़ामत की नियत से उसका फ़र्ज़ न बदलेगा कि दो से चार हो जाये और अपनी छूटी हुई रकअ्तों को पहले पढ़ेगा। यह न होगा क़ि इमाम के साथ पढ़े फिर जब इमाम फ़ारिग़ हो जाये तो अपनी पढ़े मसलन इस को हदस हुआ और वुज़ू कर के आया तो इमाम को क़अ्दा अख़ीरा में पाया तो यह क़ादा में शरीक न होगा बल्कि जहाँ से बाक़ी है वहाँ से पढ़ना शुरू करे। इसके बाद अगर इमाम को पा ले तो साथ हो जाये और अगर ऐसा न किया बल्कि साथ हो लिया फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद फ़ौत शुदा पढ़ी तो हो गई मगर गुनाहगार हुआ। (दुर्रे मुख़्तार जि.1स. 400)

मसअ्ला :– तीसरी रकअ्त में सो गया और चौथी में जागा तो उसे हुक्म है कि पहले तीसरी बिला क़िरात पढ़े फिर अगर इमाम को चौथी में पाये तो साथ हो ले वर्ना उसे भी बिला क़िरात तन्हा पढ़े और ऐसा न किया बल्कि चौथी इमाम के साथ पढ़ ली फिर बाद में तीसरी पढ़ी तो हो तो गई मगर गुनाहगार हुआ। (रद्दुलमुहतार जि.1 स. 400)

मसअ्ला :– मसबूक़ के अह्काम इन उमूर(बातों) में लाहिक़ के ख़िलाफ़ हैं कि पहले इमाम के साथ हो ले फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फौतशुदा (छूटी हुई)पढ़े और अपनी फ़ौतशुदा में क़िरात करेगा और उस में सहव हो तो सजदए सहव करेगा और इक़ामत की नियत से फ़र्ज़ मुतग़य्यर होगा यानी बदल जायेगा। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 400)

मसअ्ला :– मसबूक़ अपनी फ़ौतशुदा की अदा में मुनफ़रिद है कि पहले सना न पढ़ी थी इस वजह से कि इमाम बलन्द आवाज़ से क़िरात कर रहा था या इमाम रुकू में था और यह सना पढ़ता तो इसे रुकू न मिलता या इमाम क़अ्दा में था ग़र्ज़ किसी वजह से पहले न पढ़ी थी तो अब पढ़े और क़िरात से पहले तअ़व्वुज़ यानी अऊज़ुबिल्लाह पढ़े।(आलमगीरी, जि.1 स.85 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 401)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने अपनी फ़ौतशुदा पढ़कर इमाम की मुताबअ़त(इत्तिबा) की तो नमाज़ फ़ासिद

हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 401)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने इमाम को क़ादे में पाया तो तकबीरे तहरीमा सीधे खड़े होने की हालत में करे फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कअ्दा में जाये (आलमगीरी जि.1 स 85) रुकू व सुजूद में पाये जब भी यूँही करे अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे रुकू तक पहुँच गया तो सब सूरतों में नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– मसबूक़ ने जब इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अपनी शुरू की तो क़िरात के हक़ में यह रकअ्त अव्वल रकअ्त क़रार दी जायेगी और तशह्हुद (अत्तहीय्यात) के हक़ में पहली नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी जो शुमार में आये मसलन तीन या चार रकअ्त वाली नमाज़ में एक इसे मिली तो तशह्हुद के हक़ में यह जो अब पढ़ता है दूसरी है। लिहाज़ा एक रकअ्त फ़ातिहा व सूरत के साथ पढ़ कर कअ्दा करे और अगर वाजिब यानी फ़ातिहा या सूरत मिलाना तर्क किया तो अगर क़स्दन है इआदा (लौटाना) वाजिब है और सहवन हो तो सजदए सहव वाजिब है फिर उसके बाद वाली में भी फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाये और उसमें न बैठे फिर उसके बाद वाली में फ़ातिहा पढ़कर रुकू कर दे और तशहहुद (अत्तहीय्यात)वग़ैरा पढ़कर ख़त्म कर दे। दो मिली हैं दो जाती रहीं तो इन दोनों में क़िरात करे एक में भी फ़र्ज़े क़िरात तर्क किया नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– चार बातों में मसबूक़ मुक़तदी के हुक्म में है :–

(1)मसबूक़ की इक़्तिदा नहीं की जा सकती मगर इमाम उसे अपना ख़लीफ़ा बना सकता है। मगर ख़लीफ़ा होने के बाद सलाम न फेरेगा उसके लिये दूसरे को ख़लीफ़ा बनायेगा। (2)बिला इख़्तिलाफ़ तकबीराते तशरीक़ कहेगा यानी वह तकबीरें जो नौवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं ज़िलहिज्जा की अस्र तक जमाअत के बाद कही जाती हैं उसे **'तकबीराते तशरीक़'** कहते हैं। (3)मसबूक़ अगर नये सिरे से नमाज़ पढ़ने और उस नमाज़ के क़ता करने यानी बीच में तोड़ने की नियत से तकबीर कहे तो नमाज़ क़ता हो जायेगी ब ख़िलाफ़ मुन्फ़रिद के कि उस की नमाज़ क़ता न होगी। (4) मसबूक़ अपनी फ़ौतशुदा (छूटी हुई रकअ्तें) पढ़ने के लिये खड़ा हो गया और इमाम को सजदए सहव करना है अगर्चे उसकी इक़्तिदा के पहले तर्के वाजिब हुआ हो तो उसे हुक्म है कि लौट आये अगर अपनी रकअ्त का सजदा न कर चुका हो और न लौटा तो आख़िर में यह दो सजदए सहव करे। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 401)

मसअ्ला :– मस्बूक़ को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़ा न हो जाये बल्कि इतनी देर सब्र करे कि मालूम हो जाये कि इमाम को सजदए सहव नहीं करना है। मगर जब कि वक़्त में तंगी हो। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स 401)

मसअ्ला :– इमाम के सलाम फेरने से पहले मसबूक़ खड़ा हो गया तो अगर इमाम के बक़द्र तशह्हुद(अत्तहीय्यात पढ़ने के बराबर) बैठने से पहले खड़ा हो गया तो जो कुछ इससे पहले अदा कर चुका उसका शुमार नहीं मसलन इमाम के क़द्र तशह्हुद बैठने से पहले यह क़िरात से फ़ारिग़ हो गया तो यह क़िरात काफ़ी नहीं और नमाज़ न हुई और बाद में भी बक़द्रे ज़रूरत पढ़ लिया तो

हो जायेगी और अगर इमाम के बक़द्रे तशह्हुद बैठने के बाद और सलाम से पहले खड़ा हो गया तो जो अरकान अदा कर चुका उनका एअ्तिबार होगा मगर बग़ैर ज़रूरत सलाम से पहले खड़ा होना मकरूहे तह़रीमी है फिर अगर इमाम के सलाम से पहले फ़ौतशुदा(छूटी हुई) अदा कर ली और सलाम में इमाम का शरीक हो गया तो भी सह़ी हो जायेगी और क़अ्दा व तशह्हुद में मुताबअ़त करेगा तो फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 402)

मसअ्ला :– इमाम के सलाम से पहले मसबूक़ किसी उ़ज़्र की वजह से खड़ा हो गया मसलन सलाम के इन्तिज़ार में ह़दस (वुज़ू टूटने) का ख़ौफ़ हो या फ़ज्र व जुमा व ईदैन के वक़्त ख़त्म हो जाने का अन्देशा है या वह मसबूक़ माज़ूर है और वक़्ते नमाज़ ख़त्म होने का गुमान है या मोज़े पर मसह़ किया है और मसह़ की मुद्दत पूरी हो जायेगी तो इन सब सूरतों में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 402)

मसअ्ला :– अगर इमाम से नमाज़ का कोई सजदा रह गया और मसबूक़ के खड़े होने के बाद याद आया तो उसमें मसबूक़ को इमाम की मुताबअ़त(इत्तिबा)फ़र्ज़ है अगर न लौटा तो मसबूक़ की नमाज़ ही न हुई और अगर इस सूरत में रकअ़त पूरी करके मसबूक़ ने सजदा भी कर लिया है तो मुतलक़न नमाज़ न होगी अगर्चे इमाम की मुताबअ़त करे। अगर इमाम को सजदए सहव या सजदए तिलावत करना है और उसने अपनी रकअ़त का सजदा कर लिया तो अगर मुताबअ़त करेगा फ़ासिद हो जायेगी वर्ना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 402)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने इमाम के साथ क़स्दन (जानबूझ कर) सलाम फेरा यह ख़्याल करके कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये नमाज़ फ़ासिद हो गई और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बाद सलाम फेरा तो सजदए सहव लाज़िम है और अगर बिल्कुल साथ–साथ फेरा तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि1 स 402)

मसअ्ला :– भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया फिर गुमान कर के कि नमाज़ फ़ासिद हो गई नये सिरे से पढ़ने की नियत से अल्लाहु अकबर कहा तो अब फ़ासिद हो गई।(आलमगीरी जि.1स 86)

मसअ्ला :– इमाम क़अ्दए अख़ीरा के बाद भूल कर पाँचवीं रकअ़त के लिये उठा अगर मसबूक़ इमाम की क़स्दन मुताबअ़त् करे नमाज़ जाती रहेगी और अगर इमाम ने क़अ्दए अख़ीरा न किया था तो जब तक पाँचवीं रकअ़त का सजदा न कर लेगा फ़ासिद न होगी। (दुर्रे मुख़्तार, जि.1 स402)

मसअ्ला :– इमाम ने सजदए सहव किया मसबूक़ ने उसकी मुताबअ़त की जैसा कि उसे हुक्म है फिर मालूम हुआ कि इमाम पर सजदए सहव न था मसबूक़ की नमाज़ फ़ासिद हो गई।(दुर्रे मुख़्तार जि.1स 402)

मसअ्ला :– दो मसबूक़ों ने एक ही रकअ़त में इमाम की इक़्तिदा की फिर जब अपनी पढ़ने लगे तो एक को अपनी रकअ़तें याद न रहीं दूसरे को देख–देख कर जितनी उसने पढ़ीं इसने भी पढ़ीं अगर उसकी इक़्तिदा की नियत न की तो नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 40)

मसअ्ला :– लाह़िक़ मसबूक़ का हुक्म यह है कि जिन रकअ़तों में लाह़िक़ है उनको इमाम की तरतीब से पढ़े और उनमें लाह़िक़ के अह़काम जारी होंगे। उनके बाद इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद जिन में मसबूक़ है वह पढ़े और इनमें मसबूक़ के अह़काम जारी होंगे मसलन चार रकअ़त वाली नमाज़ की दूसरी रकअ़त में मिला फिर दो रकअ़तों में सोता रह गया तो पहले यह रकअ़तें जिन में

सोता रहा बग़ैर किरात अदा करे सिर्फ़ इतनी देर ख़ामोश खड़ा रहे जितनी देर में सूरए फ़ातिहा पढ़ी जाती फिर इमाम के साथ जो कुछ मिल जाये उसमें मुताबअ़त करे फिर वह फ़ौतशुदा किरात के साथ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 400)

मसअ्ला :– दो रकअ़तों में सोता रहा और एक में शक है कि इमाम के साथ पढ़ी है या नहीं तो इसको आख़िर नमाज़ में पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़अ्दए ऊला में इमाम तशह्हुद(अत्तहीय्यात) पढ़कर खड़ा हो गया और बाज़ मुक़तदी तशह्हुद पढ़ना भूल गये वह भी इमाम के साथ खड़े हो गये तो जिसने तशह्हुद नहीं पढ़ा था वह बैठ जाये और तशह्हुद पढ़कर इमाम की मुताबअ़त करे अगर्चे रकअ़त फ़ौत हो जाये। (आलमगीरी जि. 1 स़ 84) रुकू या सजदे से इमाम के पहले मुक़तदी ने सर उठा लिया तो उसे लौटना वाजिब है और यह दो रुकू दो सजदे नहीं होंगे। (आलमगीरी जि.1 स 84)

मसअ्ला :– इमाम ने त़वील (लम्बा) सजदा किया मुक़तदी ने सर उठाया और यह ख़्याल किया कि इमाम दूसरे सजदे में है इसने भी उसके साथ सजदा किया तो अगर सजदए ऊला (पहले सजदे)की नियत की या कुछ नियत न की या सजदए सानिया (दूसरे सजदे) और मुत़ाबअ़त की नियत की तो ऊला हुआ और अगर सिर्फ़ सानिया की नियत की तो सानिया हुआ फिर अगर वह इसी सजदे में था कि इमाम ने भी सजदा किया और मुशारकत हो गई यानी शरीक हो गया तो जाइज़ है और इमाम के दूसरा सजदा करने से पहले अगर इस ने सर उठा लिया तो जाइज़ न हुआ और इस पर उस सजदे का दोहराना ज़रूरी है अगर सजदा नहीं दोहरायेगा नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स 84)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने सजदा त़वील किया यहाँ तक कि इमाम पहले सजदे से सर उठाकर दूसरे में गया अब मुक़तदी ने सर उठाया और यह गुमान किया कि इमाम अभी पहले ही सजदे में है और सजदा किया तो यह दूसरा सजदा होगा अगर्चे सिर्फ़ पहले ही सजदे की नियत की हो।(आलमगीरी जि.1 स 84)

मसअ्ला :– पाँच चीज़ें वह हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक़तदी भी न करे और इमाम का साथ दे(1)तकबीराते ईदैन(2) क़अ्दए ऊला(3) सजदए तिलावत(4) सजदए सहव(5) कुनूत जबकि रुकू फ़ौत होने का अन्देशा हो वर्ना पढ़कर रुकू करे(आलमगीरी जि.1 स 84 सग़ीरी स 269) मगर क़अ्दए ऊला न किया और अभी सीधा खड़ा न हुआ तो मुक़तदी अभी उसके तर्क में मुत़ाबअ़त इमाम की न करे बल्कि उसे बताये ताकि वह वापस आये अगर वापस आ गया तो ठीक और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब न बताये कि नमाज़ जाती रहेगी बल्कि ख़ुद भी क़अ्दा छोड़ दे और खड़ा हो जाये।

मसअ्ला :– चार चीज़ें वह हैं कि इमाम करे तो मुक़तदी उसका साथ न दें (1) नमाज़ में कोई ज़ाइद सजदा किया। (2) तकबीराते ईदैन में अक़वाले स़हाबा पर ज़्यादती की। (3) नमाज़े जनाज़ा में पाँच तकबीरें कहीं फिर इस सूरत में अगर क़अ्दए अख़ीरा कर चुका है तो मुक़तदी इसका इन्तिज़ार करे अगर पाँचवीं के सजदे से पहले लौट आया तो मुक़तदी भी उसका साथ दे उसके साथ सजदए सहव करे और अगर पाचँवीं का सजदा कर लिया तो मुक़तदी तन्हा सलाम फेर ले और अगर क़अ्दए अख़ीरा नहीं किया था पाँचवी रकअ़त का सजदा कर लिया तो सब की नमाज़

फ़ासिद हो गई अगर्चे मुक़तदी ने तशह्हुद (अत्तहीय्यात) पढ़कर सलाम फेर लिया हो।(आलमगीरी जि.1 स 85)
मसअ्ला :– नौ चीज़ें हैं कि इमाम अगर न करे तो मुक़तदी उसकी पैरवी न करे बल्कि पूरी करे। (1) तकबीरे तह़रीमा में हाथ उठाना। (2) सना पढ़ना जबकि इमाम फ़ातिह़ा में हो और आहिस्ता पढ़ता हो। (3) रुकू (4)और सुजूद (सजदों) की तकबीरात (5) और तस्बीह़ात(6)तसमीया(बिस्मिल्लाह) (7)तशह्हुद पढ़ना (8)सलाम फेरना (9) तकबीराते तशरीक़। (आलमगीरी,सग़ीरी)
मसअ्ला :– मुक़तदी ने सब रकअ्तों में इमाम से पहले रुकू सुजूद कर लिया तो एक रकअ्त बाद को बग़ैर क़िरात पढ़े। (आलमगीरी)
मसअ्ला :– इमाम और मुक़तदियों में इख़्तिलाफ़ हुआ मुक़तदी कहते हैं तीन पढ़ीं इमाम कहता है चार पढ़ीं तो अगर इमाम को यक़ीन हो इआ़दा न करे (नमाज़ फिर से न पढ़े) वर्ना करे और अगर मुक़तदियों में एक दूसरे में इख़्तिलाफ़ हुआ तो इमाम जिस तरफ़ है उसका क़ौल लिया जायेगा। एक शख़्स को तीन रकअ्तों का यक़ीन है और एक को चार का और बाक़ी मुक़तदियों और इमाम को शक है तो इन लोगों पर कुछ नहीं और जिसे कमी का यक़ीन है इआ़दा करे और इमाम का तीन रकअ्तों का यक़ीन है और एक शख़्स को पूरी होने का यक़ीन है तो इमाम व क़ौम दोबारा पढ़ें और इस यक़ीन करने वाले पर लौटाना नहीं। एक शख़्स का कमी का यक़ीन है और इमाम व जमाअ्त को शक है तो अगर वक़्त बाक़ी है इआ़दा करे वर्ना इनके ज़िम्मे कुछ नहीं हाँ अगर दो आ़दिल यक़ीन के साथ कहते हों तो बहर ह़ाल फिर से पढ़े। (आलमगीरी)

नमाज़ में बेवुज़ू होने का बयान

अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये तो नाक पकड़े और चला जाये। इब्ने माजा व दारेक़ुतनी की रिवायत उन्हीं से है कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसको क़ै आये या नकसीर फूटे या मज़ी निकले तो चला जाये और वुज़ू करके उसी पर बिना करे यानी जहाँ से नमाज़ छोड़ी है वहाँ से शुरू करे बशर्ते कि कलाम (बातचीत) न किया हो और बहुत से स़ह़ाबए किराम मसलन सिद्दीक़े अकबर व फ़ारूक़े आज़म व मौला अ़ली व अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व सलमान फ़ारसी और ताबेईने इ़ज़ाम मसलन अ़लक़मा व ताऊस व सालिम इब्ने अ़ब्दुल्लाह व सईद इब्ने ज़ुबैर व शअ़्बी व इब्राहीम नख़ई व मकहूल व स़ईद इब्ने मुसय्यब रिद़वानुल्लाहि तआ़ला अ़लैहिम अजमईन का यही क़ौल है।

अह़कामे फ़िक़्हिय्यह

नमाज़ में जिस का वुज़ू जाता रहे अगर्चे क़अ्दए अख़ीरा में तशह्हुद के बाद सलाम से पहले हो तो वुज़ू कर के जहाँ से बाक़ी हैं वहीं से पढ़ सकता है इस को बिना कहते हैं मगर अफ़ज़ल यह है कि सिरे से पढ़े इसे इस्तीनाफ़ कहते हैं इस मसअ्ला में औ़रत व मर्द दोनों का एक ही हुक्म है। (आम्मए कुतुब)
मसअ्ला :– जिस रुक्न में ह़दस वाक़ेअ् हो (वुज़ू टूटे) उसका इआ़दा करे यानी लौटाए।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– बिना के लिये तेरह शर्तें हैं अगर उन में एक शर्त भी न पाई जाये तो बिना जाइज़

नहीं। 1.ह़दस मूजिबे वुज़ू हो यानी ह़दस से सिर्फ़ वुज़ू टूटे 2. उसका वुजूद नादिर न हो यानी उस ह़दस का पाया जाना आ़म हो 3. वह ह़दसे समावी हो यानी न वह बन्दे के इख़्तियार से हो न बन्दा उसका सबब हो 4. वह ह़दस उसके बदन से हो (ह़दस यानी वह काम जिसके करने से वुज़ू जाता रहता है) 5. उस ह़दस के साथ कोई रुक्न ठहरा हो 7. न चलते में रुक्न अदा किया हो। 8. कोई काम नमाज़ के ख़िलाफ़ जिसकी उसे इजाज़त न थी न किया ज़रूरत बक़द्रे मनाफ़ी ज़ाइद न किया हो। 10. उस ह़दसे समावी के बा़द कोई ह़दसे साबिक़ (पहले का ह़दस) ज़ाहिर न हुआ हो 11–ह़दस के बाद साह़िबे तरतीब को क़ज़ा न याद आई हो। 12–मुक़तदी हो तो इमाम के फ़ारिग़ होने से पहले दूसरी जगह अदा न की हो। 13.इमाम था तो ऐसे का ख़लीफ़ा न बनाया हो जो लाइक़े इमामत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार आ़लमगीरी) इन शराइत़ की तस़रीह़ात आगे मसाइल में आती हैं।

मसअ्ला :– नमाज़ में मूजिबे ग़ुस्ल (ग़ुस्ल करने का सबब) पाया गया मसलन तफ़क्कुर यानी ग़ौर व फ़िक्र वग़ैरा से इन्ज़ाल हो गया यानी मनी निकल गई तो बिना नहीं हो सकती सिरे से पढना ज़रूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर व़ह ह़द्स नादिरुल वुजूद यानी जो कभी कभी पाया जाता हो जैसे क़हक़हा (ज़ोर से हँसना) व बेहोशी व जुनून (पागलपन) तो बिना नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वह ह़दस समावी न हो ख़्वाह उस मुस़ल्ली (नमाज़ी) की तरफ़ से हो कि क़स्दन उसने अपना वुज़ू तोड़ दिया। (मस्लन मुँह भर क़ै कर दी या नकसीर फ़ोड़ ली या फ़ुड़िया दबा दी कि उस से मवाद बहा या घुटने में फ़ुड़िया थी और सजदे में घुटने पर ज़ोर दिया कि बही) ख़्वाह दूसरे की त़रफ़ से हो मसलन किसी ने इस के सर पर पत्थर मारा कि ख़ून निकल कर बह गया या किसी ने उसकी फ़ुड़िया दबा दी और उसके बदन से ख़ून बहा वह पत्थर ख़ुद–ब–ख़ुद गिरा या किसी के चलने से तो इन सब सूरतों में सिरे से पढ़े बिना नहीं कर सकता यूँही अगर दरख़्त से फल गिरा जिससे यह ज़ख़्मी हो गया और ख़ून बहा या पाँव में काँटा चुभा या सजदे में पेशानी में चुभा और ख़ून बहा या भिड़ ने काटा और ख़ून बहा तो बिना नहीं हो सकती।(आ़लमगीरी,रद्दुलमुहतार जि.1 स 88)

मसअ्ला :– बिला इख़्तियार भर मुँह क़ै हुई तो बिना कर सकता है और क़स्दन की तो बिना नहीं कर सकता। नमाज़ में सो गया और ह़दस वाक़ेअ़ हुआ और देर के बा़द बेदार हुआ तो बिना कर सकता है और बेदारी में तवक़्क़ुफ़(देर)किया नमाज़ फ़ासिद हो गई छींक या खाँसी से हवा ख़ारिज हो गई या क़त़रा आ गया तो बिना नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी वग़ैरा जि. 1 स 88)

मसअ्ला :– किसी ने उस के बदन पर नजासत डाल दी या किसी त़रह़ उस का बदन या कपड़ा एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया तो उसे पाक करने के बा़द बिना नहीं कर सकता और अगर उसी ह़दस के सबब नजिस हुआ तो बिना कर सकता है और अगर ख़ारिज व ह़दस दोनों से है तो बिना नहीं हो सकती। (आलमगीरी जि़ 1 स 89)

मसअ्ला :– कपड़ा नापाक हो गया दूसरा पाक कपड़ा मौजूद है कि फ़ौरन बदल सकता है तो अगर फ़ौरन बदल लिया तो नमाज़ हो गई और दूसरा कपड़ा नहीं बदला या उसी ह़ालत में एक रुक्न अदा किया या वक़्फ़ा किया नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी जि.1 स 89)

मसअ्ला :– रुकू या सजदे में ह़दस हुआ और रुक्न अदा करने की नियत से सर उठाया यानी रुकू

से "समिअल्लाहु लिमन हमिदा" और सजदा से "अल्लाहु अकबर" कहते हुए उठा या वुज़ू के लिये जाने या वापसी में क़िरात की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई बिना नहीं कर सकता सुब्हानल्लाह या लाइला–ह इल्लल्लाह कहा तो बिना में हरज नहीं यानी बिना कर सकता है।(आलमगीरी, जि.1 स 88)

मसअला :– हदस समावी के बाद क़स्दन हदस किया तो अब बिना नहीं हो सकती।(रद्दुल मुहतार जि.1स.403)

मसअला :– हदस हुआ और बक़द्रे वुज़ू पानी मौजूद है उसे छोड़ कर दूर जगह गया बिना नहीं कर सकता यूँही बादे हदस कलाम किया या खाया पिया तो बिना नहीं कर सकते।(आलमगीरी,जि.1 स 89)

मसअला :– वुज़ू के लिये कुँए से पानी भरना पड़ा तो बिना हो सकती है और बग़ैर ज़रूरत हो तो नहीं।

मसअला :– वुज़ू करने में सत्र खुल गया या ज़रूरत से सत्र खोला मसलन औरत ने वुज़ू के लिए कलाई खोली तो नमाज़ फ़ासिद न होगी और बिला ज़रूरत सत्र खोला तो नमाज़ फ़ासिद हो गई मसलन औरत ने वुज़ू के लिये एक साथ दोनों कलाईयाँ खोल दीं तो नमाज़ गई।(आलमगीरी जि. 1 स 88)

मसअला :– कुआँ नज़दीक है मगर पानी भरना पड़ेगा और रखा हुआ पानी दूर है तो अगर पानी भर कर वुज़ू किया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– नमाज़ में हदस हुआ और उसका घर हौज़ की बनिस्बत क़रीब है और घर में पानी मौजूद है मगर हौज़ पर वुज़ू के लिये गया अगर हौज़ व मकान में दो सफ़ से कम फ़ासला हो तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और ज़्यादा फ़ासला हो तो फ़ासिद हो गई और अगर घर में पानी होना याद न रहा और उस की आदत भी हौज़ से वुज़ू की है तो बिना कर सकता है। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– हदस के बाद वुज़ू के लिए घर गया दरवाज़ा बंद पाया उसे खोला और वुज़ू किया अगर चोर का ख़ौफ़ हो तो वापसी में बंद कर दे वर्ना खुला छोड़ दे। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– वुज़ू करने में सुनन व मुस्तहब्बात के साथ वुज़ू करे अलबत्ता अगर तीन–तीन बार की जगह चार–चार बार धोया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– हौज़ में जो जगह ज़्यादा नज़दीक हो वहाँ वुज़ू करे बिला उज़्र उसे छोड़ कर दूसरी जगह दो सफ़ से ज़ाइद हटा नमाज़ फ़ासिद हो गई और वहाँ भीड़ थी तो फ़ासिद न हुई।(आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– अगर वुज़ू में मसह भूल गया तो जब तक नमाज़ में खड़ा न हुआ जाकर मसह कर आये और नमाज़ में खड़े होने के बाद याद आया तो सिरे से पढ़े और अगर वहाँ कपड़ा भूल आया था और जाकर उठा लिया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स. 89)

मसअला :– मस्जिद में पानी है उससे वुज़ू कर के एक हाथ से बर्तन नमाज़ की जगह उठा लाया तो बिना कर सकता है दोनों हाथ से उठाया तो नहीं, यूँही बर्तन से लोटे में पानी लेकर एक हाथ से उठाया तो बिना कर सकता है दोनों हाथ से उठाया तो नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअला :– मोज़े पर मसह किया था नमाज़ में हदस हुआ वुज़ू के लिये गया वुज़ू के बीच में मसह की मुद्दत ख़त्म हो गई या तयम्मुम से नमाज़ पढ़ रहा था और हदस हुआ और पानी पाया या पट्टी पर मसह किया था हदस के बाद ज़ख़्म अच्छा होकर पट्टी खुल गई तो इन सब सूरतों में बिना

नहीं कर सकता। (आलमगीरी वगैरा जि. 1 स. 89)

मसअ्ला :– बेवुजू हो जाने का गुमान करके मस्जिद से निकल गया अब मालूम हुआ कि वुजू न गया था तो सिरे से पढ़े और मस्जिद से बाहर न हुआ था तो मुसल्ले से हटते ही नमाज़ फ़ासिद हो गई(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह गुमान हुआ कि बेवुजू शुरू ही की थी या मोज़े पर मसह किया था और गुमान हुआ कि **मुद्दत** ख़त्म हो गई या साहिबे तरतीब ज़ोहर की नमाज़ में था और गुमान हुआ कि फ़ज्र की नहीं पढ़ी या तयम्मुम किया था सराब यानी वह रेगिस्तानी रेत जो दोपहर के वक़्त धूप की तेज़ी की वजह से पानी जैसा नज़र आता है,उस पर नज़र पड़ी और उसे पानी गुमान किया या कपड़े पर रंग देखा और उसे नजासत गुमान किया इन सब सूरतों में नमाज़ छोड़ने के ख़्याल से हटा ही था कि मालूम हुआ गुमान ग़लत है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी जि 1 स 403)

मसअ्ला :– रुकू यां सजदे में हदस हुआ अगर अदा के इरादे से सर उठाया नमाज़ बातिल हो गई उस पर बिना नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

ख़लीफ़ा करने का बयान

मसअ्ला :– नमाज़ में इमाम को हदस हुआ तो उन शराइत के साथ जो ऊपर ज़िक्र हुईं दूसरे को ख़लीफ़ा कर सकता है (इसको इस्तिख़लाफ़ कहते हैं) अगर्चे वह नमाज़ नमाज़े जनाज़ा हो।

मसअ्ला :– जिस मौके पर बिना जाइज़ है वहाँ इस्तिख़लाफ़ सही है और जहाँ बिना सही नहीं इस्तिख़लाफ़ भी सही नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– जो शख़्स इस मुहदिस (यानी जिसका वुजू टूट गया हो)का इमाम हो सकता है वह ख़लीफ़ा भी नहीं हो सकता है और जो इमाम नहीं बन सकता वह ख़लीफ़ा भी नहीं हो सकता(आलमगीरी जि 1 स 89)

मसअ्ला :– जब इमाम को हदस हो जाये तो नाक बन्द कर के (कि लोग नकसीर गुमान करें)पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को ख़लीफ़ा बनाने में बात न करे। (आलमगीरी, जि1 स 90)

मसअ्ला :– मैदान में नमाज़ हो रही है तो जब तक सफ़ों से बाहर न गया ख़लीफ़ा बना सकता है और मस्जिद में है तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुआ इस्तिख़लाफ़ हो सकता है।(आलमगीरी जि1 स 90)

मसअ्ला :– मस्जिद के बाहर तक बराबर सफ़ें हैं इमाम ने मस्जिद में से किसी को ख़लीफ़ा न बनाया बल्कि बाहर वाले को ख़लीफ़ा बनाया यह इस्तिख़लाफ़ सही नहीं हुआ क़ौम और इमाम सब की नामज़ें गईं और आगे बढ़ गया तो उस वक़्त तक ख़लीफ़ा बना सकता है कि सुतरा या सजदे की जगह से आगे न हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी जि 1 स 404 जि 1 स 90)

मसअ्ला :– मकान और छोटी ईदगाह मस्जिद के हुक्म में है बड़ी मस्जिद और बड़ा मकान और बड़ी ईदगाह मैदान के हुक्म में हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने किसी को ख़लीफ़ा न किया बल्कि क़ौम ने बना दिया या ख़ुद ही इमाम की जगह पर नियते इमामत करके खड़ा हो गया तो यह ख़लीफ़ाए इमाम हो गया और महज़ इमाम की जगह पर चले जाने से इमाम न होगा जब तक नियते इमामत न करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिद व मैदान में ख़लीफ़ा बनाने के लिये जो हद मुकर्रर की गई है उस से अभी

मुतजाविज़ यानी आगे न हुआ न खुद कोई ख़लीफ़ा बना न जमाअत ने किसी को बनाया तो इमाम की इमामत क़ाइम है यहाँ तक कि इस वक़्त भी अगर उसकी इक़्तिदा कोई शख़्स करे तो हो सकती है। (रद्दुल मुहतार जि 1 स 404)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ पिछली सफ़ में से किसी को ख़लीफ़ा कर के मस्जिद से बाहर हो गया अगर ख़लीफ़ा ने फ़ौरन ही इमामत की नियत कर ली तो जितने मुक़तदी उस ख़लीफ़ा से आगे हैं सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं उस सफ़ में जो दाहिने बायें हैं या उस सफ़ से पीछे, उनकी और इमामे अव्वल की फ़ासिद न हुई और अगर ख़लीफ़ा ने यह नियत की कि इमाम की जगह पहुँचकर इमाम हो जाऊँगा और इमाम की जगह पर पहुँचने से पहले इमाम बाहर हो गया तो सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं। (आलमगीरी जि. 1 स 90 ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम के लिये औला यह है कि मसबूक़ को ख़लीफ़ा न बनाये बल्कि किसी और को बनाये और जो मसबूक़ ही को ख़लीफ़ा बनाये तो उसे चाहिये कि क़बूल न करे और क़बूल कर लिया तो ख़लीफ़ा हो गया। (आलमगीरी जि 1 स 90)

मसअला :– मसबूक़ को ख़लीफ़ा बना ही दिया तो जहाँ से इमाम ने ख़त्म किया है मसबूक़ वहीं से शुरू करे रहा यह कि मसबूक को क्या मालूम कि क्या बाक़ी है लिहाज़ा इमाम उसे इशारे से बता दे मसलन एक रकअ़त बाक़ी तो एक उंगली से इशारा करे, दो हों तो दो से ,रुकू करना हो तो घुटने पर हाथ रख दे,सजदे के लिये पेशानी पर,क़िरात के लिये मुँह पर,सजदए तिलावत के लिये पेशानी व ज़ुबान पर सजदए सहव के लिये सीने पर रखे और अगर मसबूक़ को मालूम हो तो इशारे की कुछ हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि1 स. 404 आलमगीरी जि 1 स 89)

मसअला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ में एक शख़्स ने इक़्तिदा की फिर इमाम को हदस हुआ और उसे ख़लीफ़ा किया और उसे मालूम नहीं कि इमाम ने कितनी पढ़ी है और क्या बाक़ी है तो यह चार रकअ़त पढ़े और हर रकअ़त पर क़अ़दा करे। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– मसबूक़ को ख़लीफ़ा किया तो इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद सलाम फेरने के लिये किसी मुदरिक को मुक़द्दम कर दे यानी आगे बढ़ा दे कि वह सलाम फेरे।(आलमगीरी वग़ैरा जि 1स 90)

मसअला :– चार या तीन रकअ़त वाली में उस मसबूक़ को ख़लीफ़ा किया जिसको दो रकअ़तें न मिली थीं तो उस ख़लीफ़ा पर दो क़अ़दे फ़र्ज़ हैं एक इमाम का क़अ़दए अख़ीरा और एक उसका खुद और अगर इमाम ने इशारा कर दिया कि पहली रकअ़तों में क़िरात न की थी चार रकअ़त वाली नमाज़ में चारों में ख़लीफ़ा पर क़िरात फ़र्ज़ है। (आलमगीरी जि 1 स 140 दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मसबूक़ ने इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद क़हक़हा लगाया या क़स्दन हदस किया या कलाम किया या मस्जिद से बाहर हो गया तो खुद उसकी नमाज़ जाती रही और क़ौम की हो गई,रहा इमामे अव्वल वह अगर अरकाने नमाज़ से फ़ारिग़ हो गया है तो उसकी भी हो गई वर्ना गई। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– लाहिक़ को ख़लीफ़ा बनाया तो उसे हुक्म है कि जमाअ़त की तरफ़ इशारा करे कि अपने हाल पर लोग रहें यहाँ तक कि जो उसके ज़िम्मे है उसे पूरा कर के इमाम की नमाज़ को पूरी करे और अगर पहले इमाम की नमाज़ पूरी कर दी तो जब सलाम का मौक़ा आये किसी को

सलाम फेरने के लिये ख़लीफ़ा बनाये और खुद अपनी पूरी करे। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– इमाम ने एक को ख़लीफ़ा बनाया और उस ख़लीफ़ा ने दूसरे को ख़लीफ़ा कर दिया तो अगर इमाम के मस्जिद से बाहर होने और ख़लीफ़ा के इमाम की जगह पर पहुँचने से पहले यह हुआ तो जाइज़ है वर्ना नहीं। (आलमगीरी जि 1 स 90)

मसअला :– तन्हा नमाज़ पढ़ रहा था हदस वाक़ेअ़ हुआ और अभी मस्जिद से बाहर न हुआ कि किसी ने उसकी इक़्तिदा की तो यह मुक़तदी ख़लीफ़ा हो गया। (आलमगीरी ज़ि 1 स 91)

मसअला :– मुसाफ़िरों ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की और इमाम को हदस लाहिक़ हुआ उसने मुक़ीम को ख़लीफ़ा किया मुसाफ़िरों पर चार रकअ़तें पूरी करना लाज़िम नहीं और मुक़ीम ख़लीफ़ा को चाहिये कि किसी मुसाफ़िर को मुक़द्दम कर दे यानी आगे बढ़ा दे कि वह सलाम फेरे और अगर मुक़तदियों में और भी मुक़ीम थे तो वह तन्हा–तन्हा 2–2 रकअ़त बिला क़िराअत पढ़ें अब अगर उस ख़लीफ़ा की इक़्तिदा करेंगे तो उन सब की नमाज़ बातिल होगी। (रद्दुलमुहतार ज़ि 1 स 410)

मसअला :– इमाम को जुनून (पागलपन) हो गया या बेहोशी तारी हुई या क़हक़हा लगाया या कोई गुस्ल का सबब पाया गया मसलन सो गया और एहतिलाम हुआ या तफ़क्कुर करने या शहवत के साथ नज़र करने या छूने से मनी निकल गई तो इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई सिरे से पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार ज़ि 1 स 405)

मसअला :– अगर शिद्दत से पाख़ाना पेशाब मालूम हुआ कि नमाज़ पूरी नहीं कर सकता तो इस्तिख़लाफ़ जाइज़ नहीं । यूँही अगर पेट में तेज़ दर्द हो कि खड़ा नहीं रह सकता तो बैठ कर पढ़े इस्तिख़लाफ़ जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर शर्म व रोब की वजह से क़िराअ़त से आ़जिज़ है तो इस्तिख़लाफ़ जाइज़ है और बिल्कुल निसयान हो गया यानी भूल गया तो नाजाइज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ और किसी को ख़लीफ़ा बनाया और ख़लाफ़ा ने अभी नमाज़ पूरी नहीं की है कि इमाम वुजू से फ़ारिग़ हो गया तो उस पर वाजिब है कि वापस आये यानी इतना क़रीब हो जाये कि इक़्तिदा हो सके और ख़लीफ़ा पूरी कर चुका है तो उसे इख़्तेयार है कि वहीं पूरी करे या मौज़ए इक़्तिदा यानी इक़्तिदा की जगह पर आये, यूँही मुनफ़रिद को इख़्तियार है और मुक़तदी को हदस हुआ तो वाजिब है कि वापस आये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– नमाज़ में इमाम का इन्तिक़ाल हो गया अगर्चे क़अ़दए अख़ीरा में तो मुक़तदियों की नमाज़ बातिल हो गई सिरे से पढ़ना ज़रूरी है। (रद्दुल मुहतार जि 1 स 405)

नमाज़ फ़ासिद करने वाली चीज़ों का बयान

सही मुस्लिम में मुआ़विया इब्ने हकम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं नमाज़ में आदमियों का कोई कलाम दुरूस्त नहीं वह तो नहीं मगर तस्बीह व तक्बीर व क़िराते कुर्आन। सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि हुज़ूर नमाज़ में होते और हुज़ूर को सलाम किया

करते और हुजूर जवाब देते जब नजाशी के यहाँ से हम वापस हुए सलाम अ़र्ज़ किया। जवाब न दिया अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हम सलाम करते थे और हुजूर जवाब देते थे। (अब क्या बात है कि जवाब न मिला) फ़रमाया नमाज़ में मशग़ूली है और अबू दाऊद की रिवायत में है फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपना हुक्म जो चाहता है ज़ाहिर फ़रमाता है और जो ज़ाहिर फ़रमाया है उस में से यह है कि नमाज़ में कलाम न करो उस के बाद सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया नमाज़ किराते क़ुर्आन और ज़िकरे ख़ुदा के लिए है तो जब तुम नमाज़ में हो तुम्हारी यही शान होनी चाहिए (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़बान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फ़ासिद करता है और हाथ के इशारे से दिया तो मकरूह हुई सलाम की नियत से मुसाफ़ा करना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है।

मसअ्ला :– मुसल्ली (नमाज़ी)से कोई चीज़ माँगी या कोई बात पूछी उसने सर या हाथ से हाँ या नहीं का इशारा किया नमाज़ फ़ासिद न हुई अलबत्ता मकरूह हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी को छींक आई उस के जवाब में नमाज़ी ने "यरहमुकल्लाह"कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई और खुद उसी को छींक आई और अपने को मुख़ातब करके "यरहमुकल्लाह"कहा तो फ़ासिद न हुई और किसी और को छींक आई उस मुसल्ली ने "अलहम्मदुलिल्लाह"कहा नमाज़ न गई और जवाब की नियत से कहा तो जाती रही। (आलमगीरी ज़ि1 स 92)

मसअ्ला :– नमाज़ में छींक आई किसी दूसरे ने "यरहमुकल्लाह"कहा और उसने जवाब में कहा आमीन नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी ज़ि1 स 92)

मसअ्ला :– नमाज़ में छींक आये तो सुकूत करे और "अलहम्मदुलिल्लाह"कह लिया तो भी नामज़ में हरज नहीं और अगर उस वक़्त हम्द न की तो फ़ारिग़ होकर कहे। (आलमगीरी जि 1 स. 92)

मसअ्ला : – खुशी की ख़बर सुनकर जवाब में 'अलहम्दुलिल्लाह'कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर जवाब की नियत से न कहा बल्कि यह ज़ाहिर करने के लिये कि नमाज़ में है तो फ़ासिद न हुई यूँही तअ़ज्जुब में डालने वाली कोई चीज़ देखकर जवाब के इरादे से "सुब्हानल्लाह"या "लाइला–ह "इल्लल्लाह" यो "अल्लाहु अकबर"कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने आने की इजाज़त चाही उसने यह ज़ाहिर करने को कि नमाज़ में हूँ ज़ोर से "अल्हमदुलिल्लाह"या "सुब्हानल्लाह"या "अल्लाहु अकबर" पढ़ा नमाज़ फ़ासिद न हुई। (गुनिया)

मसअ्ला :– बुरी ख़बर सुनकर إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۝ **तर्जमा** : "हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की तरफ़ हमें पलटना है" कहा या अलफ़ाज़े कुर्आन से किसी को जवाब दिया नमाज़ फ़ासिद हो गई। मसलन किसी ने पूछा क्या खुदा के सिवा दूसरा खुदा है ? उस ने जवाब दिय لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ या पूछा तेरे क्या–क्या माल हैं उसने जवाब में कहा اَلْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرُ

तर्जमा :– (घोड़े और ख़च्चर और गधे) या पूछा कहाँ से आये ?कहा وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ۝

तर्जमा :–"और कितने कुँए बेकार पड़े और कितने महल गच (बर्बाद किये हुए)"यूँही अगर किसी को

अलफ़ाज़े कुर्आन से मुख़ातब किया मसलन उस का नाम यहया है उस से कहा يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۝ (तर्जमा :"ऐ यहया ले लो किताब को मज़बूती के साथ")मूसा नाम है उससे कहा وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (तर्जमा : "और क्या है वह तुम्हारे दाहिने हाथ में ऐ मूसा") इस सब सूरतों में कुर्आन न पढ़ते हुए किसी से सवाल कर दिया या किसी का जवाब दिया या किसी दुनियावी बात की तरफ़ इशारा हुआ तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स407)

मसअला :– अल्लाह तआला का नामे मुबारक सुनकर 'जल–ल जलालुहु' कहा या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ा या इमाम की किरात सुनकर 'स–द–कल्लाहु व स–द–क रसूलुहु' कहा तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही जबकि जवाब के इरादे से कहा हो और अगर जवाब में न कहा तो हरज नहीं। यूँही अगर अज़ान का जवाब दिया नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 407)

मसअला :– शैतान का ज़िक्र सुनकर उस पर लानत भेजी नमाज़ जाती रही वसवसा के दूर करने के लिये लाहौल पढ़ी अगर दुनिया के काम के लिये है नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और आख़िरत के लिये है तो नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– चाँद देखकर 'रब्बी व रब्बुकल्लाह' कहा या बुख़ार वग़ैरा की वजह से कुछ कुर्आन पढ़कर दम किया नमाज़ फ़ासिद हो गई। बीमार ने उंठते बैठते तकलीफ़ और दर्द पर बिस्मिल्लाह कही तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। (आलमगीरी)

मसअला :– कोई इबारत शेअ़्र के वज़न पर जो कुर्आन मजीद में तरतीब के साथ पाई जाती है शेअ़्र की नियत से पढ़ी नमाज़ फ़ासिद हो गई जैसे :– وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۝ और अगर नमाज़ में शेअ़्र बनाया मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो अगर्चे नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर गुनाहगार हुआ। (आलमगीरी जि. 1 स. 93)

मसअला :– नमाज़ में ज़ुबान पर नअ़म (अरबी का लफ़्ज़ है जिसके मअ़्ना 'हाँ' है)या 'अरे' या 'हाँ' जारी हो गया अगर यह लफ़्ज़ कहने का आदी है फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि. 1 स. 416)

मसअला :– मुसल्ली (नमाज़ी) ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़मा दिया नमाज़ जाती रही जिसको लुक़मा दिया है वह नमाज़ में हो या न हो मुक़तदी हो या मुनफ़रिद या किसी और का इमाम। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1स. 418 वग़ैरा)

मसअला :– अगर लुक़मा देने की नियत से नहीं पढ़ा बल्कि तिलावत की नियत से पढ़ा तो हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 418)

मसअला :– अपने मुक़तदी के सिवा दूसरे का लुक़मा लेना भी मुफ़सिदे नमाज़ है अलबत्ता अगर उसके बताते वक़्त उसे ख़ुद याद आ गया उस के बताने से नहीं यानी अगर वह न बताता जब भी उसे याद आ जाता उस के बताने का कुछ दख़्ल नहीं तो उसका पढ़ना मुफ़सिद नहीं (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 418 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अपने इमाम को लुक़मा देना और इमाम का लुक़मा लेना मुफ़सिदे सलात नहीं हाँ अगर

मुक़तदी ने दूसरे से सुनकर जो नमाज़ में उस का शरीक नहीं है लुक़मा दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ गई और इमाम ने न लिया तो सिर्फ़ उस मुक़तदी की गई। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 418)

मसअ्ला :– लुक़मा देने वाला क़िराअ्त की नियत न करे बल्कि लुक़मा देने की नियत से वह अल्फ़ाज़ कहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़ौरन ही लुक़मा देना मकरूह है थोड़ा तवक्कुफ़ चाहिए यानी ठहरना चाहिए कि शायद इमाम खुद निकाल ले मगर जबकि उस की आदत उसे मालूम हो कि रुकता है तो बाज़ ऐसे हुरूफ़ निकलते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो फ़ौरन बताये। यूँही इमाम को मकरूह है कि मुक़तदियों को लुक़मा देने पर मजबूर करे बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाये यानी दूसरी सूरत पढ़ना शुरू कर के या दूसरी आयत शुरू कर दे बशर्ते कि उस का मिलाना मुफ़सिदे नमाज़ न हो और अगर बक़द्रे हाजत पढ़ चुका है तो रुकू कर दे। मजबूर करने के यह मअ्ना हैं कि बार बार पढ़े या साकित (ख़ामोश) खड़ा रहे (आलमगीरी जि. 1 स. 93 रद्दुलमुहतार जि 1 स. 418)मगर यह ग़लती अगर ऐसी है जिसमें मअ्ना बिगड़ जाता था तो नमाज़ को ठीक करने के लिये उस आयत को लौटाना लाज़िम था और याद नहीं आता तो मुक़तदी को आप ही मजबूर करेगा और वह भी न बता सके तो गई।

मसअ्ला :– लुक़मा देने वाले के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं मुराहिक़ यानी जो बालिग होने के क़रीब हो वह भी लुक़मा दे सकता है (आलमगीरी जि.1 स. 93)बशर्ते कि नमाज़ जानता हो और नमाज़ में हो।

मसअ्ला :– ऐसी दुआ जिसका सवाल बन्दे से नहीं किया जा सकता जाइज़ है मसलन اَللّٰھُمَّ عَافِنِیْ،اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ **तर्जमा** :– "ऐ अल्लाह मुझे आफ़ियत दे,मेरी मग़फ़िरत फ़रमा।" और जिसका सवाल बन्दों से किया जा सकता है मुफ़सिदे नमाज़ है मसलन اَللّٰھُمَّ اَطْعِمْنِیْ،اَللّٰھُمَّ زَوِّجْنِیْ **तर्जमा** :– "ऐ अल्लाह मुझे खाना दे,मुझे बीवी अता फ़रमा।" (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अह, आह, उफ़ ,तुफ़, यह अल्फ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हुरूफ़ पैदा हुए इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही और अगर रोने में सिर्फ़ आँसू निकले आवाज़ व हुरूफ़ नहीं निकले तो हरज नहीं। (आलमगीरी,जि. 1 स. 94 रद्दुल मुहतार जि.1 स. 416)

मसअ्ला :– मरीज़ की ज़ुबान से बेइख़्तियार आह,ओह निकली नमाज़ फ़ासिद न हुई यूँही छींक, खाँसी, जमाही,डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरन निकलते हैं माफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 416)

मसअ्ला :– जन्नत दोज़ख़ की याद में अगर यह अल्फ़ाज़ कहे तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 416)

मसअ्ला : – इमाम का पढ़ना पसन्द आया उस पर रोने लगा और अरे, नअ्म हाँ, ज़ुबान से निकला कोई हरज नहीं कि यह ख़ुशूअ् की वजह से है और अगर ख़ुशगुलोई (अच्छी आवाज़)के सबब कहा तो नमाज़ जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 416)

मसअ्ला :– फूँकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वह मिस्ल साँस के है कि मुफ़सिद नहीं मगर

क़स्दन करना मकरूह है और अगर दो हर्फ़ पैदा हों जैसे ऊफ़ तुफ़, तो मुफ़सिद है यानी नमाज़ जाती रहेगी। (गुनिया स. 427)

मसअ्ला :– खंकारने में जब दो हर्फ़ ज़ाहिर हों जैसे उह, मुफ़सिदे नमाज़ है जबकि न उ़ज़्र हो न कोई सही ग़र्ज़ अगर सही उ़ज़्र से हो मसलन त़बीअ़त का तक़ाज़ा हो या इमाम से ग़लती हो गई है इसलिए खंकारता है कि इमाम दुरूस्त कर ले या इसलिये खंकारता है कि दूसरे शख़्स को इसका नमाज़ में होना मालूम हो तो इस सूरतों में नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1स. 416 वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़ में मुसहफ़ शरीफ़ (क़ुर्आन शरीफ़)से देखकर क़ुर्आन पढ़ना मुतलक़न मुफ़सिदे नमाज़ है यानी नमाज़ जाती रहेगी। यूँही अगर मेह़राब वग़ैरा में लिखा हो मुसह़फ़ या मेह़राब पर फ़क़त नज़र है तो ह़रज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 419 रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला : – किसी काग़ज़ पर क़ुर्आन मजीद लिखा हुआ देखा और उसे समझा नमाज़ में नुक़सान न आया। यूँही अगर फ़िक़्ह की किताब देखी और समझी नमाज़ फ़ासिद न हुई ख़्वाह समझने के लिये उसे देखा या नहीं ,हाँ अगर क़स्दन (जानबूझ कर) देखा और क़स्दन समझा तो मकरूह है और बिलाक़स्द(बिना इरादे)हुआ तो मकरूह भी नहीं।(आलमगीरी, ज़ि 1 स़ 95 दुर्रेमुख़्तार ज़ि. 1 स. 426) यही हुक्म हर तह़रीर का है जब ग़ैरे दीनी हो तो कराहत ज़्यादा।

मसअ्ला :– सिर्फ़ तौरात या इंजील को नमाज़ में पढ़ा तो नमाज़ न हुई क़ुर्आन पढ़ना जानता हो या नहीं (आलमगीरी जि. 1 स. 95)और अगर बक़द्रे ह़ाजत क़ुर्आन पढ़ लिया और कुछ आयात तौरात व इंजील की जिन में ज़िक्रे इलाही है पढ़े तो ह़रज नहीं मगर न चाहिये।

मसअ्ला :– अ़मले कसीर कि न नमाज़ के आ़माल से हो न नमाज़ को स़ही करने के लिये किया गया हो नमाज़ फासिद कर देता है। अ़मले क़लील मुफ़सिद नहीं जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर उस के नमाज़ में न होने का शक न रहे बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वह अ़मले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुबह व शक हो कि नमाज़ में है या नहीं तो अ़मले क़लील है (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 420)

मसअ्ला :– कुर्ता या पाजाम पहना या तहबंद बाँधा नमाज़ जाती रही। (गुनिया)

मसअ्ला :– नापाक जगह पर बग़ैर कोई चीज़ बिछाए हुए सजदा किया नमाज़ फ़ासिद हो गई अगर्चे उस सजदे को पाक जगह पर इआ़दा करे (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 420) यूँही हाथ या घुटने सजदे में नापाक जग़ह पर रखे नमाज़ फ़ासिद हो गई। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 420)

मसअ्ला :– सत्र खोले हुये या बक़द्रे मानेए नमाज़ के साथ यानी जिस्म या कपड़े में इतनी नजासत (नापाकी)लगी हो जिससे नमाज़ न हो उसी में पूरा रुक्न अदा करना या तीन तस्बीह़ (सुब्हानल्लाह) का वक़्त गुज़र जाना मुफ़सिदे नमाज़ है। भीड़ की वजह से तीन तस्बीह़ की मिक़दार तक औ़रतों की स़फ़ में पड़ गया या इमाम से आगे हो गया नमाज़ जाती रही (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)और क़स्दन सत्र खोलना मुतलक़न मुफ़सिदे नमाज़ है अगर्चे फ़ौरन ढाक ले उसमें वक़्फ़ा की भी ह़ाजत नहीं।

मसअ्ला :– दो कपड़े मिलाकर सिले हों उन में अस्तर नापाक है और अबरा पाक तो अबरे की त़रफ़ भी नमाज़ नहीं हो सकती जबकि नजासत इतनी हो कि जिस के मिक़दार में पाये जाने पर नमाज़ नहीं होती वह अगर सजदे की जगहों में हो और सिले न हों तो अबरे पर जाइज़ है जबकि

इतना बारीक न हो कि अस्तर चमकता हो।(दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 420रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नजिस ज़मीन पर मिट्टी चूना खूब बिछा दिया अब उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर मामूली तरह से ख़ाक छिड़क दी है कि नजासत की बूआती है तो नाजाइज़ है जबकि मवाज़ेए सुजूद यानी सजदे की जगहों पर नजासत हो। (गुनिया स. 94)

मसअला :– नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज़ को फ़ासिद कर देता है,क़स्दन हो या भूलकर थोड़ा हो या ज़्यादा यहाँ तक कि अगर तिल बग़ैर चबाये निगल लिया या कोई क़तरा उसके मुँह में गिरा और उसने निगल लिया नमाज़ जाती रही।(दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 418 रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दाँतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उस को निगल गया अगर चने से कम है नमाज़ फ़ासिद न हुई मकरूह हुई और चने बराबर है तो फ़ासिद हो गई दाँतों से खून निकला अगर थूक ग़ालिब है तो निगलने से फ़ासिद न होगी वर्ना फ़ासिद हो जायेगी।(दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 स. 418 आलमगीरी जि. 1स. 195) ग़लबा की अलामत(पहचान)यह है कि हल्क़ में ख़ून का मज़ा महसूस हो नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मज़े का एअ्तिबार है और वुज़ू तोड़ने में रंग का।

मसअला :– नमाज़ से पहले कोई चीज़ मीठी खाई थी उसके अजज़ा (टुकड़े) निगल लिये थे सिर्फ़ लुआबे दहन यानी मुँह में कुछ मिठास का असर रह गया, उसके निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी। मुँह में शकर वग़ैरा डाली कि घुलकर हल्क़ में पहुँचती है नमाज़ फ़ासिद हो गई। गोंद मुँह में है अगर चबाया और बाज़ अजज़ा हलक़ से उतर गये नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी जि.1 स. 96)

मसअला :– सीने को क़िब्ले से फेरना मुफ़सिदे नमाज़ है जबकि कोई उज़्र न हो यानी इतना फेरे कि सीना ख़ास जेहते कअ्बा यानी कअ्बा की तरफ़ से पैंतालीस दर्जे (डिग्री) हट जाये और अगर उज़्र से हो तो मुफ़सिद नहीं मसलन हदस का गुमान हुआ और मुँह फेरा ही था कि गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मस्जिद से अगर ख़ारिज न हुआ हो नमाज़ फ़ासिद न होगी।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 418)

मसअला :– क़िब्ले की तरफ़ एक सफ़ की क़द्र चला फिर एक रुक्न की क़द्र यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने के मिक़दार ठहर गया फिर चला फिर ठहरा अगर्चे कई बार हो जब तक मकान न बदले नमाज़ फ़ासिद न होगी, मसलन मस्जिद से बाहर हो जाये या मैदान में नमाज़ हो रही थी और यह शख़्स सफ़ों से निकल गया कि यह दोनों सूरतें मकान बदलने की हैं और इन में नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। यूँही अगर एक दम दो सफ़ की क़द्र चला नमाज़ फ़ासिद हो गई। (जि.1 स. 421दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सहरा (जंगल)में अगर इसके आगे सफ़ें न हों बल्कि यह इमाम है और मौज़ए सुजूद से मुतजाविज़ हुआ यानी सजदे की जगह से आगे बढ़ा तो अगर इतना आगे बढ़ा जितना इसके और सब से क़रीब वाली सफ़ के दरमियान फ़ासला था तो फ़ासिद न हुई और इससे ज़्यादा हटा तो फ़ासिद हो गई और अगर मुनफ़रिद है तो मौज़ए सुजूद का एअ्तिबार है यानी उतना ही फ़ासला आगे पीछे दाहिने बायें कि इससे ज़्यादा हटने में नमाज़ जाती रहेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 96)

मसअला :– किसी को किसी जानवर ने एक दम बक़द्रे तीन क़दम के खींच लिया या ढकेल दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.422)

मसअला :– एक नमाज़ से दूसरी की तरफ़ तकबीर कहकर मुन्तक़िल हुआ पहली नमाज़ फ़ासिद हो

गई मसलन ज़ोहर पढ़ रहा था अस्र या नफ़्ल की नियत से अल्लाहु अकबर कहा ज़ोहर की नमाज़ जाती रही फिर अगर साहिबे तरतीब है और वक़्त में गुंजाइश है तो अस्र की भी न होगी बल्कि दोनों सूरतों में नफ़्ल नमाज़ होगी और नफ़्ल की नियत से अल्लाहु अकबर कहा या मुक़तदी था और तन्हा पढ़ने की नियत से अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। यूँही अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ रहा था और दूसरा जनाज़ा लाया गया दोनों की नियत से अल्लाहु अकबर कहा या दूसरे जनाज़े की नियत से तो दूसरे जनाज़े की नमाज़ शुरू हुई और पहले की फ़ासिद हो गई। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 419)

मसअ्ला :– औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चे ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया तो नमाज़ जाती रही (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 422)

मसअ्ला :– औरत नमाज़ पढ़ रही थी मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उस के बदन को हाथ लगाया नमाज़ जाती रही और मर्द नमाज़ में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जब तक मर्द को शहवत न हो (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 422 रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दाढ़ी या सर में तेल लगाया या कंघा किया या सुर्मा लगाया नमाज़ जाती रही । हाँ अगर हाथ में तेल लगा हुआ है उसको सर या बदन में किसी जगह पोंछ दिया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। (मुनियतुलमुसल्ली, स. 157 ग़ुनिया स. 419)

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ने वाले ने किसी आदमी को तमांचा या कोड़ा मारा,नमाज़ जाती रही और जानवर पर सवार नमाज़ पढ़ रहा था दो एक बार हाथ या एड़ी से हाँकने में नमाज़ फासिद न होगी तीन बार पै–दर–पै करेगा तो जाती रहेगी। एक पाँव से एड़ लगाई अगर पै–दर–पै तीन बार हो नमाज़ जाती रही वर्ना नहीं और दोनों पाँव से लगाई तो फ़ासिद हो गई लेकिन अगर आहिस्ता पाँव हिलाये कि दूसरे को बग़ौर देखने से पता चले तो फ़ासिद न हुई। (मुनियतुलमुसल्ली, 159ग़ुनिया 420)

मसअ्ला :– घोड़े को चाबुक (कोड़ा) से रास्ता बताया और मारा भी नमाज़ फ़ासिद हो गई। नमाज़ पढ़ते में घोड़े पर सवार हो गया नमाज़ जाती रही और सवारी पर नमाज़ पढ़ रहा था उतर आया फ़ासिद न हुई। (मुनियतुलमुसल्ली, स. 150 फ़तावा काज़ी ख़ाँ स. 120)

मसअ्ला :– तीन कलिमे इस तरह लिखना कि हुरूफ़ ज़ाहिर हों नमाज़ को फ़ासिद करता है और अगर हर्फ़ ज़ाहिर न हों मसलन पानी पर या हवा में लिखा तो बेकार है नमाज़ मकरूह तहरीमी हुई। (ग़ुनिया स.420)

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ने वाले को उठा लिया फिर वहीं रख दिया अगर क़िब्ले से सीना न फिरा नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर उस को उठा कर सवारी पर रख दिया नमाज़ जाती रही।

(आलमगीरी जि. 1 स. 96)

मसअ्ला :– मौत व जुनून व बेहोशी से नमाज़ जाती रहती है अगर वक़्त में इफ़ाक़ा हुआ तो लौटाए वर्ना क़ज़ा बशर्त कि एक दिन रात से मुतजाविज़ न हो यानी एक दिन एक रात से ज़्यादा न बढ़े।

(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 423)

मसअ्ला :– क़स्दन वुज़ू तोड़ा या कोई मूजिबे गुस्ल (गुस्ल का सबब)पाया गया या किसी रुक्न यानी रुकूअ़ या सजदा को तर्क किया जबकि उस नमाज़ में उस को अदा न कर लिया हो या

बिला उज़्र शर्त को तर्क किया या मुक़तदी ने इमाम से पहले रुक्न अदा कर लिया और इमाम के साथ या बाद में फिर उसको अदा न किया यहाँ तक कि इमाम के साथ सलाम फेर दिया या मसबूक़ ने फ़ौत शुदा रकअ़त का सजदा करके इमाम के सजदए सहव में मुताबअ़त (इत्तिबा) की या क़अ़्दए अख़ीरा के बाद सजदए नमाज़ या सजदए तिलावत याद आया और उसके अदा करने के बाद फिर क़अ़्दा न किया किसी रुक्न को सोते में अदा किया था उसका इआ़दा न किया इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 423 वग़ैरा)

मसअ्ला :– साँप बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं जाती जबकि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन बार मारना पड़े और अगर तीन क़दम चल कर या तीन बार में साँप, बिच्छू वग़ैरा को मारा तो नमाज़ जाती रहेगी। मगर मारने की इजाज़त है अगर्चे नमाज़ फ़ासिद हो जाये। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअ्ला : साँप बिच्छू को नमाज़ में मारना उस वक़्त मुबाह (जाइज़)है कि सामने से गुज़रे और ईज़ा (तकलीफ़) देने का ख़ौफ़ हो और अगर तकलीफ़ पहुँचाने का अंदेशा न हो तो मकरूह है।

मसअ्ला :– पै–दर–पै तीन बाल उखेड़े या तीन जुएं मारीं या एक ही जूँ को तीन बार में मारा नमाज़ जाती रही और पै–दर–पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी मगर मकरूह है।(आलमगीरी जि.1स. 97)

मसअ्ला :– मोज़ा कुशादा है उसे उतारने से नमाज़ फ़ासिद न होगी और मोज़ा पहनने से नमाज़ जाती रहेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअ्ला :– घोड़े के मुँह में लगाम दी या उस पर काठी कसी या काठी उतार दी नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअ्ला :– एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है यानी यूँ कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया या फिर हाथ हटा लिया और ऐसे ही फिर किया और अगर एक बार हाथ रखकर चन्द मर्तबा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअ्ला :– तकबीराते इन्तिक़ाल में अल्लाह या अकबर के अलिफ़ को दराज़ किया आल्लाह या आकबर कहा या बे के बाद अलिफ़ बढ़ाया यानी अकबार कहा नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और तहरीमा में ऐसा हुआ तो नमाज़ शुरू ही न हुई (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 323 वग़ैरा)क़िरात या अज़कारे नमाज़ में ऐसी ग़लती जिस से मअ़्ना फ़ासिद हो जायें नमाज़ फ़ासिद कर देती है। इसके मुतअ़ल्लिक़ बयान की तफ़सील गुज़र चुकी।

सुतरा का बयान

मसअ्ला :– नमाज़ी के आगे से बल्कि मौज़ए सुजूद (मौज़ए सुजूद क्या है यह आगे ज़िक्र होगा)से किसी का गुज़रना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता ख़्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औरत कुत्ता हो या गधा। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– मुसल्ली के आगे से गुज़रना बहुत सख़्त गुनाह है हदीस में फ़रमाया कि इसमें जो कुछ गुनाह है अगर गुज़रने वाला जानता तो चालीस तक खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं मैं नहीं जानता कि चालीस दिन कहे या चालीस महीने या चालीस बरस यह हदीस सिहाहे सित्ता मे अबू जुहैम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुई और बज़्ज़ाज़ की रिवायत में चालीस

बरस का ज़िक है और इब्ने माजा की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े होकर गुज़रने में क्या है तो सौ बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता। इमामे मालिक ने रिवायत किया कि कअ़ब अहबार फ़रमाते हैं नमाज़ी के सामने गुज़रने वाला अगर जानता उस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़रने से बेहतर जानता। इमामे मालिक से रिवायत सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में है अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का में देखा हुज़ूर अबताह(जगह का नाम) में चमड़े के एक सुर्ख़ कुब्बे के अन्दर तशरीफ़ फ़रमा हैं और बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर के वुज़ू का पानी लिया और लोग जल्दी जल्दी उसे ले रहे हैं जो उसमें से कुछ पा जाता उसे मुँह और सीने पर मलता और जो नहीं पाता वह किसी और के हाथ से तरी ले लेता फिर बिलाल रदियल्लहु तआला अन्हु ने एक नेज़ा नसब कर दिया यानी गाड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुर्ख़ धारीदार जोड़ा पहने तशरीफ़ लाये और नेज़े की तरफ़ मुँह कर के दो रकअ़त नमाज़ पढाई और मैंने आदमियों और चौपाओं को नेज़े के उस तरफ़ से गुज़रते देखा।

मसअ्ला :– मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के क़दम से मौज़ए सुजूद तक गुज़रना नाजाइज़ है मौज़ए सुजूद से मुराद यह है कि क़ियाम की हालत में सजदे की जगह की तरफ़ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वह मौज़ए सुजूद है यानी सजदे की जगह है,उस के दरमियान से गुज़रना नाजाइज़ है । मकान और छोटी मस्जिद में क़दम से दीवारे क़िब्ला तक कहीं से गुज़रना जाइज़ नहीं अगर सुतरा न हो (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 426 ,आलमगीरी जि.1 स. 97)

मसअ्ला :– कोई शख़्स बलन्दी पर नमाज़ पढ़ रहा है उस के नीचे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं जबकि गुज़रने वाले के बदन का कोई हिस्सा नमाज़ी के सामने हो छत या तख़्त पर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने का भी यही हुक्म है और अगर इन चीज़ों की इतनी बलन्दी हो कि गुज़रने वाले के बदन के किसी हिस्से का सामना न हो तो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 426 वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसल्ली के आगे घोड़े वग़ैरा पर सवार होकर गुज़रा अगर गुज़रने वाले का पाँव वग़ैरा नीचे का बदन मुसल्ली के सर के सामने हुआ तो मना है। (रद्दुल मुहतार जि.1 स. 426)

मसअ्ला :– मुसल्ली के आगे सुतरा हो यानी कोई ऐसी चीज़ जिस से आड़ हो जाये तो सुतरे के बाद से गुज़रने में कोई हरज नहीं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला : – सुतरा बक़द्र एक हाथ के ऊँचा और उंगली बराबर मोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊँचा हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.1 स. 428)

मसअ्ला :– इमाम व मुनफ़रिद जब सहरा (जंगल)में या किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहाँ से लोगों के गुज़रने का अंदेशा हो तो मुस्तहब है कि सुतरा गाड़ें और सुतरा नज़्दीक होना चाहिये,सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि दाहिने या बायें भौं की सीध पर हो और दाहिने की सीध पर होना अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 428 वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर नसब करना नामुमकिन(बहुत मुश्किल)हो तो वह चीज़ लम्बी लम्बी रख दें औ अगर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि रख सकते तो ख़त (लाइन)खींच दें चाहें लम्बाई में हो या मेहराब

की शकल में। (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 428 आलमगीरी जि.1 स. 98)

नोट :– इन दोनों सूरतों से यह मक़सूद नहीं कि गुज़रना जाइज़ हो जायेगा बल्कि इस लिए है कि नमाज़ी का ख़्याल न बटे।

मसअला :– अगर सुतरा के लिये कोई चीज़ नहीं है और उस के पास किताब या कपड़ा मौजूद है तो उसी को सामने रख ले। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 428)

नोट :– इससे भी वही मक़सूद है कि नमाज़ी का दिल न बटे वर्ना किताब या कपड़ा रखने से उसके आगे से गुज़रना जाइज़ न होगा। हाँ अगर बलन्दी इतनी हो जाये जो सुतरे के लिए काफ़ी हो तो गुज़रना भी जाइज़ हो जायेगा।

मसअला :– इमाम का सुतरा मुक़तदी के लिये भी सुतरा है उसको दूसरे सुतरा की हाजत नहीं तो अगर छोटी मस्जिद में भी मुक़तदी के आगे से गुज़र जाये जबकि इमामा के आगे से न हो हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 429 वग़ैरा)

मसअला :– दरख़्त और जानवर और आदमी वग़ैरा का भी सुतरा हो सकता है कि इनके बाद गुज़रने में कुछ हरज नहीं (गुनिया) मगर आदमी को उस हालत में सुतरा किया जाये जब उसकी पीठ मुसल्ली की तरफ़ हो कि मुसल्ली की तरफ़ मुँह करना मना है।

मसअला :– सवार अगर मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो उस का हीला यह है कि जानवर को मुसल्ली के आगे कर ले और उस तरफ़ से गुज़र जाये। (आलमगीरी जि. 1 स. 98)

मसअला :– मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो अगर उसके पास कोई चीज़ सुतरा के क़ाबिल हो तो उसे उस के सामने रखकर गुज़र जाये फिर उसे उठा ले अगर दो शख़्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरा को कोई चीज़ नहीं तो उन में से एक नमाज़ी के सामने उसकी तरफ़ पीठ करके खड़ा हो जाये और दूसरा उसकी आड़ पकड़ कर गुज़र जाये फिर वह दूसरा उस की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पुश्त कर के खड़ा हो जाये और यह गुज़र जाये फिर वह दूसरा जिधर से उस वक़्त आया उसी तरफ़ हट जाये। (आलमगीरी, जि. 1 स. 98 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर उसके पास असा (लाठी वग़ैरा) है मगर नसब नहीं कर सकता तो उसे खड़ा कर के मुसल्ली के आगे से गुज़रना जाइज़ है जबकि उसको अपने हाथ से छोड़कर गिरने से पहले गुज़र जाये।

मसअला :– अगली सफ़ में जगह थी उसे ख़ाली छोड़कर पीछे खड़ा हुआ तो आने वाला शख़्स उसकी गर्दन फलाँगता हुआ जा सकता है कि उसने अपनी हुरमत(इज़्ज़त) अपने आप खोई।

(दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 42/)

मसअला :– जब आने जाने वालों का अंदेशा न हो न सामने रास्ता हो तो सुतरा न क़ाइम करने में भी हरज नहीं फिर भी औला (ज़्यादा अच्छा) सुतरा क़ाइम करना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– नमाज़ी के सामने सुतरा नहीं और कोई शख़्स गुज़रना चाहता है या सुतरा है मगर वह शख़्स मुसल्ली और सुतरा के दरमियान से गुज़र जाना चाहता है तो नामाज़ी को रुख़सत है कि उसे गुज़रने से रोके चाहे सुब्हानल्लाह कहे या आवाज़ के साथ क़िरात करे या हाथ या सर या आँख के इशारे से मना करे इस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं मसलन कपड़ा पकड़कर झटकना या मारना बल्कि अगर अमले कसीर हो गया (यानी ऐसा अमल कर बैठा कि देखने से मालूम हो कि

नमाज़ से बाहर है) तो नमाज़ ही जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 429)

मसअला :– तस्बीह व इशारा दोनों को बिला ज़रूरत जमा करना मकरूह है। औरत के सामने से गुज़रे तो औरत तसफ़ीक़ से मना करे यानी दाहिने हाथ की उंगलियाँ बायें हाथ की पुश्त (पीठ)पर मारे और अगर मर्द ने तस्फ़ीक़ की और औरत ने तस्बीह तो भी नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– मस्जिदे हराम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ता हो तो उस के आगे तवाफ़ करते हुये लोग गुज़र सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

मकरूहात का बयान

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज में कमर पर हाथ रखने से मना फ़रमाया।

हदीस न.2 :– शरहे सुन्नत में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कमर पर नमाज़ में हाथ रखना जहन्नमियों की राहत है।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नमाज़ के अन्दर इधर उधर देखने के बारे में सवाल किया फ़रमाया यह उचक लेना है कि बन्दे की नमाज़ में से शैतान उचक ले जाता है।

हदीस न.4 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बन्दा नमाज़ में है अल्लाह तआला की रहमते ख़ास उसकी तरफ़ मुतवज्जेह रहती है जब तक इधर उधर न देखे जब उसने अपना मुँह फेरा उसकी रहमत भी फिर जातीं है।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद व अबू यअ़ला रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मुझे मेरे ख़लील सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन बातों से मना फ़रमाया मुर्ग़ की तरह ठोंग मारने और कुत्ते की तरह बैठने और इधर उधर लोमड़ी की तरह देखने से।

हदीस न.6 :– बज़्ज़ाज़ ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आदमी नमाज़ को खड़ा होता है अल्लाह अज्ज व जल्ल अपनी ख़ास रहमत के साथ उस की तरफ़ मुतवज्जह होता है और जब इधर उधर देखता है फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम किस तरफ़ इल्तिफ़ात (तवज्जोह)करता है क्या मुझसे कोई बेहतर है जिस की तरफ़ इल्तिफ़ात करता है,फिर जब दोबारा इल्तिफ़ात करता है ऐसा ही फ़रमाता है, जब तीसरी बार इल्तिफ़ात करता है अल्लाह तआला अपनी इस ख़ास रहमत को उस से फेर लेता है।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया ऐ लड़के नमाज़ में इल्तिफ़ात से बच यानी दूसरी तरफ़ तवज्जोह करने से बच कि नमाज़ में इल्तिफ़ात हलाकत (तबाही) है।

हदीस न.8से12 :– बुख़ारी व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु

तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं क्या हाल है उन लोगों का जो नमाज़ में आसमान की त़रफ़ आँखें उठाते हैं उससे बाज़ रहें या उन की निगाहें उचक ली जायेंगी। इसी मज़मून के क़रीब–क़रीब इब्ने उ़मर व अबू हुरैरा व अबू सईद खुदरी व जाबिर इब्ने सुमरह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रिवायतें ह़दीस की किताबों में मौजूद हैं।

ह़दीस न.13 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने ह़ब्बान व इब्ने खुज़ैमा अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब कोई तुम में का नमाज़ को खड़ा हो तो कंकरी न छुये कि रह़मत उसके सामने है।

ह़दीस न.14 :– सिह़ाहे सित्ता में मुऐक़ीब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कंकरी न छू और अगर तुझे नाचार करना ही है तो एक बार।

ह़दीस न.15 :– स़ही इब्ने खुज़ैमा में मरवी कि जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं मैंने हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ में कंकरी छूने का सवाल किया फ़रमाया एक बार और अगर तू उससे बचे तो यह सौ काली आँख वाली ऊँटनियों से बेहतर है।

ह़दीस न.16 व 17 :– मुस्लिम अबू सईद खुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम "जब नमाज़ में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके रोके कि शैत़ान मुँह में दाख़िल हो जाता है" और स़ह़ीह़ बुख़ारी की रिवायत अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाते हैं "जब नमाज़ में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके रोके" और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा की रिवायत उन्हीं से है। उस के बाद फ़रमाया कि "मुँह पर हाथ रख दे"

ह़दीस न.18 व 19 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व दारमी कअ़ब इब्ने उ़ज़रह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम जब कोई अच्छी त़रह़ वुज़ू करके मस्जिद के इरादे से निकले तो एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ में न डाले कि वह नमाज़ में है और उसी की मिस्ल अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है

ह़दीस न.20 :– स़ही बुख़ारी में शफ़ीक़ से मरवी कि हुज़ैफ़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक शख़्स़ को देखा कि रुकू व सुजूद पूरा नहीं करता जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो बुलाया और कहा तेरी नमाज़ न हुई। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि यह भी कहा अगर तू मरा तो फ़ित़रते मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम के ग़ैर पर मरेगा।

ह़दीस न. 21 से 24 :– बुख़ारी शरीफ़ में और इब्ने खुज़ैमा वग़ैरा ख़ालिद इब्ने वलीद व अ़म्र इब्ने आ़स़ व यज़ीद इब्ने अ़बी सुफ़यान व शरह़बील इब्ने ह़सना रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स़ को नमाज़ पढ़ते मुलाह़िज़ा फ़रमाया कि रुकू तमाम (पूरा) नहीं करता और सजदे में ठोंग मारता है। हुक्म फ़रमाया कि पूरा रुकू कर और फ़रमाया यह अगर इसी ह़ालत में मरा तो मिल्लते मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा फ़रमाया जो रुकू पूरा नहीं करता और सजदे में ठोंग मारता है उसकी मिसाल उस भूखे की है कि एक दो ख़जूरे खा लेता है जो कुछ काम नहीं देतीं।

ह़दीस न.25 :– इमाम अह़मद अबू क़तादा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सब में बुरा वह चोर है जो अपनी नमाज़ से चुराता है स़ह़ाबा ने

अर्ज़ की या रसूलल्लाह! नमाज़ से कैसे चुराता है फ़रमाया कि रुकू व सुजूद पूरा नहीं करता।

हदीस न.26 :– इमामे मालिक व अहमद नोमान इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुदूद (सज़ायें)नाज़िल होने से पहले सहाबए किराम से फ़रामया कि शराबी और ज़ानी और चोर के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। सब ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूल खूब जानते हैं फ़रमाया यह बहुत बुरी बातें हैं और इनमें सज़ा है और सब में बुरी चोरी वह है कि अपनी नमाज़ से चुराये। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! नमाज़ से कैसे चुरायेगा? फ़रमाया यूँ कि रुकू व सुजूद तमाम न करे इसी के मिस्ल दारमी की रिवायत में भी है।

हदीस न.27 :– इमाम अहमद ने तल्क इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ नज़र नहीं फ़रमाता जिसमें रुकू व सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे।

हदीस न.28 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के दरों में खड़े होने से बचते थे। दूसरी रिवायत में है हम धक्का देकर हटाये जाते।

हदीस न.29 :– तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं" हमारा एक गुलाम अफ़लह नामी लड़का जब सजदा करता तो फूँकता, फ़रमाया ऐ अफ़लह अपना मुँह ख़ाक आलूदा कर"।

हदीस न.30 :– इब्ने माजा ने अमीरुल मोमिनीन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं" जब तू नमाज़ में हो तो उंगलियाँ न चटका" बल्कि एक रिवायत में है" जब मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में हो उस वक़्त उंगलियाँ चटकाने से मना फ़रमाया"।

हदीस न.31 :– सिहाहे सित्ता में मरवी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुझे हुक्म हुआ है कि सात आज़ा यानी बदन के सात हिस्सों पर सजदा करूँ और बाल या कपड़ा न समेटूँ"।

हदीस न.32 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम "मुझे हुक्म हुआ कि सात हड्डियों पर सजदा करूँ मुँह और दोनों हाथ दोनों घुटने और दोनों पंजे और हुक्म हुआ कि कपड़े और बाल न समेटूँ"।

हदीस न.33 :– अबू दाऊद व नसई व दारमी अब्दुर्रहमान इब्ने शुबुल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने "कौवे की तरह ठोंग मारने और दरिंदे की तरह पाँव बिछाने से मना फ़रमाया" और इस से मना फ़रमाया कि मस्जिद में कोइ शख़्स जगह मुक़र्रर कर ले जैसे ऊँट जगह मुक़र्रर कर लेता है।

हदीस न.34 :– तिर्मिज़ी ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अली ! मैं अपने लिये जो पसन्द करता हूँ तुम्हारे लिये पसन्द करता हूँ और अपने लिये जो मकरूह जानता हूँ तुम्हारे लिये मकरूह जानता हूँ दोनों के दरमियान इक़आ न करना यानी इस तरह न बैठना सुरीन ज़मीन पर हों और घुटने खड़े हों।

हदीस न.35 :– अबू दाऊद और हाकिम ने मुसतदरक में बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायात

की कि हुजूर ने इससे मना फ़रमाया कि मर्द सिर्फ़ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़े और चादर न ओढ़े।

हदीस न.36 :– सहीहैन में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर फ़रमाते हैं तुम में कोई एक कपड़ा पहन कर इस तरह हर्गिज़ नमाज़ न पढ़े कि मोंढ़ों पर कुछ न हो।

हदीस न.37 :– सही बुखारी में उन्हीं से मरवी फ़रमाते हैं जो एक कपड़े में नमाज़ पढ़े यानी वही चादर वही तहबंद हो तो इधर का किनारा उधर और उधर का इधर कर ले।

हदीस न.38 :– अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ में रिवायत की कि इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नाफ़ेअ् को दो कपड़े पहनने को दिये और यह उस वक़्त लड़के थे, उसके बाद मस्जिद में गये और नाफ़ेअ् को एक कपड़े में लिपटे हुये नमाज़ पढ़ते देखा उस पर फ़रमाया क्या तुम्हारे पास दो कपड़े नहीं कि उन्हें पहनते। अर्ज़ की हाँ हैं। बताओ अगर मकान से बाहर तुम्हें भेजूँ तो दोनों पहनोगे? अर्ज़ की हाँ। तो क्या अल्लाह तआला के दरबार के लिये ज़ीनत ज्यादा मुनासिब है या आदमियों के लिये?अर्ज़ की अल्लाह तआला के लिये।

हदीस न.39 :– इमाम अहमद की रिवायत है कि उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि एक कपड़े में नमाज़ सुन्नत है यानी जाइज़ है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा करते और हम पर इस बारे में ऐब न लगाया जाता तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया यह उस वक़्त है कि कपड़ों में कमी हो और जो अल्लाह तआला ने वुसअ़त दी है तो दो कपड़ों में नमाज़ ज़्यादा पाकीज़ा है।

हदीस न.40 :– अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स नमाज़ में तकब्बुर से तहबन्द लटकाये उसे अल्लाह तआला की रहमत न हिल में है न हरम में। (काबा शरीफ़ के आस पास का कुछ ख़ास हिस्सा हरम कहलोता है बाक़ी हिल कहलाता है यानी हरम के अलावा पूरी दुनिया हिल है)

हदीस न.41 :– अबू दाऊद,अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक साहब तहबन्द लटकाये नमाज़ पढ़ रहे थे। इरशाद फ़रमाया आओ वुज़ू करो। वह गये और वुज़ू करके वापस आये किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह। क्या हुआ कि हुजूर ने वुज़ू का हुक्म फ़रमाया ?इरशाद फ़रमाया यह तहबन्द लटकाये नमाज़ पढ़ रहा था और बेशक अल्लाह तआला उस शख़्स की नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता जो तहबन्द लटकाये हुए हो (यानी इतना नीचा कि पाँव के गट्टे छुप जायें) शैख़ मुहक़्क़िक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि "लमआत" में फ़रमाते हैं कि वुज़ू का हुक्म इसलिये दिया कि उन्हें मालूम हो जाये कि यह मअ़सियत(गुनाह)है कि सब लोगों को बता दिया था कि वुज़ू गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और गुनाह के असबाब का ज़ाइल (ख़त्म) करने वाला।

हदीस न.42 :– अबू दाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब कोई नमाज़ पढ़े तो दाहिनी तरफ़ जूतियाँ न रखे और बाईं तरफ़ भी नहीं कि किसी और की दाहिनी जानिब होगी मगर उस वक़्त कि बायीं जानिब कोई न हो बल्कि जूतियाँ दोनों पाँव के दरमियान रखे। यानी जब जगह न हो मसलन जमाअ़त में

अहकामे फ़िक़्हिय्यह

कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना, कपड़ा समेटना मसलन सजदे में जाते वक़्त आगे

या पीछे से उठा लेना अगर्चे गर्द (धूल)से बचाने के लिये किया हो और बिला वजह हो तो और ज़्यादा मकरूह। कपड़ा लटकाना मसलन मोंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों यह सब मकरूहे तहरीमी हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर कुर्ते वग़ैरा की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ़ फेंक दी जब भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार से यही साबित है)

मसअ्ला :– रूमाल या शाल या रज़ाई या चादर के किनारे दोनों मोंढों से लटकते हों यह मना व मकरूह तहरीमी है और एक किनारे दूसरे मोंढे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं और अगर एक ही मोंढे पर डाला इस तरह कि एक किनारा पीठ पर लटक रहा है दूसरा पेट पर जैसे उमुमन इस ज़माने में मोंढों पर रुमाल रखने का तरीक़ा है तो यह भी मकरूह है।

मसअ्ला :– कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज़ पढ़ना भी मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह वह पहले से चढ़ी हो या नमाज़ में चढ़ाई हो (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 430)

मसअ्ला :– शिद्दत क़ा पाख़ाना पेशाब मालूम होते वक़्त या गैस की परेशानी के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। हदीस में है कि जब नमाज़ क़ाइम की जाये और किसी को बैतुलख़ला जाना हो तो पहले बैतुलख़ला को जाये। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया और अबू दाऊद व नसई व मालिक ने भी इसी के मिस्ल रिवायत की।

मसअ्ला :– नमाज़ शुरू करने से पहले अगर इन चीज़ों का ग़ल्बा हो तो वक़्त में वुसअत होते हुए शुरू करना ही मना और गुनाह है। क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पाख़ाना ज़ोर का लगा हो तो पहले उससे फ़ारिग़ हो ले अगर्चे जमाअत जाती रहने का अन्देशा हो और अगर देखते हैं कि क़ज़ाए हाजत और वुज़ू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रिआयत मुक़द्दम है यानी पहले नमाज़ पढ़ ले और अगर नमाज़ के बीच में यह हालत पैदा हो जाये और वक़्त में गुंजाइश हो तो तोड़ देना वाजिब अगर उसी तरह पढ़ ली तो गुनाहगार हुआ। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 413)

मसअ्ला :– जूड़ा बाँधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और नमाज़ में जूड़ा बाँधा तो फ़ासिद हो गई।

मसअ्ला :– कंकरियाँ हटाना मकरूहे तहरीमी है मगर जिस वक़्त कि पूरे तौर पर सुन्नत के मुताबिक़ सजदा अदा न होता हो तो एक बार की इजाज़त है और बचना बेहतर और अगर बग़ैर हटाये वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है अगर्चे एक बार से ज़्यादा की हाजत पड़े।

मसअ्ला :– नमाज़ में उंगलियाँ चटकाना, उंगलियों की कैंची बाँधना यानी एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 413)

मसअ्ला :– नमाज़ के लिए जाते वक़्त और नमाज़ ताबेअ् (जैसे नमाज़ को जाते वक़्त व नमाज़ का इन्तिज़ार) के इन्तिज़ार में भी यह दोनों चीज़ें मकरूह हैं और अगर न नमाज़ में है न नमाज़ के हुक्म में तो कराहत नहीं जबकि किसी हाजत के लिए हों। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि. 1–432)

मसअ्ला:– कमर पर हाथ रखना मकरूहे तहरीमी है नमाज़ के अलावा भी कमर पर हाथ रखना न चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 432)

मसअ्ला :– इधर उधर मुँह फेर कर देखना मकरूहे तहरीमी है कुल चेहरा फिर गया हो या बाज़ और अगर मुँह न फेरे सिर्फ़ कनखियों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहते तनज़ीही

है और कभी ज़रूत के वक़्त किसी ह़ाजते गर्ज़ के लिए हो तो बिल्कुल ह़रज नहीं निगाह आसमान की त़रफ़ उठाना भी मकरूहे तह़रीमी है।

मसअ्ला :– तशह्हुद (अत्तहीय्यात) या सजदों के दरमियान में कुत्ते की त़रह़ बैठना यानी घुटनों को सीने से मिलाकर दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर सुरीन के बल बैठना मर्द का सजदे में कलाईयों का बिछाना,किसी शख़्स के मुँह के सामने नमाज़ पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है,यूँही दूसरे शख़्स को मुस़ल्ली (नमाज़ी) की त़रफ़ मुँह करना भी नाजाइज़ व गुनाह है यानी अगर मुस़ल्ली की जानिब से हो तो कराहत मुस़ल्ली पर है वर्ना उस पर

मसअ्ला :– अगर मुस़ल्ली और उस शख़्स के दरमियान जिस का मुँह मुस़ल्ली की त़रफ़ है फ़ासिला हो जब भी कराहत है मगर जबकि कोई शय दरमियान में ह़ाइल हो कि क़ियाम में भी सामना न होता हो तो ह़रज नहीं और अगर क़ियाम में तो सामना हो क़ुऊद में न हो मसलन दोनों के दरमियान में एक शख़्स मुस़ल्ली की त़रफ़ पीठ कर के बैठ गया कि इस सूरत में क़ुऊद में तो सामना न होगा मगर क़ियाम में होगा तो अब भी कराहत है। यानी जब यह नमाज़ की ह़ालत में खड़ा हुआ होगा तब तो सामने होगा लेकिन जब वह बैठा हुआ होगा तब नहीं ऐसी ह़ालत में भी मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कपड़े में इस त़रह़ लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूहे तह़रीमी है। अ़लावा नमाज़ के भी बे–ज़रूरत इस त़रह़ कपड़े में लिपटना न चाहिए और ख़त़रे की जगह सख़्त मना है।

मसअ्ला :– एअ्तिजार यानी पगड़ी इस त़रह़ बाँधना कि बीच सर पर न हो मकरूहे तह़रीमी है। नमाज़ के अ़लावा भी इस त़रह़ इमामा बाँधना मकरूह है ,यूँही नाक और मुँह को छिपाना और बे–ज़रूरत खंकार निकालना यह सब मकरूहे तह़रीमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 438 आलमगीरी जि. 1 स. 100)

मसअ्ला :– नमाज़ में जानबूझ कर जमाही लेना मकरूहे तह़रीमी है और खुद आये तो ह़रज नहीं मगर रोकना मुस्तह़ब है अगर रोके से न रुके तो होंट को दांतों से दबाए और इस पर भी न रुके तो दाहिना या बाँया हाथ मुँह पर रख दे या आस्तीन से मुँह छिपा ले क़ियाम में दाहिने हाथ से ढाके और दूसरे मौके पर बायें से। (मराक़िलफ़लाइ स. 194)

फ़ाइदा :– अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम जमाही से महफ़ूज़ हैं इस लिए कि इसमें शैत़ान का दख़्ल है। नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जमाही शैत़ान की त़रफ़ से है जब तुम में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक मुमकिन हो रोके। इस ह़दीस को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने स़ह़ीहैन में रिवायत किया बल्कि बाज़ रिवायतों में है कि शैत़ान मुँह खोल देता है शैत़ान उसके मुँह में थूक देता है और वह जो इसका मुँह बिगड़ा देखकर ठट्टा लगाता है और वह जो रुतूबत निकलती है वह शैत़ान का थुक है। इसके रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि जब आती मा़लूम हो तो दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम इससे मह़फ़ूज़ हैं फ़ौरन रुक जायेगी।

मसअ्ला :– जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है नमाज़ के अ़लावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाइज़ है,यूँही मुस़ल्ली के सर पर यानी छत में हो या लटकी हुई हो या सजदों की जगह में हो कि उस पर सजदा करता हो तो नमाज़ मकरूहे तह़रीमी

होगी,यूँही मुसल्ली के आगे या दाहिने या बायें तस्वीर का होना मकरूहे तहरीमी है, और इन चारों सूरतों में कराहत उस वक़्त है कि तस्वीर अगे पीछे दाहिने बायें लटकी हो या नसब हो या दीवार वग़ैरा में बनी हुई हो अगर फ़र्श में है और उस पर सजदा नहीं तो कराहत नहीं। अगर तस्वीर ग़ैर जानदार की है जैसे पहाड़ दरिया वग़ैरा की तो इसमें कुछ हरज नहीं। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह हो मसलन जूतियाँ उतारने की जगह या और किसी जगह फ़र्श पर कि लोग उसे रौंदते हों या तकिये पर कि ज़ानू वग़ैरा के नीचे रखा जाता हो तो ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहत नहीं न इससे नमाज़ में कराहत आये जबकि सजदा उस पर न हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जिस तकिये पर तस्वीर हो उसे मन्सूब करना (यानी क़ायदे से लगाकर रखना) पड़ा हुआ न रखना तस्वीर की इज़्ज़त में दाख़िल होगा और इस तरह होना भी नमाज़ को मकरूह कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– अगर हाथ में या और किसी जगह बदन पर तस्वीर हो मगर कपड़ों से छिपी हो या अँगूठी पर छोटी तस्वीर मुनक़्क़श (बनी हुई) हो या आगे पीछे दाहिने बायें ऊपर नीचे किसी जगह छोटी तस्वीर हो यानी इतनी कि उस को ज़मीन पर रख कर ख़ड़े होकर देखें तो आज़ा की तफ़सील यानी तस्वीर की बनावट साफ़ न दिखाई दे या पाँव के नीचे बैठने की जगह हो तो इन सब सूरतों में नमाज़ मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 436)

मसअला :– तस्वीर सर–बुरीदा यानी सर कटी हुई या जिसका चेहरा मिटा दिया हो मसलन काग़ज़ कपड़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनाई फेर दी हो या उसके सर और चेहरे को खुरच डाला या धो डाला हो तो कराहत नहीं। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– अगर तस्वीर का सर कटा हो मगर सर अपनी जगह पर लगा हुआ है और जुदा न हुआ तो भी कराहत है मसलन कपड़े पर तस्वीर थी उसकी गर्दन पर सिलाई कर दी कि मिस्ल तौक़ के बन गई। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– मिटाने में सिर्फ़ चेहरे का मिटाना कराहत से बचने के लिये काफ़ी है अगर आँख या भौं या हाथ–पाँव जुदा कर लिए गये तो इससे कराहत दफ़ा (दूर)न होगी। (रद्दुलमुहतार जि.1 स. 436)

मसअला :– थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई है तो नमाज़ में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उसी पर कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मकरूह न होगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– यूँ तो तस्वीर जब छोटी न हो और मौज़ए एहानत यानी तौहीन की जगह में न हो और उस पर पर्दा न हो तो हर हालत में उसके सबब नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है मगर सब से बढ़कर कराहत उस सूरत में है जब तस्वीर मुसल्ली के आगे क़िब्ले को हो फिर वह कि सर के ऊपर हो इसके बाद वह कि दाहिने बांए दीवार पर हो फिर वह कि पीछे हो दीवार या पर्दे पर।
(रद्दुलमुहतार, जि.1 स. 437 आलमगीरी)

मसअला :– यह अहकाम तो नमाज़ के हैं,रहा तस्वीर का रखना इसकी निस्बत सही हदीस में इरशाद हुआ कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते यानी जबकि

तौहीन के साथ न हो और न उतनी छोटी तस्वीरें हों जिसका बयान पहले हो चुका।

मसअला :– रुपये अशरफ़ी और दूसरे सिक्के की तस्वीरें भी फ़रिश्तों के दाख़िल होने से रोकने वाली हैं या नहीं इमाम क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि नहीं और हमारे उलमाए किराम के कलिमात से भी यही ज़ाहिर है। (रद्दुलमुहतार, जि.1 स. 437 दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– यह अहकाम तो तस्वीर के रखने में हैं कि सूरते एहानत व ज़रूरत वग़ैराहुमा मुसतस्ना (अलग) हैं रहा तस्वीर बनाना या बनवाना वह बहरहाल हराम है। (रद्दुलमुहतार जि.1–437) ख़्वाह दस्ती हो यानी हाथ की बनी या अक्सी यानी कैमरे से खींची दोनों का एक हुक्म है।

मसअला :– उल्टा क़ुर्आन मजीद पढ़ना, किसी वाजिब को तर्क करना मकरूहे तहरीमी है मसलन रुकू व सुजूद में पीठ सीधी न करना यूँही क़ौमा और जलसा में सीधा होने से पहले सजदे को चले जाना, क़ियाम के अलावा और किसी मौक़े पर क़ुर्आन मजीद पढ़ना, या रुकू में क़िरात ख़त्म करना, इमाम से पहले मुक़तदी का रुकू व सुजूद वग़ैरा में जाना या उससे पहले सर उठाना। (आलमगीरी जि.1स.100)

मसअला :– सिर्फ़ पाजामा या तहबन्द पहनकर नमाज़ पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं तो माफ़ी है। (आलमगीरी,जि 1–100 गुनिया स. 337)

मसअला :– इमाम को किसी आने वाले की ख़ातिर नमाज़ को तूल ,कर देना मकरूहे तहरीमी है अगर उसको पहचानता हो और उसका लिहाज़ दिल में हो, और अगर नमाज़ पर उस की मदद के लिए एक दो तस्बीह के मिक़दार बढ़ा दिया तो कराहत नहीं। (आलमगीरी 1–102) जल्दी में सफ़ के पीछे ही से अल्लाहु अकबर कहकर शामिल हो गया फिर सफ़ में दाख़िल हुआ यह मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी 1–103)

मसअला :– ग़सब की हुई ज़मीन या पराए खेत में जिसमें खेती मौजूद है या जुते हुए खेत में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। क़ब्र का सामने होना अगर मुसल्ली व क़ब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल(आढ़) न हो तो मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 255 आलमगीरी जि. 1 स. 100)

मसअला :– कुफ़्फ़ार के इबादतख़ानों में नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि वह शैतानों की जगह हैं और ज़ाहिर कराहते तहरीम यानी मकरूहे तहरीमी (बहरुर्राइक़ जि. 1 स. 214) बल्कि उनमें जाना भी मना है। (रद्दुल मुहतार जि.1 स. 254)

मसअला :– उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है और ज़ाहिर यह है कि मकरूहे तहरीमी है। यूँही अंगरखे के बंद न बाँधना और अचकन वग़ैरा के बटन न लगाना अगर उसके नीचे कुर्ता वग़ैरा नहीं और सीना खुला रहा तो ज़ाहिर कराहते तहरीमी है और नीचे कुर्ता वग़ैरा है तो मकरूहे तनज़ीही।

यहाँ तक तो वह मकरूहात बयान हुए जिनका मकरूहे तहरीमी होना उन बड़ी–बड़ी किताबों में ज़िक्र है जिनको हनफ़ी उलमाए अहलेसुन्नत ने सही माना है बल्कि इसी पर एअ्तिमाद(यक़ीन)किया है अब बाज़ दीगर मकरूहात बयान किये जाते हैं कि इन में अक्सर का मकरूहे तन्ज़ीही होना साफ़–साफ़ लिखा है और बाज़ में इख़्तिलाफ़ है 'मगर' राजेह (तरजीह) है कि मकरूहे तनज़ीही है।

(1)सजदा या रुकू में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह **से** कम कहना हदीस में इसी को मुर्ग़ की सी ठोंग मारना फ़रमाया ,हाँ वक़्त की तंगी या रेल **चले जाने के** ख़ौफ़ से हो तो हरज नहीं और अगर

मुकतदी तीन तस्बीह न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे।

मसअला :– (2) काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना मकरूहे तन्ज़ीही है जबकि उसके पास और कपड़े हों वर्ना कराहत नहीं। (मुतून)

मसअला :– (3) मुँह में कोई चीज़ लिए हुए नमाज़ पढ़ना पढ़ाना मकरूह है जबकि क़िरात से मानेअ् (रोकने वाला) न हो और अगर क़िरात को रोकता हो मसलन आवाज़ ही न निकले या इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ निकलें कि क़ुर्आन के न हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 430)

मसअला :– (4) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर नमाज़ की तौहीन का इरादा है मसलन यह समझता है कि नमाज़ कोई शान की चीज़ नहीं जिसके लिए टोपी,इमामा पहना जाये तो यह कुफ़्र है और खुशूअ् व खुज़ूअ् के लिए सर बरहना (नंगे सर) पढ़ी तो मुस्तहब है।(दुर्रे मुख़्तार,,रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 431)

मसअला (5) नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफ़ज़ल है जबकि अमले कसीर की हाजत न पड़े वर्ना नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और बार–बार उठानी पड़े तो छोड़ दे और न उठाने से खुज़ू मक़सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– पेशानी से ख़ाक या घास छुड़ाना मकरूह है जबकि इनकी वजह से नमाज़ में तशवीश न हो यानी ख़्याल न बटे और तकब्बुर मक़सूद हो तो कराहते तहरीमी है और अगर तकलीफ़ देने वाली हों या ख़्याल बटता हो तो छुड़ाने में हरज नहीं। और नमाज़ के बाद छुड़ाने में तो बिल्कुल हरज नहीं बल्कि छुड़ा लेना चाहिए ताकि रिया न आने पाये। (आलमगीरी जि 1 स. 99)

मसअला :– यूँही हाजत के वक़्त पेशानी से पसीना पोंछना बल्कि हर वह अमले क़लील ऐसा छोटा सा काम जिस से नमाज़ नहीं जाती)कि मुसल्ली के लिए मुफ़ीद हो जाइज़ है और जो मुफ़ीद न हो मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1स . 199)

मसअला :– नमाज़ में नाक से पानी बहा उसको पोंछ लेना ज़मीन पर गिरने से बेहतर है और अगर मस्जिद में है तो ज़रूर दामन वग़ैरा से पोंछ लेना चाहिए। (आलमगीरी जि 1 स. 99)

मसअला :– (6)नमाज़ में उंगलियों पर आयतों और सूरतों और तस्बीहात का गिनना मकरूह है नमाज़ फ़र्ज़ हो चाहे नफ़्ल और दिल में शुमार रखना या पोरों को दबाने से तादाद महफ़ूज़ रखना और सब उंगलियाँ सुन्नत तरीक़े पर अपनी जगह पर हों इसमें कुछ हरज नहीं मगर ख़िलाफ़े औला है कि दिल दूसरी तरफ़ मुतवज्जेह होगा और ज़ुबान से गिनना मुफ़सिदे नमाज़ है।(दुर्रेमुख़्तार जि.1 स.437वग़ैरा)

मसअला :– नमाज़ के अलावा उंगलियों पर शुमार करने में कोई हरज नहीं। बल्कि बाज़ अहादीस में अक़्दे अनामिल यानी उंगलियों को बन्द कर के शुमार करने का हुक्म है और यह आया है कि उंगलियों से सवाल होगा और वह बोलेंगी। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 437)

मसअला :– तस्बीह रखने में हर्ज नहीं जबकि रिया (दिखावे) के लिए न हो।(रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 437)

मसअला :– (7) हाथ या सर के इशारा से सलाम का जवाब देना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 433)

मसअला :– (8) नमाज़ में बग़ैर उज़्र चार ज़ानू(पालथी मार कर)बैठना मकरूह है और उज़्र हो तो हरज नहीं और अलावा नमाज़ के इस तरह बैठने में कोई हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 433)

मसअला :– (9) नमाज़ में दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुँचाना मकरूह है (आलमगीरी) जबकि

दो एक बार हो (मराक़िलफ़लाह)यह उस क़ौल की बिना पर कि एक रुक्न में तीन बार हरकत को मुफ़सिदे नमाज़ कहा और पंखा झलना मुफ़सिदे नमाज़ है कि दूर से देखने वाला समझेगा कि नमाज़ में नहीं। (मुन्तक़ा ज़ख़ीरा,मुहीत,रज़वी, तहतावी अ़ला मराक़िल फ़लाह जि. 1 स. 194)

मसअला :– (10) इसबाल यानी कपड़ा हद से ज़्यादा दराज़ रखना मना है। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब नमाज़ पढ़ो तो लटकते कपड़े को उठा लो कि उसमें से जो शय ज़मीन को पहुँचेगी वह नार में है बुख़ारी ने अपनी तारीख़ में और तबरानी ने कबीर में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया। "दामनों और पाइचों में इसबाल यह है कि टख़नों से नीचे हों और आस्तीनों में उंगलियों से नीचे और इमामा में यह कि बैठने में दबे।

मसअला :– (11) अगंड़ाई लेना और (12) बिलक़स्द (जानबूझ कर) खांसना या (13) खंकारना मकरूह है और अगर तबीअ़त दफ़ा कर रही है तो हरज नहीं और (14) नमाज़ में थूकना भी मकरूह है (आलमगीरी जि 1 स. 100) तहतावी,अ़ला मराक़िलफ़लाह में अंगड़ाई को फ़रमाया ज़ाहिर में मकरूहे तन्ज़ीही है।

मसअला :– (15) सफ़ में मुनफ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला) को खड़ा होना मकरूह है कि क़ियाम व क़ुऊद वग़ैरा अफ़आ़ल लोगों के मुख़ालिफ़ अदा करेगा, (16) यूँही मुक़तदी को सफ़ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरूह है जबकि सफ़ में जगह मौजूद हो और अगर सफ़ में जगह न हो तो हरज नहीं और अगर किसी को सफ़ में से खींच ले और उसके साथ खड़ा हो तो यह बेहतर है मगर यह ख़्याल रहे कि जिसको खींचे वह इस मसअ्ले से वाक़िफ़ हो कि कहीं इसके खींचने से अपनी नमाज़ न तोड़ दे (आलमगीरी जि. 1 स. 100)और चाहिए यह कि यह किसी को इशारा करे उसे यह चाहिए कि पीछे न हटे इस पर से कराहत दफ़ा हो गई। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– (17) फ़र्ज़ की एक रकअ़त में किसी आयत को बार बार पढ़ना हालते इख़्तियार में मकरूह है और अगर उ़ज़्र से हो तो हरज नहीं। (18) यूँही किसी एक सूरत को बार बार पढ़ना भी मकरूह है। (आलमगीरी जि.1 स. 101 ,ग़ुनिया 462)

मसअला :– (19) सजदे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और (20)उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उ़ज़्र मकरूह है। (ग़ुनिया स. 138)

मसअला :– (21) रुकू में सर को पुश्त से ऊँचा या नीचा करना मकरूह है। (ग़ुनिया स. 140)

मसअला :– (22) बिस्मिल्लाह और अऊज़ुबिल्लाह व सना और आमीन ज़ोर से कहना या (23)अज़कारे नमाज़ को उनकी जगह से हटाकर पढ़ना मकरूह है।(ग़ुनिया, 430 आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअला :– (24) बग़ैर उ़ज़्र दीवार या अ़सा (छड़ी) पर टेक लगाना मकरूह है और उ़ज़्र से हो तो हरज नहीं बल्कि फ़ज्र व वाजिब व सुन्नते फ़ज्र के क़ियाम में उस पर टेक लगा कर खड़ा होना फ़र्ज़ है जबकि बग़ैर उसके क़ियाम न हो सके। जैसा कि बहसे क़ियाम में ज़िक्र हुआ।(ग़ुनिया स. 341)

मसअला :– (25) रुकू में घुटनों पर और (26) सजदों में ज़मीन पर हाथ न रखना मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 102)

मसअला :– (27) इमामा को सर से उतार कर ज़मीन पर रख देना या ज़मीन से उठाकर सर पर रख लेना मुफ़सिदे नमाज़ नहीं अलबत्ता मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअला :– (29) आस्तीन को बिछा कर सजदा करना ताकि चेहरे पर ख़ाक न लगे मकरूह है और तकब्बुर की वजह से हो तो कराहते तहरीमी और गर्मी से बचने के लिए कपड़े पर सजदा किया तो हरज नहीं। (आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअल :– आयते रहमत पर सवाल करना और आयते अज़ाब पर पनाह माँगना मुनफ़रिद(तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला) के लिये जाइज़ है, (30) इमाम व मुक़तदी को मकरूह। और अगर मुक़तदियों को भारी लगे तो इमाम को मकरूहे तहरीमी है।

मसअला :– (31) दाहिने बायें झूमना मकरूह है और तरावुह यानी कभी एक पाँव पर ज़ोर दिया कभी दूसरे पर यह सुन्नत है (हिलया)

मसअला :– (32) उठते वक़्त आगे पीछे पाँव उठाना मकरूह है और सजदे को जाते वक़्त दाहिनी जानिब ज़ोर देना और उठते वक़्त बायें पैर पर ज़ोर देना मुस्तहब है। (आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअला :– (33) नमाज़ में आँखें बन्द रखना मकरूह है मगर जब खुली रहने में खुशू न होता हो तो बन्द करने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 434)

मसअला :– (34) सजदा वग़ैरा में क़िब्ले से उंगलियों को फेर देना मकरूह है।(आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअला :– जूँ या मच्छर जब ईज़ा पहुँचाते हों तो पकड़ कर मार डालने में हरज नहीं। (गुनिया) यह जब है जबकि अमले कसीर की हाजत न हो।

मसअला :– (35) इमाम को तन्हा मेहराब में खड़ा होना मकरूह है और अगर बाहर खड़ा हुआ सजदा मेहराब में किया या वह तन्हा न हो बल्कि उसके साथ कुछ मुक़तदी भी मेहराब के अंदर हों तो हरज नहीं,यूँही अगर मुक़तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 434 आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअला :– (36) इमाम को दरों में खड़ा होना मकरूह है, (37) यूँही इमामे जमाअते ऊला (पहली जमाअत के इमाम)को मस्जिद के ज़ाविए(कोने)व जानिब में खड़ा होना भी मकरूह है,उसे सुन्नत यह है कि वस्त(बीच)में खड़ा हो और इसी वस्त का नाम मेहराब है चाहें वहाँ ताक़ मारूफ़ हो या न हो, तो अगर वस्त (बीच) छोड़कर दूसरी जगह खड़ा हो अगर्चे उसके दोनों तरफ़ सफ़ के बराबर–बराबर हिस्सें हों मकरूह है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 434)

मसअला :– (38)इमाम का तन्हा बलन्द जगह खड़ा होना मकरूह है। बलन्दी की मिक़दार यह है कि देखने में उसकी ऊँचाई ज़ाहिर मुमताज़ हो यानी अलग–सी हो फिर यह बलन्दी अगर क़लील(कम) हो तो कराहते तन्ज़ीही है वर्ना ज़ाहिर तहरीमी है (39) इमाम नीचे हो और मुक़तदी बलंद जगह पर यह भी मकरूह ख़िलाफ़े सुन्नत है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 434)

मसअला :– (40) कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा और मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि इसमें तर्के तअ़ज़ीम है। (आलामगीरी जि.1 स. 101)

मसअला :– (41) मस्जिद में कोई जगह अपने लिये ख़ास कर लेना कि वहीं नमाज़ पढ़े यह मकरूह है। (आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअला :– कोई शख़्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कराहत नहीं जबकि बातों से दिल बटने का ख़ौफ़ न हो,क़ुर्आन शरीफ़ और तलवार के पीछे और सोने वाले के

पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 438)

मसअला :– (42) तलवार व कमान वग़ैरा लटकाए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है जबकि इनकी हरकत से दिल बटे वर्ना हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– (43)जलती आग नमाज़ी के आगे होना बाइसे कराहत है,शमा या चराग़ में कराहत नहीं

मसअला :– (44) हाथ में कोई ऐसा माल हो जिस के रोकने की ज़रूरत होती है उसको लिए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है मगर जब ऐसी जगह हो कि बग़ैर उसके हिफ़ाज़त नामुमकिन हो तो मकरूह नहीं (45) सामने पाख़ाना वग़ैरा नजासत होना या ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि वह मुज़न्नए नजासत हो यानी उस जगह नजासत का गुमान (शक) हो तो नमाज़ मकरूह है। (आलमगीरी 102)

मसअला :– (46) सजदे में रान को पेट से चिपका देना (47) या हाथ से बग़ैर उज़्र मक्खी,पिस्सू उड़ाना मकरूह है(आलमगीरी)मगर औरत सजदे में रान पेट से मिला देगी।

मसअला :– क़ालीन और बिछौनों पर नमाज़ पढ़ने में हरज नहीं जबकि इतने नरम और मोटे न हों कि सजदे में पेशानी न ठहरे वर्ना नमाज़ न होगी। (गुनिया 347)

मसअला :– (48)ऐसी चीज़ के सामने जो दिल को मश्ग़ूल रखे नमाज़ मकरूह है जैसे ज़ीनत और लहव लइब(खेलकूद) वग़ैरा (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 437)

मसअला :– (49) नमाज़ के लिए दौड़ना मकरूह है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– (50)आम रास्ता (51)कूड़ा डालने की जगह,(52) मज़बह (जहाँ जानवर ज़िबह किए जाते हैं),(53) क़ब्रिस्तान, (54)गुस्लख़ाना, (55) हम्माम, (56) नाला, (57) मवेशीख़ाना ख़ुसूसन ऊँट बाँधने की जगह,(58) अस्तबल, (59) पाख़ाने की छत और (60) सेहरा (जंगल)में बिला सुतरे के जबकि ख़ौफ हो कि आगे से लोग गुज़रेंगे इन जगहों में नमाज़ मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मक़बरा में जो जगह नमाज़ के लिए मुक़र्रर हो और उसमें क़ब्र न हो तो वहाँ नमाज़ में हरज नहीं और कराहत उस वक़्त है कि क़ब्रिस्तान सामने हो और मुसल्ली और क़ब्र के दरमियान कोई शय सुतरा की क़द्र हाइल न हो वर्ना अगर क़ब्र दाहिने बायें या पीछे हो या बक़द्रे सुतरा कोई चीज़ हाइल हो तो कुछ भी कराहत नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स. 100)

मसअला :– एक ज़मीन मुसलमान की हो दूसरी काफ़िर की तो मुसलमान की ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर खेती न हो वर्ना रास्ता पर पढ़े काफ़िर की ज़मीन पर न पढ़े और अगर ज़मीन में खेती है मगर इसमें और मालिके ज़मीन में दोस्ती है कि उसे नागवार न होगा तो पढ़ सकता है।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– साँप वग़ैरा के मारने के लिए जबकि ईज़ा का अन्देशा सही हो, या कोई जानवर भाग गया उस के पकड़ने के लिए या बकरियों पर भेड़िये के हमला करने के ख़ौफ़ से नमाज़ तोड़ देना जाइज़ है,यूँही अपने या पराए के एक दिरहम के नुक़सान का ख़ौफ़ हो मसलन दूध उबल जायेगा या गोश्त तरकारी रोटी वग़ैरा जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर उचक्का ले भागा इन सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है।(दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 440 आलमगीरी जि.1 स. 102)

मसअला :– पाख़ाना या पेशाब मालूम हुआ या कपड़े या बदन में इतनी नजासत लगी देखी कि नमाज़ दुरूस्त होने में रुकावट न हो या उस को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो नमाज़ तोड़

देना मुस्तहब है बशर्ते कि वक़्त व जमाअ़त न फ़ौत हो और पाख़ाना पेशाब की ह़ाजत शदीद मा़लूम होने में तो जमाअ़त के फ़ौत हो जाने का भी ख़्याल न किया जायेगा अलबत्ता वक़्त के ख़त्म होने का लिहाज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स 440 रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :– कोई मुसीबतज़दा फ़रियाद कर रहा हो इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो या मुतलक़न किसी शख़्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या आग से जल जायेगा या अंधा राहगीर जा रहा है और सामने कुआँ है मगर यह नमाज़ी उस अंधे को न पकड़ेगा तो कुंए में अंधा गिर जायेगा इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है जबकि यह उसके बचाने पर क़ादिर हो। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 स. 440)

मसअ्ला :– माँ–बाप,दादा दादी, वग़ैरा उसूल के सिर्फ़ बुलाने से नमाज़ तोड़ना जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर उनका पुकारना भी किसी बड़ी मुसीबत के लिए हो जैसे ऊपर ज़िक्र हुआ तो तोड़ दे। यह हुक्म फ़र्ज़ का है और अगर नफ़्ल नमाज़ है और उनको मा़लूम है कि नमाज़ पढ़ता है तो उनके मामूली पुकारने से नमाज़ न तोड़े और इसका नमाज़ पढ़ना उन्हें मअ्लूम न हो और पुकारा तो तोड़ दे और जवाब दे अगर्चे मामूली तौर से बुलायें। (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 440 रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ की नियत बाँध कर अगर किसी वजह से तोड़ दिया तो दोबारा उस नफ़्ल को पढ़ना लाज़िम है।

अह़कामे मस्जिद का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ (پ١٠ ع٩)

तर्जमा :– "मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाये और नमाज़ क़ाइम की और ज़कात दी और ख़ुदा के सिवा किसी से न डरे बेशक वह राह पाने वालों से होंगे"

ह़दीस न.1से 4 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं मर्द की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त के साथ घर में और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस दर्जे ज़ाइद है और यह यूँ है कि जब अच्छी त़रह़ वुज़ू करके मस्जिद के लिए निकला तो जो क़दम चलता है उससे दर्जा बलन्द होता है और गुनाह मिटता है और जब नमाज़ पढ़ता है तो मलाइका बराबर उस पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक अपने मुसल्ले पर है और हमेशा नमाज़ में है जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा है। इमाम अह़मद व अबू यअ्ला वग़ैरा की रिवायत उ़क़बा इब्ने आ़मिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं हर क़दम के बदले दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और जब से घर से निकलता है वापसी तक नमाज़ पढ़ने वालों में लिखा जाता है इन्हीं रिवायतों के क़रीब–क़रीब इब्ने उ़मर व इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी मरवी है।

ह़दीस न.5 :– नसई ने ह़ज़रते उ़समान रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अच्छी त़रह़ वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ को गया

और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी उस की मग़फ़िरत हो जायेगी।
हदीस न.6 :– मुस्लिम वग़ैरा ने रिवायत की कि जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मस्जिदे नबवी के आसपास कुछ ज़मीनें ख़ाली हुई, बनी सलमा ने चाहा कि मस्जिद के क़रीब आ जायें यह ख़बर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुँची, फ़रमाया मुझे ख़बर पहुँची है कि तुम मस्जिद के क़रीब उठ आना चाहते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हाँ इरादा तो है। फ़रमाया ऐ बनी सलमा! अपने घरों ही में रहो तुम्हारे क़दम लिखे जायेंगे, दो बार इस को फ़रमाया। बनी सलमा कहते हैं लिहाज़ा हम को घर बदलना पसन्द न आया।
हदीस न. 7 :– इब्ने माजा ने रिवायत की कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं अन्सार के घर मस्जिद से दूर थे उन्होंने क़रीब आना चाहा इस पर यह आयत नाज़िल हुई:–

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

तर्जमा :– " जो उन्होंने नेक काम आगे भेजे वह और उनके निशाने क़दम हम लिखते हैं"।
हदीस न.8 :– बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सबसे बढ़कर नमाज़ में उसका सवाब है जो ज़्यादा दूर से चल कर आये।
हदीस न.9 :– मुस्लिम वग़ैरा की रिवायत है उबई इब्ने कअब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं एक अन्सारी का घर मस्जिद से सबसे ज़्यादा दूर था और कोई नमाज़ उनकी ख़ता न होती । उनसे कहा गया काश तुम कोई सवारी ख़रीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार होकर आओ। जवाब दिया मैं चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद को जाना और फिर घर को वापस आना लिखा जाये। इस पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने तुझे यह सब जमा कर के दे दिया।
हदीस न.10 : – बज़्ज़ाज़ व अबू यअ्ला हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तकलीफ़ में पूरा वुज़ू करना और मस्जिद की तरफ़ चलना और एक नमाज़ के बाद दूसरी का इन्तिज़ार करना गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है।
हदीस न.12 :– सहीहैन वग़ैरा में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मस्जिद को सुबह या शाम को जाये अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है जितनी बार जाये।
हदीस न.13 से 23. तक :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी बुरीदह रदियल्लहु तआला अन्हु से और इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जो लोग अँधेरों में मस्जिद को जाने वाले हैं उन्हें क़ियामत के दिन कामिल नूर की ख़ुशख़बरी सुना दे"और इसी के क़रीब–क़रीब अबू हुरैरा व अबू दरदा व अबू उमामा व सहल इब्ने सअ्द सअ्दी व इब्ने अब्बास व इब्ने उमर व अबी सईद खुदरी व ज़ैद इब्ने हारिसा व उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है।
हदीस न.24 :– अबू दाऊद व इब्ने हब्बान अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तीन शख़्स अल्लाह तआला की ज़मान (ज़िम्मे) में हैं

अगर ज़िन्दा रहें तो रोज़ी दे और किफ़ायत करे, मर जाये तो जन्नत में दाख़िल करे ,जो शख़्स घर में दाख़िल हो और घर वालों पर सलाम करे वह अल्लाह तआ़ला की ज़मान में है और जो मस्जिद को जाये अल्लाह की ज़मान में है और जो अल्लाह तआ़ला की राह में निकला वह अल्लाह तआ़ला की ज़मान में है।

हदीस न. 25 :– त़बरानी कबीर में और बैहक़ी सलमान फ़ारसी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जिसने घर में अच्छी त़रह़ वुज़ू किया फिर मस्जिद को आया वह अल्लाह का ज़ाइर (ज़्यारत करने वाला) है और जिसकी ज़्यारत की जाये उस पर ह़क़ है कि ज़ाइर का इकराम (इ़ज़्ज़त) करे।

हदीस न.26 :– इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रद़ियल्लहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्ल–ल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो घर से नमाज़ को जाये और यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّآئِلِيْنَ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مَمْشَایَ هٰذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشِرًا وَّ لَا بَطَرًا وَّ لَا رِيَآءً وَّ لَا سُمْعَةً وَّ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَ اَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ .

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस ह़क़ से कि तूने सवाल करने वालों का अपने ज़िम्मए करम पर रखा है और अपने इस चलने के ह़क़ से क्यूँकि मैं तकब्बुर व फ़ख़्र के त़ौर पर घर से नहीं निकला और न दिखाने और सुनाने के लिए निकला मैं निकला लिहाज़ा मैं तेरी नाराज़गी से बचने और तेरी रज़ा की त़लब(ख़ुशी चाहने) में निकला लिहाज़ा मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि जहन्नम से मुझे पनाह दे और मेरे गुनाहों को बख़्श दे तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख़्शने वाला नहीं।"

उसकी त़रफ़ (यानी यह दुआ पढ़ने वाले की त़रफ़) अल्लाह तआ़ला अपने वजहे करीम (ज़ाते पाक) के साथ मुतवज्जेह होता है और स़त्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।

हदीस न. 27 व 28 व 29 :– स़ह़ी मुस्लिम में अबू उसैद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं जब कोई मस्जिद में जाये तो कहे :–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

तर्जमा : "ऐ अल्लाह! तू अपनी रह़मत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे"। और जब निकले तो कहे :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से तेरे फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ"। और अबू दाऊद की रिवायत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र इब्ने आ़स़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है जब हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम मस्जिद जाते तो यह कहते :–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

तर्जमा : " पनाह माँगता हूँ अल्लाह अ़ज़ीम की और उसके वजहे करीम की और सुल्ताने क़दीम की मरदूद शैत़ान से"।

फ़रमाया है जो इसे कह ले तो शैत़ान कहता है मुझ से तमाम दिन मह़फ़ूज़ रहा और तिर्मिज़ी

की रिवायत हज़रते फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से है जब मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाख़िल होते तो दुरूद पढ़ते और कहते :–

"رَبِّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"

तर्जमा :– " ऐ परवर दिगार! तू मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे" और जब निकलते तो दुरूद पढ़ते और कहते।

رَبِّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

तर्जमा :– " ऐ रब ! तू मेरे गुनाह बख़्श दे और अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। "

इमाम अहमद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि जाते और निकलते वक़्त यह कहते بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ (**तर्जमा** :– अल्लाह के नाम से शुरू और सलाम अल्लाह के रसूल पर।) इसके बाद वह दुआ पढ़ते।

हदीस न.30 से 33 तक :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं" अल्लाह तआला को सब जगह से ज़्यादा महबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा मबगूज़ (बुरी जगहें) बाज़ार हैं " और इसी के मिस्ल जुबैर इब्ने मुतइम व अब्दुल्लाह इब्ने उमर व अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है और बाज़ रिवायत में है कि यह क़ौल अल्लाह तआला का है यानी हदीसे कुदसी है ।

हदीस न.34 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सात शख़्स हैं जिन पर अल्लाह तआला साया करेगा उस दिन कि उसके साये के सिवा कोई याया नहीं 1.आदिल इमाम यानी सही इन्साफ़ करने वाला इमामे बरहक़ 2.और वह जवान जिसकी परवरिश अल्लाह तआला की इबादत में हुई 3.वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद को लगा हुआ है। 4. और वह दो शख़्स कि आपस में अल्लाह तआला के लिए दोस्ती रखते हैं उसी पर जमा हुए उसी पर जुदा हुए 5. और वह शख़्स जिसे किसी मालदार और हसीन औरत ने बुलाया उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूँ 6. और वह शख़्स जिसने कुछ सदका किया और उसे इतना छुपाया कि बाएं को ख़बर न हुई कि दाहिने ने क्या ख़र्च किया 7. वह शख़्स जिसने तन्हाई में अल्लाह तआला को याद किया और आँखों से आँसू बहे।

हदीस न.35 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "तुम जब किसी को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उसके ईमान के गवाह हो जाओ कि अल्लाह तआला फ़रमाता है मस्जिद वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए"।

हदीस न.36 :– सहीहैन में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मस्जिद में थूकना ख़ता है और उसका कफ़्फ़ारा ज़ाइल कर देना है यानी उसे हटा देना या धो देना "।

हदीस न.37 :– सही मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल अच्छे बुरे सब पेश किये गये नेक कामों में अज़ियत(तकलीफ़ पहुँचाने वाली) की चीज़ को रास्ता से दूर करना पाया और बुरे आमाल में थूक मस्जिद में ज़ाइल न किया गया हो।

हदीस न.38 व 39 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं" मुझ पर उम्मत के सवाब पेश किए गये यहाँ तक कि तिन्का जो मस्जिद से बाहर कर दे और गुनाह पेश किए गये तो उस से बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि किसी को आयत या सूरते कुर्आन दी गई और उसने भुला दी"और इब्ने माजा की एक रिवायत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जो मस्जिद से अज़ियत की चीज़ निकाले अल्लाह तआ़ला उसके लिए एक घर जन्नत में बनायेगा"।

हदीस न.40 ता 42 :– इब्ने माजा वासिला इब्ने असक़अ़ से और त़बरानी उनसे और अबू दरदा और अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं " मस्जिदों को बच्चों और पागलों और ख़रीद व फ़रोख़्त और झगड़े और आवाज़ बलन्द करने और हुदूद क़ाइम करने (कोड़े वग़ैरा लगाने की सज़ा देने)और तलवार खींचने से बचाओ"।

हदीस न.43 :– तिर्मिज़ी व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जब किसी को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करते देखो तो कहो खुदा तेरी तिजारत में नफ़ाये न दे"।

हदीस न. 44:– बैहक़ी शुअ़बुल ईमान में ह़सन बस़री से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "एक ऐसा ज़माना आयेगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी तुम उनके साथ न बैठो कि खुदा को उनसे कुछ काम नहीं"।

हदीस न.45 :– इब्ने खुज़ैमा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि " हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन मस्जिद में क़िब्ले की त़रफ़ थूक देखा उसे साफ़ किया फिर लोगों की त़रफ़ मुतवज्जेह होकर फ़रमाया क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि उसके सामने खड़ा होकर कोई शख़्स उसके मुँह की त़रफ़ थूक दे "।

हदीस न.46 व 47 :– अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने ह़ब्बान अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो क़िब्ले की जानिब थूके क़ियामत के दिन इस त़रह आयेगा कि उसका थूक दोनों आँखों के दरमियान होगा" और इमाम अह़मद की रिवायत अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया "मस्जिद में थूकना गुनाह है"।

हदीस न.48 :– स़ह़ी बुख़ारी शरीफ़ में है साइब इब्ने यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं कि " मैं मस्जिद में सोया था एक शख़्स ने मुझ पर कंकरी फेंकी देखा तो अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े

आज़म रिदयल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हैं। फ़रमाया जाओ इन दोनों शख़्सों को मेरे पास लाओ। उन दोनों को हाज़िर लाया। उनसे पूछा गया तुम किस क़बीले के हो या कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने अ़र्ज़ की हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। फ़रमाया अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता" (कि वहाँ के लोग आदाब से वाक़िफ़ थे)मस्जिदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम में आवाज़ बलन्द करते हो" ?

अहकामे फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला :– क़िब्ले की तरफ़ क़स्दन (जानबूझ कर) पाँव फैलाना मकरूह है सोते में हो या जागते में। यूँही क़ुर्आन शरीफ़ और दीनी किताबों की तरफ़ भी पांव फैलाना मकरूह है, हाँ अगर किताबें ऊँचे पर हों कि पाँव का सामना उन की तरफ़ न हो तो हरज नहीं या बहुत दूर हों कि आ़मतौर पर किताब की तरफ़ पाँव फैलाना न कहा जाये तो भी माफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– नाबालिग़ का पाँव क़िब्ला रुख़ कर के लिटा दिया यह भी मकरूह है और कराहत इस लिटाने वाले पर आइद होगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– मस्जिद का दरवाज़ा बन्द करना मकरूह है अलबत्ता अगर मस्जिद का सामान जाते रहने का ख़ौफ़ हो तो नमाज़ के वक़्तों के अ़लावा बन्द करने की इजाज़त है।(आलमगीरी जि. 1 स. 102)

मसअ्ला :– मस्जिद की छत पर वती (सम्भोग) व बौल व बराज़ (पेशाब व पाख़ाना)हराम है।यूँही जुनुब व हैज़ व निफ़ास वाली को उस पर जाना हराम है कि वह भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। (रद्दुलमुहतार,दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुज़रना नाजाइज़ है अगर इसकी आ़दत करे तो फ़ासिक़ है, अगर कोई इस नियत से मस्जिद में गया बीच ही में पहुँचा था कि शार्मिन्दा हुआ तो जिस दरवाज़े से उसको निकलना था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले और वुज़ू न हो तो जिस तरफ़ से आया है वापस जाये।(रद्दुलमुहतार जि.1स.441)

मसअ्ला :– मस्जिद में नजासत (नापाकी) लेकर जाना अगर्चे उससे मस्जिद आलूदा न हो या जिस के बदन पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– नापाक रोग़न (तेल)मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है

(दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना या फ़स्द का ख़ून लेना (यानी रग का ख़ून निकलवाना) भी जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअ्ला :– बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में लेजाना हराम है वर्ना मकरूह। जो लोग जूतियाँ मस्जिद के अंदर ले जाते हैं उनको इसका ख़्याल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ़ कर लें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना अदब के ख़िलाफ़ है। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 442)

मसअ्ला :– ईदगाह या वह मक़ाम कि जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया हो इक़्तिदा के

मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है कि अगर्चे इमाम व मुक़तदी के दरमियान कितनी ही सफ़ों की जगह फ़ासिल हो इक़्तिदा सही है और बाक़ी अहकाम मस्जिद के उस पर नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि उसमें पेशाब पाख़ाना जाइज़ है बल्कि यह मतलब कि जुनुब और हैज़ व निफ़ास वाली को उसमें आना जाइज़। फ़नाए मस्जिद (फ़नाए मस्जिद उस जगह को कहते हैं कि मस्जिद में ही कुछ जगह वुज़ू वग़ैरा करने के लिए बना ली जाती है जिसे ख़ारिजे मस्जिद कहते हैं)और मदरसा व ख़ानक़ाह, सराए और तालाबों पर जो चबूतरा वग़ैरा नमाज़ पढ़ने के लिए बना लिया करते हैं उन सब के भी यही अहकाम हैं जो ईदगाह के लिए हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– मस्जिद की दीवार में नक़्श व निगार और सोने का पानी फेरना मना नहीं जब कि मस्जिद की ताज़ीम की नियत से हो मगर दीवारे क़िब्ला पर नक़्श व निगार मकरूह है। यह हुक्म उस वक़्त है कि कोई शख़्स अपने माले हलाल से नक़्श करे और माले वक़्फ़ से नक़्श व निगार हराम है अगर मुतवल्ली ने कराया या सफ़ेदी की तो तावान (जुर्माना)दे। हाँ अगर वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले)ने यह फ़ेल ख़ुद भी किया या उसने मुतवल्ली को इख़्तियार दिया हो तो माले वक़्फ़ से यह ख़र्च दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 442)

मसअला :– मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर क़ुर्आन लिखना अच्छा नहीं कि अन्देशा है वहाँ से गिरे और पाँव के नीचे पड़े। इसी तरह मकान की दीवार पर भी नहीं चाहिए। यूँही जिस बिछौने या मुसल्ले पर असमाए इलाही (अल्लाह तआला के नाम)लिखे हों उसका बिछाना या किसी और इस्तेअ़माल में लाना जाइज़ नहीं और यह भी मना है कि अपनी मिल्क (क़ब्ज़ा)में से उसे जुदा करदे कि दूसरे के इस्तेअ़माल न करने का क्या इतमीनान। लिहाज़ा वाजिब है कि उसको सब से ऊपर किसी ऐसी जगह रखें कि उससे ऊपर कोई चीज़ न हो (आलमगीरी जि. 1 स. 103) यूँहीं बाज़ दस्तरख़्वानों पर अशआर लिखते हैं उनका बिछाना और उन पर खाना मना है।

मसअला :– मस्जिद में वुज़ू करना और कुल्ली करना और मस्जिद की दीवारों या चटाईयों पर या चटाईयों के नीचे थूकना और नाक सिनकना मना है और चटाईयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज़्यादा बुरा है और अगर नाक सिनकने या थूकने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो कपड़े में ले ले।(आलमगीरी जि.1स. 103)

मसअला :– मस्जिद में कोई जगह वुज़ू के लिए शुरू ही से बानि–ए–मस्जिद (मस्जिद बनवाने वाले) ने मस्जिद पूरी होने से पहले बनाई है जिसमें नमाज़ नहीं होती तो वहाँ वुज़ू कर सकता है। यूँही तश्त वग़ैरा किसी बर्तन में भी वुज़ू कर सकता है मगर इन्तिहाई एहतियात के साथ कि कोई छींट मस्जिद में न पड़े (आलमगीरी जि. 1 स. 103)बल्कि मस्जिद को हर घिन की चीज़ से बचाना ज़रूरी है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि वुज़ू के बाद मुँह और हाथ से पानी पोंछकर मस्जिद में झाड़ते हैं यह नाजाइज़ है। (फ़तावा रज़विया जि. 1 स. 733)

मसअला :– कीचड़ से पाँव सना हुआ है उसको मस्जिद की दीवार या सुतून से पोंछना मना है। यूँही फ़ैले हुए गुबार से पोंछना भी नाजाइज़ है और कूड़ा जमा है तो उससे पोंछ सकते हैं। यूँही मस्जिद में कोई लकड़ी पड़ी हुई है कि मस्जिद की इमारत में दाख़िल नहीं उससे भी पोंछ सकते हैं। चटाई के बेकार टुकड़े से जिस पर नमाज़ न पढ़ते हों पोंछ सकते हैं मगर बचना अफ़ज़ल।

मसअला :– मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें जहाँ बे अदबी हो। (दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– मस्जिद में कुआँ नहीं खोदा जा सकता और अगर मस्जिद बनने से पहले यह कुआँ था और अब मस्जिद में आ गया तो बाकी रखा जायेगा। (आलमगीरी जि. 1 स. 103)

मसअला :– मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाजत नहीं, हाँ मस्जिद को उसकी हाजत है कि ज़मीन में तरी है सुतून काइम नहीं रहते तो उस तरी को जज़्ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं।(आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद तैयार होने से पहले मस्जिद के सामान रखने के लिए मस्जिद में हुजरा वग़ैरा बना सकते हैं। (आलमगीरी जि. 1 स. 103)

मसअला :– मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल (माँगने वाले)को देना भी मना है मस्जिद मे गुमशुदा चीज़ तलाश करना मना है। हदीस में है जब देखो कि कोई गुमी हुई चीज मस्जिद में तलाश करता है तो कहो खुदा उसको तेरे पास वापस न करे कि मस्जिदें इस लिए नहीं बनी। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।(दुर्रे मुख्तार जि 1 स 443)

मसअला :– मस्जिद में शेर पढ़ना नाजाइज़ है अलबत्ता अगर शेर हम्द व नात व मनकबत व वाज व हिकमत का हो तो जाइज़ है। (दुर्रे मुख्तार जि. 1 स. 443)

मसअला :– मस्जिद में खाना,पीना,सोना मोअ्तकिफ़(जो एअ्तिकाफ में हो) और परदेसी के सिवा किसी को जाइज़ नहीं। लिहाज़ा जब खाने पीने वग़ैरा का इरादा हो तो एअ्तिकाफ की नियत कर के मस्जिद में जाये कुछ देर ज़िक्र व नमाज़ के बाद अब खा पी सकता है और बाज़ ने सिर्फ़ मोअ्तकिफ़ का इस्तिसना किया यानी सिर्फ़ एअ्तिकाफ वाले के लिए कहा है और यही राजेह (सही) है लिहाज़ा ग़रीबुलवतन यानी मुसाफ़िर भी एअ्तिकाफ की नियत करे कि खिलाफ से बचे।(दुर्रेमुख्तार)

मसअला :– मस्जिद में कच्चा लहसन,प्याज़ खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं जब तक कि बू बाकी हो कि फ़रिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जो इस बदबूदार दरख़्त से खाये वह हमारी मस्जिद के करीब न आये कि मलाइका को उस चीज़ से ईजा (तकलीफ़) होती है जिस से आदमी को होती है। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया यही हुक्म हर उस चीज का है जिसमें बदबू हो गंधना,मूली, कच्चा गोश्त ,मिट्टी का तेल व दियासलाई जिसके रगड़ने में बदबू उड़ती है,रियाह खारिज करना वग़ैरा–वग़ैरा। जिसके मुहँ से बदबू आती हो या लार टपकती हो या कोई बदबूदार ज़ख्म हो या कोई दवा बदबूदार लगाई हो तो जब तक बदबू ख़त्म न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानअ्त (मनाही)है। यूँही कस्साब और मछली बेचने वाले और कोढी और सफ़ेद दाग़ वाले और उस शख़्स से जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता हो मस्जिद से रोका जायेगा

मसअला :– ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरा हर अक़्दे मुबादलत यानी किसी माल को किसी माल के बदले बेचना मस्जिद में मना है सिर्फ़ मोअ्तकिफ़ को इजाज़त है जब कि तिजारात के लिए ख़रीदता बेचता नहो बल्कि अपनी और बाल बच्चों की ज़रूरत से हो और वह शय मस्जिद में नलाई गई हो।

मसअला :– मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं न आवाज़ बलन्द करना जाइज़ (दुर्रेमुख्तार. जि. 1 स. 44 सग़ीरी)अफ़सोस है कि इस ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है यहाँ तक कि बाज़ों को मस्जिदों में गालियाँ बकते देखा जाता है। खुदा की पनाह!

मसअला :– दर्ज़ी को इजाज़त नहीं कि उजरत पर बैठकर मस्जिद में कपड़े सिये,हाँ अगर बच्चों

को रोकने और मस्जिद की हिफ़ाज़त के लिए बैठा तो हरज नहीं। यूँही कातिब को मस्जिद में बैठ कर लिखने की इजाज़त नहीं जबकि उजरत पर लिखता हो और बग़ैर उजरत लिखता हो तो इजाज़त है जबकि किताब कोई बुरी न हो। यूँही मुअल्लिमे अजीर यानी पैसा लेकर पढ़ाने वाले को मस्जिद में बैठकर तालीम की इज़ाजत नहीं और अजीर न हो तो इजाज़त है। (आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद का चिराग़ घर नहीं ले जा सकता और तिहाई रात तक चिराग़ जला सकते हैं अगर्चे जमाअत हो चुकी हो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं हाँ अगर वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले)ने शर्त कर दी हो या वहाँ तिहाई रात से ज़्यादा जलाने की आदत हो तो जला सकते हैं अगर्चे पूरी रात की हो। (आलमगीरी जि. 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद के चिराग़ से दीनी किताबें पढना और पढाना तिहाई रात तक तो मुतलकन कर सकता है अगर्चे जमाअत हो चुकी हो और इसके बाद इजाजत नहीं मगर जहाँ इसके बाद तक जलाने की आदत हों तो हरज नहीं। (अलामगीरी जि. 1 स 103)

मसअला :– चमगादढ़ और कबूतर वग़ैरा के घोंसले मस्जिद की सफ़ाई के लिए नोचने में हरज नहीं (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 445)

मसअला :– जिसने मस्जिद बनवाई तो मरम्मत और लोटे, चटाई, चिराग, बत्ती वग़ैरा का हक उसी को है और अज़ान व इक़ामत व इमामत का अहल है तो इसका भी वही मुस्तहिक (हकदार)है वर्ना उसकी राय से हो यूँही उसके बाद उसकी औलाद और कुम्बे वाले गैरों से औला (बेहतर)हैं।

मसअला :– बानि–ए–मस्जिद ने एक को इमाम व मुअज्ज़िन किया और अहले महल्ला ने दूसरे को तो अगर यह अफ़ज़ल है जिसे अहले महल्ला ने पसन्द किया है तो वही बेहतर है और अगर बराबर हों तो जिसे बानी ने पसन्द किया वह होगा। (ग़ुनिया 571)

मसअला :– सब मस्जिदों से अफ़ज़ल मस्जिदे हराम शरीफ़ है फिर मस्जिदे नबवी शरीफ़ फिर मस्जिदे कुदुस बैतुल मुक़द्दस (जिसे मस्जिदे अक़्सा भी कहते हैं)फिर मस्जिदे कुबा फिर और जामेअ् मस्जिदें फिर मस्जिदे मुहल्ला फिर मस्जिदे शारेअ् यानी आम मस्जिदें। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला में नमाज़ पढ़ना अगर्चे जमाअत क़लील हो मस्जिदे आमेअ् से अफ़ज़ल है अगर्चे वहाँ बड़ी जमाअत हो बल्कि अगर मस्जिदे मुहल्ला में जमाअत न हुई हो तो तन्हा जाये और अज़ान व इक़ामत कहे नमाज़ पढ़े वह मस्जिदे जामेअ् की जमाअत से अफ़ज़ल है।(सग़ीरी स. 302वग़ैरा)

मसअला :– जब चन्द मस्जिदें बराबर हों तो वह मस्जिद इख़्तियार करे जिसका इमाम ज़्यादा इल्म वाला व नेक हो। (सग़ीरी स. 302)और अगर इसमें बराबर हों तो जो ज़्यादा क़दीम हो और बाज़ों ने कहा जो ज़्यादा क़रीब हो और ज़्यादा राजेह (सही)यही मालूम होता है।

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला में जमाअत न मिली तो दूसरी मस्जिद में बा–जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है और जो दूसरी मस्जिद में भी जमाअत न मिले तो मुहल्ले ही की मस्जिद में औला (बेहतर) है और अगर मस्जिदे मुहल्ला में तकबीरे ऊला या एक दो रकअ्त फौत हो गई और दूसरी जगह मिल जायेगी तो इसके लिए दूसरी मस्जिद में न जाये यूँही अगर अज़ान कही और जमाअत में से कोई नहीं तो मुअज़्ज़िन तन्हा पढ़ ले दूसरी मस्जिद में न जाये। (सग़ीरी स. 302)

मसअला :– जो अदब मस्जिद का है वही मस्जिद की छत का है। (ग़ुनिया)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला का इमाम अगर मआज़ल्लाह ज़ानी या सूद ख़ोर हो या उसमें और कोई ऐसी ख़राबी हो जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो तो मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद को जाये (गुनिया स. 569) और अगर उस से हो सकता हो तो मअ्ज़ूल कर दे। उसे निकाल दे।

मसअ्ला :– अज़ान के बअ्द मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं ह़दीस में फ़रमाया कि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफ़िक़,लेकिन वह शख़्स कि किसी काम के लिए गया और वापसी का इरादा रखता है यानी जमाअ़त खड़ी होने से पहले। यूँहीं जो शख़्स दूसरी मस्जिद की जमाअ़त का मुन्तज़िम हो तो उसे चला जाना चाहिए। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर उस वक़्त की नमाज़ पढ़ चुका है तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है मगर ज़ोहर व इशा में इक़ामत हो गई तो न जाये नफ़्ल की नियत से शरीक हो जाने का हुक्म है। (आम्मए कुतुब) और बाक़ी तीन नमाज़ों में अगर तकबीर हुई और यह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाना वाजिब

قَدْ تَمَّ هٰذَا الْجُزْءُ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰی وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431, मोबाइल न. 9219132423